तन्सीख़ात और तर्मीमात का बयान।

दफ़ः ५ बज़अन मन्सूख़ हुई बज़रीय:इ ... ऐक्ट १४ मुसद्दर:इ सन १८७० ई०—(ज़मीम)

दफ़आत ३४ ओ ४० ओ ५६ ओ १३१ ओ १९४ ओ १९६ ओ २२२ ओ २२३ ओ ३०७ तर्मीम की गई—और दफ़आत १२१ (अलिफ़) ओ २२४ (अलिफ़) ओ २२५ (अलिफ़) ओ २९४ (अलिफ़) ओ ३०४ (अलिफ़) इलहाक़ की गई बज़रीय:इ ... ... ऐक्ट २७ मुसद्दर:इ सन १८७० ई० दफ़आत १–१२।

दफ़ः २३० तर्मीम की गई बज़रीय:इ... ... ऐक्ट १९ मुसद्दर:इ सन १८७२ ई०—दफ़ः १।

नाफ़िज़ किया गया सिन्ध के ज़िला सरहदी में बज़रीय:इ ... ... रेगूलेशन ५ मुसद्दर:इ सन १८७२ ई०—दफ़ः ११।

दफ़आत १७८ ओ १८१ तर्मीम की गई बज़रीय:इ ... ... ऐक्ट १० मुसद्दर:इ सन १८७३ ई०—दफ़ः १५।

तमसील (अलिफ़) दफ़ः १९ की दरख़ुसूस ममालिके मगरबी ओ शिमाली के तर्मीम की गई बज़रीय:इ ... ... ऐक्ट १२ मुसद्दर:इ सन १८८१ ई०—दफ़ः २।

दफ़आत ४० ओ ६४ ओ ६७ ओ ७१ ओ ७३ ओ २१४ ओ ३०९ ओ ३३५ ओ ४१० ओ ४३५ तर्मीम की गई बज़रीय:इ... ... ऐक्ट ८ मुसद्दर:इ सन १८८२ ई० दफ़आत १–१०।

तमसीलात दफ़ः २१४ की मन्सूख़ हुई बज़रीय:इ ऐक्ट १० मुसद्दर:इ सन १८८२ ई० (ज़मीम:)।

दफ़आत ४० ओ ६४ ओ ७५ ओ २१६ ओ २२५ (अलिफ़) तर्मीम की गई और दफ़ः २२५ (बे) इलहाक़ की गई बज़रीय:इ... ... ऐक्ट १० मुसद्दर:इ सन १८८६ ई०—दफ़आत २१—२४ (१)।

दफ़ः १३८ (अलिफ़) इलहाक़ की गई बज़रीय:इ ऐक्ट १४ मुसद्दर:इ सन १८८७ ई०—दफ़ः २९।

दफ़आत १६२ ओ १६३ तर्मीम की गई बज़रीय:इ ... ... ऐक्ट १८ मुसद्दर:इ सन १८८७ ई०—दफ़ः २८(२)।

दफ़ः २८ तर्मीम की गई बज़रीय:इ ... ऐक्ट १ मुसद्दर:इ सन १८८९ ई०—दफ़ः ९।

दफ़ः ४७८ लगायत दफ़ः ४८९ तर्मीम की गई बज़रीय:इ ... ... ऐक्ट ४ मुसद्दर:इ सन १८८९ ई०—दफ़ः ३।

के लिये नाफ़िज़ है—और हरएक उहदःदार जो सर्कार का मुलाज़िम हो या गवर्नमेन्ट से बइवज़ मिहनत पाता हो—या उसको कोई कार सर्कार करने के एवज़ में फ़ीस या कमीशन की तरह पर उजरत मिलती हो ।

दसवीं—हर एक उहदःदार जिस पर बहैसीयत उसके उहदे के लाज़िम है कि बनज़र किसी आम ग़रज़ ग़ैर मज़हबी मुतअल्लिक़ः किसी गाओं या क़स्बः या शहर या ज़िला के कोई माल अपने क़ब्ज़े में लाये या अपनी तहवील में ले या अपनी तहवील में रक्खे या सर्फ़ करे या कोई पैमाइश या तशख़ीस करे या किसी क़िस्म की रुसूम या टैक्स वसूल करे या किसी गाओं या क़स्बे या शहर या ज़िला के बाशिन्दों के हुक़ूक़ की ताइन की ग़रज से कोई दस्तावेज मुरत्तब या मुसद्दक़ करे या अपनी तहवील में रक्खे ।

तमसील ।

मिउनीसिपल कमिश्नर सर्कारी मुलाज़िम है ।

तशरीह १—वह सब अशख़ास जो ऊपर की लिखीहुई क़िस्मों में से किसी क़िस्म में दाखिल हों सर्कारी मुलाज़िम हैं आम इससे कि उन्हों ने गवर्नमेन्ट से वह मन्सब पाया हो या नहीं ।

तशरीह २—हर महल में जहां सर्कारी मुलाज़िम का लफ़्ज़ आया है इतलाक़ उस का हर शख़्स पर है जो किसी सर्कारी मुलाज़िम के उहदे पर फ़िल्वाक़े क़ायमहो गो कि उस शख़्स के उस उहदे पर क़ायम होने के इस्तिहक़ाक़ में क़ानून की रूसे कैसाही क़ुसूर हो ।

दफ़ः २२—" माल (या जायदाद) मनक़ूलः " के लफ़्ज़ में हर क़िस्म का माल औ असबाब माद्दी दाखिल है सिवाय अराज़ी और उन चीज़ों के जो ज़मीन से मुल्सक़ हों या किसी ऐसी चीज़ से बिल इस्तिहकाम पैवस्तः रहें जो ज़मीन से मुल्हक़ है ।

दफ़ः २३—" इस्तिहसाले बेजा " वह इस्तिहसाले माल है जो नाजायज़ वसीलों से किया जाय और शख़्स हासिल करने वाला उस माल का क़ानूनन मुस्तहक़ न हो ।

(२) जो जो तरमीमात कि ऐक्ट हाय मुतज़क्किरः [illegible] सुन्दर्ज [illegible] की रू से की गई हैं वह या तो मतन में मय तशरीही फुटनोटों के दाखिल करदी हैं या फुटनोटों में उनका ज़िक्र कर दिया गया है।

(३) हवाले और फुटनोट आसानीये हवाल के लिये दाखिल किये गये हैं।

(४) नम्बर और सन उन ऐक्टों के जिनका हवाला मतन में दिया गया है अन्दर के हाशियः में मुन्दर्ज हुये हैं जहां जहां दोनों मतन में आगयेहैं।

(५) हाशियः के नोटों की नज़रे सानी की गई है।

(६) लम्बी लम्बी दफ़आत कहीं कहीं ज़िमनों और फ़िक़रों पर तक़सीम करदी गई हैं।

(७) सफ़हात की सुर्खियां तब्दील करदी गई हैं—और

(८) एक फ़िहरिस्त हुरूफ़ तहज्जी की तर्तीब से जमा की गई है।

फ़िह्‌रिस्ते अबवाब।

वही इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाज़ते ख़ुद इख़्तियारी हासिल है जो उस हाल मे होता जब कि वह ऐसी गलत फ़हमी से अमल न करता।

अफ़आल जिन के दफ़ीयः मे इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाज़ते खुद इख़्तियारी नहीं है।

दफ़ः ९९—जिस फ़ेल से हलाकत या ज़ररे शदीद पहुंचने का अन्देशः माक़ूल वजह से न हो उस फ़ेल के दफ़ीयःमें कोई इस्तिहक़ाके हिफ़ाजते ख़ुद इख़्तियारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फ़ेल का इर्तिकाब या इक़्दाम किसी सर्कारी मुलाज़िम की जानिब से नेक नीयती से बएतबार उसके उहदे के ज़ुहूर में आये गो वह फ़ेल क़ानून की रूसे दर असल जायज न हो।

जिस फ़ेलसे हलाकत या जररे शदीद पहुंचने का अन्देशः माकूल वजह से न हो उस फ़ेल के दफ़ीयः में कोई इस्तिहकाके हिफाज़ते खुद इख़्तियारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फ़ेल का इर्तिकाब या इक़दाम किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम की हिदायत से ज़ुहूर मे आये जो नेक नीयती से अपने उहदे के एतिबार से अमल करता हो गो वह हिदायत कानून की रु से दर असल जायज न हो।

ऐसी हालतों में भी कोई इस्तिहक़ाक़े हिफाजते ख़ुद इख़्तियारी नहीं है जबकि हुक्काम से इस्तिम्दाद की मुहलत हासिल हो।

हदे हिफ़ाज़ते इस्तहक़ाक़ मज़कूर।

इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाजते खुद इख़्तियारी किसी हालत में उससे ज़ियादः गज़न्द पहुंचाने पर मुहीत नहीं है जिसका पहुंचाना हिफ़ाजत के लिये जरूरी है।

तशरीह १—जिस फ़ेल का इर्तिकाब या इक़दाम किसी सर्कारी मुलाज़िम की जानिब से बएतिबार उसके उहदे के ज़ुहूर मे आवे तो उस फ़ेल के दफ़ीयः मे किसी शख़्सका इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाज़ते ख़ुद इख़्तियारी साक़ित नहीं होता सिवा इसके कि वह शख़्स जानता हो या बावर करने की वजह रखता हो कि मुर्तकिब वैसाही सर्कारी मुलाज़िम है।

दफ़आत

बाब ३।

सज़ाओं के बयान में।

(बाब ४—मुस्तस्नीयाते आम्मः के बयान में—दफ़ात ९४—९६ ।)

तमसीलें ।

अगर जैद कि जर्राह है किसी मरीज़ को एअलाम करे कि मेरी रायमें तुम नहीं जीसक्ते और वह मरीज़ उस एअलाम के सदमे से मर जाय तो जैद गो उसको यह इल्म था कि ऐसे एअलाम से मरीज़ की हलाकत का इहतिमाल है किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं है।

फ़ेल जिसके करने के लिये कोई शख़्स धमकीयों से मजबूर किया गया है।

दफ़ः ९४—क़तले अमद और जरायमे खिलाफे वर्जी वा सर्कार के सिवा जिनकी पादाश में सज़ाय मौत मुकर्रर है कोई अमर जुर्म नहीं है जब कि उसको कोई शख़्स धमकी से मजबूर होकर करे और उस धमकी से इर्तिकाब के वक़्त मुर्तकिब को माक़ूल तरह से यह अन्देशः पैदा होकि उस अमर का न करना उसके फ़ौरन् हलाक किये जाने का बाइस होगा मगर शर्त यह है कि उस अमर के मुर्तकिब ने खुद अपनी रग़बत से या अपने किसी गज़न्द के माक़ूल अन्देशे से जो फ़ौरन् हलाक किये जाने की निस्बत कमहो अपने तईं ऐसी हालत में न डाला हो जिसके सबब से वह ऐसी मजबूरी में मुबतिलः हुआ।

तशरीह १—अगर कोई शख़्स अपनी रग़बत या मार पीट की धमकी से डाकुओं के किसी गुरोह का बावस्फ जानने उन के चाल चलन के शरीक होजाय तो शख़्से मज़कूर इस वजह से कि उसके साथियों ने उससे कोई फेल जो क़ानूनन् जुर्म है बजब्र कराया इस मुस्तस्ना से मुस्तफ़ीद होने का मुस्तहक़ नहीं है।

तशरीह २—अगर डाकुओं का कोई गुरोह किसी शख़्स को पकड़ ले और वह शख़्स फ़ौरन् हलाक किये जाने की धमकी से किसी फेल के करने पर जो क़ानूनन् जुर्म है मजबूर हो मसलन् कोई लुहार अपने औज़ार लेजाने और किसी मकान का दरवाज़ः तोड़ डालने के लिये मजबूर किया जाय ताकि डाकू अन्दर घुसकर लूटें तो वह शख़्स इस मुस्तस्ना से मुस्तफ़ीद होने का मुस्तहक़ है।

[illegible]

दफ़ः ९५—कोई अमर इस वजह से जुर्म नहीं है कि उससे कोई गज़न्द पहुंचे या उससे किसी गज़न्द का पहुंचाना मक़सूद है या इल्म में है कि उससे किसी गज़न्द के पहुंचाने का इहतिमाल है बशर्ते कि

दफ़आत

७९—फ़ेल जो किसी ऐसे शख़्स से सरज़द हो जो क़ानून की रूसे उसके करने का मुजाज़ है या जिसने अमरे वक़ूई की ग़लत फ़हमी से अपने तईं क़ानूनन् उसके करने का मुजाज़ बावर कर लिया हो।

८०—फ़ेले जायज़ के करने में इत्तिफ़ाक़ का पेश आजाना।

८१—फ़ेल जिससे गज़न्द पहुचने का इहतिमाल है लेकिन किसी नीयते मुजरिमानः के बग़ैर और दूसरा गज़न्द रोकने के लिये किया जाय।

८२—सात बरस से कम उमर के तिफ़्ल का फ़ेल।

८३—सात बरस से ज़ियादः और बारह बरस से कम उमर के तिफ़्ल का फ़ेल जो पुख़्तः समझ का न हो।

८४—उस शख़्स का फ़ेल जिस की अक़्ल में फ़ुतूर हो।

८५—उस शख़्स का फ़ेल जो नशे में होने के सबब कि उसकी वह हालत उसकी बेमर्ज़ी पैदा करदी गई है अक़्ल काम में लाने के क़ाबिल न हो।

८६—जुर्म जिसमें ख़ास नीयत या इल्म दरकार हो और उसका इर्तिकाब वह शख़्स करे जो नशे में हो।

८७—फ़ेल जिससे हलाकत या ज़ररे शदीद मक़सूद न हो और न उसके इहतिमाल का इल्म हो और जो बरिज़ामन्दी किया गया हो।

८८—फ़ेल जिससे हलाकत मक़सूद न हो और बरिज़ामन्दी नेकनीयती से किसी शख़्स के फ़ायदे के लिये किया गया हो।

८९—फ़ेल जो नेक नीयती से किसी तिफ़्ल या किसी फ़ातिरुल्अक़्ल के फ़ायदे के लिये वली से या वली की रिज़ामन्दी से सरज़द हो।

९०—रिज़ामन्दी ख़ौफ़ या ग़लत फ़हमी की हालत में जिसके दिये जाने का इल्म हो।

फ़ातिरुल्अक़्ल की रिज़ामन्दी।

तिफ़्ल की रिज़ामन्दी।

९१—इख़राज उन अफ़आल का जो बिला लिहाज़ उस गज़न्द के जो पहुचाया गया जुर्म है।

९२—फ़ेल जो नेक नीयती से किसी शख़्स के फ़ायदे के लिये बे रिज़ामन्दी किया गया है।

शरायत।

९३—इत्तलाम जो नेक नीयती से किया गया है।

९४—फ़ेल जिसके करने के लिये कोई शख़्स धमकीयों से मजबूर किया गया है।

९५—फ़ेल जो गज़न्दे ख़फ़ीफ़ का बाइस हो।

दफ़आत

१११—मुईन का लायक़ मुवाख़ज़ः होना जब कि इआनत एक फ़ेल में हो और कोई फ़ेल मुग़ायर किया जाय ।

शर्त ।

११२—मुईन जबकि वह उस फ़ेल के लिये जिसमें इआनत की गई है और उस फ़ेल के लिये जो किया गया है इकट्ठी सज़ा का मुस्तौजिब हो ।

११३—मुईन का क़ाबिल मुवाख़ज़ा होना उस नतीजे के लिये जो उस फ़ेल से पैदा हो जिस में इआनत की गई है और जो नतीजःइ मक़सूदःइ मुईन से मुग़ायर हो ।

११४—मुईन इर्तिकाबे जुर्म के वक़्त मौजूद हो ।

११५—उस जुर्म में इआनत करना जिसकी सज़ा मौत या हब्से दवाम बउबूरे दरियाय शोर ।

अगर जुर्म का इर्तिकाब न हो ।

अगर फ़ेल जिससे गज़न्द पहुचे इआनत के सबब से किया जाय ।

११६—उस जुर्म में इआनत करना जिसकी सज़ा क़ैद है—

अगर जुर्म का इर्तिकाब न हो ।

अगर मुईन या मुआन सर्कारी मुलाज़िम हो जिस पर उस जुर्म का रोकना लाज़िम है ।

११७—उस जुर्म के इर्तिकाब में इआनत करना जिसको आम्मःइ ख़लायक़ या दस से ज़ियादः शख़्स करें ।

११८—उस जुर्म के इर्तिकाब की तदबीर का छुपाना जिस की सज़ा मौत या हब्से दवाम बउबूरे दरियाय शोर है—

अगर जुर्म का इर्तिकाब हुआ हो ।

अगर जुर्म का इर्तिकाब न हुआ हो ।

११९—सर्कारी मुलाज़िम जो किसी जुर्म के इर्तिकाब की तदबीर छुपाये जिसका रोकना उस पर लाज़िम है—

अगर जुर्म का इर्तिकाब हुआ हो ।

अगर जुर्म की सज़ा मौत वग़ैर हो ।

अगर जुर्म का इर्तिकाब न हुआ हो ।

१२०—उस जुर्म के इर्तिकाब की तदबीर का छुपाना जिसकी सज़ा क़ैद है—

अगर जुर्म का इर्तिकाब हुआ हो ।

अगर जुर्म का इर्तिकाब न हुआ हो ।

औरों को यह बावर कराये कि मैं सर्कारी मुलाज़िम होनेवाला हूं और तब तुम्हारे काम आऊंगा और इस ज़रिये से कोई माबिहिल इहतिजाज हासिल करे तो इस सूरत में शख़्से मज़कूर दगा करने का मुजरिम होसक्ता है लेकिन उस जुर्म का मुजरिम न होगा जिसकी तारीफ इस दफ़ः में कीगई है।

"माबिहिल इहतिज़ाज"—"माबिहिल इहतिज़ाज" के लफ़्ज़ से न सिर्फ वह शै बाइसे इहतिज़ाज मुराद है जो ज़र से मुतअल्लिक़ हो या जिसकी क़दर का तख़मीना ज़र में होसके।

"अजरे मुताबिक़े क़ानून"—"अजरे मुताबिक़े क़ानून" के लफ़्ज़ से न सिर्फ वह अजर मुराद है जिसका कोई सर्कारी मुलाज़िम जवाजन् मुतालबा कर सके बल्कि यह लफ़्ज़ हर एक अजर पर मुहीत है जिसके क़बूल करने की उसको उस गवर्नमेन्ट[1] की जानिब से इजाज़त है जिसका वह मुलाज़िम है।

"वजहे तहरीक या हक़ुस्सई कोई काम करने के लिये"—जो कोई शख़्स कोई काम करने के वास्ते जिसका करना उसकी नीयत में न हो "वजहे तहरीक के तौर पर या कोई काम करने के वास्ते जो उसने न किया हो हक़ुस्सई के तौर पर कोई माबिहिल इहतिजाज क़बूल करे वह शख़्स इस इबारत के मिसदाक़ में दाख़िल है।

दफ़आत

१३४—इआनते हमलए मज़कूर अगर हमले का इर्तिकाब हो ।

१३५—किसी सिपाही या दर्यानवर्दीये जहाज़ी के नौकरी पर से भाग जाने की इआनत करना ।

१३६—भागे नौकर को पनाह देना ।

१३७—किसी नौकर का किसी सौदागरी मर्कबे तरी में नाखुदा की ग़फ़लत से छुपा होना ।

१३८—उदूल हुक्मी में किसी सिपाही या दर्यानवर्दीये जहाज़ी की इआनत करना ।

१३८ (अलिफ़) दफ़आत मज़कूरए बाला का मुलाज़िमाने बहरीये हिन्द से मुतअल्लिक़ होना ।

१३९—अशख़ास जो बाज़ क़ानून के ताबे हैं ।

१४०—सिपाहियाना लिबास पहनना या सिपाहियाना निशान लिये फिरना ।

बाब ८ ।

उन जुर्मों के बयान में जो आसूदगीये आम्मःइ खलायक के मुख़ालिफ़ है ।

१४१—मजमए नाजायज़ ।

१४२—किसी मजमए नाजायज़ का शरीक होना ।

१४३—सज़ा ।

१४४—सिलाहे मुहलिक से मुसल्लह होकर किसी मजमए नाजायज का शरीक होना ।

१४५—किसी मजमए नाजायज में यह जान कर कि उसको मुतफ़र्रक़ होजाने का हुक्म होचुका है दाखिल होना या दाखिल रहना ।

१४६—बलवा करना ।

१४७—बलवा करने की सजा ।

१४८—सिलाहे मुहलिक से मुसल्लह होकर बलवा करना ।

१४९—मजमए नाजायज का हर एक शरीक उस जुर्म का मुजरिम है जिसका इर्तिकाब ग़र्ज़े मुश्तरक के हासिल करने में हो ।

१५०—किसी मजमए नाजायज में दाखिल होने के लिये अशख़ास को उजरत पर रखना या उनके उजरत पर रक्खे जाने में मुज़ाहमत करना ।

१५१—पांच या ज़ियादः शख़्सों के मजमए में बाद इसके कि उसको मुतफ़र्रक़ होने का हुक्म हो चुका हो जान बूझ कर दाखिल होना या रहना ।

(बाब १२—उन जुर्मों के बयान में जो सिक्के और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुतअल्लिक हैं—दफ़आत २३१—२६३।)

गया हो कि यह मुबद्दल है उसे हवाला करना।

२४८ में कीगई है और जिसने उस सिक्के को क़ब्जे में लाते वक्त जान लिया हो कि उस सिक्के की निस्बत जुर्म मजकूर का इर्तिकाब होचुका है फरेब से या इस नीयत से कि फरेब का इर्तिकाब किया जाय उस सिक्के को किसी दूसरे शख्स के हवाले करे या किसी दूसरे शख्स को उसे अपनी तहवील में लेनेकी तहरीक करनेका इक़दाम करे तो शख्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीआद पांच बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

क़ब्जे में लेते वक्त मलफ़ःइ मुअल्लम क जिस सिक्के की जाना गया हो कि यह मुबद्दल है उसे हवाले करना।

दफ़ः २५१—कोई शख्स जिसके पास ऐसा सिक्कःहो जिसकी निस्बत उस जुर्म का इर्तिकाब होचुका है जिसकी तारीफ दफः २४७या २४९में कीगई है और जिसने उस सिक्केको कब्जेमें लेते वक़्त जानलिया हो कि उस सिक्के की निस्बत जुर्म मजकूर का इर्तिकाब होचुका है उस सिक्के को फरेब से या इस नीयत से कि फरेब का इर्तिकाब कियाजाय किसी दूसरे शख्स के हवाले करे या किसी दूसरे शख्सको उसे अपनी तहवील में लेने की तहरीक करने का इक़दाम करे तो शख्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

उस शख्स का सिक्के को पास रखना जिसने उसे क़ब्जे में लेने वक्त जाना हो कि वह मुबद्दल है।

दफ़ः २५२—जो कोई शख्स फरेब से या इस नीयत से कि फरेब का इर्तिकाब किया जाय कोई ऐसा सिक्कः अपने पास रखताहो जिसकी निस्बत उस जुर्म का इर्तिकाब होचुका है जिसकी तारीफ दफः २४६ ख्वाह २४८ में की गई है और उसने सिक्कःइ मजकूर को क़ब्जे में लेते वक़्त जान लियाहो कि उस सिक्केकी निस्बत जुर्म मजकूर का इर्तिकाब हो चुकाहै—तो शख्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

उस मानन्द मजकूर मुअल्लम।

दफ़ः २५३—जो कोई शख्स फरेब से या इस नीयत से कि फरेब का इर्तिकाब किया जाय कोई सिक्कः अपने पास रखता हो जिसकी निस्बत उस जुर्म का इर्तिकाब हो चुका है जिसकी तारीफ दफः २४७

दफ़आत

१६७—सर्कारी मुलाज़िम जो नुक़सान पहुंचाने की नीयत से ग़लत दस्तावेज़ मुरत्तब करे।

१६८—सर्कारी मुलाज़िम जो नाजायज़ तौर पर तिजारत से सरोकार रक्खे।

१६९—सर्कारी मुलाज़िम जो नाजायज़ तौर पर माल ख़रीदे या उसके लिये बोली बोले।

१७०—सर्कारी मुलाज़िम बनना।

१७१—फ़रेब की नीयत से वह निशान पहनना या वह निशान लिये फिरना जिसको सर्कारी मुलाज़िम इस्तिमाल करता हो।

बाब १०।

सर्कारी मुलाज़िमों के इख़्तियाराते जायज़ की तहक़ीर के बयान में।

१७२—समन और इत्तिला नामे का अपने पास तक पहुंचना टाल देने के लिये रूपोश होजाना।

१७३—समन या और इत्तिला नामे के अपने या और के पास तक पहुंचने को या उसके मुश्तहर किये जाने को रोकना।

१७४—हाज़िर होने को जो सर्कारी मुलाज़िम के हुक्म की तामील में हो तर्क करना।

१७५—वह शख़्स सर्कारी मुलाज़िम के हुज़ूर में दस्तावेज़ का पेश करना तर्क करे जिस पर उसका पेश करना क़ानूनन् वाजिब है।

१७६—वह शख़्स सर्कारी मुलाज़िम को इत्तिला या ख़बर देनी तर्क करे जिसपर इत्तिला या ख़बर देनी क़ानूनन् वाजिब है।

१७७—झूठी ख़बर देना।

१७८—हल्फ़ या इक़रार सालिह करने से इन्कार करना जब कोई सर्कारी मुलाज़िम उसका बाज़ाबित हुक्म दे।

१७९—सर्कारी मुलाज़िम को जो सवाल करने का इख़्तियार रखता है जवाब देने से इन्कार करना।

१८०—बयान पर दस्तख़त करने से इन्कार करना।

१८१—सर्कारी मुलाज़िम या उस शख़्स से जो हल्फ़ या इक़रार सालिह लेने का इख़्तियार रखता है ब हल्फ़ या इक़रारे सालिह झूठ बयान करना।

१८२—सर्कारी मुलाज़िम से उसका इख़्तियार जायज़ किसी और शख़्स को नुक़सान पहुंचाने के लिये नाफ़िज़ कराने की नीयत से झूठी ख़बर देना।

[illegible]

२०१—मुजरिम को बचाने के लिये जुर्म की वजह सबूत को गायब करा देना या झूठ ख़बर देना—

अगर मुस्तौजिब सज़ाये मौत हो ।

अगर मुस्तौजिब हब्स बउबूर दर्याय शोर हो ।

अगर मुस्तौजिब क़ैद कम अज़ दस साल हो ।

२०२—जुर्म की ख़बर दे जो वह शख्स कस्दन् तर्क करे जिसपर ख़बर देना वाजिबहै ।

२०३—इर्तिकाब किये हुये किसी जुर्म की निसबत झूठ ख़बर देना ।

२०४—बतौर सबूत के तौर पर किसी दस्तावेज़ का पेश किया जाना रोक देने के लिये उसे ज़ाया करना ।

२०५—मुक़द्दमे या इस्तिग़ासे में किसी अमर या मुआमले दरामद की ग़रज़ से झूठमूठ कोई और शख्स बनना ।

२०६—ज़ब्ती के तौर पर या डिक्री की तामील में किसी माल का कुर्क किया जाना रोकने के लिये उसे फ़रेब की रूसे दूर करना या छुपाना ।

२०७—ज़ब्ती के तौर पर या डिक्री की तामील में किसी माल का कुर्क किया जाना रोकने के लिये फ़रेब की रूसे उसका दावा करना ।

२०८—ग़ैर वाजिब रुपये के लिये फ़रेब से डिक्री जारी होने देना ।

२०९—कोर्ट में बद दियानती से झूठा दावा करना ।

२१०—ग़ैर वाजिब रुपये के लिये फ़रेब से डिक्री हासिल करना ।

२११—नुक़सान पहुचाने की नीयत से दावाये जुर्म ।

२१२—पनाहदिहाये मुजरिम—

अगर क़ाबिले सज़ाये मौत हो ।

अगर क़ाबिले सज़ाये हब्स दवाम बउबूर दर्याय शोर या क़ैद हो ।

२१३—मुजरिम को सज़ा से बचाने के लिये सिला वग़ैरः लेना ।

अगर क़ाबिले सज़ाये मौत हो ।

अगर क़ाबिले सज़ाये हब्स दवाम ब उबूर दर्याय शोर या क़ैद हो ।

२१४—मुजरिम को बचाने के एवज़ में सिला देना या माल वापस करने के लिये कहना—

अगर जुर्म क़ाबिले सज़ाये मौत हो ।

अगर क़ाबिले सज़ाये हब्स दवाम बउबूर दर्याय शोर या क़ैद हो ।

२१५—माले मसरूक़ वग़ैरः की बाज़याफ़्त में मदद करने के लिये सिला लेना ।

२१६—ऐसे मुजरिम को पनाह देना जो हिरासत से भागा हो या जिसकी गिरफ्तारी का हुक्म हो चुका है—

गिरफ़्तार किये जाने का मुस्तौजिब हो जिसकी पादाश में सजाय मौत मुक़र्रर है तो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

या अगर वह शख़्स जो गिरफ़्तार किये जाने को हो या जो छुड़ाया गया या जिसके छुड़ाने का इक़दाम किया गया हो किसी कोर्ट आफ जस्टिसके हुक्म सज़ा या उस हुक्म सज़ा के तबादिल की रू से हब्से दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दस बरस या ज़ियादः मीआद के हब्से बउबूरे दर्याय शोर या मशक़्क़ते ताज़ीरी बहालते क़ैद या क़ैद का मुस्तौजिब हो तो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा-

या अगर वह शख़्स जो गिरफतार किये जाने को हो या जो छुड़ाया गया या जिसके छुड़ाने का इक़दाम किया गया हो उसकी निस्वत सज़ाय मौत का हुक्म सादिर हो चुका हो तो उसको हब्स दवाम बउबूरेदर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दस बरस से ज़ायद न हो और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

ऐसी सूरतों में सर्कारी

दफ़ः२२५[1] (अलिफ़)-जो कोई शख़्स सर्कारी मुलाजिम होकर बहैसियत वैसी सर्कारी मुलाज़िमी के क़ानूनन् किसी शख़्स के किसी

१ दफ़आत २२५ (अलिफ़) ओ २२५ (बे) हिन्द के फ़ौजदारी आईन के तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८८६ ई० (नम्बर १० मुसदरः सन १८८६ ई० की दफ़ः २४ (१) [ऐक्ट हाय आम-जिल्द ५] के ज़रीये से दफ़ः २२६ (अलिफ़) के एवज़ मज मूअःइ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द के तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नम्बर २७ (मुसदरःइ सन १८७०) की दफ़ः ९ के ज़रीये से दाख़िल हुई थी-क़ायम की गई।

इस मजमूअ़ इक़वानीन के बाब ४ ओ ५ उन जुर्मों से मुतअ़ल्लिक़ हैं जो दफ़आत २२५ (अलिफ़) ओ २२५ (बे) की रू से क़ाबिले सज़ा हैं-मुलाहज़ा तलब मजमूअ़ःइ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द के तर्मीम करनेवाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नम्बर २७ मुसदरःइ सन १८७० ई०) की दफ़आत १२ जैसी कि उनकी तर्मीम मन्सूख़ और तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८९१ ई० (नम्बर १२ मुसदरःइ सन १८९१ ई०) [ऐक्ट हाय आम-जिल्द ६] के ज़रीये से हुई है।

बाब १२।

उन जुर्मों के बयान में जो सिक्के और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुतअल्लिक हैं।

दफ़आत

२३०—सिक्के की तारीफ़।

मलकः मुअज़्ज़म का सिक्का।

२३१—तलबीसे सिक्का।

२३२—तलबीसे सिक्कःः मलकः मुअज़्ज़म।

२३३—साख्त या फ़रोख्त आलः तलबीसे सिक्का।

२३४—साख्त या फ़रोख्त आलः तलबीस सिक्कःः मलकः मुअज़्ज़म।

२३५—आला या सामान को तलबीस सिक्का में काम में लाने की गरज़ से पास रखना अगर मलिकःः मुअज़्ज़म का सिक्का हो।

२३६—हिन्दुस्तान में रहकर हिन्दुस्तान के बाहर तलबीस सिक्का की इआनत करना।

२३७—मुलतबस सिक्के को अन्दर लाना या बाहर ले जाना।

२३८—मलकःः मुअज़्ज़मः के सिक्के से मुलतबस सिक्के को अन्दर लाना या बाहर लेजाना।

२३९—क़ब्ज़े में लेते वक्त जिस सिक्के को जाना गया हो कि यह मुलतबस है उसे हवालः करना।

२४०—क़ब्ज़े मे लेते वक्त जिस सिक्के को जाना गया हो कि यह मलकः मुअज़्ज़म के सिक्के से मुलतबस है उसे हवालः करना।

२४१—ऐसे सिक्के को असली सिक्के की हैसीयत से हवाले करना जिसको हवाले करने वाले ने पहले क़ब्ज़े में लेते वक्त न जाना हो कि यह मुलतबस है।

२४२—उस शख़्स का सिक्का मुलतबस को पास रखना जिसने उसे क़ब्ज़े में लेते वक्त मुलतबस जाना हो।

२४३—उस शख़्स का मलकः मुअज़्ज़मः के सिक्के से मुलतबस सिक्के को पास रखना जिसने उसे क़ब्ज़े में लेते वक्त मुलतबस जाना हो।

२४४—वह शख़्स जो टिकसाल में मामूर हो सिक्के की वज़न या तर्कीबे मुआइनःः क़ानून से मुगायर वज़न या तर्कीब कर दे।

२४५—नाजायज़ तौर से आलःः ज़र्बे सिक्का टिकसाल से ले जाना।

२४६—फ़रेब या बददियानती से सिक्के का वज़न घटाना या उसकी तर्कीब बदलना।

२४७—फ़रेब या बद दियानती से मलकः मुअज़्ज़मः के सिक्के का वज़न घटाना या उसकी तर्कीब बदलना।

दफ़आत

२४८—सिक्के की सूरत को इस नीयत से बदलना कि वह और क़िस्म के सि
यत से चल जाय ।

२४९—मलिकःइ मुअज़्ज़मा के सिक्के की सूरत को इस नीयत से बदलना कि
क़िस्म के सिक्के की हैसीयत से चल जाय ।

२५०—क़ब्ज़े में लेते वक्त जिस सिक्के को जाना गया हो कि यह मुबद्दल है
करना ।

२५१—क़ब्ज़े में लेते वक्त मलकःइ मुअज़्ज़मा के जिस सिक्कः को जाना गया
मुबद्दल है उसे हवाले करना ।

२५२—उस शख़्स का सिक्के को पास रखना जिसने उसे क़ब्ज़े में लेते वक्त
कि यह मुबद्दल है ।

२५३—उस शख़्स का मलकःइ मुअज़्ज़मा के सिक्के को पास रखना जिसने
में लेते वक्त मुबद्दल जाना हो ।

२५४—ऐसे सिक्के को असली सिक्के की हैसीयत से हवाले करना जिसको ह
वाले ने पहले क़ब्ज़े में लेते वक्त मुबद्दल न जाना हो ।

२५५—तज़वीर गवर्नमेन्ट स्टाम्प ।

२५६—तज़वीर गवर्नमेन्ट स्टाम्प की ग़रज़ से कोई आला या सामान पास रख

२५७—गवर्नमेन्ट स्टाम्प की तज़वीर की ग़रज़ से आला भी साख्त या फ़रोख़्त

२५८—फ़रोख़्त तज़वीर गवर्नमेन्ट स्टाम्प ।

२५९—मुज़व्वर गवर्नमेन्ट स्टाम्प को पास रखना ।

२६०—मुज़व्वर जाने हुऐ गवर्नमेन्ट स्टाम्प को असली स्टाम्प की हैसीयत से काम

२६१—गवर्नमेन्ट को नुक़सान पहुंचाने की नीयत से किसी शै में जिस पर
स्टाम्प हो तहरीर मिटाना या दस्तावेज़ से वह स्टाम्प जो उसके लि

दफ़आत

२६५—झूठे बाट या पैमाने को फ़रेब से इस्तिअमाल करना ।

२६६—झूठे बाट या पैमाने का पास रखना ।

२६७—झूठे बाट या पैमाने का बनाना या बेचना ।

बाब १४ ।

उन जुर्मों के बयान में जो आम्मःइ खलायक़ की आफ़ीयत और सलामती और आसाइश और हया और आदात पर मुअस्सर हैं ।

२६८—अमर बाइसे तक्लीफ़े आम ।

२६९—गफ़लतन् वह काम करना जिससे जान को ख़तरः पहुचाने वाले किसी मर्ज़ की उफ़ूनत फैलने का इहतिमाल हो ।

२७०—बद अन्देशीसे वह काम करना जिससे जान को ख़तरः पहुचाने वाले किसी मर्ज़ की उफ़ूनत फैलने का इहतिमाल हो ।

२७१—क़ाइदः क्वारिन्टीन से इन्हराफ़ करना ।

२७२—खाने या पीने की शै में जिसका बेचना मक़सूद हो आमेजिश करना ।

२७३—खाने या पीने की मुज़र शै को बेचना ।

२७४—दवाओं में आमेजिश करनी ।

२७५—आमेजिश की हुई दवाओं को बेचना ।

२७६—किसी दवा को किसी और दवाये मुफ़रिद या मुरक्कब की हैसीयत से बेचना ।

२७७—आम चश्मे या हौज़ के पानी को गदलः करना ।

२७८—हवा को मुज़िर्रे सिहत करना ।

२७९—किसी शारअ आम पर बे इहतियाती से गाड़ी चलाना या सवार होकर निकलना ।

२८०—बे इहतियाती से मर्कबे तरी को चलाना ।

२८१—झूठी रोशनी या झूठा निशान या पानी पर तैरने वाला निशान दिखाना ।

२८२—किसी शख़्स को पानी की राह अजूरे पर ग़ैर मामून या हद से ज़ियादः लदे हुये मर्कबे तरी में लेजाना ।

२८३—ख़ुश्की या तरी की आम राह पर ख़तरः या मुज़ाहिमत पहुचाना ।

२८४—ज़हरीले मादे की निस्बत तग़ाफ़ुल करना ।

दफ़आत

२८५—आग या आतशगीर माद्दे की निस्बत तग़ाफ़ुल करना।

२८६—भक से उड़ जाने वाले माद्दे की निस्बत तग़ाफ़ुल करना।

२८७—कल की निस्बत तग़ाफ़ुल करना।

२८८—इमारत के मिस्मार करने या उसकी मरम्मत करने की निस्बत तग़ाफ़ुल करना।

२८९—हैवान की निस्बत तग़ाफ़ुल करना।

२९०—सज़ाये अमरे बाइसे तकलीफ़े आम उन सूरतों में कि जिन में और तरह पर हुक्म नहीं है।

२९१—अमरे बाइसे तक्लीफ़े आम न करते रहने की हिदायत पाकर उसे करते रहना।

२९२—फ़ुहुश किताब वग़ैर• का बेचना वग़ैर ।

२९३—फ़ुहुश किताब वग़ैरः को बेचने या दिखाने के लिये पास रखना।

२९४—फ़ुहुश अफ़्आ़ल और गीत।

२९४ (अलिफ़)—चिट्ठी डालने के दफ़्तर का रखना।

बाब १५।

उन जुर्मों के बयान में जो मजहब से मुतअ़ल्लिक़ हैं।

२९५—किसी फ़िर्क़े के मजहब की तौहीन करने की नीयत से किसी इबादतगाह को नुक़्सान पहुचाना या नजिस करना।

२९६—मजमए मजहबी को इज़ा पहुचाना।

२९७—क़बरस्तानों वग़ैरः में मुदाख़लत बेजा करना।

२९८—सोच बिचार कर मजहब की बाबत दिल दुखाने की नियत से बात वग़ैरः कहना।

बाब १६।

उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मवस्सर हैं।

उन जुर्मों के बयान मे जो इन्सान की जान पर मवस्सर है।

२९९—क़त्ले इन्सान मुस्तल्ज़िमे सज़ा।

३००—क़त्ले अमद।

जब कि क़त्ले इन्सान मुस्तल्ज़िमे सज़ा क़त्ले अमद नहीं है।

दफ़आत

३०१—जिस शख़्स का हलाक करना मक़सूद था उस के सिवा किसी और की हलाक करने से क़तले इन्सान मुस्तलज़िमे सज़ा ।

३०२—सज़ाये क़तले अमद ।

३०३—सज़ाये क़तले अमद मुरतकब ई मुजरिम जो जन्म क़ैदी हो ।

३०४—सज़ाये क़तले इन्सान मुस्तलज़िमे सज़ा जो क़तले अमद तक न पहुंचे ।

३०४—(अलिफ़)—गफ़लत करने से बाइस हलाकत का होना ।

३०५—ख़ुदकुशी में तिफ़्ल या फ़ातिरुल अक़ल की इआनत ।

३०६—ख़ुदकुशी में इआनत ।

३०७—क़तले अमद का इक़दाम ।

इक़दाम मुजरिमों की तरफ़ से जो जन्म क़ैदी हों ।

३०८—क़तले इन्सान मुस्तलज़िमे सज़ा के इर्तिकाब का इक़दाम ।

३०९—ख़ुदकुशी के इर्तिकाब का इक़दाम ।

३१०—ठग ।

३११—सज़ा ।

इस्क़ाते हमल कराने और जनीन को जरर पहुंचाने और बच्चों को बाहर डालदेने और इख़फ़ाय तवल्लुद के बयान में ।

३१२—इस्क़ाते हमल कराना ।

३१३— औरत की बिला रिज़ामन्दी इस्क़ाते हमल करना ।

३१४—हलाकत जिसका बाइस वह फ़ेल हो जो इस्क़ाते हमल कराने की नीयत से किया गया है अगर वह फ़ेल औरत की बिला रिज़ामन्दी किया गया है ।

३१५—फ़ेल जो बच्चे को ज़िन्दः न पैदा होने देने या पैदा के बाद उसकी हलाकत का बाइस होने की नीयत से किया गया है ।

३१६—ऐसे फ़ेल से जो क़तले इन्सान मुस्तलज़िमे सज़ा की हद तक पहुंचता है किसी जानदार जनीन की हलाकत का बाइस होना ।

३१७—मा बाप या किसी शख़्स मुहाफ़िज़ का बारह बरस से कम उमर के बच्चे को डाल देना और छोड़ देना ।

३१८—लाश को चुपके से रख देने से इख़फ़ाय वलादत ।

ज़रर के बयान में ।

३१९—ज़रर ।

३२०—ज़रर शदीद ।

दफ़आत

३२१—बिल इरादः ज़रर पहुचाना।

३२२—बिल इरादः ज़रे शदीद पहुचाना।

३२३—बिल इरादः ज़रर पहुचाने की सज़ा।

३२४—ख़तरनाक हर्बों या वसीलों से बिल इरादः ज़रर पहुचाना।

३२५—बिल इरादः ज़रे शदीद पहुचाने की सज़ा।

३२६—ख़तरनाक हर्बों या वसीलों के ज़रीये से बिल इरादः ज़रे शदीद पहुचाना।

३२७—माल का इस्तिहसाल बिल जब्र करने या किसी फ़ेले ख़िलाफ़े क़ानून पर मजबूर करने के लिये बिल इरादः ज़रर पहुचाना।

३२८—इर्तिकाबे जुर्म की नीयत से ज़हर वग़ैरः के ज़रिये से ज़रर पहुंचाना।

३२९—माल का इस्तिहसाल बिलजब्र करने या किसी फ़ेल ख़िलाफ़ क़ानून पर मजबूर करने के लिये बिल इरादः ज़रे शदीद पहुचाना।

३३०—इक़रार का इस्तिहसाल बिलजब्र करने या माल के वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये बिल इरादः ज़रर पहुचाना।

३३१—इक़रार का इस्तिहसाल बिल जब्र करने या माल के वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये बिल इरादः ज़रे शदीद पहुचाना।

३३२—सर्कारी मुलाज़िम को अदाये ख़िदमत से डरा कर बाज़ रखने के लिये बिल इरादः ज़रर पहुंचाना।

३३३—सर्कारी मुलाज़िम को अदाये ख़िदमत से डराकर बाज़ रखने के लिये बिल इरादः ज़रे शदीद पहुचाना।

३३४—बाइस इश्तिआले तबअ पर बिल इरादः ज़रे शदीद पहुचाना।

३३५—बाइस इश्तिआले तबअ पर बिल इरादः ज़रे शदीद पहुचाना।

३३६—वह फ़ेल जो जान या औरों की सलामतीये ज़ाती को ख़तरे में डाले।

३३७—ऐसे फ़ेल से ज़रर पहुचाना जो जान या औरों की सलामतीये ज़ाती को ख़तरे में डाले।

३३८—ऐसे फ़ेल से ज़रर शदीद पहुचाना जो जान या औरों की सलामतीये ज़ाती को ख़तरे में डाले।

हब्से बेजा और क़ैदे बेजा के बयान में।

दफ़आत

३४१—मुज़ाहमत बेजा की सज़ा ।

३४२—हब्से बेजा की सज़ा ।

३४३—तीन या ज़ियादः दिनतक हब्से बेजा ।

३४४—दस या ज़ियादः दिनतक हब्से बेजा ।

३४५—उस शख़्स का हब्से बेजा जिसकी रिहाई के लिये हुक्म नामः जारी होचुकाहै ।

३४६—मख़्फ़ी हब्से बेजा ।

३४७—माल का इस्तिहसाल बिलजब्र करने या फ़ेले ख़िलाफ़े कानून पर मजबूर करने के लिये हब्स बेजा ।

३४८—इक़रार का इस्तिहसाले बिलजब्र करने या माल के वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये हब्स बेजा ।

जब्र मुजरिमानः और हम्ले के बयान में ।

३४९—जब्र ।

३५०—जब्र मुजरिमानः ।

३५१—हम्लः ।

३५२—बाइस सख़्त इश्तिआले तबअ़ के अलावः और तरहपर हम्लः या जब्र मुजरिमानः करने की सज़ा ।

३५३—सर्कारी मुलाज़िम को अपनी ख़िदमत अदा करने से डराकर बाज़ रखने के लिये हम्लः या जब्र मुजरिमानः ।

३५४—किसी औरत की इफ्फत में ख़लल डालने की नीयत से हम्ल या जब्र मुजरिमानः ।

३५५—सख़्त इश्तिआले तबअ़ के अलाव और तरह पर किसी शख़्स को बे हुर्मत करने की नीयत से हम्ल या जब्र मुजरिमान ।

३५६—उस माल के सर्के के इर्तिकाब के इक़दाम में हम्लः या जब्र मुजरिमानः जिसको कोई शख़्स लिये हुये हो ।

३५७—किसी शख़्स के हब्से बेजा के इक़दाम में हम्ल या जब्र मुजरिमानः ।

३५८—सख़्त इश्तिआले तबअ़ पर हम्ल या जब्र मुजरिमान ।

इन्सान को ले भागने और भगा लेजाने और गुलाम बनाने और मिहनत बजब्र लेने के बयान में ॥

३५९—इन्सान को ले भागना ।

दफ़आत

३६०—ब्रिटिश इन्डिया से इन्सान को ले भागना।

३६१—वली जायज़ की हिफ़ाज़त में से इन्सान को ले भागना।

३६२—इन्सान को भगा ले जाना।

३६३—इन्सान को ले भागने की सज़ा।

३६४—क़त्ले अमद के लिये इन्सान को ले भागना या भगा ले जाना।

३६५—किसी शख़्स को मख़फ़ी और बेजा हब्स करने की नीयत से ले भागना या भगा ले जाना।

३६६—औरत को इज़दिवाज वग़ैर पर मजबूर करनेके लिये ले भागना या भगा लेजाना।

३६७—किसी शख़्स को ज़रर शदीद पहुंचाने या ग़ुलाम बनाने वग़ैर. के लिये ले भागना या भगा ले जाना।

३६८—ले भागे हुये या भगा लेगये हुये शख़्स को बेजा तौर पर छुपाना या हब्स में रखना।

३६९—दस बरस से कम उमर के तिफ्ल को उसके बदन पर से कोई शै चुरा लेने की नीयत से ले भागना या भगा लेजाना।

३७०—किसी शख़्सको ग़ुलामके तौरपर ख़रीदना या उसको अपने क़ब्ज़े से जुदा करना।

३७१—आदतन् ग़ुलामों का कारोबार करना।

३७२—नाबालिग को फ़ेले शनीअ वग़ैर' की ग़रज़ से बेचना।

३७३—नाबालिग को फ़ेले शनीअ वग़ैर की ग़रज़ से ख़रीदना।

३७४—मिहनत करने पर ना जवाज़न् मजबूर करना।

ज़िना बजब्र के बयान में।

३७५—ज़िना बजब्र।

३७६—ज़िना बजब्र की सज़ा।

उन जुर्मों के बयान में जो ख़िलाफ़ वज़अ़ फ़ितरी हैं।

३७७—जरायम ख़िलाफ़े वज़ए फ़ितरी।

बाब १७।

उन जुर्मों के बयान में जो माल से मुतअ़ल्लिक़ हैं।

सर्क़े का बयान।

३७८—सर्क़ा

दफ़आत

३९९—डकैती के इर्तिकाब के लिये तैयारी करना।

४००—डकैतों के गुरोह के शरीक होने की सज़ा।

४०१—चोरों के गुरोह में शरीक होने की सज़ा।

४०२—डकैती के इर्तिकाब के लिये जमअ होना।

माल के तसर्रुफ़े बेजाये मुजरिमानः के बयान में।

४०३—बद दियानती से माल का तसर्रुफ़े बेजा।

४०४—बद दियानती से उस माल का तसर्रुफ़े बेजा जो मरने के वक़्त शख़्स मुतवफ़्फ़ा के क़ब्ज़े में था।

ख़ियानते मुजरिमानः के बयान में।

४०५—ख़ियानते मुजरिमानः।

४०६—ख़ियानते मुजरिमान की सज़ा।

४०७—माल पहुंचाने वाले वग़ैरः से ख़ियानते मुजरिमानः।

४०८—मुतसद्दी या नौकर से ख़ियानते मुजरिमानः।

४०९—सर्कारी मुलाज़िम या महाजन या सौदागर या एजन्ट से ख़ियानते मुजरिमानः।

माले मसरूक़ः लेने के बयान में।

४१०—माले मसरूक़ः।

४११—माले मसरूक़ बद दियानती से लेना।

४१२—माले मसरूक़ः ब इर्तिकाब डकैती बद दियानती से लेना।

४१३—माले मसरूक़ का आदतन कारोबार करना।

४१४—माले मसरूक़ छुपाने में मदद देना।

दगा के बयान में।

४१५—दगा।

४१६—दूसरा शख़्स बनने से दगा।

४१७—दगा की सज़ा।

४१८—दगा इस इल्म से कि उसने जिसको धोखा दिया उस शख़्स को पहुंचे जिसके मुफ़ाद की हिफ़ाज़त मुजरिम पर वाजिब है।

४१९—दूसरा शख़्स बनने से दगा करने की सज़ा।

४२०—माल के हवाले करने को दगा और बद दियानती से तहरीक करना।

फरेब आमेज बसीकों और माल को फरेब से क़ब्जे से अलाहदः करने के बयान में ।

दफ़आत

४२१--क़र्ज़ख्वाहों में तक़सीम के रोकने के लिये बददियानती या फ़रेब से माल को दूर करना या छुपाना ।

४२२--क़र्ज़ को क़र्ज़ख्वाहों को मयस्सर होने से बद दियानती या फरेब से रोकना ।

४२३--वसीक़ः इंतिक़ाल की बद दियानती या फ़रेब से तकमील करना जिस में एवज़ का झूठ बयान लिखा है ।

४२४--माल को बद दियानती या फरेब से दूर करना या छुपाना ।

नुक़सान रसानी के बयान में ।

४२५--नुक़सान रसानी ।

४२६--नुकसान रसानी की सज़ा ।

४२७--नुक़सान रसानी के ज़रीये से पचास रुपये तक मज़र्रत पहुचाना ।

४२८--दस रुपये की मालीयत के किसी हैवान को मार डालने या उस के किसी अज़्वोको बेकार करने से नुकसान रसानी ।

४२९--किसी मालीयत की मवेशी वग़ैर को या पचास रुपये की मालीयत के किसी हैवान को मार डालने या उसके किसी अज़्वो को बेकार करने से नुकसान रसानी ।

४३०--आबपाशी के मक़ामों के नुकसान पहुचाने से या बतौरे बेजा पानी का रुख़ फेर देने से नुक़सान रसानी ।

४३१--शारेअ आम या पुल या दर्या या मजराय आब को नुक़सान पहुचाने से नुक़सान रसानी ।

४३२--सैलाब फैलाने या बदरवे आम के रोकने से जिनसे मज़र्रत होती है नुकसान रसानी ।

४३३--लाइट हाउस या निशाने समुन्दरी को तबाह करने या उसकी तबदीले जाय करने या किसी क़दर बेकार करदेने से नुकसान रसानी ।

४३४--निशाने ज़मीन जो बहुक्मे सर्कार कायम हुआ हो तबाह करने या उसकी तबदीले जाय वग़ैर. से नुक़सान रसानी ।

४३५--बज़रीयः आग या भक से उड़जानेवाले माद्दे के सौ रुपये तक या (पैदावार काश्तकारी की सूरत में) दस रुपये तक मज़र्रत पहुचाने की नीयत से नुकसान रसानी ।

४३६--आग या भकसे उड़ जानेवाले माद्दे से नुकसान रसानी घर वग़ैर के तबाह करने की नीयत से ।

४३७--पिटेहुये मर्कबे तरी या ५६० मन के मर्कबे तरी को तबाह करने या उसके बेख़तर होने में ख़लल अन्दाज़ी की नीयत से नुक्सान रसानी ।

दफ़आत

४३८—नुक़सान रसानी मज़कूरः दफ़ः ४३७-जब कि इर्तिकाब उसका आग या भक से उड़ जानेवाले माद्दे से हो।

४३९—सर्क़ः वग़ैरः के इर्तिकाब की नीयत से मर्कबे तरी को क़स्दन् ख़ुश्क पानी की ज़मीन पर या किनारे पर क़स्दन् ठहराने की इल्लत में सज़ा।

४४०—हलाकत या ज़रर पहुचाने की तैयारी के बाद नुक़सान रसानी का इर्तिकाब।

मुदाख़लते बेजाये मुजरिमानः के बयान में।

४४१—मुदाख़लते बेजाये मुजरिमानः।

४४२—मुदाख़लते बेजा बख़ान।

४४३—मख़फ़ी मुदाख़लते बेजा बख़ानः।

४४४—मख़फ़ी मुदाख़लते बेजा बख़ानः वक़्त शब।

४४५—नक़बज़नी।

४४६—नक़बज़नी वक़्त शब।

४४७—मुदाख़लते बेजाये मुजरिमान की सज़ा।

४४८—मुदाख़लते बेजा बख़ान की सज़ा।

४४९—जुर्म के इर्तिकाब के लिये जिसकी सज़ा मौत है मुदाख़लते बेजा बख़ान।

४५०—जुर्म के इर्तिकाब के लिये जिसकी सज़ा हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर है मुदाख़लते बेजा बख़ानः।

४५१—जुर्म के इर्तिकाब के लिये जिसकी सज़ा क़ैद है मुदाख़लते बेजा बख़ानः।

४५२—ज़रर पहुचाने या हम्ल करने या मुज़ाहमते बेजा करने की तैयारी के बाद मुदाख़लते बेजा बख़ान।

४५३—मख़फ़ी मुदाख़लते बेजा बख़ान या नक़बज़नी की सज़ा।

४५४—जुर्म के इर्तिकाब के लिये जिसकी सज़ा क़ैद है मख़फ़ी मुदाख़लते बेजा बख़ान या नक़बज़नी।

४५५—ज़रर पहुचाने या हम्ल करने या मुज़ाहमते बेजा करने की तैयारी के बाद मख़फ़ी मुदाख़लते बेजा बख़ान या नक़बज़नी।

४५६—मख़फ़ी मुदाख़लते बेजा बख़ानः या नक़बज़नी वक़्त शब की सज़ा।

४५७—जुर्म के इर्तिकाब के लिये जिसकी सज़ा क़ैद है मख़फ़ी मुदाख़लते बेजा बख़ाना या नक़बज़नी वक़्त शब।

४५८—ज़रर पहुचाने या हम्ल करने या मुज़ाहमते बेजा करने की तैयारी के बाद मख़फ़ी मुदाख़लते बेजा बख़ानः या नक़बज़नी वक़्त शब।

दफ़आत

४५९—मकानी मुदाखलते बेजा बसाग या नकबज़नी के इर्तिकाब की हालत में ज़रबे शदीद पहुंचाना।

४६०—मकानी मुदाखलते बेजा बसाग या नकबज़नीके वक्त जब में कुल मुजरिम मुस्तौजिबे सज़ा हें जबकि हलाकत या ज़रबे शदीद का उन में से कोई बाइस हो।

४६१—कोई ज़रफ़ तोड़ कर बद दियानती से खोलना जिसमें माल है।

४६२—उसी जुर्म की सज़ा जबकि मुहाफ़िज़ मुर्तकिब हो।

बाब १८।

उन जुर्मों के बयान में जो दस्तावेजों और हिरफ़े या मिल्कियत के निशानों से मुतअल्लिक़ हैं।

४६३—जाल साजी।

४६४—झूठी दस्तावेज बनाना।

४६५—जाल साज़ी की सज़ा।

४६६—कोर्ट के कागज़ तहरीर या आम रजिस्टर वगैरः को जाली बनाना।

४६७—कफ़ालतुलमाल या वसीयत नामा वगैरः का जाली बनाना।

४६८—दग़ा के लिये जाल साज़ी।

४६९—नेकनामी को नुक़सान पहुंचाने के लिये जाल साज़ी।

४७०—जाली दस्तावेज़।

४७१—जाली दस्तावेज़ को असली दस्तावेज़ की हैसियत से काम में लाना।

४७२—जालसाजी के इर्तिकाब की नीयत से जो दफ़ः ४६७-की रू से मुस्तौजिबे सज़ा है मुल्तबिस मुहर वगैरः बनाना या पास रखना।

४७३—जालसाज़ी के इर्तिकाब की नीयत से जिसकी दूसरी सज़ा मुकर्रर है मुल्तबिस मुहर वगैरः बनाना या पास रखना।

४७४—दस्तावेज़ मज़कूरः दफ़ः ४६६ या ४६७ को जाली जान कर और बईहीनयते असली काम में लाने की नीयत से पास रखना।

४७५—अलामत या निशान की तरबीम जो दस्तावेज़ात मज़कूरः दफ़ः ४६७ की तस्दीक़ के लिये काम में आये या मुल्तबिस निशान किये हुये माद्दे को पास रखना।

४७६—अलामत या निशान की तरबीम जो दस्तावेज़ात सिवाय दस्तावेज़ मज़कूरः दफ़ः ४६७ की तस्दीक़ के काम में आये या मुल्तबिस निशान किये हुये माद्दे का पास रखना।

दफ़आत

४७७—वसीयत नामे या मुतबन्ना करने के इजाज़त नामे या किफ़ालतुल्माल पर फ़रेब से ख़ते नस्ख़ खींचना या उसका तलफ़ करना वग़ैरः।

४७७—(अलिफ़)—हिसाब झूठा बनाना।

हिरफ़े और मिल्कियत के और दूसरे निशानों के बयान में

४७८—निशान हिर्फ़ः।

स्टेटियूट मजरीय इ सन ४६ ओ ४७ जुलूसे मलिकः इ विक्टोरिया—बाब ५७।

४७६—निशाने मिल्कीयत।

४८०—झूठे निशान हिर्फ़ः का काम में लाना।

४८१—झूठे निशान मिल्कीयत का काम में लाना।

४८२—झूठे निशाने हिर्फ़ः या निशाने मिल्कीयत का काम में लाने की सज़ा।

४८३—उस निशाने हिर्फ़ः या निशाने मिल्कीयत की तल्बीस जिसको कोई और शख़्स काम में लाता है।

४८४—तल्बीस ऐसे निशान की जो सर्कारी मुलाज़िम काम में लाता है।

४८५—किसी निशाने हिर्फ़ः या निशाने मिल्कीयत की तल्बीस के लिये किसी आलः का बनाना या पास रखना।

४८६—ऐसे असबाब का बेचना जिस पर मुल्तबिस निशान हिर्फ़ः या निशाने मिल्कीयत रहे।

४८७—किसी ज़र्फ़ पर जिसमें असबाब रहे कोई झूठा निशान बनाना।

४८८—किसी ऐसे झूठे निशान के काम में लाने की सज़ा।

४८९—निशान मिल्कीयत में नुक़सान पहुंचाने की नीयत से दस्तन्दाज़ी करनी।

सरकारी नोटों और बंक नोटों के बयान में।

बाब १९ ।

ख़िदमत के मुआहदों के नुक़्ज़ मुजरिमानः के बयान में ।

दफ़आत

४९०—ख़िदमत सफ़रे तरी या ख़ुश्की के मुआहदः का नुक़्ज़ ।

४९१—आजिज़ की ख़िदमत करने और उसकी ज़रूरियात के बहम पहुचाने के मुआहदः का नुक़्ज़ ।

४९२—किसी दूर दराज़ जगह में ख़िदमत करने के मुआहदः का नुक़्ज़ जहां नौकर आक़ा के ख़र्च से पहुंचाया गया हो ।

बाब २० ।

उन जुर्मों के बयान में जो इज़दिवाज से तअल्लुक़ रखते हैं ।

४९३—हमख़्वाबगी जो किसी मर्द ने इज़दिवाजे जायज़ के धोखा देने से तहरीक करके की हो ।

४९४—शौहर या ज़ौजा के हीने हयात में मुकर्रर इज़दिवाज करना ।

४९५—वही जुर्म या इख़्फ़ाय इज़दिवाज साबिक़ उस शख़्स से जिसके साथ पिछला इज़दिवाज हुआ ।

४९६—बग़ैर करने इज़दिवाजे जायज़ के फ़रेब से रस्मीयाते इज़दिवाज का अदा करना ।

४९७—ज़िना ।

४९८—बनीयत मुजरिमाना किसी औरत मन्कूहः को फुसला ले जाना या ले उड़ना या रोक रखना ।

बाब २१ ।

एज़ालःइ हैसियते उर्फ़ी के बयान में ।

४९९—एज़ालःइ हैसियते उर्फ़ी ।

किसी सच्ची बात का इत्तिहाम् जिसका करना या मुश्तहर करना आम्म इ ख़लायक़ के लिये दरकार है ।

सर्कारी मुलाज़िमों का तर्ज़े अमल बदर्मीयन उनकी मुलाज़मी के ।

किसी शख़्स का तर्ज़े अमल बनिस्बत किसी मुआमल इ आम्मःइ मुतअल्लिक़ के

[illegible]

इस्तिस्नात

किसी मुकद्दमे की हक़ीक़त हाल जिसका फ़ैसला कोर्ट मे हुआ या गवाहों और और लोगों का तरीके अमल जो उससे तअल्लुक रखते हों ।

आम्म इ ख़लायक के सामने अमल का हुस्न ओक़ुबु ।

सर्ज़निश जो कोई शख़्स नेक नीयती के साथ करे जो दूसरे शख्स पर इख्तियार जायज़ रखता हो ।

शिकायत जो शख़्स ज़ी इख्तियार के सामने नेक नीयती से पेश की जाय ।

इत्तिहाम जो कोई शख़्स अपनी या गैर की अगराज़ की हिफ़ाज़त के लिये नेक नीयती से करे ।

तहज़ीर करना जिससे उस शख्स का फायदः जिसको तहज़ीर की गई हो या आम्म इ ख़लायक का फायद नीयत में हो ।

५००—इज़ालःइ हैसियते उर्फ़ी की सज़ा ।

५०१—कोई मज़मून छापना या कन्द करना जिसका मुज़ील हैसियते उर्फ़ी होना इल्म में हो ।

५०२—किसी छपे हुये या कन्द किये हुये माद्दे की फ़रोख्त जिसमें कोई मज़मून मुज़ीले हैसियते उर्फ़ी हो ।

बाब २० ।

तसनीफ़े मुजरिमानः ओ तौहीने मुजरिमानः ओ रंजदिहीये मुजरिमानः के बयान में ।

बाब २३ ।

जुर्मों के इरतिकाब करने के इक़दाम के बयान में ।

दफ़आ़त

५११—उन जुर्मों के इरतिकाब के इक़दाम की सज़ा जिनकी पादाश में हब्स बउबूर दर्याय शोर या क़ैद मुक़र्रर हो ।

ऐक्ट नम्बर ४५ मुसद्दरः इ सन १८६० ई०[1]।

जारी किया हुआ हिन्द की लेजिस्लेटिव कौन्सिल का।
[६—अक्तूबर सन् १८६० ई० ।]

मजमूअः इ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द।

[यकुमे जूलाई सन् १८९९ ई० तक की तर्मीमात के साथ।]

बाब १।

मुक़द्दमः।

चूंकि यह अमर करीने मसलिहत है कि ब्रिटिश इन्डिया के वास्ते एक आम मजमूअः इ क़वानीने ताज़ीरात मुहैया किया जाय लिहाजा हस्ब जैल हुक्म होता है:— तमहीद।

दफ़: १—इस ऐक्ट का नाम मजमूअः इ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द होगा और यह[2] ****[3] उस तमाम कलमरौ[4] में नाफिज होगा नाम मजमू... ओ हुदूद क़लमरौ ... में यह मज... मूअ॰ नाफि... होगा।

---

१ जुर्म: जरायम तहते मजमूअः इ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द की तहक़ीक़ात और तजवीज़ मजमूअः इ ज़ाबित: इ फ़ौजदारी सन् १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसद्दर इ सन् १८९८ ई०) की दफ़आत ५ आ २८ के अहकाम के मुताबिक़ वक़ू में आयेगी।

मजमूअः इ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द रेगूलेशन ५ मुसद्दर इ सन् १८७२ ई० की दफ़ ११ [मजमूअः इ क़वानीने बम्बे—जिल्द १ मतबूअ इ सन् १८९४ ई०—सफ़ २७४] के ज़रीये से—जहां तक कि वह रेगूलेशन उससे मुताल्लिक़ नहीं रखता है—बातिल किया गया।

२ अल्फ़ाज़ ओ आदाद "इब्तिदाय यकुमे मै सन् १८६१ ई० से" मन्सूख़ और तर्मीम करनेवाले ऐक्ट सन् १८९१ ई० (नम्बर १२ मुसद्दर इ सन् १८९१ ई०) के ज़रीये से मन्सूख़ किये गये।

३ अल्फ़ाज़ "आबादी हाय प्रिन्स आफ़ वेल्स आई लैण्ड और सिंगापूर और मलाका के सिवा" मन्सूख़ और तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन् १८९१ ई० (नम्बर १२ मुसद्दर इ सन् १८९१ ई०) के ज़रीये से मन्सूख़ किये गये।

४ मजमूअः इ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द उन जुर्मों से मुतअल्लिक़ कियागया है (जिनके इर्तिकाब यकुमे जनवरी सन् १८६२ ई० से पेशतर हुआ हो पन्जाब में [मुलाहज़ः तलब क़वानीने पन्जाब का ऐक्ट सन् १८७२ ई० (नम्बर ४ मुसद्दर इ सन् १८७२ ई०)—दफ़ः ३९—जिसका नज़रेसानी किया हुआ नुसख़ः यकुमे जुलाई सन् १८९१ ई० तक की तर्मीमों के साथ लेजिस्लेटिफ़ डिपार्टमेन्ट की तरफ़ से छपकर मुश्तहर हुआ है] और अजमेर मेरवाड़ः में मुलाहज़ः तलब क़वानीने अजमेर का रेगूलेशन सन् १८७७ ई० (नम्बर ३ मुसद्दरः इ सन् १८७७ ई०)—दफ़ः २९ [मजमूअः इ क़वानीने अजमेर मतबूअ इ सन् १८९३ ई०—सफ़: १९२]।

जो हस्बमन्शाय बाब १८६ 'ऐक्ट आफ पार्लीमेन्ट मौसूमःइ "ऐक्ट गुत-

---

अलमरी हाय मर्कूमुज्जैल में मजमूअ.इ मज़कूर के नाफ़िज़ होने का एअलान किया गया है—सौंताल पर्गनों में सौंताल पर्गनों के बन्दोबस्त के रेगूलेशन सन् १८७२ ई० (नम्बर ३ मुसदर.इ सन् १८७२ ई०) की दफ़. २ के ज़रीयेसे जैसी कि उस रेगूलेशन की तर्मीम सौंताल पर्गनों के क़वानीन के रेगूलेशन सन् १८८६ ई० (नम्बर ३ मुसदर.इ सन् १८८६ ई०) की रूसे हुई है [मजमूअ.इ क़वानीने बंगाल.—जिल्द १ मतबूअ.इ सन् १८८९ ई०—सफ़ा ५९७]।

अराकान के ज़िला कोही में अराकान के ज़िला कोही के क़वानीन के रेगूलेशन सन् १८७४ ई० (नम्बर ९ मुसदर.इ सन् १८७४ ई०) की दफ़. ३ के ज़रीयेसे [मजमूअ.इ क़वानीने बर्मा मतबूअ.इ सन् १८९९ ई०]।

अपर बर्मा में उमूमन—बजुज़ रियासत हाय शान के—बर्मा के क़वानीन के ऐक्ट सन् १८९८ ई० (नम्बर १३ मुसदरःइ सन् १८९८ ई०) की दफ़. ४ (१) और ज़मीमः १ के ज़रीये से [मजमूअःइ क़वानीने बर्मा मतबूअःइ सन् १८९९ ई०]।

ब्रिटिश बिलूचिस्तान में ब्रिटिश बिलूचिस्तान के क़वानीन के रेगूलेशन सन् १८९० ई० (नम्बर १ मुसदरःइ सन् १८९० ई०) की दफ़. ३ के ज़रीये से [मजमूअःइ क़वानीने बिलूचिस्तान मतबूअःइ सन् १८९० ई०—सफ़ा ६९]।

अनगूल और खोन्दमाल्स में ज़िला अनगूल के रेगूलेशन सन् १८९४ ई० (नम्बर १ मुसदरःइ सन् १८९४ ई०) की दफ़. ३ के ज़रीये से—और (तर्मीमात के साथ) कचीन के इलाक़ाजात कोही में बस्तियाने अक़वामे कोही के कचीन के इलाक़ाजाते कोही के रेगूलेशन सन् १८९५ ई० (नम्बर १ मुसदरःइ सन् १८९५ ई०) की दफ़. ३ के ज़रीये से [मजमूअःइ क़वानीने बर्मा मतबूअःइ सन् १८९९ ई०]।

(तर्मीमात के साथ) कोहहाय चीन में बस्तियाने अक़वामे कोही के कोहहाय चीन के रेगूलेशन सन् १८९६ ई० (नम्बर ५ मुसदरःइ सन् १८९६ ई०) के ज़रीये से [मजमूअःइ क़वानीने बर्मा मतबूअःइ सन् १८९९ ई०]।

(बाब १—मुक़द्दमा—दफ़आत २—४ ।)

जिम्मने अहसने इन्तिज़ामे हिन्द" मजरीअःइ सन २१ ओ २२ जुलूसे मलकःइ मुअज़्ज़मः विक्टोरिया के मलकःइ मक़्बूज़ः के क़ब्ज़ये इक़्तिदार में आई है या आइन्दः आये।

दफ़ः २—हर एक शख़्स जो क़लमरौ मजकूर में * * * *[1] ऐसे फ़ेल या तर्क फ़ेल का मुजरिम हो जो उस मजमूअः के अहकाम के खिलाफ़ हो वह इसी मजमूअः की रू से सज़ा का मुस्तौजिब होगा न किसी और क़ानून के मुताबिक़।

[1] सजाय जरायम जिनका इर्तिकाब कलमरौ मज़कूर के अन्दर वाक़े हो।

दफ़ः ३—जो कोई शख़्स मुताबिक़ किसी क़ानून मजरीयःइ जनाब नव्वाब गवर्नर जेनेरल बहादुरे हिन्द बइजलासे कौन्सिल के किसी ऐसे जुर्म की इल्लत में क़ाबिले मुवाख़ज़ः हो जिसका इर्तिकाब कलमरौ मजकूर की हुदूद के बाहर हुआ है तो उस शख़्स के साथ बाबत किसी फ़ेल के जिसका इर्तिकाब क़लमरौ मजकूर के बाहर हुआ हो इस मजमूअः के अहकाम के मुताबिक़ उसी तरह अमल किया जायगा कि गोया उस फ़ेल का इर्तिकाब क़लमरौ मजकूर के अन्दर हुआ।

सज़ाय जरायम जिनका इर्तिकाब कलमरौ मजकूर के बाहर वाके हो मगर उनकी बाबत मुवाख़ज़ः क़ानून की रूसे उस के अन्दर हो सक्ता है।

दफ़ः४[2]—इस मजमूअःइ क़वानीन के अहकाम हर ऐसे जुर्म से भी मुतअल्लिक़ होंगे जिसका इर्तिकाब—

मजमूअःइ मज़कूर की वसअत पिज़ीरी उन जरायम की निस्बत जिन का इर्तिकाब क़लमरौ के बाहर हो।

सन १८८१ ई० की जिल्द२ के सफ़ ६९१ में—अब गवर्नमेन्ट हिन्दके ऐक्ट सन् १८९८ ई० के नाम से उसका हवालः दिया जासक्ता है- [मुलाहज़ः तलब मुख़्तसर नामोंका ऐक्ट सन् १८९६ई०(स्टेटिउट मुसदर इ सन् ५९ ओ ६० जुलूसे मलकःइ विक्टोरिया-बाब१४)।]

[1] अलफ़ाज़ ओ आदाद "यकुमे मै सन् १८६१ई० को या उसके बाद" मन्सूख़ और तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन् १८९१ई० (नम्बर १२ मुसदरःइ सन् १८९१ ई०) के ज़रीये से मन्सूख़ किये गये—और दरख़्सूस उन जुर्मों के जो आब हाय इलाक़ःइ कलमरौमें वक़ूअ़ में आयें मुलाहज़ः तलब आब हाये इलाक़ःइ क़लमरौ के इहात इख़्तियार का ऐक्ट सन् १८७८ ई०(स्टेटिउट मुसदर इ सन् ४१ ओ ४२ जुलूसे मलकःइ विक्टोरिया—बाब७३)—छपा "मजमूअःइ स्टेटिउट मुतअल्लिक़े हिन्द" की जिल्द २ के सफ़ः १०४८ में।

[2] असल दफ़ ४ मजमूअःइ क़वानीने ताज़ीराते हिन्दके तर्मीम करनेवाले ऐक्ट सन् १८९८ ई० (नम्बर४ मुसदरःइ सन् १८९८ई० की दफ़ २० के ज़रीयेसे मन्सूख़ हुई और बजाय उसके

(१) मलकः मुअज़्ज़मः की किसी देसी हिन्दी रअय्यत की जानिब से किसी मुक़ाम में ब्रिटिश इन्डिया[1] से ख़ारिज और उसके बाहर हो ।

(२) किसी और रअय्यत बिर्तानी की जानिब से किसी देसी वालीये मुल्क या रईस की क़लमरौ वाक़े मुल्क हिन्द में ।

(३) किसी मुलाज़िम मलकः मुअज़्ज़मः की जानिब से—आम इससे कि वह रअय्यत बिर्तानी हो या न हो—किसी देसी वालीये मुल्क या रईस की क़लमरौ वाक़े मुल्क हिन्द[1] में—हुआ हो ।

तशरीह—इस दफ़ः में लफ़्ज़ "जुर्म" में ब्रिटिश इन्डिया[1] के बाहर हर एक ऐसा सादिर शुदः फ़ेल दाख़िल है कि अगर वह ब्रिटिश इन्डिया[1] के अन्दर सादिर होता तो इस मजमूअ़ः क़वानीन की रूसे लायक़े सज़ा होता ।

तमसीलें ।

(अलिफ़) ज़ैद जो कुली है और देसी हिन्दी रअय्यत है उगण्डा में क़त्ले अमद का मुर्तकिब हुआ—तो किसी मक़ाम वाक़े ब्रिटिश इन्डिया में जहां वह मिले उसकी तजवीज़ हो सक्ती है और वह क़त्ले अमद का मुजरिम ठहर सक्ता है ।

(बे) अमर जो रअय्यत बिर्तानी अहले यूरप है कश्मीर में क़त्ले अमद का मुर्तकिब हुआ—तो किसी मक़ाम वाक़े ब्रिटिश इन्डिया में जहां वह मिले उसकी तजवीज़ हो सक्ती है और वह क़त्ले अमद का मुजरिम ठहर सक्ता है ।

(जीम) ख़ालिद जो गैर मुल्क का है और गवर्नमेन्ट पन्जाब में नौकर है झींद में क़त्ले अमद का मुर्तकिब हुआ—तो किसी मक़ाम वाक़े ब्रिटिश इन्डिया में जहां वह मिले उसकी तजवीज़ हो सक्ती है और वह क़त्ले अमद का मुजरिम ठहर सक्ता है ।

(बाब १—मुक़द्दमः—दफ़. ५ ।)

(तम्सील) ख़ालिद ने जो रअय्यते रियासत है और इन्दौर में रहता है हामिद को तर्ग़ीब दी कि बम्बई में मुर्तकिब क़त्ले अमद का हो तो ख़ालिद क़त्ले अमद में इआनत करने का मुजरिम होगा ।

दफ़ः ५— यह मुराद नहीं है कि इस ऐक्ट की कोई इबारत नीचे लिखे हुये क़वानीनके किसी हुक्म को मन्सूख़ या मुबद्दल या मुअत्तल करे या उस पर किसी तरह मुअस्सर हो—याने बाबत[1]— ऐक्ट आफ़ पार्लीमेन्ट मजरीयः ३ ओ ४ जुलूसे शाह विलियम चहारुम—या कोई और ऐक्ट आफ़ पार्लीमेन्ट जो बाद ऐक्ट मजकूर के जारी होकर सर्कार ईस्ट इन्डिया कम्पनी या क़लमरौ मजकूरः पर या क़लमरौ मजकूरः के बाशिन्दों पर किसी तरह से मुअस्सर हुआ हो—या कोई [2]ऐक्ट जो मलकःइ मुअज़्ज़मः * * * *[3] के मुलाज़िम अफ़सरों और सिपाहियों की बग़ावत और नौकरी पर से भागजाने की सजा से मुतअल्लिक़ हो * * * *[3]— या कोई क़ानून मुख़्तस्सुल अमर या मुख़्तस्सुल मक़ाम[4] ।

बाज क़वानीन जिन पर यह ऐक्ट मुअस्सर न होगा ।

---

[1] छपा "मजमूअःइ स्टीटिउट मुतअल्लिक़े हिन्द" मतबूअःइ सन् १८८१ ई० की जिल्द १ के सफ़ह २२८ में—अब गवर्नमेन्ट हिन्द के ऐक्ट सन १८३३ ई० के नाम से उसका हवाल दिया जा सक्ता है—मुलाहज़ः तलब मुख़्तसर नामों का ऐक्ट सन १८९६ ई० (सन ५९ ओ ६० जुलूसे मलकःइ विक्टोरिया—बाब १४) ।

[2] अब मुलाहज़ तलब फ़ौजी ऐक्ट मुसद्दरःइ सन ४४ ओ ४५ जुलूसे मलकःइ विक्टोरिया—बाब ५८ (छपा "मजमूअःइ स्टीटिउट मुतअल्लिक़े हिन्द" मतबूअःइ सन १८९९ ई० जिल्द २ में) जिस तौर से कि वह पिछले सालानः फ़ौजी ऐक्टोंके जरीये से बरक़रार रक्खा और तर्मीम किया गया है ।

[3] अल्फ़ाज " या सर्कार ईस्टइन्डिया कम्पनी—या कोई ऐक्ट वास्ते इन्तिजाम सर्कार ईस्टइन्डिया कम्पनी के " ऐक्ट नासिख़ सन १८७० ई० (नम्बर १२ मुसद्दरःइ सन १८७० ई० के जरीये से मन्सूख़ हुये ।

[4] इसी तरह का इस्तसनाय क़वानीन मुख़्तस्सुलअमर ओ मुख़्तस्सुलमक़ाम की निस्बत मजमूअःइ क़वानीने ताजीराते हिन्द के तर्मीम करनेवाले ऐक्ट (नम्बर २७ मुसद्दरःइ सन् १८७० ई० की दफ़ः १९ में दाख़िल किया गया है—जो तर्मीमात कि उस ऐक्ट के जरीये से अमल में आई हैं वह इस दफ़ः में दर्ज की गई हैं ।

बाब २ ।

तश्रीहाते आम्मः के बयान में ।

इस मजमूये में तारीफ़ात मुस्तस्नीयात से मशरूत समझी जायें ।

दफ़ः ६—इस तमाम मजमूअः में किसी जुर्म की हर एक तारीफ़ और हर एक ताईने सजा और हर एक ऐसी तारीफ़ या ताईने सजा की हर एक तमसील उन मुस्तस्नीयात से मशरूत समझी जायेगी जो बाब[1] "मुस्तस्नीयाते आम्मः" में मज़कूर है औ हर एक ऐसी तारीफ़ जुर्म या ताईने सजा या तमसील में मुस्तस्नीयात मज़कूरः का इआदः न हुआ हो ।

तमसीलें ।

(अलिफ़) इस मजमूअ़ की उन दफ़ों में जहां जुर्मों की तारीफ़ें मज़कूर हैं यह नहीं लिखा गया है कि सात बरस से कम उमर का तिफ़्ल जराइमे मज़कूर का मुर्तकिब नहीं होसक्ता मगर इन तारीफ़ों को उस मुस्तस्नाये आम[2] से मशरूत समझना चाहिये जिसमें यह मुक़र्रर है कि कोई अमर जो सात बरस से कम उमर का तिफ़्ल करे जुर्म नहीं होगा ।

(बे) अगर ज़ैद कि उहदःदारे पुलीस है बग़ैर वारन्ट के बक्र को जो मुर्तकिब क़तल अमद हुआ है गिरफ़्तार करे तो उस सूरत में ज़ैद जुर्म हब्स बेजा का मुजरिम न हुआ क्योंकि ज़ैद पर बक्र का गिरफ़्तार करना क़ानूनन् वाजिब था—पस यह सूरत उस मुस्तस्नाये आम[3] में दाख़िल है जिसमें यह मुक़र्रर हुआ है कि "कोई अमर जुर्म नहीं है जिसको ऐसा शख़्स करे जिस पर उसका करना क़ानूनन् वाजिब है" ।

इस्तिमाले अल्फ़ाज़ बरिआयत उस तश्रीह के जो इस मजमूअ़ में कहीं की गई ।

दफ़ः ७—हर लफ़्ज़ जिसकी तश्रीह इस मजमूअ़ः में किसी महल पर हुई है उसी तश्रीह की रिआयत से इस मजमूअ़ः में हर जगह मुस्तअ़मल हुआ है ।

मुज़क्कर मुअन्नस ।

दफ़ः ८—"वह" का लफ़्ज़ याने ज़मीर वाहिदे गायब औ उसके मुतअ़ल्लिक़ात हर किसी शख़्स के वास्ते मुस्तअ़मल हुये हैं ख़्वाह इससे कि वह मुज़क्कर हो या मुअन्नस ।

---

[1] मुस्तस्नीयात का बाब ४ ।

[2] मुलाहज़ः हो दफ़ः ८२ में ।

[3] मुलाहज़ः हो दफ़ः ७६ में ।

(बाब २—तशरीहाते आम्म: के बयान में—दफ़आत ६—१९ ।)

दफ़ः ९—वह अल्फ़ाज जो वेमानी सेग़ःइ वाहिद हैं सेग़ःइ जमा को शामिल हैं—और वह अल्फ़ाज जो बमानी सेग़ःइ जमा है सेग़ःइ वाहिद को शामिल हैं—बशर्तेकि क़रीनः से उसके ख़िलाफ़ न जाहिर हो ।

वाहिद ओ जमा।

दफ़ः १०—"मर्द" के लफ़्ज़ से मुजक्कर नौअ इन्सान मुराद है किसी उमर का हो—"औरत" के लफ़्ज़ से मुअन्नस नौअ इन्सान मुराद है किसी उमर की हो ।

"मर्द" "औरत"।

दफ़ः ११—"शख़्स" का लफ़्ज़ हर एक कम्पनी या जमाअत या गुरोहे अशख़ास को शामिल है ख़ाह उनको सर्कार से सनद मिली हो या नहीं ।

"शख़्स"।

दफ़ः १२—"आम्मः" का लफ़्ज़ हर फ़िर्क़ःइ अवामुन्नास या तब्क़ःइ ख़लायक़ को शामिल है ।

"आम्म"।

दफ़ः १३—"मलकःइ मुअज्जमः" के लफ़्ज़ से पादशाहे वक़्त ममालिकते मुत्तहदःइ ग्रेटब्रिटन और आइरलन्ड मुराद है ।

"मलकःइ मुअज्जम:"।

दफ़ः १४—"मुलाज़मे मलकःइ मुअज़्ज़मः" के लफ़्ज़ से वह सब उहदःदार या मुलाज़म मुराद हैं जो हिन्द में बहुक्म या बइत्तिबाअते हुक्म बाब[1] १०६—ऐक्ट आफ़ पार्लीमेन्ट मजकूर मजरीयःइ सन् २१ ओ २२ जुलूसे मलकःइ मुअज़्ज़मः विक्टोरिया मौसूमःइ "ऐक्ट मुतज़म्मिन अहसने इन्तिजामे हिन्द" या बहुक्म या बइत्तिबाअते हुक्म गवर्नमेन्ट हिन्द, या किसी गवर्नमेन्ट के कायम रहे या मुक़र्रर या मामूर हुये हों ।

"मुलाज़मे मलकःइ मुअज़्ज़म"।

दफ़ः १५—"ब्रिटिश इन्डिया" के लफ़्ज़ से * * * *[2] वह क़लमरौ मुराद है जो बाब १०६[1] ऐक्ट आफ़ पार्लीमेन्ट मज़कूर

"ब्रिटिश इन्डिया"।

---

[1] "गवर्नमेन्ट हिन्द के ऐक्ट सन् १८५८ ई०" (मजरीयःइ सन् २१ ओ २२ जुलूसे मलकःइ मुअज़्ज़मः विक्टोरिया—बाब १०६ के लिये मुलाहज़ा तलब "मजमूअःइ स्टेटिउट मुतअल्लिक़े हिन्द" मतबूअ सन् १८८१ ई० जिल्द २—सफ़. ६६१ ।

[2] अलफ़ाज "सिवाय आबादीहाय प्रिन्स आफ़ वेल्स आईलेन्ड ओ सिङ्गापुर ओ मलाका के" मन्सूख़ और तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन् १८९१ ई० (नम्बर १२ मुसदरःइ सन् १८९१ ई०) [ऐक्ट हाये आम—जिल्द ६] के ज़रीये से मन्सूख़ किये गये ।

मजरीयः सन् २१ ओ २२ जुलूसे मलकः मुअज़्ज़मः विक्टोरिया मौसूमः "ऐक्ट मुतज़म्मिन अहसने इन्तिज़ामे हिन्द" की रू से मलकः मम्दूहः के क़ब्ज़ये इक़्तिदार में आई है या आइन्दः आये।

"गवर्नमेन्ट हिन्द"।

दफ़ः १६—"गवर्नमेन्ट हिन्द" के लफ़्ज़ से जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुरे हिन्द बइजलासे कौन्सिल या अगर जनाब नव्वाब मम्दूह कौन्सिल में तशरीफ़ न रखते हों तो जनाब प्रेज़ीडेन्ट बइजलासे कौन्सिल या सिर्फ़ नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुरे हिन्द मुराद हैं बलिहाज़ उन इख़्तियारात के जिनको नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुरे हिन्द बइजलासे कौन्सिल या जनाब प्रेज़ीडेन्ट बइजलासे कौन्सिल या नव्वाब मम्दूह बज़ाते ख़ुद जवाज़न् अमल में लायें।

"गवर्नमेन्ट"।

दफ़ः १७—"गवर्नमेन्ट" के लफ़्ज़ से वह शख़्स या वह अशख़ास मुराद हैं जो ब्रिटिश इन्डिया के किसी हिस्सः में क़ानूनन् नज़्म ओ नसक़ मुल्क के मुख़्तार हों।

"प्रेज़ीडेन्सी"।

दफ़ः १८—"प्रेज़ीडेन्सी" के लफ़्ज़ से वह क़लमरौ मुराद हैं जो किसी एक प्रेज़ीडेन्सी की गवर्नमेन्ट के ज़ेर हुकूमत हो।

"जज"।

दफ़ः १९—"जज" के लफ़्ज़ से न सिर्फ़ हर ऐसा शख़्स मुराद है जो बएतिबार अमले सर्कारी जज के लक़ब से मुलक़्क़ब हो बल्कि हर वह शख़्स भी मुराद है।

जो क़ानून की रू से किसी दीवानी या फ़ौजदारी के मुक़द्दमः में फ़ैसलःइ क़तई सादिर करने का इख़्तियार रखता हो—या ऐसे फ़ैसले के सादिर करने का इख़्तियार रखता हो कि अगर उस फ़ैसले का अपील न हो तो वह फ़ैसलः क़तई हो—या ऐसे फ़ैसले के सादिर करने का इख़्तियार रखता हो कि अगर वह फ़ैसलः किसी दूसरे हाकिम की तजवीज़ से बहाल रहे तो क़तई हो—या

जो किसी ऐसी जमाअत अशख़ास से हो जिस जमाअत को क़ानूनन् ऐसे फ़ैसले के सादिर करने का इख़्तियार है।

(बाब २—तशरीहाते आम्म के बयान में—दफ़ २०।)

तमसीलें।

(अलिफ़) कोई कलक्टर जब कि वह किसी मुकद्दमे में ऐक्ट १० मुसदर इ सन् १८५९ ई०[1] के मुताबिक अमल कर रहा हो—जज है।

(बे) कोई मजिस्ट्रेट जब कि वह किसी ऐसे जुर्म की निस्बत अमल कर रहा हो जिस में उसको जुरमाने या कैद के हुक्म सादिर करने का इख्तियार है जज है आम इससे कि उसका फैसल काबिले अपील हो या नहीं।

(जीम) हर एक अहले पञ्चायत जिसको रेगूलेशन ७ सन् १८१६ ई०[2] मजमूअः इ कवानीने मदरास के मुताबिक मुक़द्दमात के तजवीज ओ फैसल करने का इख्तियार हो जज है।

(दाल) कोई मजिस्ट्रेट जब कि वह किसी ऐसे जुर्म की निस्बत अमल कर रहा हो जिसमें उसको सिर्फ़ दूसरे महकमे में तजवीज के लिये सपुर्द करने का इख्तियार है जज नहीं है।

दफ़ः २०—"कोर्ट आफ़ जस्टिस" के लफ़्ज से वह जज मुराद है जिसको क़ानूनन् बज़ाते वाहिद अदालत के काम करने का इख्तियार हासिल हो—या जजों का वह मजमअ मुराद है जिसको क़ानूनन् "कोर्ट आफ़ जस्टिस"।

---

[1] ऐक्ट १० मुसदरः इ सन् १८५९ ई० (ऐक्ट बमुराद तर्मीम क़ानून मुतअल्लिक़े वसूल जरे लगान के प्रेज़ीडेन्सी फोर्ट विलियम वाक़े बङ्गाल में) बङ्गाल की किस्मत छोटा नागपुर में (ब इस्तसनाय जिले मानभूम और मुहालात बाज गुजार के) छोटा नागपुर के जमींदार और रअय्यत के जाबित इ कार्रवाई के ऐक्ट सन् १८७९ ई० (बङ्गाल के ऐक्ट १ मुसदर इ सन् १८७९ ई०) के जरीये से—और बाक़ी हिस्सः इ बङ्गाल में (बइस्तसनाय कलकत्ता और उड़ीसा और इजलाय मुन्दरज इ फ़िहरिस्त के) बङ्गाल अराज़ीये रअय्यती के ऐक्ट सन् १८८५ ई० (नम्बर ८ मुसदर इ सन् १८८५ ई०) के जरीये से मन्सूख़ होगया है—वह अब बङ्गाल के जिला मानभूम और जिला दारजिलिङ्ग और जुज्व जिला जलपाई गोड़ी में नाफ़िज है और उसके वह अजजाय जो ऐक्ट ८ मुसदर इ सन् १८८५ ई० के उन अजजा के गैर मुताबिक नहीं हैं जो किस्मत उड़ीसः में वसअत पिज़ीर कियेगये हैं किस्मते मज़कूर में नाफ़िज है—ऐक्ट १० मुसदर इ सन् १८५९ ई० मजमूअ इ कवानीन बङ्गालः मतबूअ इ सन् १८८९ ई० जिल्द १ के सफ़. ३४३ में छपा है।

नीज ऐक्ट १० मुसदरः इ सन् १८५९ ई० ममालिके मगरबी ओ शिमाली में (अजुज्व बनिस्बत बाज एज़्लाअ मुन्दरजः इ फ़िहरिस्त के) ममालिके मगरबी ओ शिमाली के लगान के ऐक्ट सन् १८७३ ई० (नम्बर १८ मुसदर इ सन् १८७३ ई०) के जरीये से और ममालिके मुतवस्सत में ममालिके मुतवस्सत की अराज़ीये रअय्यती के ऐक्ट सन् १८८३ ई० (नम्बर ९ मुसदर इ सन् १८८३ ई०) के ज़रीये से मन्सूख़ होगया है—ममालिके मगरबी ओ शिमाली में इस तमसील को यों पढ़ना चाहिये कि गोया बजाय "ऐक्ट १० मुसदर इ सन् १८५९ ई०" के यह अल्फ़ाज ओ आदाद "ममालिके मगरबी ओ शिमाली के लगान का ऐक्ट सन् १८८१ ई०" कायम किये गये हैं—मुलाहज़ तलब ममालिक मगरबी ओ शिमालीके लगान के ऐक्ट सन् १८८१ ई० (नम्बर १२ मुसदर इ सन् १८८१ ई० की दफ़. २—[मजमूअः इ कवानीन ममालिके मगरबी ओ शिमाली ओ अवध मतबूअ इ सन् १८९२ ई०—सफ़. ३८६]।

[2] मदरास का रेगूलेशन ७ मुसदर इ सन् १८१६ ई०—मदरास की अदालत हाय दीवानी के ऐक्ट सन् १८७३ ई० (नम्बर ३ मुसदर इ सन् १८७३ ई०) के जरीये से मन्सूख़ होगया है—मुलाहज़ तलब मजमूअः इ कवानीने मदरास मतबूअ इ सन् १८८८ ई०।

ख़िल इज्तिमा अदालत के काम करने का इख़्तियार हासिल हो उस हाल में कि वह जज या जजों का मजमा अदालत का काम कर रहा हो।

तमसील।

अहदे पञ्चायत जो बमूजिब रेगूलेशन ७ सन् १८१६ ई० [1] मजमूअःइ क़वानीने मद्रास के अमल कर रहे हों और जिनको मुक़द्दमात की निस्बत तजवीज़ ओ फ़ैसल करने का इख़्तियार हासिल है—कोर्ट आफ़ जस्टिस हैं।

" सर्कारी मुलाज़िम "।

दफ़ः २१—"सर्कारी मुलाज़िम"[2] के लफ़्ज़ से वह शख़्स मुराद है जो नीचे लिखी हुई क़िस्मोंमें से किसी क़िस्म में दाख़िल हो—याने—

पहिले—मलकःइ मुअज़्ज़मः का हर मुलाज़िम मुतअह्हद।

दूसरे—हर एक साहिबे कमीशन उहदःदार जो मलकःइ मुअज़्ज़मः की अफ़वाजे बर्री या बहरी में हो उस हाल में कि वह गवर्नमेन्ट हिन्द या और किसी गवर्नमेन्ट के तहत में किसी ख़िदमत पर मामूर हो।

तीसरे—हर एक जज।

चौथे—कोर्ट आफ़ जस्टिस का हर एक उहदःदार जिस पर उस उहदः की हैसीयत से लाज़िम है कि वह किसी अमर मुतअल्लिक़ःइ क़ानून या किसी अमर मुतअल्लिक़ःइ वाक़े की तहक़ीक़ात करे या उसकी निस्बत कैफ़ियत लिखे या कोई दस्तावेज़ मुरत्तब या मुस्तक़ करे या अपनी हिफ़ाज़त में रक्खे या किसी माल को अपनी तहवील में ले या उसको अपनी तहवील से दूर करे या अदालत के किसी हुक्मनामे की तामील करे या कोई हलफ़ दे या तर्जुमान का काम करे या मह्कमः के आदाब का इन्तिज़ाम करे—और हर शख़्स

जिसको कोर्ट आफ़ जस्टिस की जानिब से खिदमाते मज़कूरः में से किसी खिदमत के अदा करने का इख़्तियार ख़ास हासिल हो ।

पाँचवीं—हर एक अहले जूरी या हर एक असेसर—या हर एक शरीक पञ्चायत उस हाल में कि वह कोर्ट आफ़ जस्टिस या किसी सर्कारी मुलाज़िम की मदद करता हो ।

छठे—हर एक सालिस या कोई दूसरा शख़्स जिसको किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस या किसी हाकिमे जी इख़्तियार से कोई मुक़द्दमः या मुआमिलः फ़ैसल करने या कैफ़ीयत लिखने के लिये सिपुर्द हुआ हो ।

सातवीं—हर एक शख़्स जो ऐसा उहदः रखता हो कि वह उसके इख़्तियार से किसी शख़्स के क़ैद करने या क़ैद रखने का मुजाज़ हो ।

आठवीं—हर एक सर्कारी उहदःदार जिसपर बहैसीयत उस के उहदे के लाज़िम है कि जुर्मों की रोक करे या जुर्मों के वक़ू की इत्तिला दे या जुर्मों को जवाबदिही में माख़ूज़ कराये या आम्मःइ ख़लाइक़ की आफ़ियत या सलामती या आसाइश की हिफ़ाज़त करे ।

नवीं—हरएक उहदःदार जिस पर बहैसियत उसके उहदे के लाज़िम है कि कोई माल गवर्नमेन्ट की जानिब से अपने क़ब्ज़े में लाये या अपनी तहवील में ले या अपनी तहवील में रक्खे या सर्फ़ करे या वह गवर्नमेन्ट की जानिब से कोई पैमाइश या तशख़ीस या मुआहदः करे या वह सरिश्तःइ माल के किसी हुक्मनामः की तामील करे या किसी ऐसे अमर की तहक़ीक़ात करे जो गवर्नमेन्ट की अग़राज़ मुतअल्लिक़ःइ ज़र पर मुअस्सर हो या उस बाब में कैफ़ीयत लिखे या कोई दस्तावेज़ जो गवर्नमेन्टकी अग़राज़ मुतअल्लिक़ःइ ज़र से तअल्लुक़ रखतीहो मुरत्तब या मुसद्दक़ करे या उस दस्तावेज़ को अपनी तहवील में रक्खे—या किसी ऐसे क़ानून के इन्हिराफ़ की रोक करे जो गवर्नमेन्ट की अग़राज़ मुतअल्लिक़ःइ ज़र की हिफ़ाज़त

के लिये नाफ़िज़ है—और हरएक उहद:दार जो सर्कार का मुलाज़िम हो या गवर्नमेन्ट से हक़्क़ुल मिहनत पाता हो—या उसको कोई कार सर्कार करने के एवज़ में फ़ीस या कमीशन की तरह पर उजरत मिलती हो।

दसवीं—हर एक उहद:दार जिस पर बहैसीयत उसके उहदे के लाज़िम है कि बनज़र किसी आम ग़रज़ ग़ैर मज़हबी मुतअ़ल्लिक़: किसी गाओं या क़स्ब: या शहर या ज़िला के कोई माल अपने क़ब्ज़े में लाये या अपनी तहवील में ले या अपनी तहवील में रक्खे या सर्फ़ करे या कोई पैमाइश या तश्ख़ीस करे या किसी क़िस्म की रुसूम या टैक्स वसूल करे या किसी गाओं या क़स्बे या शहर या ज़िला के बाशिन्दों के हुक़ूक़ की ताईन की ग़रज़ से कोई दस्तावेज़ मुरत्तब या मुसद्दक़ करे या अपनी तहवील में रक्खे।

तमसील।

मिउनीसिपल कमिश्नर सर्कारी मुलाज़िम है।

तशरीह १—वह सब अश्ख़ास जो ऊपर की लिखीहुई क़िस्मों में से किसी क़िस्म में दाखिल हों सर्कारी मुलाज़िम हैं आम इससे कि उन्हों ने गवर्नमेन्ट से वह मन्सब पाया हो या नहीं।

तशरीह २—हर महल में जहां सर्कारी मुलाज़िम का लफ़्ज़ आया है इतलाक़ उस का हर शख़्स पर है जो किसी सर्कारी मुलाज़िम के उहदे पर फ़िलवाक़े क़ायमहो गो कि उस शख़्स के उस उहदे पर क़ायम होने के इस्तिहक़ाक़ में क़ानून की रूसे कैसाही क़ुसूर हो।

"माल (या जायदाद) मनक़ूल:"।

दफ़: २२—"माल (या जायदाद) मनक़ूल:" के लफ़्ज़ में हर क़िस्म का माल ओ असबाब माद्दी दाखिल है सिवाय अराज़ी और उन चीज़ों के जो ज़मीन से मुल्हक़ हों या किसी ऐसी चीज़ से जिस का इस्तिहकाम पैवस्तः रहे जो ज़मीन से मुल्हक़ है।

"इस्तिहसाले बेजा"।

दफ़: २३—"इस्तिहसाले बेजा" वह इस्तिहसाले माल है जो नाजायज़ वसीलों से किया जाय और शख़्स हासिल करने वाला उस माल का क़ानूनन मुस्तहक़ न हो।

(बाब २—तशरीहाते आम्म के बयान में —दफ़आत २४—२७ ।)

"जियाने बेजा" वह जियाने माल है जो नाजायज वसीलों से किया जाय और शख़्स जियान उठाने वाला उस माल का क़ानूनन् मुस्तहक हो ।

"जियाने बेजा"।

यह बात कि किसी शख़्स ने इस्तिहसाले बेजा किया न सिर्फ उस हालत में कही जायेगी जबकि वह शख़्स उस माल को बतरीके बेजा हासिल करे बल्कि उस सूरत में भी कही जायगी जबकि बतरीके बेजा अपने कब्जे में रक्खे—और यह बात कि किसी शख़्स ने जियाने बेजा उठाया न सिर्फ उस हालत में कही जायगी जबकि बतरीके बेजा वह शख़्स माल से महरूम रक्खा जाय बल्कि उस सूरत में भी कही जायेगी जबकि वह शख़्स किसी माल से बतरीके बेजा बेदख़ल किया जाय ।

बतरीके बेजा इस्तिहसाल करना ।

जियाने बेजा उठाना ।

दफ़ः २४—जो कोई शख़्स कोई अमर करे इस नीयत से कि वह किसी शख़्स को इस्तिहसाले बेजा कराये या किसी शख़्स को जियाने बेजा पहुँचाये तो कहा जायेगा कि उसने वह अमर "बद-दियानती से" किया ।

"बद दियानती से"।

दफ़ः २५—जो कोई शख़्स कोई अमर करे इस नीयत से कि वह किसी को किसी माल या इस्तिहक़ाक़ से फरेब से महरूम या बेदख़ल करे तो उस हालत में कहा जायगा कि उस शख़्स ने वह अमर फरेब से किया—न किसी दूसरी हालत में ।

"फरेब से"

दफ़ः २६—अगर किसी अमर के बावर करने की वजह काफी किसी शख़्स के सामने मौजूद हो तो इस हालत में कहा जायगा कि वह शख़्स उस अमर के "बावर करनेकी वजह" रखता है—न किसी दूसरी हालत में ।

"बावर करने की वजह"।

दफ़ः २७—जब कोई माल किसी शख़्स की जानिब से उसकी जौजः या मुतसद्दी या नौकर के क़ब्जे में हो तो हस्ब मन्शा इस मजमूअः के माले मज़कूर शख़्स मजकूर के क़ब्ज़े में समझा जायगा ।

माल मक़बूजये जौज या मुतसद्दी या नौकर ।

तशरीह—जो कोई शख़्स चन्द रोज के लिये या किसी ख़ास ज़रूरत पर मुतसद्दी या नौकर की हैसियत से मामूर किया जाय तो वह शख़्स हस्ब मन्शा इस दफ़ः के मुतसद्दी या नौकर है ।

(बाब २—तशरीहाते आम्म: के बयान में—दफ़आत २८—२९।)

"तल्बीस"।

दफ़: २८—जब कोई शख़्स एक शै में दूसरी शै की मुशाबिहत पैदा करे इस नीयत से कि वह उस मुशाबिहत के ज़रीये से मुग़ालत: दे या इस इल्म से कि उसके ज़रीये से मुग़ालत: चल जाने का इहतिमाल है तो कहा जायेगा कि शख़्स मज़कूर ने "तल्बीस" की।

[1]तशरीह १—तल्बीस के मुतहक़्क़िक़ होने के लिये ज़ुरूर नहीं है कि मुशाबिहत ठीक ठीक हो।

[1]तशरीह २—जब कोई शख़्स एक शै में दूसरी शै की मुशाबिहत पैदा करे और वह मुशाबिहत ऐसी हो कि उससे कोई शख़्स मुग़ालते में आ सक्ता हो तो—जब तक कि बरख़िलाफ़ इसके साबित न हो—यह क़ियास किया जायेगा कि उस शख़्स की जिसने उस तरह पर एक शै में दूसरी शै की मुशाबिहत पैदा की यह नीयत थी कि वह उस मुशाबिहत के ज़रीये से मुग़ालत: दे या उसको इल्म इस अम्र का था कि उसके ज़रीये से मुग़ालत: चल जाने का इहतिमाल है।

"दस्तावेज़"

दफ़: २९—"दस्तावेज़" के लफ़्ज़ से वह मज़मून मुराद है जो किसी शै पर हुरूफ़ या हिन्दसों या अ़लामतों के ज़रीये से या उन में से दो या तीनों के ज़रीये से ज़ाहिर या बयान किया गया हो या उन हुरूफ़ या हिन्दसों या अ़लामतों को उस मज़मून की वजह सुबूत के लिये काम में लाने की नीयत हो या वह उस मज़मून की वजह सुबूत के काम में आ सके।

तशरीह १—यह बात क़ाबिले लिहाज़ नहीं है कि किस वसीले से या किसी शै पर वह हुरूफ़ या हिन्दसे या अ़लामतें बनाई जायें या यह कि किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस में वजह सुबूते मज़कूर को काम में लाने की नीयत हो या न हो या वह वजह सुबूत काम में आये या न आये।

(बाब २—तशरीहाते आम्मः के बयान में—दफ़ः ३० ।)

तमसील ।

वह नविश्त जिसमें शरायत किसी मुआहदे के मज़कूर हों और जो बतौर वजह सबूत उस मुआहदे के मुस्तमाल होनेवाला हो दस्तावेज़ है ।

रुक़्क़ः इ इस्मी किसी महाजन का दस्तावेज़ है ।

मुख़्तार नाम दस्तावेज़ है ।

नक़्शः इ ज़मीन या नक़्शः इ इमारत जिससे यह नीयत हो कि वह वजहे सबूत के तौर पर काम में आये या जो वजहे सबूत के तौर पर काम में आ सके—दस्तावेज़ है ।

जिस नविश्ते में अहकाम या हिदायतें मुन्दर्ज हों वह दस्तावेज़ है ।

तशरीह २—जो मुराद हुरूफ़ या हिन्दसों या अलामतों से मुवाफ़िक़ रस्म अहले तिजारत या किसी और रस्म के ली जाती है वही मुराद उस क़िस्म के हुरूफ़ या हिन्दसों या अलामतों से हस्बे मन्शा इस दफ़ः के समझी जायेगी गो वाक़े में वही मुराद इबारत में न ज़ाहिर की गई हो ॥

तमसील ।

अगर जैद किसी हुन्डी की पुश्त पर अपना नाम लिखदे और हुन्डी में लिखा हो कि जिस को कहे उसे रुपया मिले तो हस्ब दस्तूर तिजारत इस इबारते ज़हरी के यह माने हैं कि क़ाबिज़ को हुन्डी का रुपयः देना चाहिये—पस इबारते ज़हरीये मज़कूर दस्तावेज़ है और उससे वही मुराद लेनी चाहिये कि गोया दस्तख़त के ऊपर यह इबारत लिखी होती कि "क़ाबिज़े हुन्डी को रुपया दो" या कोई और इबारत इसी मज़मून की लिखी होती ।

दफ़ः ३०—"किफ़ालतुल्माल" के लफ़्ज़ से वह दस्तावेज़ मुराद है जो ऐसी दस्तावेज़ हो या ऐसी दस्तावेज़ समझे जाने की हैसीयत रखती हो जिस के ज़रीये से कोई क़ानूनी हक़ पैदा किया जाय या बढ़ाया जाय या मुन्तक़िल किया जाय या मुक़ैयद किया जाय या ज़ायल किया जाय या छोड़ दिया जाय—या जिसके ज़रीये से कोई शख़्स मुक़िर हो कि मैं क़ानूनन् ज़िम्मःदार हूं या इक़रार करे कि फ़लां क़ानूनी हक़ मेरा नहीं है ।

"किफ़ालतुल्माल" ।

तमसील ।

अगर जैद किसी हुन्डी की पुश्त पर अपना नाम लिखदे तो चूंकि इस इबारते ज़हरी की रू से इस्तिहक़ाक़ ज़रे हुन्डी उस शख़्स को मुन्तक़िल हो जाता है जो उस हुन्डी पर जवाज़न क़ाबिज़ हो इस लिये यह इबारते ज़हरी "किफ़ालतुल्माल" है ।

(बाब २–तशरीहाते अ़ाम्मः के बयान में—दफ़आत ३१—३६ ।)

"वसीयत नाम." ।

दफ़ः ३१—"वसीयत नामः" के लफ़्ज़ से हरएक किस्म की दस्तावेज वसीयती मुराद है ।

अलफ़ाज मन्सूब बअफ़आल ख़िलाफ़ क़ानून तर्क अफ़आल पर मुहीत हैं ।

दफ़ः ३२—इस मजमूये के हर महल में वह अलफ़ाज जो अफ़आले मुर्तकबः से मन्सूब हैं ख़िलाफ़े कानून तर्क अफ़आल पर भी मुहीत हैं—बजुज उस महल के जहां करीने से कोई मुराद इस के मुख़ालिफ पाई जाय ।

"फ़ेल"
"तर्क"

दफ़ः ३३—"फ़ेल" के लफ़्ज़ से मिस्ल फ़ेलेवाहिद के सिल्सिलःइ अफ़आल मुतवातिर भी मुराद है और "तर्क" के लफ़्ज़ से मिस्ल तर्के वाहिद के सिल्सिलःइ तर्क मुतवातिर भी मुराद है ।

वह अफ़आल जो चन्द अशख़ास ने अपने इरादःइ मुश्तरक की पेशरफ़्त में किये हों ।

दफ़ः ३४[1]—जब चन्द अशख़ास अपने उस इरादे की पेशरफ़्त में जिसमें वह सब मुत्तफ़िक़ हों किसी फ़ेले मुजरिमानः के मुर्तकिब हों तो उन में से हर एक शख़्स उस फ़ेल की इल्लत में उसी तरह काबिले मुवाख़ज़ः होगा कि गोया तनहा वही शख़्स फ़ेले मज़कूर का मुर्तकिब हुआ ।

जिस हालत में कि ऐसा फ़ेल—मुजरिमानः इल्म या नीयत के साथ किये जाने की वजह से मुजरिमानः है ।

दफ़ः ३५—जब कि एक ऐसे फ़ेल का इर्तिकाब चन्द शख़्सों से वाक़े हुआ हो जो सिर्फ़ इस बाइस से जुर्म है कि उसका इर्तिकाब मुजरिमानः इल्म या नीयत से किया गया है—तो उनमें से हर एक शख़्स जो ऐसे इल्म या नीयत से उस फ़ेलके इर्तिकाब में शरीक हुआ हो उस फ़ेल की निस्बत इसी तरह काबिले मुवाख़ज़ः होगा कि गोया तनहा वही शख़्स उस इल्म या नीयत से उस फ़ेल का मुर्तकिब हुआ ।

नतीजः जो कुछ फ़ेल से और कुछ तर्क फ़ेल से पैदा हुआ हो ।

दफ़ः ३६—जिस महल में बज़रियः इर्तिकाबे फ़ेल या तर्क फ़ेल के किसी नतीजःइ ख़ास का पैदा करना या उस नतीजे के पैदा करने का इक़दाम जुर्म हो तो वहां समझना चाहिये कि उस नतीजे का पैदा करना कुछ फ़ेल से और कुछ तर्क फ़ेल से भी वही जुर्म होगा ।

---

[1] यह दफ़ा साबिक़ दफ़ा [illegible] मजमूअः कवानीने ताज़ीराते हिन्द के तरमीम करने वाले ऐक्ट बाबत सन् १८७० ई० (नम्बर २७ मुसद्दरः सन् १८७० ई०) की दफ़ः १ के ज़रिये से [illegible] की गई [[illegible]]।

तमसील ।

अगर ज़ैद क़स्दन् बक़र की मौत का बाइस इस तरह से हो कि कुछ तो वह बक़र को ख़ुराक का देना ख़िलाफ़ क़ानून तर्क करे और कुछ उस को मारे तो ज़ैद क़तले अमद का मुर्तकिब होगा ।

दफ़ः ३७—जबकि इर्तिकाब किसी जुर्म का बज़रिये इर्तिकाब चन्द फ़ेलों के अमल से आये तो जो कोई शख़्स उन फ़ेलों में से किसी फ़ेल का इर्तिकाब तन्हा या बशिर्कत किसी और शख़्स के करके क़स्दन उस जुर्म के इर्तिकाब में शरीक हो वह शख़्स जुर्म मज़कूर का मुर्तकिब होगा ।

चन्द फ़ेलों में से जिनसे कोई जुर्म मुरक्कब हो एक फ़ेल कर के शरीक होना ।

तमसीलें ।

(अलिफ़) अगर ज़ैद और बकर इस अमर पर मुत्तफ़िक़ हों कि हम दोनों फ़र्दन् फ़र्दन् मुख़्तलिफ़ औक़ात पर थोड़ा थोड़ा ज़हर देकर अमर को हलाक करें—और मुताबिक इस अहद ओ पैमान के ज़ैद ओ बक़र अमर को हलाक करने की नीयत से ज़हर दें और उस ज़हर के असर से जो इस तरह बदफ़आत दिया गया अमर मरजाय—तो इस सूरत में ज़ैद ओ बक़र क़स्दन् इस इर्तिकाबे क़तले अमद में शरीक हुये—और चूंकि हर एक उन दोनों में से ऐसे फ़ेल का मुर्तकिब हुआ जो अमर की मौत का बाइस हुआ इस लिये यह दोनों शख़्स जुर्म मज़कूर के मुजरिम हुये गो उन के अफ़आल अलाहदः अलाहदः हैं ।

(बे) ज़ैद ओ बक़र बिल इश्तिराक दारोग़ः इ महबस हैं—और अमर क़ैदी उन की सपुर्दगी में बहैसियत उन की दरोग़गी के छह छह घन्टे बारी बारी से रहता है—और ज़ैद ओ बक़र इस नीयत से कि अमर हलाक होजाय अपनी अपनी नौकरी की बारी बारी में अमर को उस ख़ुराक का देना ख़िलाफ़ क़ानून तर्क करते हैं जो अमर के खिलाने के लिये उन को दी गई हो—और इस तरह उसकी मौत के बाइस होने में दीदः व दानिस्तः शरीक हुये—और अमर भूक से मरगया—तो ज़ैद ओ बक़र दोनों अमर के क़तले अमद के मुजरिम हुये ।

(जीम) ज़ैद दारोग़ःइ महबस है—और अमर क़ैदी उसकी सपुर्दगी में है—ज़ैद इस नीयत से कि अमर हलाक होजाय अमर को ख़ुराक का देना ख़िलाफ़ क़ानून तर्क करे जिस के सबब से अमर निहायत ज़ईफ़ ओ कमज़ोर होजाय—मगर इस क़दर फ़ाक़े नहीं कि वह अमर की मौत के बाइस हों—ज़ैद उहदे से माज़ूल होजाय और बक़र बजाय उस के मुक़र्रर हो और बकर भी बिला साज़िश या बिला इश्तिराक़ ज़ैद के अमर को ख़ुराक का देना ख़िलाफ़ क़ानून तर्क करे इस इल्म से कि उस ख़ुराक देने के तर्क में अमर के हलाक होने का इह्तिमाल है और अमर भूक से मरजाय—ओ बक़र क़तले अमद का मुजरिम है—मगर ज़ैद इसलिये कि उसने बक़र की शिर्कत नहीं की सिरफ़ इक़दामे क़तल अमद का मुजरिम है ।

(बाब ३—सज़ाओं के बयान में—दफ़आत ५४—६३।)

तब्दीले हुक्म सजाय मौत।

दफ़ः ५४—हर हाल में जहां सजाय मौत का हुक्म सादिर हुआ हो गवर्नमेन्ट हिन्द या उस गवर्नमेन्ट को जिस के अलाक़े के अन्दर मुजरिम की निस्बत ऐसी सज़ा का हुक्म सादिर हुआ हो इख़्तियार होगा कि मुजरिम की बिला रिज़ामन्दी उस सज़ा को और किसी सज़ा के साथ जो इस मजमूए में मुक़र्रर की गई है बदल दे।

हब्स दवाम बउबूर दर्याय शोर के हुक्म सज़ा का बदल देना।

दफ़ः ५५—हर हाल मे जहां हब्से दवाम बउबूरे दर्याय शोर का हुक्म सादिर हुआ हो गवर्नमेन्ट हिन्द या उस गवर्नमेन्ट को जिसके अलाक़े के अन्दर मुजरिम की निस्बत ऐसी सज़ा का हुक्म सादिर हुआ हो इख़्तियार होगा कि मुजरिम की बिला रिज़ामन्दी उस सज़ा को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद के साथ जिस की मीआद चौदः बरस से ज़ियादः न हो—बदल दे।

अहले यूरप और अहले अमरीक़ा को मुशक्कते ताज़ीरी बजाय क़ैद की सज़ा का हुक्म दिया जाना।

दफ़ः ५६—जब कभी किसी शख़्स पर जो अहले यूरप या अहले अमरीक़ः हो कोई ऐसा जुर्म साबित हो जिसकी पादाश में इस मजमूअः की रू से हब्स बउबूरे दर्याय शोर की सज़ा मुक़र्रर है तो अदालत को लाज़िम है कि ऐक्ट २४ मुसदरः सन् १८५५ ई० के अहकाम के बमूजिब मुजरिम की निस्बत हब्स बउबूरे दर्याय शोर की जगह मुशक्कते ताज़ीरी बहालते क़ैद की सज़ा तजवीज़ करे।

(बाब ३—सज़ाओं के बयान मे-दफ़आत ५७–६० ।)

दफ़ः ५७—सजा की मीआदों के अज्ज़ा के हिसाब करने में हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर बीस बरस के हब्स बउबूरे दर्याय शोर के बराबर समझा जायेगा ।

सज़ा की मीआदों के अज्ज़ा ।

दफ़ः ५८—हर हाल में जहां हब्स बउबूरे दर्याय शोर का हुक्म सादिर हो ताबक़े कि उबूरे दर्याय शोर अमल में न आये मुजरिम के साथ वैसाही अमल किया जायेगा कि गोया उसकी निस्बत क़ैद सख़्त का हुक्म सादिर हुआ और जो मीआद ऐसी क़ैद में मुन्क़जी होगी वह मीआद उसी हब्स बउबूरे दर्याय शोर में महसूब होगी ।

जिन मुजरिमों की निसबत सजाय हब्स बउबूरे दर्याय शोर का हुक्म हो चुका बउबूरे दर्याय शोर तक उनके साथ किसी तरह अमल किया जाय ।

दफ़ः ५६—हर हाल में जहां मुजरिम सात बरस या जियादः मीआद की क़ैद का मुस्तौजिब हो अदालते मुजव्विज़े सज़ा को इख़्तियार होगा कि हुक्म सज़ाय कैद सादिर करने के एवज़ में मुजरिम को किसी एक मीआद के वास्ते जो सात बरस से कम और उस मीआद से जियादः न हो जिस मीआद तक वह मुजरिम इस मजमूअः की रू से कैद का मुस्तौजिब है हब्स बउबूरे दर्याय शोर की सजा का हुक्म दे ।

क़ैद की जगह हब्स बउबूरे दर्याय शोर ।

दफ़ः ६०—हर हाल में जहां मुजरिम दोनों क़िस्मों में से किसी किस्म की क़ैद का मुस्तौजिब हो अदालते मुजव्विज़े सज़ा को इख़्तियार होगा कि सजा के हुक्म में यह हिदायत करे कि क़ैद कुल मीआद तक सख़्त हो या कुल मीआद तक कैद महज हो या यह कि उस मीआद की कुछ मुद्दत तक कैद सख़्त हो और बाक़ी मुद्दत में कैद महज़ रहे ।

हुक्मे सजा (ख़ास हालतों में ऐसी क़ैद के लिये) हो सक्ता है जो कुल्लन् या जुज़अन् सख्त या महज हो ।

१ दरख़ुसूस तअल्लुक़ फ़िज़ीरीये दफ़आत ६० आं ६३ लग़ायत ७४ निस्बत उन अहकामे सज़ा के जो पंजाब के ज़िलःइ सर्हदी या बिलूचिस्तान में सादिर हों मुलाहज़ तलब पंजाब के सर्हदी जरायम के रेगूलेशन सन १८८७ ई० (नम्बर४मुसदर इ सन १८८७ई०) की दफ़आत १५ (२) ओ ५२-[छपी मजमूअःइ क़वानीने पंजाब मतबूअः सन १८८८ ई० के सफ़हात ३९७ आं ४०९ और मजमूअः क़वानीने बिलूचिस्तान मतबूअः सन १८९० ई० के सफ़हात ५७ ओ ६६ में]।

(बाब ३—सज़ाओं के बयान में—दफ़आत ६१—६३ ।)

हुक्मे सज़ाये ज़ब्तीये जायदाद ।

दफ़ः ६१—जब किसी हाल में जहां कोई शख़्स किसी जुर्म का मुजरिम साबित होजाय जिसकी पादाश में वह इस अमर का मुस्तौजिब हो कि उसकी कुल जायदाद ज़ब्त की जाय मुजरिम किसी जायदाद के हासिल करने के क़ाबिल न होगा बजुज़ इसके कि वह जायदाद गवर्नमेन्ट के लिये हो तावक़्ते कि वह सजायः मुजविज़ः या दूसरी सज़ा जो उसके बदले तजवीज़ हुई हो तै न करले या वह माफ़ न हो ।

तमसील ।

ज़ैद कि गवर्नमेन्ट हिन्द के मुक़ाबिले में जङ्ग करने का मुजरिम साबित हुआ है इस अमर का मुस्तौजिब है कि उसकी कुल जायदाद ज़ब्त कीजाय—हुक्म सज़ा के सादिर होने के बाद और मुद्दत के अन्दर कि हुक्म मज़कूर नाफ़िज़ है ज़ैद का बाप तर्कः छोड़कर मर गया और यह तर्कः ज़ैद को उस सूरत में मिलता कि ज़ैद की निस्बत ज़ब्तीये जायदाद का हुक्म न हुआ होता—तो इस हालत में तर्कःइ मज़कूर गवर्नमेन्ट की जायदाद है ।

ज़ब्तीये जायदाद बनिस्बत मुजरिमाने मुस्तौजिबे सजाय मौत या हब्स बउबूरे दर्याय शोर या क़ैद ।

दफ़ः ६२—जब किसी शख़्स पर ऐसा जुर्म साबित हो जिस की पादाश में सजाय मौत मुक़र्रर है तो अदालत को यह तजवीज़ करने का इख़्तियार है कि मुजरिम की कुल जायदादे मनक़ूलःओ ग़ैर मनक़ूलः गवर्नमेन्ट में ज़ब्त हो और जब कि किसी शख़्स पर कोई ऐसा जुर्म साबित हो जिसकी पादाश में हब्स बउबूरे दर्याय शोर या सात बरस या ज़ियादः की क़ैद का हुक्म सादिर हो तो अदालत को यह तजवीज़ करने का इख़्तियार है कि हब्स बउबूरे दर्याय शोर या क़ैद की मीआद के अन्दर मुजरिम की कुल जायदादे मनक़ूलःओ ग़ैर मनक़ूलः का लगान और किरायः और मुनाफ़ा इस शर्त के साथ गवर्नमेन्ट में ज़ब्त रहे कि मुजरिम के अहल ओ अयाल और मुतवस्सिलों के वास्ते सजाय मज़कूर की मीआद में जो मददे मआश गवर्नमेन्ट मुनासिब समझे उस महासिल से मुअय्यन की जाय ।

की गई है उस महल में उस जुर्माने की मिक़दार जिसका मुजरिम मुस्तौजिब होगा गैर महदूद है मगर चाहिये कि अन्दाजः से जायद नहो ।

दफ़ः[1] ६४—हर[2] सूरत जुर्म काबिले सजाय कैद ओ नीज जुर्माने में जिसमें मुजरिम की निस्वत हुक्म सजाय जुर्मानः मा क़ैद या बिला क़ैद हो—

जुर्मानः अदा न होने की सूरत में हुक्म सजाय कैद ।

और हर सूरत जुर्म काबिले सजाये [[3]कैद या जुर्माने में या] महज जुर्माने में जिसमें मुजरिम की निस्वत हुक्म सजाय जुर्मानः हो—

अदालते मुजव्विज़े सजा को इख़्तियार होगा कि सजा के हुक्म में यह हिदायत करे कि अगर जुर्मानः अदा न हो तो मुजरिम एक खास मीआद तक कैद रहे और यह कैद उस क़ैद के अलावः होगी जैसा हुक्म मुजरिम की निस्वत हुआ हो या उस क़ैद के अलावः होगी जिसका मुजरिम हुक्म सजा के तबादिल की रू से मुस्तौजिब हो ।

दफ़ः[1] ६५—अगर किसी जुर्म की पादाश में कैद और जुर्मानः

जुर्मानः अदा न होने की सूरत में हद्द मीआदे कैद जब कि जुर्म की सजा कैद और जुर्मानः दोनों हैं ।

दरख़सूस तअल्लुक़ पिज़ीर दफ़आत ६४ लगायत ६७ निस्वत जरायम तहते क़वानीने मुख्तस्सुल अमर या मुख़्तस्सुल मुकाम के—मुलाहज़ तलब माकब्ल की दफ़ ४० ।

दरख़सूस तअल्लुक़ पिज़ीरी दफ़आत ६० ओ ६२ लगायत ७४ के निस्वत उन अहकामे सज़ा के जो पञ्जाब के जिल इ सर्हदी या बिलूचिस्तान में सादिर हों मुलाहज़ः तलब पञ्जाब के सर्हदी जरायम के रेगूलेशन सन १८८७ ई० (नम्बर ४ मुसदर इ सन १८८७ ई०) की दफ़आत १५ (२) ओ ५२ [छपी मजमूअ इ कवानीने पञ्जाब मतबूअः इ सन १८८८ ई० के सफ़हात ३९७ ओ ४०५ और मजमूअ इ क़वानीने बिलूचिस्तान मतबूअः इ सन १८९० ई० के सफ़हात ६७ ओ ६६ मे] ।

[1] मुलाहज़ः तलब सफ़ः २४ का फ़ुट नोट ।

[2] दफ़ः ६४ की अव्वल दो ज़िम्ने बजाय अल्फ़ाज़ "हर हाल में जहा किसी मुजरिम की निस्वत जुर्मान. का हुक्म हो" के मजमूअ इ कवानीने ताज़ीराते हिन्द के तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८८२ ई० (नम्बर ८ मुसदर इ सन १८८२ ई०) की दफ़ः२ के ज़रिये से क़ायम की गई—वह ऐसी अकवामे कोढ़ी की सूरत से मुतअल्लिक नहीं हैं जिन से कचीन की अक़वामे कोढ़ी का रेगूलेशन सन १८९५ ई० (नम्बर १ मुसदर इ सन १८९५ ई०) मुतअल्लिक़ किया गया है—मुलाहज तलब उस रेगूलेशन की दफ़आत १ (२) ओ ३ ।

[3] यह अलफाज़ हिन्द के फ़ौजदारी आईन के तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८८६ ई० (नम्बर १० मुसदर इ सन १८८६ ई०) की दफ़ः २१ (२) के ज़रीये से दाख़िल किये गये ।

(बाब ३—सज़ाओं के बयान में—दफ़आत—६६—६७ ।)

दोनों सजायें मुकर्रर हों तो जो कैद जुर्मानः अदा न होने की सूरत में अदालत के हुक्म से तजवीज़ हो उस की मीत्र्याद उस कैद की बड़ी से बड़ी मीत्र्याद की एक चौथाई से ज़ियादः न होगी जो जुर्म मजकूर की पादाश में मुकर्रर है।

उस कैद की किस्म जो बपादाशे अदम अदाय जुर्मान हो।

दफ़ः[1] ६६—जो कैद जुर्मानः अदा न होने की सूरत में अदालत के हुक्म से तजवीज़ हो वह उसी किस्म की होसक्ती है जो उस जुर्म की पादाश में मुजरिम के लिये तजवीज़ हो सक्ती हो।

मीआदे कैद दर सूरत अदमे अदाय जुर्मान. जब कि जुर्म की सजा सिर्फ जुर्मान है।

दफ़ः[1] ६७—अगर जुर्म की पादाश में सिर्फ जुर्मानः की सजा मुकर्रर हो तो[2] [वह कैद जो अदालत बएवज़ अदमे अदाय जुर्मानः तजवीज करे कैद सहज होगी और] उस कैद की मीत्र्याद जो जुर्मानः अदा न होने की सूरत में अदालत के हुक्म से तजवीज हो नीचे लिखी हुई हद से जायद न होगी याने[3] [जब जुर्मानः की मिकदार पचास रुपये से जायद न हो तो कोई मीत्र्याद जो दो महीने से जायद न हो—और जब जुर्मानः सौ रुपये से जायद न हो तो कोई मीत्र्याद जो चार

---

[1] मुलाहज़ तलब सफ २४ का फुट नोट।

[2] यह अलफ़ाज़ मजमूअः इ कवानीने ताज़ीराते हिन्द के तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८८२ ई० (नम्बर ८ मुसदर इ सन १८८२ ई०) की दफ़ ३ के ज़रीये से दाखिल किये गये हैं [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ४]।

[3] उन अकवामे कोही की सूरत में जिन से कचीन की अकवामे कोही का रेगूलेशन सन १८९५ ई० (नम्बर १ मुसदर: सन १८९५ ई०) मुतअल्लिक़ है बजाय बराकिट के अलफ़ाज़ के अल्फ़ाज़ मर्कूमुज़्ज़ैल क़ायम किये गये हैं—याने:—

"जब जुर्माने की मिक़दार पचास रुपये से ज़ायद नहो तो कोई मीआद जो चार महीने से ज़ायद नहो—और जब जुर्मान सौ रुपये से ज़ायद नहो तो कोई मीआद जो आठ महीने से ज़ायद नहो और बाक़ी और सूरतों में कोई मीआद जो बारह महीने से ज़ायद न हो"—

मुलाहज़: तलब रेगूलेशन १ मुसदर: सन १८९५ ई०—दफ़आत २ (३) और ४।

यह अल्फ़ाज़ भी बराकिट के अल्फ़ाज़ के एवज़ उन अकवामे कोही की सूरत में क़ायम किये गये हैं जिनसे [illegible] हिल्स का रेगूलेशन सन १८९६ ई०—मुतअल्लिक़ है (मुलाहज़ तलब रेगूलेशन ५ मुसदर: सन १८९६ ई०—दफ़ ३ और ज़मीमा) [[illegible] सन १८९६ ई०]

महीने से जायद न हो और बाकी और सूरतों में कोई मीआद जो छः महीने से जायद न हो] ।

ऐसी क़ैद का जुर्मान अदा कर देने पर ख़तम होजाना ।

दफ़ः ६८[1]—जो कैद जुर्मानः अदा न होने की सूरत में तजवीज हो वह उसी वक्त खतम हो जायगी जबकि जुर्मानः अदा किया जाय या कानून के तरीकःइ मुअय्यनः के मुताफिक वसूल कर लिया जाय ।

ऐसी क़ैद का जुर्मान. के हिस्स इ मुतनासिब अदा कर देने पर ख़तम होजाना ।

दफ़ः ६९[1]—अगर उस कैद की मीआद गुजरने से पहिले जो जुर्मानः अदा न होने की सूरत में तजवीज हो कोई ऐसा हिस्सःइ मुतनासिबः जुर्माने का अदा किया जाय या वसूल कर लिया जाय कि कैद की वह मीआद जो जुर्मानः अदा न होने की सूरत में मुजरिम ने तै की जुर्माने के हिस्सःइ बाक़ीमांदः के साथ निस्बत कमी की न रखती हो तो क़ैद खतम हो जायेगी ।

तमसील ।

अगर ज़ैद की निस्बत सौ रुपये जुर्माने की सज़ा और जुर्मान. अदा न होने की सूरत में चार महीने की कैद का हुक्म सादिर हुआ हो तो इस सूरत में अगर मीआद के एक महीने के गुज़रने से पहिले पछत्तर रुपये अदा किये जायें या वसूल करलिये जायें तो पहला महीन गुजरतेही जैद रिहाई पायेगा अगर पहले महीने के गुजर जाने के वक्त या उसके बाद जैद की कैद की हालत में पछत्तर रुपये अदा किये जायें या वसूल करलिये जायें तो जैद फौरन रिहाई पायेगा और अगर मीआद के दो महीने गुजरने से पहले मिन्जुम्ला जुर्माने के पचास रुपये अदा किये जायें या वसूल करलिये जायें तो दो महीने ख़तम होतेही जैद रिहाई पायेगा और अगर इन दोनों महीनों के गुजरते ही या उसके बाद जैद की क़ैद की हालत में पचास रुपये अदा किये जायें या वसूल कर लिये जाये तो जैद फ़ौरन रिहाई पायेगा ।

जुर्मानः छ बरस के अन्दर या मीआद कैद में किसी वक्त वसूल किया जा सक्ता है ।

दफ़ः ७०[1]—जुर्मानः या उस का कोई जुज जो वसूल होने से बाकी रह गया हो तारीखे हुक्म सजा से छः बरस के अन्दर हर वक्त वसूल किया जा सक्ता है और अगर सजा के हुक्म की रूसे मुजरिम छः बरस से जियादः की कैद का मुस्तौजिब हो तो उस मुद्दत के गुजरने से पहले हर वक्त वसूल किया जा सक्ता है—और मुजरिम की मौत से कोई जायदाद जो उसकी मौत के बाद

[1] मनादहज़ तम्बे सफ़ २४ का फुट नोट ।

उस के क़र्ज़ की इल्लत में क़ानूनन् माख़ूज़ होसक्ती है इस मुवाख़ज़े से बरी नहीं हो सक्ती।

हद्दे सज़ाय जुर्म जो चन्द जुर्मों से मुरक्कब हो।

दफ़ः ७१—जिस[1] हाल[2] में कोई अमर जो जुर्म है चन्द अजज़ा से मुरक्कब हो और उन अजज़ा का हर एक जुज़ विनफ़्सिही जुर्म है तो मुजरिम को उन जुर्मों में से एक से ज़ियादः जुर्म की सजा न दी जायेगी सिवाय उस हालत के कि ऐसी सजा का हुक्म वसराहत पाया जाय।

[3][जब कोई अमर ऐसा जुर्म हो जो किसी ऐसे क़ानून मजरीयःइ वक्त की दो या जियादः मुख़्तलफ़ तारीफ़ात में दाखिल हो जिस में जरायम की तारीफ़ात या उन की सजायें दर्ज हों—या

जब चन्द अफ़आल जिन में से एक या एक से जियादः का मजमूअः फ़ीनफ़्सिही जुर्म है सब के सब इकट्ठे होकर और जुर्म होजायें।

तो मुजरिम को उस सजा से जियादः सख़्त सजा न दी जायेगी जिस को अदालते मुजिव्वज़े जुर्म किसी एक जुर्म मिन्जुम्लःइ जरायमे मुसर्रहे सदर की पादाश में उस पर आयद कर सक्ती है।]

तमसीलें।

(अलिफ़) जैद ने लाठी से पचास ज़र्ब बकर को लगाईं तो इस सूरत में मुमकिन है कि जैद उन तमाम ज़रबों की बाबत से और भी एक एक ज़र्ब से जिससे वह तमाम ज़रबें मुरक्कब हैं बकर को जियादः ज़रर पहुंचाने का मुजरिम हो पस अगर ज़ैद हर एक ज़र्ब की पादाश में

(बाब ३—सज़ाओं के बयान में—दफ़आत ७२—७३ ।)

सज़ा के लायक़ होता तो वह पचास बरस तक क़ैद हो सक्ता था याने फ़ीज़र्ब एक बरस तक मगर वह तमाम ज़दओ कोब की पादाश में सिर्फ़ एक सज़ा का मुस्तौजिब है ।

(बे) लेकिन जब कि ज़ैद बक्र को मार रहा हो खालिद दस्तन्दाज़ी करे और ज़ैद खालिद को क़स्दन मारे तो इस सूरत में चूंकि वह ज़र्ब जो खालिद के लगाई गई है उस फ़ेल का कोई जुज़ नहीं है जिससे ज़ैद ने बक्र को बिल इरादः ज़रर पहुचाया इसलिये ज़ैद बक्र को बिल इरादः ज़रर पहुचाने की पादाश में एक सज़ा का मुस्तौजिब और उस ज़र्ब की पादाश में जो खालिद के लगाई गई दूसरी सज़ा का मुस्तौजिब है ।

उस शख़्स की सज़ा जो चन्द जुर्मों में से एक का मुजरिम पाया जाय जब कि फ़ैसिले में इसबात का शुबह मज़कूर हो कि वह किस जुर्म का मुजरिम है ।

दफ़ः ७२[1]—हर हाल में जहां यह तजवीज़ क़रार पाये कि कोई जुर्मों में से जिन की तसरीह फैसिले में हो किसी एक जुर्म का कोई शख़्स मुजरिम हुआ है मगर इसका शुबः रहजाय कि वह शख़्स उन जुर्मों में से कौनसे जुर्म का मुजरिम है तो मुजरिम को उस जुर्म की पादाश में सजा दीजायेगी जिस के लिये कमसे कम सजा मुकर्रर कीगई है बशर्तेकि उन सब जुर्मों के लिये एकसी सजा मुक़र्रर न की गई हो।

क़ैदेतन्हाई ।

दफ़ः ७३[1]—जब किसी शख़्स पर कोई ऐसा जुर्म साबित हो जिसकी पादाश में इस मजमूए की रूसे अदालत को क़ैदे सख़्त की सजा के हुक्म देने का इख़्तियार हो तो अदालत अपने हुक्म सज़ा में यह हुक्म देने की मुजाज होगी कि मुजरिम क़ैदे मुजव्विजः की मीआद से किसी एक अर्से तक या चन्द अर्सों तक जिनकी कुल मुद्दत तीन महीने से जायद न हो शरहे जैल के मुताबिक़ तन्हा क़ैद रहे—याने—

अगर कैद की मीआद छः महीने से जियादः नहो तो क़ैद तन्हाई एक महीने से जियादः न होगी ।

---

१ मुलाहज़ा तलब दफ़ः २४ का फ़ुट नोट ।

अगर क़ैद की मीआद छः महीने से जियादः हो और [1] [एक बरस से ज़ियादः न हो] तो क़ैद तन्हाई दो महीने से ज़ियादः न होगी ।

अगर क़ैद की मीआद एक बरस से जियादः हो तो क़ैद तन्हाई तीन महीने से [2] जियादः न होगी ।

हद्दे क़ैदे तन्हाई ।

दफ़: ७४—क़ैदे तन्हाई के हुक्म की तामील में क़ैद की मीआद किसी हाल में एक मर्तबः चौदः रोज से जियादः न होगी और अर्सः इ माबैन दो मीआदों क़ैदे तन्हाई के मीआदे मज़कूर की मुद्दत से कम न होगा—और जब कि क़ैदे मुजव्विजः की मीआद तीन महीने से ज़ियादः हो तो कुल क़ैदे मुजव्विजः में से किसी एक महीने में क़ैद तन्हाई सात रोज से जियादः न होगी और अर्सः इ माबैन दो मीआदों क़ैदे तन्हाई के मीआदे मजकूर की मुद्दत से कम न होगा ।

सज़ा का इज़ाफ़ बअ्‌द बाज जुर्मों के तहते बाब १२ या बाब १७ बाद सबूत साबिक़ जुर्म के ।

दफ़ः ७५—अगर किसी शख़्स पर कोई ऐसा जुर्म साबित हो चुका हो जिसकी पादाश में इस मजमूए के बाब १२ या बाब १७ की रू से दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की तीन बरस या जियादः की क़ैद मुक़र्रर है और वह शख़्स फिर किसी ऐसे जुर्म का मुर्तकिब हो जिसकी पादाश में किसी बाब मुनजाकिरः इ सदर की रू से दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की तीन बरस या जियादः की क़ैद मुक़र्रर है तो ऐसे हर एक नये जुर्म की पादाश में शख़्स मजकूर हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर [3] [या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा का जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है] मुस्तौजिब होगा [4] ।

(बाब ४—मुस्तस्नीयाते आम्मः के बयान में—दफ़: ७६ ।)

१

बाब ४ ।

मुस्तस्नीयाते आम्मः के बयान में ।

दफ़ः ७६—कोई अमर जुर्म नहीं है जिसको ऐसा शख़्स करे जिसपर उसका करना क़ानूनन् वाजिब है या जिसको वह शख़्स करे जो बसबब किसी अमरे वक़ूई की ग़लत फ़हमी के न बसबब क़ानून की ग़लत फ़हमी के नेक नीयती से यह बावर करता हो कि इस अमर का करना उस पर क़ानूनन् वाजिब है ।

फ़ेल जो किसी ऐसे शख़्स से सर्ज़द हो जिस पर उस का करना क़ानूनन् वाजिब हो या जिसने अमरे वक़ूई की ग़लत फ़हमी से यह बावर कर लिया हो कि उस पर उसका करना क़ानूनन् वाजिब है ।

तमसीलें ।

(अलिफ़) अगर ज़ैद कि सिपाही है अपने अफ़सर के हुक्म से क़ानून के अहकाम के मुताबिक आदमियों के एक गरोह पर बन्दूक चलाये तो ज़ैद किसी जुर्म का मुर्तकिब न होगा ।

(बे) अगर ज़ैद को कि किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस का उहदःदार है उस कोर्ट से बक्र के गिरफ्तार करने का हुक्म मिले और कमाहक़्क़हू तहक़ीक़ात के बाद ख़ालिद को बक्र समझ कर गिरफ्तार करे तो ज़ैद किसी जुर्म का मुर्तकिब न होगा ।

अक़्वामे कोही का रेगूलेशन सन १८९५ ई० (नम्बर १ मुसदरःइ सन १८९५ ई०) मुतअल्लिक़ है मुलाहज़ तलब उस रेगूलेशन की दफ़आत १ (३) ओ ३ [मजमूअ इक़वानीने बर्मा मतबूअःइ सन १८९९ ई०] मजमूअःइ हाज़ा इस तरह पढ़ा जायेगा कि गोया मर्कूमुज़्ज़ैल दफ़ इ मुस्तज़ाद उस में दाख़िल है —

"दफ़ ७५ (अलिफ़)-बिला लिहाज़ किसी मज़मून के जो मजमूअ इ हाज़ा या किसी और इन इनाक्टमेन्ट नाफ़िज़ुल् वक़्त में मुन्दर्ज हो जिस शख़्स पर कोई ऐसा जुर्म साबित होचुका हो जिसकी पादाश में वह मजमूअ इ हाज़ा या किसी और इनाक्टमेन्टकी रू से लाइके सज़ा है वह बजाय या अलावः किसी और सज़ाके जिसका वह मुस्तौजिब होसक्ता है जुर्माने का मुस्तौजिब होगा"

कोहाय चीन में मजमूअ इ हाजा इस तरह पर पढ़ा जायेगा कि गोया उसमें एक दफ़ा मुआसिले दफ़:इ मासबक़ बजुज़ चन्द लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़ात के उसी तरह पर नम्बर दी हुई दाख़िल है—मुलाहज तलब कोहाय चीन का रेगूलेशन सन १८९६ ई० (नम्बर ५ मुसदरःइ सन १८९६ ई० ।)

[1] बाब ४ उन जुर्मों से मुतअल्लिक़ है जिनकी पादाश में तहत दफ़आत १२१ (अलिफ़) ओ १२४ (अलिफ़) ओ २२९ (अलिफ़) ओ २२५ (बे) ओ २९४ (अलिफ़) ३०४ (अलिफ़) सजा मुक़र्रर है—मुलाहज तलब मजमूअःइ क़वानीने ताजीराते हिन्द के तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नम्बर २७ मुसदरःइ सन १८७० ई०) की दफ़ १२ जैसी कि उसकी तर्मीम मन्सूख़ और तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८९१ ई० (नम्बर १२ मुसदर इ सन १८९१ ई०) के जरीये से हुई है [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ६] ।

दर ख़ुसूस तअल्लुक़ पिज़ीर होने बाब ४ निस्बत जरायमे तहते क़वानीने मुल्तस्सुल अगर या मुल्तस्सुल मुकाम के—मुलाहज तलब माक़ब्ल की दफ़ः ४० ।

जज का फ़ेल जब कि वह अदालत का काम कर रहा हो।

दफ़ः ७७–कोई अमर जुर्म नहीं है जो कोई जज अदालत का काम करते हुये उस इख़्तियार के नाफ़िज़ करने की हालत में करे जो इख़्तियार उसको क़ानून की रू से हासिल है या जिसको वह नेक नीयती से बावर करे कि वह इख़्तियार उसको क़ानून की रू से हासिल है।

फ़ेल जो कोर्ट की तजवीज़ या हुक्म के मुताबिक़ किया जाय।

दफ़ः ७८–कोई अमर जुर्म नहीं है जो किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस की तजवीज़ या हुक्म के मुताबिक़ किया जाय या जिसके करने की इजाज़त उस तजवीज़ या हुक्म से मुस्तम्बत होती हो बशर्ते कि अमरे मज़कूर उस अर्से के अन्दर किया जाय जब कि वह तजवीज़ या हुक्म नाफ़िज़ रहे गो उस कोर्ट आफ़ जस्टिस को ऐसी तजवीज़ या हुक्म सादिर करने का इख़्तियार न हो मगर शर्त यह है कि फ़ायल नेक नीयती से बावर करता हो कि कोर्ट आफ़ जस्टिस को उस क़िस्म का इख़्तियार हासिल है।

फ़ेल जो किसी ऐसे शख़्स से सर्ज़द हो जो क़ानून की रू से उसके करने का मुजाज़ है या जिसने अमरे वक़ूई की ग़लत फ़हमी से अपने तईं क़ानूनन उसके करने का मुजाज़ बावर कर लिया हो।

दफ़ः ७९–कोई अमर जुर्म नहीं है जिस को कोई ऐसा शख़्स करे जिसको उसका करना क़ानूनन जायज़ है या वह शख़्स करे जो बसबब किसी अमरे वक़ूई की ग़लत फ़हमी के न बसबब क़ानून की ग़लत फ़हमी के नेक नीयती से अपने तईं उस अमर के करने का क़ानून मुजाज़ बावर करता है।

तमसील।

अगर ज़ैद बकर को ऐसा फ़ेल करते देखे जो ज़ैद के नज़दीक क़त्ले अमद मालूम हो और ज़ैद अपनी अक़्ल को हत्तुल मक़दूर नेक नीयती से काम में लाकर उस इख़्तियार के नाफ़िज़ करने में जो क़ानूनन सब लोगों को हासिल है कि क़त्ल करते हुये क़ातिलों को गिरफ़्तार करें बकर को इस लिये गिरफ़्तार करे कि उसको हाकिम ज़ीइख़्तियार के सामने लावे तो इस सूरत में ज़ैद जुर्म का मुर्तकिब न हुआ गो यह बात मुनकशिफ़ हो जाय कि बकर यह फ़ेल अपनी हिफ़ाज़त के वास्ते कर रहा था।

दफ़ः ८०–कोई अमर जुर्म नहीं है जो इत्तिफ़ाक़ या शामत से और बग़ैर किसी मुजरिमानः नीयत या इल्म के किसी फ़ेल जायज़ के करने में सादिर हो और वह जायज़ तरीक़ और जायज़ वसीलों से मुनासिब एहतियात और होशियारी के साथ किया जाय।

(बाब ४—मुस्तस्नीयाते आम्म के बयान में—दफ़ः ८१ ।)

तमसील ।

अगर ज़ैद कुल्हाड़ी से काम करता हो और फल निकलकर किसी शख़्स के जा लगे जो क़रीब खड़ा हो और वह हलाक होजाय तो इस सूरत में ज़ैद का यह फ़ेल दरगुज़र के क़ाबिल है जुर्म नहीं बशर्तेकि ज़ैद की तरफ़ से मुनासिब हुशियारी में कुछ क़ुसूर न हुआ हो।

फल जिसमे गज़न्द पहुँचने का इहतिमाल है लेकिन किसी नीयते मुजरिमान. के बगैर और दूसरा गज़न्द रोकने के लिये किया जाय।

दफ़ः ८१—कोई अमर सिर्फ़ इस वजह से जुर्म न होगा कि फ़ाइल यह जानकर करे कि उससे किसी गज़न्द के पैदा होने का इहतिमाल है बशर्ते कि उस अमर के इर्तिकाब से गज़न्द पहुंचाने की कोई मुजरिमानः नीयत न हो और इस शर्त से भी कि नेक नीयती से किसी दूसरे बदनी या माली गज़न्द के रोकने या बचाने के वास्ते उस अमर का इर्तिकाब हो।

तशरीह—ऐसी सूरत में यह अमर तनक़ीह तलब होगा कि आया वह गज़न्द जिसका रोकना या बचाना मक़सूद था इस क़िस्म का और इस क़दर क़रीबुल्वक़ू था कि ऐसे फ़ेल के इर्तिकाब से ख़तरे का पैदा करना जवाज़ या दर गुज़र के क़ाबिल हो सक्ता है दर हालेकि मुर्तकिब जानता था कि उस फ़ेल के इर्तिकाब से गज़न्द पैदा होने का इहतिमाल है।

तमसीलें ।

(अलिफ़) अगर ज़ैद किसी दुख़ानी जहाज़ का नाख़ुदा एकाएक मालूम करे कि मैं बिला क़ुसूर अपनी ख़ता या गफलत के ऐसे मुक़ाम में आपहुचा हू कि क़ब्ल इसके कि जहाज़ रुक सके वह (बे) किश्ती को जिसपर बीस तीस मुसाफिर सवार हैं टकराकर ज़ुरूर तबाह कर डालेगा और रुख फेरता हू तो दूसरी किश्ती (जीम) के टकराकर तबाह करने का ख़तर है जिसमें सिर्फ दो आदमी सवार हैं और मुमकिन है कि जहाज़ उस किश्ती से बचकर निकल जाय तो इस सूरत में अगर ज़ैद रुख़ फेरे और उसकी यह नीयत नहो कि (जीम) किश्ती को तबाह करे बल्कि नेक नीयती से यह गरज़ हो कि (बे) किश्ती के मुसाफ़िरों को मुख़ातिरे से बचाये तो ज़ैद किसी जुर्म का मुजरिम नहीं है गो वह (जीम) किश्ती को ऐसे फ़ेल के करने से तबाह करे जिससे उसके इल्म मे उस नतीजे के पैदा होने का इहतिमाल था बशर्ते कि यह अमर साबित हो कि वाक़े में वह ख़तर· जिससे बचाना उसकी नीयत में था ऐसा था कि उसके बाइस से (जीम) किश्ती को तबाही के ख़तरे में डालना दर गुज़र के क़ाबिल हुआ।

(बे) अगर बड़े ज़ोर से आग लगी हो और ज़ैद इस गरज़ से मकानों को मिस्मार

जज का फ़ेल जब कि वह अदालत का काम कर रहा हो।

दफ़ः ७७–कोई अमर जुर्म नहीं है जो कोई जज अदालत का काम करते हुये उस इख़्तियार के नाफ़िज करने की हालत में करे जो इख़्तियार उसको कानून की रु से हासिल है या जिसको वह नेक नीयती से बावर करे कि वह इख़्तियार उसको कानून की रु से हासिल है।

फ़ेल जो कोर्ट की तजवीज़ या हुक्म के मुताबिक़ किया जाए।

दफ़ः ७८–कोई अमर जुर्म नहीं है जो किसी कोर्ट आफ जस्टिस की तजवीज़ या हुक्म के मुताबिक़ किया जाय या जिसके करने की इजाजत उस तजवीज़ या हुक्म से मुस्तम्बत होती हो बशर्ते कि अमरे मज़कूर उस अर्से के अन्दर किया जाय जब कि वह तजवीज या हुक्म नाफ़िज रहे गो उस कोर्ट आफ जस्टिस को ऐसी तजवीज या हुक्म सादिर करने का इख़्तियार न हो मगर शर्त यह है कि फ़ायल नेक नीयती से बावर करता हो कि कोर्ट आफ जस्टिस को उस क़िस्म का इख़्तियार हासिल है।

फ़ेल जो किसी ऐसे शख़्स से सर्ज़द हो जो क़ानून की रु से उस के करने का मुजाज़ है या जिसने अमरे वाक़ई की ग़लत फ़हमी से अपने तई क़ानूनन् उसके करने का मुजाज़ बावर कर लिया हो।

दफ़ः ७९–कोई अमर जुर्म नहीं है जिस को कोई ऐसा शख़्स करे जिसको उसका करना क़ानूनन् जायज है या वह शख़्स करे जो बसबब किसी अमरे वक़ूई की ग़लत फ़हमी के न बसबब क़ानून की ग़लत फ़हमी के नेक नीयती से अपने तई उस अमर के करने का क़ानून मुजाज बावर करता है।

में उस फ़ेल का इर्तिकाब करे उसी तरह अमल किया जायगा कि गोया उसको वही इल्म था जो उसको नशा न होने की हालत में होता बजुज़ इसके कि वह शै जिससे उसको नशा हुआ उस शख़्स के इल्म या ख़िलाफ़े मर्ज़ी उसको दीगई हो ।

दफ़ः ८७[1]—जिस अम्र के इर्तिकाब से हलाकत या ज़रेर शदीद मक़सूद न हो और जिसके मुर्तकिब को यह इल्म न हो कि उस अमर से हलाकत या ज़रेर शदीद का इहतिमाल है वह अमर किसी ऐसे गज़न्द की वजह से जुर्म न होगा जो अमरे मज़कूर से अठारह बरस से जियादः उमर के किसी शख़्स को पहुंच जाय या जिसका ऐसी उमर के किसी शख़्स को पहुंचाना मुर्तकिब की नीयत में हो दर हाले कि उस शख़्स ने गज़न्द उठाने में लफ़्ज़न ख़्वाह मानन् अपनी रिज़ामन्दी ज़ाहिर की हो और न ऐसे गज़न्द की वजह से वह अमर जुर्म होगा जिसके पहुंच जाने का इहतिमाल ऐसी उमर के किसी शख़्स को मुर्तकिब के इल्म में हो दर हाले कि वह शख़्स उस गज़न्द का ख़तरः उठाने पर राज़ी हुआ हो ।

फ़ेल जिससे हलाकत या ज़रेर शदीद मक़सूद न हो और न उसके इहतिमाल का इल्म हो और न रिज़ामन्दी किया गया हो।

तफ़सील ।

अगर ज़ैद और बक़र तफ़रीहन बाहम लकड़ी फेंकने पर मुत्तफ़िक़ हों तो इस इत्तिफ़ाक़ से उस गज़न्द के उठाने के लिये जो लकड़ी फेंकने में बे इर्तिकाबे बदमाशिलिगी वाक़े होसक्ता है दोनों की रिज़ामन्दी समझीजाती है पस अगर ज़ैद बे इर्तिकाबे बदमाशिलिगी लकड़ी फेंकने में बक़र को ज़रर पहुचाये तो ज़ैद किसी जुर्म का मुर्तकिब न होगा ।

दफ़ः ८८[1]—कोई अमर जिसके इर्तिकाब से हलाकत मक़सूद न हो किसी ऐसे गज़न्द की वजह से जुर्म नहीं है जो अमरे मज़कूर से ऐसे शख़्स को पहुंचे या ऐसे शख़्स को जिसका पहुंचाना मुर्तकिब की नीयत में हो या ऐसे शख़्स को जिसके पहुंचने का इहतिमाल मुर्तकिब के इल्म में हो जिसके फ़ायदे[2] के लिये नेक नीयती से अमरे

फ़ेल जिससे हलाकत मक़सूद न हो और ब रिज़ामन्दी नेक नीयती से किसी शख़्स के फ़ायदे के लिये किया गया हो ।

---

१ दरबारः इस्तिस्ना मुतअल्लिक़े दफ़आत ८७ ओ ८८ ओ ८९ के मुलाहज़ः तलब मावाद की दफ़ः ९१ ।

२ फ़ायदः जो ज़र से मुतअल्लिक़ है वह "फ़ायदः" नहीं है जो दफ़ाः इजामें मक़सूद है मुलाहज़ः तलब मावाद की दफ़ः ९२ की तशरीह ।

मज़कूर किया जाय और जिसने उस ग़ज़न्द या ग़ज़न्द मज़कूर के ख़तरे के उठाने के लिये अपनी रिज़ामन्दी लफ़्ज़न् या मानन् ज़ाहिर की हो।

तमसील।

ज़ैद कि जर्राह है यह बात जानकर कि अगर बक्र पर जो एक मर्ज़ सख़्त में मुबतिला है ख़ास अमल जर्राही किया जाय तो बकर के हलाक होजाने का इहतिमाल है और ज़ैद बकर की हलाकत की नीयत न करके बल्कि नेक नीयती से उस के फायदे का क़सद करके बक्र पर उसकी रिज़ामन्दी से वह अमले जर्राही करे तो ज़ैद किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं हुआ।

फ़ल जो नेक नीयती से किसी तिफ़्ल या किसी फ़ातिरुल अक्ल के फायदे के लिये वली से या वली की रिज़ामन्दी से सर्ज़द हो। इबारत।

दफ़ः ८९[1]—जो अमर नेक नीयती से किसी शख़्स के फायदे[2] के लिये जिसकी उमर बारह बरस से कम हो या जिसकी अक़्ल में फ़तूर हो उसका वली या वह शख़्स जिसकी हिफाज़ते जायज़ में शख़्स मज़कूर है करे या उस वली या मुहाफिज़ की इजाज़त से वह अमर किया जाय ख़ाह वह इजाज़त लफ़्ज़न् हो ख़ाह मानन् तो उस ग़ज़न्द के सबब से जो उस अमर से उस शख़्स को पहुंचे या जिसका पहुंचाना फ़ाइल की नीयत में हो या उसके इल्म में हो कि उस अमर के इर्तिकाब से ग़ज़न्द पहुंचने का इहतिमाल है अमरे मज़कूर इन नीचे लिखी हुई शर्तों के साथ जुर्म नहीं है कि—

पहिली—यह मुस्तस्ना क़स्दन् हलाक़ कराने या हलाक कराने के इक़दाम पर मुहीत न होगा।

दूसरी—यह मुस्तस्ना किसी ऐसे फ़ेल के इर्तिकाब पर मुहीत न होगा जिससे हलाकत का एहतिमाल मुर्तकिब के इल्म में हो और जो किसी दूसरी ग़रज़ से किया जाय बजुज़ उस ग़रज़ के कि उससे हलाकत या ज़रर शदीद की रोक हो या उस से किसी मर्ज़ या नक़्से शदीद का इलाज हो।

तीसरी—यह मुस्तस्ना बिल इरादः ज़रर शदीद पहुंचाने पर या ज़रर शदीद पहुंचाने के इक़दाम पर मुहीत न होगा बजुज़ उस के

[1] [illegible]

[2] [illegible]

कि वह फ़ेल हलाकत या जरर्रे शदीद को रोक या किसी मर्ज़ या नक़्से शदीद के इलाज की ग़रज से किया जाय ।

चौथी—यह मुस्तस्ना जिस जुर्म के इर्तिकाब पर मुहीत नहीं है उसके इर्तिकाब की इआनत पर भी मुहीत न होगा ।

तमसील ।

अगर ज़ैद नेक नीयती से अपने तिफ़्ल के फ़ायदे के लिये उस तिफ़्ल की बिला रिज़ामन्दी पथरी निकलवाने के लिये जर्राह से उस पर अमले जर्राही कराये इस इल्म से कि उस जर्राही के अमल में तिफ़्ल की हलाकत का इहतिमाल है मगर यह नीयत न करके कि वह फ़ेल उस तिफ़्ल की हलाकत का बाइस हो तो ज़ैद इस मुस्तस्ना में दाख़िल है क्योंकि तिफ़्ल की सिहत ज़ैद का मतलब था ।

दफ़ः ९०—जो रिज़ामन्दी किसी शख़्स ने ख़ौफ़ नुक़सान या किसी अमरे वक़ूई की ग़लत फ़हमी की हालत में ज़ाहिर की हो और उस फ़ेल का मुर्तकिब यह जानता हो या बावर करने की वजह रखता हो कि वह रिज़ामन्दी उस ख़ौफ़ या ग़लत फ़हमी के सबब से ज़ाहिर की गई है तो वह रिज़ामन्दी ऐसी रिज़ामन्दी नहीं है जैसी इस मजमूए की किसी दफ़ः में मक़सूद है—और

रिज़ामन्दी ख़ौफ़ या ग़लत फ़हमी की हालत में जिसके दिये जाने का इल्म हो ।

न उस शख़्स की रिज़ामन्दी जो फ़ुतूरे अक़्ल या नशा के सबब से उस अमर की माहीयत और उसका नतीजः नहीं समझ सक्ता जिसकी निस्बत वह अपनी रिज़ामन्दी ज़ाहिर करता है—और

फ़ातिरुल अक़्ल की रिज़ामन्दी ।

न उस शख़्स की रिज़ामन्दी (दरहालेकि क़रीने से ख़िलाफ़ मुराद न पाई जाय) जिसकी उमर बारह बरस से कम हो ।

तिफ़्ल की रिज़ामन्दी ।

दफ़ः ९१—जो मुस्तस्नीयात ८७ औ ८८ औ ८९ दफ़ाओं में लिखे गये हैं वह उन अफ़आल पर मुहीत नहीं हैं जो बिनफ़्सिहः जुर्म हैं बिला लिहाज किसी गज़न्द के जो उन से शख़्से मुज़हिरे रिज़ामन्दी को या उस शख़्स को जिसकी जानिब से रिज़ामन्दी ज़ाहिर कीजाये पहुंचे या जिस गज़न्द का शख़्स मज़कूर को पहुंचना नीयत में हो या जिस गज़न्द के उन अफ़आल से शख़्से मज़कूर को पहुंचने का एहतिमाल इल्म में हो ।

इख़राज उन अफ़आल का जो बिला लिहाज उस गज़न्द के जो पहुंचाया गया जुर्म है ।

तमसील ।

इसक़ाते हमल कराना बवुज़ इसके कि नेक नीयती से औरत की जान बचाने के लिये किया जाये बिलाइस्तिस्ना एक जुर्म है बिला लिहाज़ किसी गज़न्द के जो उससे औरते मज़-कूर को पहुँचे या जिस गज़न्द के उस औरत को पहुचाने की नीयत हो—इस लिये यह फ़ेल "उस गज़न्द की वजह से" जुर्म नहीं है और ऐसे इसकाते हमल कराने की निस्बत औरत या उसके वली की रिज़ामन्दी फेल मज़कूर को जायज़ नहीं करती ।

फेल जो नेकनीयती से किसी शख़्स के फायदे के लिये बेरिज़ा-मन्दी किया गया है ।

दफ़ः ९२—कोई अमर किसी गजन्द की वजः से जुर्म नहीं है जो उस अमर से किसी ऐसे शख़्सको पहुंचे जिसके फ़ायदे[१] के लिये नेक नीयती से गो उस शख़्स की बिला रिजामन्दी हो वह अमर किया जाये उस हाल में जबकि उस शख़्स को अपनी रिज़ामन्दी ज़ाहिर करनी ग़ैरमुमकिन हो या उस शख़्स को अपनी रिज़ामन्दी ज़ाहिर करने की इस्तिअदाद न हो और न उसका वली या कोई और शख़्स जिसकी हिफाजते जायज में वह है मौजूद हो जिस से इतने अर्से में रिजामन्दी हासिल करनी मुमकिन हो कि उस अमर के इर्तिकाब से फायदा निकले मगर यह शर्त है कि—

शरायत ।

पहिली—यह मुस्तस्ना क़सदन् हलाक कराने या हलाक कराने के इक़दाम पर मुहीत न होगा ।

दूसरी—यह मुस्तस्ना किसी ऐसे फेल के इर्तिकाब पर मुहीत न होगा जिस से हलाकत का इहतिमाल मुर्तकिब के इल्म में हो और जो किसी दूसरी गरज से किया जाये बजुज इस गरज के कि उस से हलाकत या जररे शदीद की रोक हो या उस से किसी मर्ज़ या नक़्से शदीद का इलाज हो ।

तीसरी—यह मुस्तस्ना बिल इरादः जररः पहुंचाने पर या जरर पहुंचने के इकदाम पर मुहीत न होगा जो किसी और गरज़ से पहुंचाया जाये बजुज इसके कि उस से हलाकत या जरर की रोक हो ।

चौथी—यह मुस्तस्ना जिस जुर्म के इर्तिकाब पर मुहीत नहीं है उस के इर्तिकाब की इआनत पर भी मुहीत न होगा ।

तमसीलें ।

(अलिफ़) अगर ज़ैद घोड़े से गिरकर बेहोश होजाय और बक्र जो जर्राह है मालूम हो कि ज़ैद की खोपड़ी में सूराख़ करना ज़रूरी है और ज़ैद की हलाकत की नीयत न करके बल्कि नेक नीयती से उसके फ़ायदे के लिये क़ब्ल इस के कि ज़ैद को अपने नेक ओ बद के समझने की ताक़त हासिल हो ज़ैद की खोपड़ी में सूराख़ करे तो बक्र किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं है ।

(बे) अगर ज़ैद को शेर उठा लेजाये और बक्र इस इल्म के साथ कि बन्दूक़ चलाने से ज़ैद की हलाकत का एहतिमाल है लेकिन उसकी हलाकत की नीयत न करके बल्कि नेक नीयती से उसके फ़ायदे के क़स्द से शेर पर बन्दूक़ चलाये और बक्र की गोली से ज़ैद के ज़ख़्मे मुहलिक लगे तो बक्र किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं है ।

(जीम) अगर ज़ैद कि जर्राह है किसी तिफ़्ल को ऐसा हादिसा पेश आते देखे जिसके मुहलिक होने का एहतिमाल है इल्ला उस सूरत में कि उस पर फ़ौरन् जर्राही का अमल किया जाये और तिफ़्ल के वली से इजाज़त तलब करने की फ़ुर्सत न हो मगर ज़ैद जिस को नेकनीयती से तिफ़्ल का फ़ायदः मक़सूद है बावजूद उसके रोने पीटने के जर्राही का अमल करे तो ज़ैद किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं है ।

(दाल) अगर ज़ैद बक्र एक तिफ़्ल के साथ एक घर में हो जिस में आग लगी है और कुछ लोग नीचे कम्मल ताने खड़े हों और ज़ैद यह जान कर कि तिफ़्ल के नीचे फेंकने में उसकी हलाकत का एहतिमाल है मगर उसकी हलाकत की नीयत न करके बल्कि नेक नीयती से उसके फ़ायदे का क़स्द करके उसको छत से नीचे डालदे तो अगर तिफ़्ल गिरने से मर भी जाय ताहम ज़ैद किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं है ।

तशरीह—फ़ायदः जो महज़ ज़र से मुतअल्लिक़ है वह फ़ायदः नहीं है जो ८८ और ८९ और ९२ दफ़ाओं में मक़सूद है ।

एअलाम जो नेक नीयती से किया गया है ।

दफ़ः ९३—कोई एअलाम जो नेक नीयती से किसी शख़्स को किया जाय किसी ऐसे गज़न्द की वजह से जुर्म नहीं है जो शख़्स मज़कूर को पहुंचे बशर्ते कि उस शख़्स के फ़ायदे के लिये वह एअलाम किया जाय ।

(बाब ४—मुस्तस्नीयाते आम्मः के बयान में—दफ़ात ७४—९९।)

तमसीलें।

अगर ज़ैद कि जर्राह है किसी मरीज़ को एअलाम करे कि मेरी रायमें तुम नहीं जीसक्ते और वह मरीज़ उस एअलाम के सदमे से मर जाय तो जैद गो उसको यह इल्म था कि ऐसे एअलाम से मरीज़ की हलाकत का इहतिमाल है किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं है।

फ़ेल जिसके करने के लिये कोई शख़्स धमकीयों से मजबूर किया गया है।

दफ़ः ९४—क़तले अमद और जरायमे खिलाफे वर्जी वा सर्कार के सिवा जिनकी पादाश में सज़ाय मौत मुकर्रर है कोई अमर जुर्म नहीं है जब कि उसको कोई शख़्स धमकी से मजबूर होकर करे और उस धमकी से इर्तिकाब के वक्त मुर्तकिब को माकूल तरह से यह अन्देशः पैदा होकि उस अमर का न करना उसके फ़ौरन् हलाक किये जाने का बाइस होगा मगर शर्त यह है कि उस अमर के मुर्तकिब ने ख़ुद अपनी रग़बत से या अपने किसी गज़न्द के माकूल अन्देशे से जो फ़ौरन् हलाक किये जाने की निस्बत कमहो अपने तई ऐसी हालत में न डाला हो जिसके सबब से वह ऐसी मजबूरी में मुब्तिलः हुआ।

तशरीह १—अगर कोई शख़्स अपनी रग़बत या मार पीट की धमकी से डाकुओं के किसी गुरोह का बाबस्फ जानने उन के चाल चलन के शरीक होजाय तो शख़्से मज़कूर इस वजह से कि उसके साथियों ने उससे कोई फेल जो क़ानूनन् जुर्म है बजब्र कराया इस मुस्तस्ना से मुस्तफ़ीद होने का मुस्तहक़ नहीं है।

तशरीह २—अगर डाकुओं का कोई गुरोह किसी शख़्स को पकड़ ले और वह शख़्स फ़ौरन् हलाक किये जाने की धमकी से किसी फेल के करने पर जो क़ानूनन् जुर्म है मजबूर हो मसलन् कोई लुहार अपने औज़ार लेजाने और किसी मकान का दरवाज़ः तोड़ डालने के लिये मजबूर किया जाय ताकि डाकू अन्दर घुसकर लूटें तो वह शख़्स इस मुस्तस्ना से मुस्तफ़ीद होने का मुस्तहक़ है।

[illegible]

दफ़ः ९५—कोई अमर इस वजह से जुर्म नहीं है कि उससे कोई गज़न्द पहुंचे या उससे किसी गज़न्द का पहुंचाना मक़सूद है या इल्म में है कि उससे किसी गज़न्द के पहुंचाने का इहतिमाल है बशर्ते कि

(बाब ४--मुस्तसनीयाते आमः के बयान में--दफ़आत ७६--९६ ।)

वह मजन्द ऐसा ख़फ़ीफ़ हो कि मुतवस्सित फ़हम ओ मिज़ाज का आदमी उस मजन्द का शाकी न हो ।

इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाज़ते ख़ुद इख़्तियारी के बयान में ।

दफ़ः ९६—कोई अमर जुर्म नहीं है जो इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाज़ते ख़ुद इख़्तियारी के नाफ़िज़ करने में किया जाय ।

यह उमूर जो हिफ़ाज़त ख़ुद इख़्तियारी में किये जावें ।

दफ़ः ९७—उन क़यूद की शर्त से जो दफ़ः ९९ में लिखी हैं हर एक शख़्स को यह इस्तिहक़ाक़ हासिल है कि वह हिफ़ाज़त करे—

इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाज़ते ख़ुद इख़्तियारीये जिस्म ओ माल ।

पहले—अपने और किसी दूसरे शख़्स के जिस्म की किसी ऐसे जुर्म के दफ़ीयः में जो इन्सान के जिस्म पर मुवस्सर हो ।

दूसरे—अपने या किसी और शख़्स के माल की ख़ाह मन्क़ूलः हो ख़ाह ग़ैर मन्क़ूलः किसी फ़ेल के दफ़ीयः में जो ऐसा जुर्म है कि सर्क़ः या सर्क़ःइ बिलजब्र या नुक़्सान रसानी या मुदाख़लते बेजा मुजरिमानः की तारीफ़ में दाख़िल हो या जो सर्क़ः या सर्क़ःइ बिलजब्र या नुक़्सान रसानी या मुदाख़लते बेजा मुजरिमानः का इक़दाम हो ।

दफ़ः ९८—जबकि कोई फ़ेल मुर्तकिब की कम उमरी या समझ पुख़्तः न होने या फ़ुतूरे अक़्ल या नशे में होने के सबब से या उसकी ग़लत फ़हमी की जिहत से जुर्म न हो वर्नः और हालत में जुर्म होता तो हर शख़्स को उस फ़ेल के दफ़ीयः में वही इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाज़ते ख़ुद इख़्तियारी हासिल है जो उस हाल में होता जबकि वह फ़ेल जुर्म होता ।

फ़ातिरुल अक़्ल वग़ैर के दफ़ीय में इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाज़ते ख़ुद इख़्तियारी ।

तमसीलें ।

(अलिफ़) अगर ज़ैद जुनून के ग़लबे में बक्र के हलाक करने का इक़दाम करे तो ज़ैद किसी जुर्म का मुजरिम नहीं है लेकिन बक्र को वही इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाज़ते ख़ुद इख़्तियारी हासिल है जो उस हाल में होता जबकि ज़ैद सहीहुल अक़्ल होता ।

(बे) अगर ज़ैद रात के वक़्त किसी घर में जाय जिसमें जाने का वह क़ानूनन मुजाज़ है और बक्र नेकनीयती से ज़ैद को नक़बज़न जानकर ज़ैद पर हमलः करे तो बक्र इस ग़लत फ़हमी से ज़ैद पर हमलः करने में किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं है मगर ज़ैद को बक्र के दफ़ीय में

(बाब ४—मुस्तस्नायाते श्राम्मः के बयान में—दफ़ः ९९।)

वहां इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाज़ते खुद इख़्तियारी हासिल है जो उस हाल में होता जब कि वह ऐसी गलत फ़हमी से अमल न करता।

अफ़आल जिन के दफ़ीयः में इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाज़ते खुद इख़्तियारी नहीं है।

दफ़ः ९९—जिस फ़ेल से हलाकत या ज़ररे शदीद पहुंचने का अन्देशः माक़ूल वजह से न हो उस फेल के दफ़ीयःमें कोई इस्तिहक़ाके हिफ़ाजते खुद इख़्तियारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फेल का इर्तिकाब या इक़दाम किसी सर्कारी मुलाज़िम की जानिब से नेक नीयते से बएतबार उसके उहदे के ज़ुहूर में आये गो वह फेल क़ानून की रूसे दर असल जायज न हो।

जिस फेलसे हलाकत या जररे शदीद पहुंचने का अन्देशः माक़ूल वजह से न हो उस फेल के दफीयः में कोई इस्तिहकाके हिफाज़ते खुद इख़्तियारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फेल का इर्तिकाब या इक़दाम किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम की हिदायत से ज़ुहूर में आये जो नेक नीयती से अपने उहदे के एतिबार से अमल करता हो गो वह हिदायत कानून की रु से दर असल जायज न हो।

ऐसी हालतों में भी कोई इस्तिहक़ाके हिफाजते खुद इख़्तियारी नहीं है जबकि हुक्काम से इस्तिम्दाद की मुहलत हासिल हो।

हद्दे हिफाज़ते इस्तिहक़ाक़ मक़दूर।

इस्तिहकाक़े हिफाजते खुद इख़्तियारी किसी हालत में उससे ज़ियादः गज़न्द पहुंचाने पर मुहीत नहीं है जिसका पहुंचाना हिफाजत के लिये जरूरी है।

तशरीह १—जिस फेल का इर्तिकाब या इक़दाम किसी सर्कारी मुलाज़िम की जानिब से बएतिबार उसके उहदे के ज़ुहूर में आये तो उस फेल के दफीयः में किसी शख़्सका इस्तिहकाके हिफाजते खुद इख़्तियारी साकत नहीं होता सिवा इसके कि वह शख़्स जानता हो या बावर करने की वजह रखता हो कि मुर्तकिब वैसाही सर्कारी मुलाज़िम है।

तशरीह २—जिस फेल का इर्तिकाब या इक़दाम किसी सर्कारी मुलाज़िमकी हिदायत से ज़ुहूर में आये तो उस फेल के दफीयःमें किसी शख़्स का इस्तिहकाके हिफाजते खुद इख़्तियारी साकत नहीं होता

सिवाय इसके कि वह शख़्स जानता हो या बावर करने की वजह रखता हो कि मुर्तकिब ऐसी हिदायतसे अमल करता है या यह कि मुर्तकिब उस हाकिम के उहदे को बता दे जिसके हुक्मसे वह अमल करता है या यह कि अगर मुर्तकिब के पास हुक्म तहरीरी मौजूद हो तो मुतालिबे की सूरत में उस हुक्म तहरीरी को दिखला दे।

दफ़ः १००—उन क़यूद की रिआयत से जो दफ़ःइ अखीरे मर्कूमःइ बाला में बयान की गई हैं इस्तिहक़ाक़े हिफाज़ते खुद इख़्तियारी ये जिस्म हम्लः करने वाले को बिलइरादः हलाक करने या कोई और गज़न्द पहुंचाने पर मुहीत है अगर वह जुर्म जो उस इस्तिहक़ाक़े निफाज का बाइस हो नीचे लिखी हुई क़िस्मों में से किसी क़िस्म में दाख़िल हो—यानेः—

जिस हालत में इस्तिहक़ाक़े हिफाजते खुद इख़्तियारीये जिस्म हलाक करने पर मुहीत है।

पहली—हम्लः ऐसा हो कि उसमें इस बात का अन्देशः माकूल वजह से हो कि अगर उस हम्ले से हिफ़ाज़त न कीजाय तो हलाकत उसका नतीजः होगा।

दूसरी—हम्लः ऐसा हो कि उसमें इस बात का अन्देशः माकूल वजह से हो अगर उस हमले से हिफाज़त न कीजाय तो ज़ररे शदीद उसका नतीजः होगा।

तीसरी—वह हम्लः कि ज़िना बजब्र के इर्तिकाब के क़स्द से किया जाय।

चौथी—वह हम्लः कि इस्तिहसाले हज्जे खिलाफे वजह फ़ितूरी के क़स्द से किया जाय।

पांचवीं—वह हम्लः कि भा

के क़स्द से किया जाय।

छठी—वह हम्लः कि

के क़स्द से ऐसी हालतों

इस बात का अन्देशः।

रिहाई के बाब में हुक्काम

(बाब ४—मुस्तसनीयाते आमः के बयान में—दफः ९९ ।)

वही इस्तिहक़ाक़े हिफाजते खुद इख़्तियारी हासिल है जो उस हाल में होता जब कि वह ऐसी ग़लत फहमी से अमल न करता ।

अफ़आल जिन के दफीय: में इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाज़ते खुद इख़्तियारी नहीं है ।

दफ़: ९९—जिस फ़ेल से हलाकत या ज़रर शदीद पहुंचने का अन्देशः माकूल वजह से न हो उस फेल के दफीयःमें कोई इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाजते खुद इख़्तियारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फेल का इर्तिकाब या इक़दाम किसी सर्कारी मुलाज़िम की जानिब से नेक नीयते से बएतबार उसके उहदे के जुहूर में आये गो वह फ़ेल क़ानून की रूसे दर असल जायज़ न हो ।

जिस फेलसे हलाकत या ज़रर शदीद पहुंचने का अन्देशः माकूल वजह से न हो उस फेल के दफीयः में कोई इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाज़ते खुद इख़्तियारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फेल का इर्तिकाब या इक़दाम किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम की हिदायत से जुहूर में आये जो नेक नीयती से अपने उहदे के एतिबार से अमल करता हो गो वह हिदायत क़ानून की रु से दर असल जायज न हो ।

ऐसी हालतों में भी कोई इस्तिहक़ाक़े हिफाजते खुद इख़्तियारी नहीं है जबकि हुक्काम से इस्तिमदाद की मुहलत हासिल हो ।

हद्दे हिफ़ाज़ते इस्तहक़ाक़ जरूर ।

इस्तहक़ाक़े हिफाजते खुद इख़्तियारी किसी हालत में उससे ज़ियादः गज़न्द पहुंचाने पर मुहीत नहीं है जिसका पहुंचाना हिफ़ाजत के लिये जरूरी है ।

तशरीह १—जिस फेल का इर्तिकाब या इक़दाम किसी सर्कारी मुलाजिम की जानिब से बएतिबार उसके उहदे के जुहूर में आये तो उस फेल के दफीयः में किसी शख़्सका इस्तिहक़ाक़े हिफाजते खुद इख़्तियारी साक़ित नहीं होता सिवा इसके कि वह शख़्स जानता हो या बावर करने की वजह रखता हो कि मुर्तकिब वैसाही सर्कारी मुलाजिम है ।

तशरीह २—जिस फेल का इर्तिकाब या इक़दाम किसी सर्कारी मुलाजिमकी हिदायत से जुहूर में आये तो उस फेल के दफीयःमें किसी शख़्स का इस्तिहक़ाक़े हिफाजते खुद इख़्तियारी साक़ित नहीं होता

सिवाय इसके कि वह शख़्स जानता हो या बावर करने की वजह रखता हो कि मुर्तकिब ऐसी हिदायतसे अमल करता है या यह कि मुर्तकिब उस हाकिम के उहदे को बता दे जिसके हुक्मसे वह अमल करता है या यह कि अगर मुर्तकिब के पास हुक्म तहरीरी मौजूद हो तो मुतालिबे की सूरत में उस हुक्म तहरीरी को दिखला दे।

दफ़ः १००—उन क़यूद की रिआयत से जो दफ़ःइ अखीरे मज़्कूरः इ बाला में बयान की गई हैं इस्तिहक़ाके हिफ़ाज़ते खुद इख़्तियारी ये जिस्म हम्लः करने वाले को बिलइरादः हलाक करने या कोई और गज़न्द पहुंचाने पर मुहीत है अगर वह जुर्म जो उस इस्तिहक़ाके निफ़ाज़ का बाइस हो नीचे लिखी हुई क़िस्मों में से किसी क़िस्म में दाखिल हो—यानेः—

जिस हालत में इस्तिहक़ाके हिफाजते खुद इख़्तियारीये जिस्म हलाक करने पर मुहीत है।

पहली—हम्लः ऐसा हो कि उसमें इस बात का अन्देशः माकूल वजह से हो कि अगर उस हम्ले से हिफ़ाज़त न कीजाय तो हलाकत उसका नतीजः होगा।

दूसरी—हम्लः ऐसा हो कि उसमें इस बात का अन्देशः माकूल वजह से हो अगर उस हमले से हिफाज़त न कीजाय तो ज़ररे शदीद उसका नतीजः होगा।

तीसरी—वह हम्लः कि ज़िना बजब्र के इर्तिकाब के क़स्द से किया जाय।

चौथी—वह हम्लः कि इस्तिहसाले हव्जे खिलाफ़े वजह फ़ितूरी के क़स्द से किया जाय।

पांचवीं—वह हम्लः कि इन्सान के ले भागने या भगा लेजाने के क़स्द से किया जाय।

छठी—वह हम्लः कि किसी शख़्स को बेजा तौर पर हब्स करने के क़स्द से ऐसी हालतों में किया जाय जिन से शख़्से मज़कूर को इस बात का अन्देशः माकूल वजह से पैदा हो कि उस को अपनी रिहाई के बाब में हुक्काम से इस्तमदाद करना गैर मुमकिन है।

पहले—किसी शख़्स को उस अमर के करने की तर्ग़ीब दे—या

दूसरे—उस अमर के करने के लिये मशवरे में एक या चन्द शख़्स से क़रारदाद करे बशर्ते कि उस मशवरे के मुताबिक़ अमल करने से और उस अमर के करने की गरज़ से कोई फेल या तर्क खिलाफे क़ानून वाक़े हो—या

तीसरे—बज़रिये किसी फ़ेल या तर्क खिलाफे क़ानून के उस अमर के करने में क़स्दन् मदद करे ।

तशरीह १—किसी फेल के करने की तर्ग़ीब देना उस शख़्स की निस्बत कहा जायेगा जो खिलाफ बयानीये बिल अमद से या ऐसे अमर अहम को अमदन् मख़फी रखने से जिसका ज़ाहर करना उस पर वाजिब है बिल इरादः फेले मज़कूर को कराये या उसके कराने की तदबीर करे या कराने या कराने की तदबीर में जिद्दद करे।

तमसील ।

ज़ैद कि सर्कारी उहदःदार है किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस के वारन्ट की रू से ख़ालिद के गिरफ्तार करने का मुजाज़ है और बक्र जिसको इस अमर का इल्म हो और वह यह भी जानता हो कि अमर ख़ालिद नहीं है ज़ैद से अमदन् बयान करे कि अमर ही ख़ालिद है और इस तरह ज़ैद से क़स्दन् अमर को गिरफ़्तार कराये तो इस सूरत में बक्रने तर्ग़ीब के ज़रिये से अमर की गिरफ़्तारी में इआनत की ।

तशरीह २—जो कोई शख़्स किसी फेल के इर्तिकाब के वक़्त या उस से पहले कोई अमर इस गरज़ से करे कि उस फेल का इर्तिकाब सहल होजाय और उस अमर से उसका इर्तिकाब सहल होजाय तो कहा जायेगा कि शख़्से मज़कूर ने उस फेल के इर्तिकाब में मदद की ।

दफ़ः १०८—जो शख़्स किसी जुर्म के इर्तिकाब में या किसी ऐसे फेल के इर्तिकाब में इआनत करे कि अगर मुईन की सी नीयत

फ़ौजदारी सन १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसद्दरः इ सन १८९८ ई०) ज़मीम २ [फ़ेह्‌र हाय खास—जिल्द ६] ।

या इल्मसे उसका इर्तिकाब वह शख़्स करता जो इर्तिकाब जुर्म के क़ाबिल है तो वह फ़ेल जुर्म होता तो शख़्स मज़्कूर ने उस जुर्म में इआनत की।

तशरीह १—फ़ेल के तर्क ख़िलाफ़े क़ानून में इआनत करना जुर्म हो सक्ता है गो ख़ुद मुईन पर इस फ़ेल का करना वाजिब न हो।

तशरीह २—इआनत के जुर्म क़रार दिये जाने के लिये उस फ़ेल का इर्तिकाब ज़रूर नहीं है जिसमें इआनत की गई है और न उस नतीजे का ज़ुहूर जिस पर फ़ेले मज़्कूर का जुर्म क़रार दिया जाना मुनहसर है।

तमसीलें।

(अलिफ़) अगर ज़ैद बक्र को उमर के मार डालने की तहरीक दे और बक्र उस से इन्कार करे तो ज़ैद बक्र के इर्तिकाबे क़त्ले अमद में इआनत करने का मुर्तकिब होगा।

(बे) अगर ज़ैद बक्र को उमर के मार डालने की तहरीक दे और बक्र उस तहरीक के मुताबिक़ उमर को कोई ज़ख़्म भोंक दे और उमर उस ज़ख़्म से शिफ़ा पावे तो ज़ैद बक्र को इर्तिकाबे क़त्ले अमद की तहरीक देने का मुजरिम होगा।

तशरीह ३—ज़रूर नहीं है कि मुआन क़ानून की रूसे जुर्म के इर्तिकाब के क़ाबिल हो या यह कि उसकी नीयत या इल्म में वही फ़साद हो जो मुईन की नीयत या इल्म में है या उसकी नीयत या इल्म में कुछ फ़साद हो।

तमसीलें।

(बाब ५—इआनत के बयान में—दफ़ः १०८ ।)

जुर्म के क़ाबिल नहीं है ताहम ज़ैद उसी तरह सज़ा का मुस्तौजिब है कि गोया ख़ालिद क़ानून की रू से इतिकाबे जुर्म के काबिल है और मुर्तकिब क़तले अमद का हुआ है और इस लिये ज़ैद सज़ाय मौत का मुस्तौजिब है ।

(जीम) ज़ैद बक्र को किसी घर में जो इन्सान की बूद ओ बाश के लिये हो आग लगाने की तर्गीब दे और बक्र अक़्ल में फ़ुतूर होने के सबब से उस फ़ेल की माहीयत न जानसके या यह जान सके कि जो मैं कर रहा हूं वह बेजा या क़ानून के ख़िलाफ़ है और ज़ैद की तर्गीब के बाइस से उस घर में आग लगाये तो बक्र किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं है मगर ज़ैद घर में आग लगाने के जुर्म मे इआनत करने का मुजरिम होगा और उस सज़ा का मुस्तौजिब होगा जो उस जुर्म की पादाश में मुक़र्रर है ।

(दाल) ज़ैद इस नीयत से कि सर्क़े का इतिकाब कराये बक्र को यह तर्गीब दे कि तू ख़ालिद का माल ख़ालिद के क़ब्ज़े से निकाल ला और बकर को यह बावर कराय कि यह माल मेरा है और बक्र नेक नीयती से यह बावर करके कि वह माल ज़ैद का है ख़ालिद के कब्ज़े से निकाल लाये तो चूंकि बक्र ने इस ग़लत फ़हमी पर अमल करने से बद दियानती से माल को नहीं लिया इसलिये वह सर्क़े का मुर्तकिब न होगा मगर ज़ैद सर्क़े में इआनत करने का मुजरिम और उस सज़ा का मुस्तौजिब होगा जो ज़ैद को उस हाल में होती जब कि बक्र सर्क़े का मुर्तकिब होता ।

तशरीह ४—चूंकि जुर्म में इआनत करना जुर्म है तो ऐसी इआनत में इआनत करना भी जुर्म है ।

तमसील ।

ज़ैद बक्र को तर्गीब देता है कि तू अमर को ख़ालिद के मारडालने की तर्गीब दे और बक्र उसके मुताबिक़ अमर को ख़ालिद के मारडालने की तर्गीब दे और अमर बक्र की तर्गीब से उस जुर्म का इर्तिकाब करे तो बक्र इस जुर्म की पादाश मे उस सज़ा का मुस्तौजिब होगा जो क़तले अमद की पादाश में मुक़र्रर है और चूंकि ज़ैद ने बक्र को उस जुर्म के इर्तिकाब की तर्गीब दी है इसलिये ज़ैद भी उसी सज़ा का मुस्तौजिब होगा ।

तशरीह ५—इर्तिकाबे जुर्म इआनत बमश्वरः के लिये यह ज़रूर नहीं है कि मुईन मुर्तकिब के साथ इर्तिकाबे जुर्म की तद्बीर में शरीक हो बल्कि यही काफ़ी है कि वह उस मश्वरे मे शरीक हो जिसपर अमल करने से उस जुर्म का इर्तिकाब हुआ ।

तमसील ।

ज़ैद अमर के ज़हर देने के लिये बक्र के साथ साज़िश करे [illegible] और यह ठहरे कि ज़ैद

ज़हर दे- इसके बाद बक्र इस मशवरे का हाल खालिद से बयान करे और कहे कि एक तीसरा शख्स ज़हर देगा मगर ज़ैद का नाम न बतलाये और खालिद ज़हर का मुहैया कर देना क़ुबूल करे और लाकर इस ग़रज़ से बक्र के हवालः करे कि वह उस तरह जैसा ऊपर लिखा है काम में आये फिर ज़ैद ज़हर खिलाये और अमर उसके बाइस से हलाक होजाय—इस सूरत में गो बाहम ज़ैद और खालिद के कुछ मशवरः नहीं हुआ ताहम खालिद उस मशवरे में शरीक रहा है जिस पर अमल करने से अमर हलाक हुआ और इसी लिये खालिद उस जुर्म का मुर्तकिब होगा जिसकी तारीफ़ इस दफ़ः में कीगई है और उस सज़ा का मुस्तौजिब होगा जो क़तले अमद की पादाश में मुक़र्रर है ।

इआनत ब्रिटिश इन्डियामें जरायम की जो उसके बाहर हों ।

दफ़ः १०८[1] (अलिफ)—जो शख़्स ब्रिटिश इन्डिया में रह कर किसी ऐसे फेल के इर्तिकाब में इआनत करता है जो ब्रिटिश इन्डिया से खारिज और उसके बाहर सादिर हो और जो अगर ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर सादिर होता तो एक जुर्म करार दिया जाता—वह हस्ब मन्शाय कवानीने हाजा उस जुर्म में इआनत करता है ।

तमसील ।

ज़ैद ने ब्रिटिश इन्डिया में रहकर अमर एक गैर मुल्की साकिने गुआ को तर्गीब दी कि गुआ में मुर्तकिब क़तले अमद का हो—तो ज़ैद कतले अमद में इआनत करने का मुजरिम हुआ।

इआनत की सज़ा अगर उस फेल का इतिकाब जिसमें इआनत कीगई है उस इआनत के सबब से हुआ हो और जहां इसकी सज़ा के लिये कोई सरीह हुक्म न हो ।

दफ़ः १०९—जो कोई शख़्स किसी जुर्म में इआनत करे तो अगर उस इआनत के बाइस से उस फेल का इर्तिकाब हो जिसमें इआनत की गई है और इस मजमूये में ऐसी इआनत की सजा की निस्बत कोई सरीह हुक्म न हो तो उस शख़्स को वही सजा दी जायगी जो जुर्म मजकूर के लिये मुकर्रर है ।

तशरीह—जब किसी फेल या जुर्म का इर्तिकाब उस तर्गीब के बाइस से या उस मशवरे पर अमल करने से या उस मदद से वाक़े हो

(बाब ५—इआनत के बयान में—दफ़आत ११०—१११ ।)

जिसको इआनत करार दिया गया है तो कहा जायगा कि फ़ेल मजकूर या जुर्म मज़कूर का इर्तिकाब इआनतके बाइस से वाक़े हुआ ।

तमसीलें ।

(अलिफ़) ज़ैद बक्र को जो सर्कारी मुलाज़िम है एक कुर्साई के तौरपर इस लिये रिशवत देना चाहे कि बक्र अपने लवाज़िमे मन्सबी के निफ़ाज़ में ज़ैद के साथ कुछ रिआयत करे और बक्र उस रिशवत को क़ुबूल करले तो ज़ैदने उस जुर्म में इआनत की जिसकी तारीफ़ दफ़ः १६१ में की गई है ।

(बे) ज़ैद बक्र को झूटी गवाही देने की तर्गीब दे और बक्र उस तर्गीब के बाइस से उस जुर्म का मुर्तकिब हो तो ज़ैद जुर्म मजकूर में इआनत करनेका मुजरिम होगा और उसी सज़ा का मुस्तौजिब होगा जिसका बक्र मुस्तौजिब है ।

(जीम) ज़ैद और बक्र अमर के ज़हर देने का मशवरः करें और जैद उस मशवरेपर अमल करके ज़हर मुहैया करे और इस ग़रज से बक्र के हवाले करे कि वह अमर को खिलाये और बक्र उस मशवरे पर अमल करके जैद की गीबत में अमर को ज़हर दे और उस फ़ेल से अमरकी हलाकत का बाइस हो तो इस सूरत में बक्र जुर्म क़त्ले अमद का मुजरिम होगा और ज़ैद उस जुर्म में इआनत बमशवरः करने का मुजरिम होगा और क़त्ले अमद की सज़ाका मुस्तौजिब होगा ।

इआनत की सजा अगर शख़्से मुआन उस फ़ेल को नीयते मुगायर नीयते मुईन से करे ॥

दफ़ः ११०—जो कोई शख़्स किसी जुर्मके इर्तिकाब में इआनत करे तो अगर शख़्से मुआन उस फेल का इर्तिकाब किसी नीयत या इल्म से करे जो मुईन की नीयत या इल्म से मुग़ायर हो तो मुईन को उस जुर्म की सज़ा दी जायगी जिसका इर्तिकाब उस हाल में होता कि फ़ेले मजकूर किसी और नीयत या इल्मसे नहीं बल्कि मुईन ही की नीयत या इल्म से किया जाता ।

मुईन का लायक़े मुआख़ज़ः होना जब कि इआनत एक फ़ेल में हो और कोई फ़ेले मुगायर किया जाय ।

दफ़ः १११—जिस सूरतमें इआनत तो एक फेलमें कीजाय और इर्तिकाब किसी और फेल का हो जाय तो मुईन उस फेल की निस्बत जिसका इर्तिकाब हुआ उसी तरह से और उसी क़दर मुआख़जे के लायक़ होगा कि गोया उसने बीनिही उसी फेल में इआनत की ।

शर्त

बशर्ते कि वह फ़ेल जिसका इर्तिकाब हुआ उस इआनत का एक नतीजःइ ग़ालिब हो और यह कि फ़ेले मज़कूर का इर्तिकाब उस तर्ग़ीब के असर से या उस मदद से या मशवरे पर अमल करने से जिसको इआनत क़रार दिया गयाहै-वाक़े हो ।

तमसीलें ।

(अलिफ़) ज़ैद एक तिफ़्ल को बक्र के खाने में ज़हर डालने की तर्ग़ीब दे और इस मतलब के वास्ते ज़हर उसके हवाले करे और उस तर्ग़ीब के बाइस से वह तिफ़्ल ख़ालिद के खाने में जो बक्र के खाने के पास रक्खा हो धोखा खाकर ज़हर डाल दे तो इस सूरत में अगर तिफ़्ल मज़कूर ने ज़ैद की तर्ग़ीबने वह फ़ेल किया हो और भी क़राइन से वह फ़ेल जिसका इर्तिकाब हुआ उस इआनत का एक नतीजःइ ग़ालिब हो तो ज़ैद उसी तरह और उसी क़दर मुआख़ज़े के लायक़ है कि गोया उसने तिफ़्ल को ख़ालिद के खाने में ज़हर डालने की तर्ग़ीब दे ।

(बे) ज़ैद ने बक्र को उमर के घर जलाने की तर्ग़ीब दी—बक्रने घरमें आग भी लगा दी और उसी वक़्त वहां सर्क़:इ माल का भी मुर्तकिब हुआ तो ज़ैद इस सर्क़े में इआनत करने का मुजरिम नहीं है हरचन्द कि वह घर के जलाने में इआनत करने का मुजरिम है क्योंकि वह सर्क़ा एक जुदा फ़ेल था और घर जलाने का नतीजःइ ग़ालिब न था ।

(जीम) ज़ैद ने बक्र और उमर दोनोंको तर्ग़ीब दी कि किसी आबाद घर में सर्क़:इ बिलजब्र के लिये आधी रात को जबरन घुस जायें और इस मतलब के लिये ज़ैद ने उनको हथियार दिये—बक्र और उमर उस घर में जबरन घुस जायें और घर वालों में से एक शख़्स ख़ालिद को जो उनका मज़ाहम हो मार डालें तो इस सूरत में अगर वह मार डालना इआनत का नतीजःइ ग़ालिब था तो ज़ैद उस सज़ा का मुस्तौजिब है जो क़त्ल के वास्ते मुक़र्रर है ।

दफ़ः ११२—अगर वह फ़ेल जिसकी निस्बत मुईन दफ़:इ अख़ीर मज़कूर:इ बाला की रूसे मुआख़ज़े के लायक़ है उस फ़ेल के अलावः किया जाय जिसमें इआनत की गई है और वह फ़िलवाक़े जुदा जुर्म है तो मुईन उन जुर्मों में से हर एक जुर्म की सज़ा का मुस्तौजिब होगा ।

(बाब ५—इआनत के बयान में—दफ़आत १११—११३ ।)

कुर्क़ी मे तअर्रुज़ करने और बिल इरादः ज़रर शदीद पहुचाने का मुर्तकिब हुआ है इसलिये इन दोनो जुर्मों की पादाश में सज़ा का मुस्तौजिब है और अगर जैद को इस बात का इल्म था कुर्क़ी के तअर्रुज़ करने में बक्र से बिलइरादः ज़रर शदीद वाक़े होने का इहतिमाल है तो ज़ैद भी दोनों जुर्मोंकी सज़ा का मुस्तौजिब होगा ।

दफ़ः ११३—जब किसी फेल में इआनत कीजाय और मुईन की यह नीयत हो कि उससे कोई खास नतीजः पैदा हो और वह फेल जिसकी निस्बत मुईन इआनत के बाइस से मुआखज़ः के लायक़ है किसी नतीजे को पैदा करे जो उस नतीजे से मुगायर हो जो मुईन की नीयत में था तो मुईन उस नतीजे की निस्बत जो पैदा हुआ उसी तरह और उसी क़दर मुआखज़े के लायक है कि गोया उसने उसी नतीजः के पैदा करने की नीयत से उस फेल मे इआनत की बशर्ते कि मुईन को यह इल्म था कि उस फेल से जिसमें इआनत की गई है उस नतीजे के पैदा होने का इहतिमाल है ।

मुईन का क़ाबिले मुआखज़ः होना उस नतीजे के लिये जो उस फ़ेल से पैदा हो जिस मे इआनत की गई है और जो नतीजःइ मक़सूद इ मुईन से मुगायर हो ।

तमसील ।

जैद बक्र को अमर के ज़रर शदीद पहुचाने की तरगीब दे और बक्र उस तरगीबके ब इससे अमर को ज़रर शदीद पहुचाये और अमर उसके बाइस से मरजाय इस सूरतमें अगर ज़ैद को यह इल्म था कि उस ज़रर शदीद के सबब से जिसमें इआनत की गई है हलाकत का इहतिमाल है तो जैद उस सज़ा का मुस्तौजिब होगा जो कतले अमद के लिये मुक़र्रर है ।

दफ़ः ११४—हर गाह कोई शख्स जो ग़ैर हाजिरी की हालत में बहैसियते मुईन सज़ा का मुस्तौजिब होता उस फेल या जुर्म के इर्तिकाब के वक्त हाज़िर हो जिसकी पादाश में वह इआनत करने के सबब से सजा का मुस्तौजिब होता तो वह उस फेल या जुर्म का मुर्तकिब समझा जायेगा ।

मुईन इर्तिकाबे जुर्म के वक्त मौजूद हो ।

दफ़ः ११५—जो कोई शख्स किसी ऐसे जुर्म के इर्तिकाब में इआनत करे जिसकी पादाश में सजाय मौत या हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर मुक़र्रर है तो अगर उस जुर्म का इर्तिकाब उस इआनत के बाइस से वाक़े न हो और ऐसी इआनत की निस्बत इस मजमूये में कोई खास सजा मुअय्यन न हो तो शख्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से

उस जुर्म में इआनत करना जिस की सज़ा मौत या हब्स दवाम

बउबूरे दर्याय शोर है—अगर जुर्म का इर्तिकाब इआनत के सबब से न हो।

किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

अगर फेल जिस से गजन्द पहुंचे इआनत के सबब से कियाजाय।

और अगर किसी ऐसे फेल का इर्तिकाब किया जाय जिसकी निस्बत मुईन इआनत के सबब मुआखज़े के लायक़ है और उस फेल से किसी शख़्स को ज़रर पहुंचे तो मुईन दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद का मुस्तौजिब होगा जिसकी मीआद चौदह बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

तमसील।

ज़ैद ने बक्र को खालिद के मार डालने की तर्गीब दी मगर जुर्म वक़ू में न आया लेकिन अगर बक्र खालिद को मार डालता तो वह सजाय मौत या हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर का मुस्तौजिब होता तो इस सूरतमें ज़ैद किसी मीआद की क़ैद का मुस्तौजिब होगा जो सात बरस तक होसक्ती है और जुर्मानेका भी मुस्तौजिब होगा और अगर इस इआनत के बाइस से खालिद को कुछ ज़रर पहुचे तो ज़ैद किसी मीआद की क़ैद का मुस्तौजिब होगा जो चौदह बरस तक होसक्ती है और जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा॥

उस जुर्म में इआनत करना जिसकी सजा क़ैद है—अगर जुर्म का इर्तिकाब इआनत के सबब से न हो।

दफ़ः ११६—जो कोई शख़्स किसी जुर्म में इआनत करे जिस की पादाश में क़ैद की सज़ा मुक़र्रर है तो अगर उस जुर्मका इर्तिकाब उस इआनत के बाइस से वाक़े न हो और ऐसी इआनत की निस्बत इस मजमूये में कोई खास सज़ा मुअय्यन नहो तो शख़्से मज़कूर को उस क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायगी जो उस जुर्म की पादाश में मुक़र्रर है और उस की मीआद उस क़ैद की बड़ी से बड़ी मीआद की एक चौथाई तक होसक्ती है जो उस जुर्म के लिये मुक़र्रर है या उस जुर्माने की सज़ा दी जायेगी जो जुर्म मज़कूर के लिये मुक़र्रर है या क़ैद और जुर्मानः दोनों सजायें दी जायेंगी।

[illegible]

और अगर मुईन या मुआन सर्कारी मुलाज़िम हो जिसपर ऐसे जुर्म के इर्तिकाब का रोकना लाज़िम है तो मुईन को उस क़िस्मकी

क़ैद की सज़ा दी जायेगी जो उस जुर्म की पादाश में मुक़र्रर है और उसकी मीआद उस क़ैद की बड़ी से बड़ी मीआद के एक निस्फ तक होसक्ती है जो उस जुर्म के लिये मुक़र्रर है या उस जुर्माने की सज़ा दी जायेगी जो उस जुर्म के लिये मुक़र्रर है या क़ैद और जुर्मानः दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

मुलाज़िम हो जिस पर उस जुर्म का रोकना लाज़िम है ।

तमसीलें ।

(अलिफ़) जैद बक़र को जो सर्कारी मुलाज़िम है हक़्क़ुलसई के तौर पर इस लिये रिशवत दे कि बक़र अपने लवाज़िमे मन्सबी के निफ़ाज़ में ज़ैद के साथ कुछ कुछ रिआयत करे और बकर रिशवत लेने से इन्कार करे तो जैद इस दफ़ः की रू से सज़ा का मुस्तौजिब होगा ।

(बे) जैद ने बक़र को झूठी गवाही देने की तर्ग़ीब दी—इस सूरत में अगर बक़र झूठी गवाही न दे तौ भी ज़ैद उस जुर्म का मुस्तौजिब होगा जिसकी तारीफ़ इस दफ़ः में की गई है उसी मुताबिक़ सज़ा का मुस्तौजिब होगा ।

(जीम) जैद उहदःदारे पुलीस जिसपर सर्क़ःइ बिलजब्र का रोकना लाज़िम है सर्क़ःइ बिलजब्र के इर्तिकाब में इआनत करे इस सूरत में गो उस सर्क़ःइ बिलजब्र का इर्तिकाब न हुआ हो तौ भी ज़ैद उस क़ैद की बड़ी से बड़ी मीआद के एक निस्फ़ का मुस्तौजिब होगा जो उस जुर्म के लिये मुक़र्रर है और जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

(दाल) बक़र सर्क़ःइ बिलजब्र के इर्तिकाब में जैद की इआनत करे और जैद पुलीस का एक उहदःदार हो जिसपर ऐसे जुर्म के इर्तिकाब का रोकना लाज़िम है तो इस सूरत में अगरचे सर्क़ःइ बिलजब्र का इर्तिकाब न हो तौ भी बक़र उस क़ैद की बड़ी से बड़ी मीआद के एक निस्फ़ का मुस्तौजिब होगा जो जुर्म सर्क़ःइ बिलजब्र की पादाश में मुक़र्रर है और जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

दफ़ः ११७—जो कई शख़्स अक्सर आम्मःइ ख़लायक़ को या अशख़ास के किसी गुरोह या तबक़े को जो दस शख़्स से ज़ियादः हो किसी जुर्म के इर्तिकाब में इआनत करे तो शख़्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या क़ैद और जुर्मानः दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

उस जुर्म के इर्तिकाब में इआनत करना जिस को आम्मःइ ख़लायक़ या दससे ज़ियादः शख़्स करें ।

तमसील ।

ज़ैद आम्मःओ रफ़्त आम की किसी जगह में एक इश्तिहार लगाये जिसमें किसी फ़िर्क़

(बाब ६—इआनत के बयान में—दफ़आत ११८—११९ ।)

को जिसकी तादाद दस से ज़ियादः हो यह तर्ग़ीब दी जाये कि किसी ख़ास वक़्त और मुक़ाम पर इस ग़रज़ से जमा हों कि फ़िर्क़ः इ मुख़ालिफ़ के लोगों पर जब वह बहैसियते इज्तिमाई जाते हों हमल करे तो ज़ैद उस जुर्म का मुर्तकिब होगा जिसकी तारीफ़ इस दफ़ः में की गई है ।

उस जुर्म के इर्तिकाब की तदबीर का छुपाना जिसकी सजा मौत या हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर है ।

दफ़ः ११८—जो कोई शख़्स यह नीयत करके कि किसी जुर्म का इर्तिकाब जिसकी सजा मौत या हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर है सहल होजाय या यह जान के कि उसके सहल होजाने का इहतिमाल है—

किसी फ़ेल या तर्क ख़िलाफ़ क़ानून के ज़रीये से उस तदबीर की मौजूदियत को बिल इरादः छुपाये जो ऐसे जुर्म के इर्तिकाब के लिये की गई हो या उस तदबीर की निस्बत कोई ऐसा बयान करे जिसको वह झूठा जानता हो—

अगर जुर्म का इर्तिकाब हुआ हो ।

अगर जुर्म का इर्तिकाब न हुआ हो ।

तो उस जुर्म के इर्तिकाब की सूरत में शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है—और अगर जुर्म का इर्तिकाब वाक़े न हुआ हो तो दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और हरएक सूरत में वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

क़िसी फेल या तर्क खिलाफे क़ानून के ज़रीये से बिल इरादा उस तदबीर की मौजूदियत को छुपाये जो जुर्म मजकूर के इर्तिकाबके लिये की गई हो या उस तदबीर की निस्बत कोई ऐसा बयान करे जिसको वह झूठा जानता हो—

पस अगर जुर्म का इर्तिकाब वाके हो तो शख़्स मजकूर को उस क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जो उस जुर्म की पादाश में मुक़र्रर है और उसकी मीआद उस क़ैद की बड़ी से बड़ी मीआद के एक निस्फ तक हो सक्ती है जो उस जुर्म के लिये मुक़र्रर है या उस जुर्माने की सज़ा जो जुर्म मजकूर के लिये मुक़र्रर है या क़ैद और जुर्मानः दोनों सज़ायें दी जायेंगी—

अगर जुर्म का इर्तिकाब हुआ हो ।

और अगर उस जुर्म की पादाश में सज़ाय मौत या हब्से दवाम बउबूरे दर्याय शोर मुक़र्रर है कि दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है—

अगर जुर्म की सज़ा मौत वगैरः हो ।

और अगर जुर्म का इर्तिकाब वाके न हो तो शख़्से मज़कूर को उस क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जो जुर्म मज़कूर के लिये मुक़र्रर है और उसकी मीआद उस क़ैद की बड़ी से बड़ी मीआद की एक चौथाई तक होसक्ती है जो उस जुर्म के लिये मुक़र्रर है या उस जुर्माने की सजा जो जुर्म मजकूर के लिये मुक़र्रर है या क़ैद और जुर्मानः दोनों सजायें दी जायेंगी ।

अगर जुर्म का इर्तिकाब न हुआ हो ।

तमसील ।

ज़ैद उहदःदारे पुलीस पर क़ानूनन् वाजिब है कि सर्क़ः बिल जब्र के इर्तिकाब की तदबीरें जो उसको मालूम हों उन सबकी इत्तिला करे और ज़ैद यह जानकर कि बक्र सर्क़ः बिल जब्र की इर्तिकाब के लिये तदबीर कर रहा है ऐसी इत्तिला करनी इस नीयत से तर्क करे कि उस जुर्म का इर्तिकाब सहल होजाय तो इस सूरतमें ज़ैद ने तर्के खिलाफ़े क़ानून के ज़रीये से बक्र की तदबीर की मौजूदियत को छुपाया और इस दफ़. के हुक्म के मुताबिक़ ज़ैद सज़ा का मुस्तौजिब होगा ।

दफ़ः १२०—जो कोई शख़्स यह नीयत करके कि किसी जुर्म का इर्तिकाब जिसकी पादाश में क़ैद की सजा मुक़र्रर है सहल होजाय या यह जानकर कि उसके इर्तिकाब के सहल होजाने का इह्तिमाल है—

उस जुर्मके इर्तिकाब की तदबीर का छुपाना जिस की सज़ा क़ैद है ।

किसी फेल या तर्क खिलाफे क़ानून के ज़रीये से बिल इरादः उस तदबीर की मौजूदियत को छुपाय जो जुर्म मज़कूर के इर्तिकाब के लिये की गई है या उस तदबीर की निस्बत कोई ऐसा बयान करे जिसको वह झूठा जानता हो—

अगर जुर्म का इर्तिकाब हुआ हो ।

तो अगर जुर्म मजकूर का इर्तिकाब वाके हुआ हो तो शख्स मज़कूर को उस क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जो उस जुर्म के लिये मुक़र्रर है और उसकी मीआद उस क़ैद की बड़ी से बड़ी मीआद की एक चौथाई तक–और अगर जुर्म का इर्तिकाब वाके न हुआ हो तो एक आठवीं तक हो सक्ती है जो जुर्म मज़कूर के लिये मुक़र्रर है या उस जुर्माने की सजा जो जुर्म मजकूर के लिये मुक़र्रर है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

अगर जुर्म का इर्तिकाब न हुआ हो ।

बाब ६ ।

जरायमे खिलाफ वर्जी बासर्कार के बयान में ।

मलकःइ मुअज्ज़म के मुक़ाबिले में जंग करना या उस का इक़दाम या उसमें इआनत करना

दफ़ः १२१—जो कोई शख्स मलकःइ मुअज्जमःके मुकाबिले में जंग करे या ऐसी जंग करने का इक़दाम करे या ऐसी जंग करने में इआनत करे तो शख्स मजकूर को मौत या हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर की सजा दी जायेगी और उसकी कुल जायदाद जब्त होगी ।

तमसीलें ।

(बे) जैद जो मुमालिके हिन्द में है सर्कशों को हथियार भेजने से एक सर्कशी में इआ-नत करता है जो गवर्नमेन्ट मलक:इ मुअज्ज़मः बाक़ि सीलोन के मुक़ाबिले में हुई हो तो ज़ैद मलक:इ मुअज्ज़मः के मुक़ाबिले में जङ्ग करने में इआनत का मुजरिम होगा।

साज़िशे इर्तिकाब उन जरायम की जो हस्ब दफ़ः १२१ क़ाबिले सज़ा हैं।

दफ़ः १२१–(अलिफ)[1]–जो शख़्स कि ब्रिटिश इण्डिया में या उस से बाहर वास्ते इर्तिकाब किसी जुर्म के उन जराइम में से जो अज़रूये दफः १२१ क़ाबिले सज़ा हैं या ब्रिटिश इन्डिया खाह उसके किसी जुज़ से मलकः इ मुअज्ज़मः को हुकूमत से बेदखल करने के लिये साज़िश करे या बज़रीयः इ जब्र मुजरिमानः या नुमायशे जब्र मुजरिमानः के गवर्नमेन्ट हिन्द या किसी लोकल गवर्नमेन्ट की तख़्वीफ के लिये साजिश करे वह सजाय हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर का या किसी कमतर मीआद का या सजाय क़ैद की दोनों अक़साम में से किसी क़िस्म का जिसकी मुद्दत दस बरस तक हो सक्ती है–मुस्तौजिब होगा।

तशरीह–बमूजिब दफः इ हाज़ा के साजिश करार दिये जाने के वास्ते यह ज़रूर नहीं है कि कोई फेल या तर्क खिलाफे कानून उसकी पैरवी में वक़ू में आये।

मलक:इ मुअज्ज़मः के मुक़ाबिले में जंग करने की नीयत से हथियार वग़ैरः फ़राहम करना।

दफ़ः १२२–जो कोई शख़्स आदमी या हथियार या गोले बारूद की क़िस्म से कोई सामान फराहम करे या किसी और तरह से जङ्ग की तैयारी करे इस नीयत से कि मलकः इ मुअज्ज़मः के मुक़ाबिले में जंगकरे या जंग करने पर तैयार रहे तो शख़्से मजकूर को हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद दस बरस से जियादः न हो और उसकी कुल जायदाद जब्त होगी।

जंग करने की तदबीर को उस के सहल

दफ़ः १२३–जो कोई शख़्स किसी फेल या तर्क खिलाफे क़ानून के जरीये से किसी तदबीर की मौजूदीयत को जो मलकः इ

[1] दफ़ १२१ (अलिफ़) मजमूअ:इ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द के तर्मीम करनेवाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नम्बर २७ मुसदर:इ सन १८७० ई०) की दफ़: ४ के ज़रीये से दाख़िल की गई है।

इस मजमूअ इ क़वानीन के बाब ४ ओ ५ ओ २३ उन जुर्मों से मुतअल्लिक़ हैं जो अज़रूये दफ़: १२१ (अलिफ) के काबिले सज़ा हैं–मुलाहज तलब ऐक्ट मज़कूर–दफ़: १३।

करने की नीयत से छुपाना।

मुअज्जमः के मुक़ाबिले में जंग करने के लिये की गई है छुपाय इस नियत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से या ऐसे छुपाने से जंग का करना सहल होजाय तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

गवर्नर जिनरल या गवर्नर वग़ैर: पर इख़्तियारे जायज़ के निफ़ाज़ पर मजबूर करने या उससे बाज़ रखने की नीयत से हमल: करना।

दफ़ः १२४—जो कोई शख़्स गवर्नर जिनरल बहादुरे हिन्द या किसी प्रेज़ीडन्सी के गवर्नर या लिफ़्टनन्ट गवर्नर जिनेरल बहादुरे हिन्द की कौन्सिल या किसी प्रेजीडन्सी की कौन्सिल के मिम्बर पर।

हम्ल: करे या मुज़ाहमते बेजा करे या मुज़ाहमते बेजा का इक़दाम करे या किसी जब्र मुजरिमानः के जरीये या जब्र मुजरिमानः की नुमायश से डराये या इस तरह डराने का इक़दाम करे इस नियत से कि वह उस गवर्नर जिनेरल बहादुर या गवर्नर या लिफ़्टनन्ट गवर्नर या मिम्बरे कौन्सिल को मायल या मजबूर करे कि वह गवर्नर जिनेरल बहादुर या गवर्नर या लिफ़्टनन्ट गवर्नर या मिम्बरे कौन्सिल किसी तरह अपने इख़्तियाराते जायज में से किसी इख़्तियार को नाफ़िज़ करे या किसी तरह नाफ़िज करने से बाज रहे—

तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

दफ़ः १२४-(अलिफ़)—जो कोई शख़्स ऐसी बातों के ज़रीये से जो तलफ़्फ़ुज से अदा की जायें या लिखी जायें या इशारों के ज़रीये से या नक़्श मरई के जरीये से या और तरह से जनाब मलकःइ मुअज़्ज़मः

की निस्वत या उस हुकूमते सर्कारी की निस्वत जो ब्रिटिश इन्डिया में कानूनन् क़ायम हुई हो-नफरत दिलाये या तौहीन कराये या उनकी या उसकी निस्वत नफरत दिलाने या तौहीन कराने का इक़दाम करे या जनाव मुहतशिम अलैहा या हुकूमते मज़कूरः की निस्वत वदखाही पैदा करे या पैदा करनेका इक़दाम करे वह सज़ाय हव्स दवाम वउबूरे दर्याय शोर का या किसी कमतर मीआद का जिसपर जुर्मानः भी मुस्तज़ाद हो सक्ता है या ऐसी क़ैद की सज़ा का जिसकी हद तीन वरस तक हो सक्ती है और जिसपर जुर्मानः भी मुस्तजाद होसक्ता है मुस्तौजिव होगा या उसको सिर्फ जुर्माने की सज़ा दी जायेगी ।

तशरीह १—लफ़्ज़ 'वदखाही' में वे वफाई और जुम्लः ख़यालात दुश्मनी के दाख़िल हैं ।

तशरीह २—जिन रायों से तदावीरे सर्कार की नापसन्दीदगी का इज़हार वईं नजर किया जाय कि जायज़ ज़रीयःसे—तनफ़्फ़ुर या इहानत या वदखाही पैदा करने के विदून या तनफ़्फ़ुर या इहानत या वदखाही पैदा करने के इकदाम करने के विदून—उनकी तब्दीली हासिल की जाय—उन से हस्व दफ़ःइ हाज़ा जुर्म क़ायम नहीं होता है ।

तशरीह ३—जिन रायों से सर्कार के फेल मुतअ़ल्लिक़ नज़्म ओ नस्क़ या दीगर फेल की नापसन्दीदगी का इज़हार—तनफ़्फ़ुर या इहानत या वदखाही पैदा करने के विदून या तनफ़्फ़ुर या इहानत या वदखाही पैदा करने के इकदाम करने के विदून—किया जाय—उनसे हस्व दफ़ःइ हाज़ा जुर्म क़ायम नहीं होता है ।

किसी एशियाई मुल्क के वाली के मुक़ाविले में जंग करना जो मलक़ःइ मुअ़ज़्ज़मः से रावितःइ

दफ़ः १२५—जो कोई शख़्स एशियाई मुल्क के किसी वाली के मुक़ाविले में जो मलकःइ मुअ़ज़्ज़मः से रावितःइ इत्तिहाद या सुलह रखता हो जंग करे या ऐसी जंग करने का इक़दाम करे या ऐसी जंग करने में इआनत करे तो शख़्स मज़कूर को हव्स दवाम वउवूरे दर्याय शोर की सजा दीजायगी और अलावः इसके जुर्मानः भी होसक्ता है या दोनों किस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद सात वरस तक हो सक्ती

इत्तिहाद रखता हो ।

है और अलावः इसके जुर्मानः भी होसक्ता है या सिर्फ़ जुर्माने की सजा दीजायगी ।[१]

उस वाली के मुल्कमें ग़ारतगरी करना जो मलक:इ मुअज़्ज़मः से सुलिह रखता हो ।

दफ़ः १२६—जो कोई शख़्स किसी ऐसे मुल्क में ग़ारतगरी का इर्तिकाब करे या ग़ारतगरी के इर्तिकाब की तैयारी करे जिसका वाली मलक:इ मुअज़्ज़मः से राबित:इ इत्तिहाद या सुलिह रखता हो तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह शख़्स जुर्माने का और उस माल ओ असबाब की ज़ब्ती का भी मुस्तौजिब होगा जो उस ग़ारतगरी के इर्तिकाब के काममें आया हो या जिसका उसके काम में आना मक़सूद हो या जो उस ग़ारतगरी के ज़रीये से हासिल हुआ हो ।[१]

ऐसे माल को अपनी तहवील में रखना जो जंग या ग़ारतगरी मज़कूर:इ दफ़आत १२५ ओ १२६ के ज़रिये से हासिल किया गया हो ।

दफ़ः १२७—जो कोई शख़्स कोई माल ओ असबाब यह जानकर ले कि वह उन जुर्मों में से किसी जुर्म के इर्तिकाब में हासिल किया गया है जो दफ़आत १२५ ओ १२६ में मज़कूर हुये हैं तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह शख़्स जुर्माने का और उस माल ओ असबाब की ज़ब्ती का भी मुस्तौजिब होगा जिसको वह इस तरह अपने क़ब्ज़े में लाया है ।

सर्कारी मुलाज़िम असीरे सुल्तानी या असीरे जंग को [illegible] भाग जाने देना ।

दफ़ः १२८—कोई शख़्स जो सर्कारी मुलाज़िम है और जिसकी हिरासत में कोई असीरे सुल्तानी या असीरे जंग हो उस असीर को किसी जगह से जहां वह महबूस है बिल इरादः भाग जानेदे तो शख़्स मज़कूर को हब्स दवाम बउबूर दर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद दस

(बाब ६—जरायेम ख़िलाफ़ बर्री वा सर्कार के बयान में-दफ़आत—१२९-१३०-और बाब ७—जरायम मुतअल्लिक़े अफ़वाजे बर्री ओ बहरी के बयान में—दफ़ा १३१।)

दफ़ः १२९—कोई शख़्स जो सर्कारी मुलाज़िम है और जिसकी हिरासत में कोई असीरे सुल्तानी या असीरे जंग हो गफलत से उस असीर को महबस से जहां वह महबूस है भाग जाने दे तो शख़्स मजकूर को क़ैद महज़ की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

सर्कारी मुलाज़िम वैसे असीर को ग़फलत से भागजाने दे।

दफ़ः १३०—जो कोई शख़्स जान बूझ कर किसी असीरे सुल्तानी या असीरे जंग को हिरासते जायज से भाग जाने में मदद या तक़वियत करे या किसी ऐसे असीर को छुड़ा ले जाय या छुड़ा लेजाने का इक़दाम करे या ऐसे असीर को जो हिरासते जायज से भाग गया हो पनाह दे या छुपा रक्खे या क़िसी ऐसे असीर के फिर गिरफ़्तार किये जाने में किसी तरह का तअर्रुज करे या तअर्रुज करने का इकदाम करे तो शख़्स मजकूर को हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

असीरे मज़कूर के भाग जाने में मदद करना या उसको छुडाना या पनाह देना।

तशरीह—किसी असीरे सुल्तानी या असीरे जंग की निस्बत जिसको उसके जबानी वादे पर ब्रिटिश इन्डिया को हुदूदे मुअय्यन के अन्दर आमद ओ रफ़्त की इजाजत हो उस सूरत में कहा जायगा कि वह हिरासते जायज से भाग गया जब कि वह उन हुदूद के बाहर जाय जिनके अन्दर उसको आमद ओ रफ़्त की इजाजत है।

बाब ७।

जरायम मुतअल्लिक़े अफ़वाजे बर्री ओ बहरी[1] के बयान में।

दफ़ः १३१—जो कोई शख़्स बगावत के इर्तिकाब में जो मलिकःइ मुअज्जमः की फौजे बर्री या बहरी के किसी अफसर या सिपाही या खलासीये जहाजी की जानिब से हो इआनत करे या उस अफसर

बगावत में इआनत करना या किसी सिपाही या जला-ि जहाज़ी को

१ नीज़ मुलाज़मते बहरीये हिन्द—मुलाहज तलब मावाद की दफ़ १३८ (अलिफ़)

ख़िदमते मन्सबी न करने के एग़वा का इक़दाम करना।

या सिपाही या खलासी को इताअत या ख़िदमते मन्सबी न करने के एग़वा का इक़दाम करे तो शख़्से मज़कूर को हब्से दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

तशरीह—इस दफ़ः में लफ़्ज़ "अफसर" और "सिपाही" के मअनी में हर शख़्स दाखिल है जो जंगी आईन[2] (आरटीकल्स आफ वार) मुतज़म्मिने अहसन इन्तिज़ामे फौजे मलिकःइ मुअज़्ज़मः या जंगी आईने (आरटीकल्स आफ वार) मुन्दर्जःइ ऐक्ट नः ५ मुसदरःइ सन् १८६९[3] ई० का ताबिअ हो।

इआनते बग़ावत अगर बग़ावत का इर्तिकाब उस इआनत के सबब से किया जाय।

दफ़ः १३२—जो कोई शख़्स बग़ावत के इर्तिकाब में जो मलिकःइ मुअज़्ज़मः की फौजे बर्री या बहरी के किसी अफ़सर या सिपाही या खलासीये जहाज़ी की जानिब से हो इआनत करे तो अगर उस इआनत के बाइस से बग़ावत वक़ू में आये तो शख़्स मज़कूर को सज़ाये मौत या हब्से दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

इआनत उस हम्ले की जो कोई सिपाही या खलासीये जहाज़ी अपने अफ़सरे बाला पर करे।

दफ़ः १३३—जो कोई शख़्स किसी हम्ले में इआनत करे जो मलिकःइ मुअज़्ज़मः की फौजे बर्री या बहरी का कोई अफसर या सिपाही या खलासीये जहाज़ी किसी अफसरे बालादस्त पर करे उस हाल में कि वह अपने ओहदे का काम अंजाम दे रहा तो शख़्स

१ यह तरमीम मजमूअःइ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द में तरमीम करने वाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नं० २७ मुसद्दरः सन १८७० ई०) की दफ़ः ६ के ज़रिये से इज़ाफ़ा की गई [ऐक्ट हाय आम—जिल्द २]।

२ मुलाहज़ा तलब अब ऐक्ट मुताल्लिक़े फौज सन् १८८१ ई० (सन ४४ व ४५ [illegible] मलिकः विक्टोरिया—बाब ५८) [illegible] मुसद्दरः सन् १८९१ ई० की जिल्द २ में] [illegible] ई० [illegible] तरमीम दे [illegible] गया।

३ हिन्द [illegible] सन् १८८० ई० ([illegible] सन १८८१ ई०) [illegible] [illegible]—जिल्द २।

मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीम्राद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

अपने उहदे का काम अन्जाम दे रहा हो—करे ।

दफ़ः १३४—जो कोई शख़्स किसी हम्ले में इआनत करे जो मलिकःइ मुअज्जमः की फौजे बर्री या बहरी का कोई अफ़्सर या सिपाही या खलासीये जहाजी किसी अफसरे बाला दस्त पर करे उस हाल में कि वह अपने उहदे का काम अंजाम देरहा हो तो अगर उस इआनत के बाइस से उस हम्ले का इर्तिकाब हो तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की कैद की सजा दीजायगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्मानेका भी मुस्तौजिब होगा ।

इआनते हमलःइ मज़कूर अगर हम्ले का इर्तिकाब हो।

दफ़ः १३५—जो कोई शख़्स मलिकःइ मुअज्जमः की फौजे बर्री या बहरी के किसी अफ़्सर या सिपाही या खलासीये जहाजी के नौकरी पर से भाग जाने में इआनत करे तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी ।

किसी सिपाही या खलासीये जहाजी के नौकरी पर से भाग जाने में इआनत करना ।

दफ़ः १३६—सिवाय उस हालत के जो नीचे मुस्तसना की गई है जो कोई शख़्स यह जानकर या बावर करने की वजह रखकर कि मलिकःइ मुअज्जमः की फौजे बर्री या बहरी का कोई अफ़्सर या सिपाही या खलासीये जहाजी नौकरी पर से भाग गया है उस अफ़्सर या सिपाही या खलासीये जहाजी को पनाह दे तो शख़्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

फ़रारी नौकर को पनाह देना ।

मुस्तसना—यह हुक्म उस हालत पर मुहीत नहीं है जबकि जौजः अपने शौहर को पनाह दे ।

दफ़ः १३७—उस सौदागरी मर्कबे तरी का नाखुदा या मुहतमिम जिस पर कोई ऐसा शख़्स छुपा हो जो मलिकःइ मुअज्जमः की फौजे बर्री या बहरी की नौकरी से भाग गया है जुर्माने की सजाका

फ़रारी नौकर का किसी सौदागरी

मर्कब तरी में नाख़ुदा की ग़फ़लत से छुपा होना।

मुस्तौजिब होगा जो पांच सौ रुपये से ज़ियादः न होगी उस छुपे होने का उस को इल्म न हो मगर शर्त यह है कि उस छुपे होनेका मालूम कर लेना उसके इम्कान में था अगर वह अपनी ख़िदमते मन्सबी में बहैसियत नाख़ुदा या मुहतमिम के ग़फ़लत न करता या मर्कब के इन्तिज़ाम में कुछ नुक़्स न होता।

उदूल हुक्मी में किसी सिपाही या ख़लासीये जहाजी की इआनत करना।

दफ़ः १३८—जो कोई शख़्स किसी फ़ेल में इआनत करे जिस को वह मलिकःइ मुअज़्ज़मः की फ़ौजे बर्री या बहरी के किसी अफ़सर या सिपाही या ख़लासीये जहाजी की जानिब से उदूल हुक्मी जानता है तो अगर उस फ़ेले उदूल हुक्मी का इर्तिकाब उस इआनत के बायस से वक़ू में आये तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिस की मीआद छः महीने तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

दफ़आते मर्क़ूमे बाला का मुलाज़मते बहरीये हिन्द से मुतअल्लिक़ होना।

दफ़ः १३८[1]—(अलिफ)—इस बाबकी दफ़आते मर्क़ूमे बाला इस तरह पर मुतअल्लिक होंगी कि गोया मलिकःइ मुअज़्ज़मः की मुलाज़िमते बहरीये हिन्द मलिकःइ ममदूहा की अफ़वाजे बहरी को शामिल है।

अशख़ास जो जंगी आईन के ताबे हैं।

दफ़ः १३९—जो कोई शख़्स किसी जंगी आईन (आरटीकल्स आफ वार) के ताबे हो जो मलिकःइ मुअज़्ज़मः की अफ़वाज बर्री या बहरी या अफ़वाजे मज़कूर के किसी जुज़्व के वास्ते मुक़र्रर है तो वह शख़्स उन जुर्मों में से किसी जुर्म की पादाश में जिनकी तसरीह इस बाब में की गई है इस मजमूये की रूसे सज़ा का मुस्तौजिब न होगा।

सिपाही का लिबास पहनना या निशान लिये फिरना।

दफ़ः १४०—जो कोई शख़्स कि मलिकःइ मुअज़्ज़मः की अफ़वाजे बर्री या बहरी का सिपाही न हो कोई ऐसा लिबास पहने या ऐसा निशान लिये फिरे जो उस लिबास या निशान के मुशाबह हो जो ऐसे सिपाहियों में मुस्तामल है इस नीयत से कि वह ऐसा सिपाही

[1] दफ़ः १३८ (अलिफ) [illegible] १८८७ ई० (नं० १ [illegible] १८८७ ई०) [illegible]

समझा जाये तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद तीन महीने तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़्दार पांचसौ रुपये तक हो सक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

१

बाब ८।

उन जुर्मों के बयान में जो आसूदगीये आम्मः इ खलायक़ के मुखालिफ़ हैं।

मजमऐनाजायज़।

दफ़ः १४१—पांच या ज़ियादः शख़्सों का हर एक मजमअ "मजमऐ नाजायज़" कहलायेगा जबकि उन शख़्सोंकी जिनसे वह मजमअ मुरक्कब है ग़रज़े मुश्तरक यह हो—

पहली—हिन्द की लेजिस्लेटिफ़ या इक्ज़ीक्यूटिफ गवर्नमेन्ट या किसी प्रेज़ीडन्सी की गवर्नमेन्ट या किसी लेफ़्टेनन्ट गवर्नर या किसी सर्कारी मुलाज़िम को उस सर्कारी मुलाज़िम के इख़्तियारे जायज़ के इस्तिअमाल में जबरे मुजरिमानः या जबरे मुजरिमानः की नुमायश से डरायें—या

---

१ उन जुर्मों के इत्तिला देने की फ़र्ज़ीयत के बारे में जिनकी सजा दफ़: १४३—१४४—१४५—१४७ या १४८में मुक़र्रर है मुलाहज़ः तलब मजमूअः इ ज़ाबितः इ फ़ौजदारी सन १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदरः इ सन १८९८ ई०) की दफ़आत ४४ ओ ४५ [ऐक्टहाय आम—जिल्द ६]।
दरबार: तअल्लुक़ पिज़ीर होने दफ़: १४१ निस्बते जरायम तहते क़वानीने मुख़्तस्सुल अमर या मुख़्तस्सुल मक़ाम के—मुलाहज़ः तलब माक़बल की दफ़: ४०।

दरबार: सज़ा बपादाशे जुर्म तहते दफ़: १४८ के जिसकी ज़िलाये सरहदी पंजाब या बिलूचिस्तान में बज़रियः कौन्सिले सर्दारान तहक़ीक़ात हो—मुलाहज़ः तलब पंजाब के सरहदी जरायमके रेगूलेशन सन १८८७ ई० (न. ४ मुसदरः इ सन १८८७ ई०) की दफ़: १४ [मजमूअः इ क़वानीने पंजाब मतबूअः इ सन १८८८ ई०—सफ़ह: २९६—ओ मजमूअः इ क़वानीने बिलूचिस्तान मतबूअः इ सन १८९० ई० सफ़ह: ९७]।

दरबार मुन्तशर करदेने मजामऐ नाजायज़ के—मुलाहज़ः तलब मजमूअः इ ज़ाबितः इ फ़ौजदारी सन १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदरः इ सन १८९८ ई०) का बाब ९ [ऐक्टहाय आम—जिल्द ६]।

(बाब ८—उन जुर्मो के बयान में जो अम्नदर्गाये आम्मः इ ख़यालक के मुत्तालिक है—दफ़आत १४१—१४३ ।)

दूसरी—किसी कानून या तरीक़ःइ मुआयनःइ क़ानून की तामील में तअर्रुज़ करें—या

तीसरी—किसी नुकसान रसानी या मुदाख़िलते बेजा मुजरिमानः या किसी और जुर्म का इर्तिकाब करें—या

चौथी—किसी शख़्स पर जबरे मुजरिमानः या जबरे मुजरिमानः की नुमायश करने के जरिये से कोई माल लेलें या उस पर क़ब्जः करलें या किसी शख़्स को किसी रास्ते की आमद ओ रफ़्त या किसी पानी के काम में लाने के इस्तिहकाक या किसी और गैर माद्दी इस्तिहक़ाक़ के तअल्लुक़ में जो शख़्से मज़कूर के क़ब्जे में हो या जिससे उसको तमत्तुअ हो महरूम करें या किसी इस्तिहक़ाक़ या किसी इस्तिहक़ाक़े ख़ियाली को काम में लायें—या

पांचवीं—जबरे मुजरिमानः या जबरे मुजरिमानः की नुमायश करने के ज़रीये से किसी शख़्स को उस फ़ेल के करने में जिसका करना उस पर क़ानूनन वाजिब न हो या ऐसे फ़ेल के तर्क करने में जिसके करने का वह क़ानूनन् मुस्तहक हो—मजबूर करें।

तश्रीह—मुमकिन है कि कोई मजमअ जो जमा होने के वक़्त नाजायज़ न था बाद अज़ां मजमए नाजायज होजाये।

[मजमए नाजायज का शरीक होना।

दफ़ः १४२—जो कोई शख़्स उन उमूर से वाक़िफ होकर जिनके बायस से कोई मजमअ मजमए नाजायज होजाता है क़स्दन उस मजमए में दाख़िल होजाय या दाख़िल रहे तो कहा जायगा कि शख़्स मज़कूर मजमए नाजायज़ का शरीक है।

सज़ा।

दफ़ः १४३—जो कोई शख़्स मजमए नाजायज़ का शरीक हो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसकती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

(बाब ८—उन जुर्मों के बयान में जो आसूदगीये आम्म इ खलायक़ के मुखालिफ़ हैं—दफ़ः १४४—१४८ ।)

दफ़ः १४४[1]—जो कोई शख्स किसी सिलाहे मुहलिक या किसी ऐसी शै से मुसल्लः होकर कि अगर उसको हरबे के तौरपर काम में लायें तो उससे हलाकत का इहतिमाल है किसी मजमऐ नाजायज का शरीक हो तो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायगी जिसकी मीन्याद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

सिलाहे मुहलिक से मुसल्लः होकर किसी मजमऐ नाजायज का शरीक होना ।

दफ़ः १४५[1]—जो कोई शख्स किसी मजमऐ नाजायज़ में दाखिल होजाये या दाखिल रहे यह जानकर कि उस मजमऐ नाजायज को तरीक़ःइ मुकर्ररःइ क़ानून के मुताबिक़ मुतफ़र्रिक होनेका हुक्म हो चुका है तो शख्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

किसी मजमऐ नाजायज़ में यह जान कर कि उसको मुतफ़र्रिक़ होजाने का हुक्म होचुका है दाखिल होना या दाखिल रहना ।

दफ़ः १४६—जब कभी किसी मजमऐ नाजायज़ या उसके किसी शरीक की जानिब से मजमऐ मज़कूर की ग़रज़े मुश्तरक के हासिल करने में जबर या सख्ती अमल में आये तो उस मजमऐ का हर एक शख्स बलवा करने के जुर्म का मुजरिम होगा ।

बलवा करना ।

दफ़ः १४७[1]—जो कोई शख्स बलवा करने का मुजरिम हो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

बलवा करने की सज़ा ।

दफ़ः १४८[1]—जो कोई शख्स सिलाहे मुहलिक या ऐसी शै से मुसल्लः होकर कि अगर उसको हरबे के तौर पर काम में लायें तो उससे हलाकत का इहतिमाल है बलवा करने का मुजरिम हो तो शख्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सजाये दीजायेंगी ।

सिलाहे मुहलिक से मुसल्लः होकर बलवा करना ।

१ मुलाहिज़ः तम्बे माक़बल के सफ़ः ६० का फ़ुट नोट ।

(बाब ८—उन जुर्मों के बयान में जो आसूदगीये आम्मः इ ख़लायक़ के मुताल्लिक़ हैं दफ़आत १४१—१५१ ।)

मजमए नाजायज़ का हर एक शरीक उस जुर्म का मुजरिम है जिसका इर्तिकाब ग़रज़े मुश्तरक के हासिल करने में हो ।

दफ़ः १४९—अगर मजमए नाजायज़ के किसी शरीक की जानिब से उस मजमअ की गरज़े मुश्तरक हासिल करने में किसी जुर्म का इर्तिकाब हो या किसी ऐसे जुर्मका इर्तिकाब हो जिसको उस मजमअ के शोरका जानते हों कि उस गरज के हासिल करने में उस के इर्तिकाब का इहतिमाल है तो हर एक शख़्स जो उस जुर्म के इर्तिकाब के वक़्त उस मजमअ का शरीकहै जुर्म मज़कूरका मुजरिमहै ।

किसी मजमए नाजायज़ में दाख़िल होने के लिये अशख़ास को उजरत पर रखना या उनके उजरत पर रखे जाने में मुसामहत करना ।

दफ़ः १५०—जो कोई शख़्स किसी दूसरे शख़्स को उजरत पर रखे या उस से क़रारदाद ले या उससे काम ले या उस उजरत पर रखने या क़रारदाद लेने या काम लेने में मदद या मुसामहत करे इस गरज से कि वह दूसरा शख़्स किसी मजमए नाजायज़ में दाखिल या शरीक हो तो शख़्स अव्वल उस मजमए नाजायज़ के शरीक की हैसियत से सजा का मुस्तौजिब है और किसी जुर्म की पादाश में जिसका इर्तिकाब उस उजरत पर रखने या क़रारदाद लेने या काम लेने के बाइस से वह दूसरा शख़्स उस मजमए नाजायज़ के शरीक के तौर पर करे तो शख़्से अव्वल उसी तरह सजा का मुस्तौजिब होगा कि गोया वह उस मजमए नाजायज़ का एक शरीक था या उसने ख़ुद उस जुर्म का इर्तिकाब किया ।

पांच या ज़ियाद शख़्सों के मजमअ में बाद इसके कि उसको मुन्तशिर होने का हुक्म होचुका हो [illegible]

दफ़ः १५१—जो कोई शख़्स जान बूझ कर पांच या ज़ियादः शख़्सों के किसी ऐसे मजमअ में जिससे अपने ख़लायक़ में ख़लल पड़ने का इहतिमाल हो बअ़द इसके कि मजमए मज़कूर को मुन्तशिर होने का बतौरे जायज़ हुक्म होचुका हो दाखिल हो या दाखिल रहे तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो सकती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी ।

तश्रीह—अगर वह मजमअ [illegible] दफ़ः १४१ के मअनों

(बाब ८–उन जुर्मों के बयान में जो आसूदगीये आम्मःइ ख़लायक़ के मुख़ालिफ़ हैं—दफ़आत १५२—१५३ (अलिफ)।)

नाजायज हो तो मुजरिमे मज़कूर दफः १४५ के मुताबिक़ सजा का मुस्तौजिब होगा ।

दफ़ः १५२—जो कोई शख़्स किसी सर्कारी मुलाज़िम पर उस वक़्त हमलः करे या हमलः करने की धमकी दे या उसका मुजाहिम हो या मुजाहिम होने का इक़दाम करे जब कि मुलाज़िमे मजकूर किसी मजमऐ नाजायज के मुतफ़र्रक़ करने या किसी बलवे या हंगामे के फरो करने में उस सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से अपनी खिदमते मन्सबी को अन्जाम दे रहा हो या ऐसे मुलाज़िम पर जबरे मुजरिमानः करे या जबरे मुजरिमानः की धमकी दे या जबरे मुजरिमानः का इक़दाम करे तो शख़्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की कैद की सज़ा दी जायगी जिस की मीआद तीन बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

किसी सर्कारी मुलाज़िम पर उस वक़्त हमलः करना या उसका मुज़ाहिम होना जब कि वह बलवे वग़ैरह को फरो कर रहा हो ।

दफ़ः १५३—जोकोई शख़्स बराहे खबासत या बदी कोई अमर खिलाफे क़ानून करने से किसी शख़्स की तबअ़ को इश्तिआल दे और उसकी यह नीयत हो या इस अमर का इहतिमाल उसके इल्म में हो कि उस इश्तिआल के बायस से बलवा करने के जुर्म का इर्तिकाब वक़ू में आये तो शख़्स मजकूर को दोना क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी और अगर बलवा करने के जुर्म का इर्तिकाब वक़ू में न आये तो दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की कैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

बलवा करने की नीयत से बबदी इश्तिआले तबअ देना—अगर बलवे का इर्तिकाब हो

अगर बलवे का इर्तिकाब न हो ।

दफ़ः १५३[1]—(अलिफ)—जो कोई शख़्स ऐसी बातों के ज़रिये

तबक़ाते रिआया के दर्मियान दुश्मनी बढ़ानी ।

[1] दफ़ १५३ (अलिफ़) मजमूअः इ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द के तर्मीम करनेवाले ऐक्ट सन् १८९८ ई० (न० ४ मुस्दरः इ सन् १८९८ ई०) की दफ ५ के ज़रिये से इलहाक़ कीगई [ऐक्ट हाय आम — जिल्द ६] ।

मुलाहज़ः तलब ख़ास कमेटी की रिपोर्ट गज़ट आफ़ इन्डिया मजमूअः इ सन् १८९८ ई० के हिस्सः ५ सफ़ह. १३ में ।

दरबारःइ इख़्तियार वास्ते रुजूअ करने इस्तिगासों के तहत दफ़ःइ हाज़ा मुलाहज़ः तलब मजमूअःइ ज़ाबितःइ फ़ौजदारी सन् १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुस्दरःइ सन् १८९८ ई०) की दफ़ः १९६ [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ६] ।

से जो तलफ़्फ़ुज से अदा कीजायें या लिखी जायें या इशारों के ज़रिये से या नुक़ूशे मरीया के ज़रिये से—या और तरह से जनाब मलिकः मुअ़ज़्ज़मः की रिआ़या की मुख़्तलिफ़ तबक़ात के दर्मियान दुश्मनी या नफ़रत के ख़ियालात बढ़ाये या बढ़ाने का इक़्दाम करे उसको ऐसी क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी हद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

तशरीह—जिन उमूर से जनाब मलिकः मुअ़ज़्ज़मः की रिआ़या के मुख़्तलिफ़ तबक़ात के दर्मियान दुश्मनी या नफ़रत के ख़ियालात पैदा हो रहे हों या जिनका मैलान उन ख़ियालात के पैदा करने की तरफ़ पाया जाता हो उनका बिदून बद अन्देशी के और उनके दूर करदेने की सच्ची नियत से बतादेना हस्बे मन्शाये दफ़ःइ हाज़ा अमरे क़ाबिले जुर्म नहीं है।

उस ज़मीन का मालिक या दख़ील जिस पर कोई मजमओ़ नाजायज़ इकट्ठा हो।

दफ़ः १५४—जब कभी कोई मजमओ़ नाजायज़ जमअ़ हो या बलवा वक़ू में आये तो उस ज़मीन का मालिक या दख़ील जहां वह मजमओ़ नाजायज़ जमा हुआ है या उस बलवे का इर्तिकाब हुआ है और भी वह शख़्स जो ज़मीने मज़कूर में इस्तिहक़ाक़ रखता हो या ज़मीने मज़कूर में इस्तिहक़ाक़ का दावा रखता हो जुर्माने का मुस्तौजिब होगा जिसकी मिक़दार एक हज़ार रुपये से ज़ियादा न हो।

मगर शर्त यह है कि शख़्से मज़कूर या उस का एजन्ट या मुन्सरिम यह जान कर कि जुर्म मज़कूर का इर्तिकाब हो रहा है या होचुका या बावर करने की वजह से रख कर कि जुर्म मज़कूर के इर्तिकाब का इहतिमाल है उस अफ़सरे आला को जो क़रीबतर मक़ामे पुलिस में मामूर हो इस अमर की इत्तिला हत्तल इमकान जल्द न करे—

और जब वह यह बावर करने की वजह रखता हो या रखते हों कि अनक़रीब जुर्म मज़कूर का इर्तिकाब होगा वह तमाम जायज़ वसीले जो उसके या उनके इमकान में हों जुर्म मज़कूर की रोक के लिये काम में न लाये या न लायें और जुर्म मज़कूर के वाक़िअ़ हो जाने के [illegible] [illegible] मजमओ़ नाजायज़ के मुन्तशिर करने या [illegible]

के फ़रो करने में सब जायज़ वसीले जो उसके या उनके इमकान में हों—अमल में न लाये या न लायें ।

दफ़ः १५५—जब कभी किसी बलवे का इर्तिकाब किसी ऐसे शख़्स के नफ़अ या ख़ातिर के लिये किया जाय जो किसी ऐसी ज़मीन का मालिक या दख़ील हो जिसकी बाबत वह बलवा हुआ या जो शख़्स उस ज़मीन में या किसी अमरे मान्हिहिल निज़ा में जो बलवे की बिना है इस्तिहक़ाक़ का दावा रखता हो या जिसने उस ज़मीन या उस अमर से कुछ नफ़अ क़बूल किया या हासिल किया हो—

उस शख़्स का मुस्तौजिब सज़ा होना जिसके नफ़ा के लिये बलवे का इर्तिकाब हुआ हो ।

तो शख़्से मज़कूर जुर्माने का मुस्तौजिब होगा बशर्ते कि वह या उसका एजन्ट या मुन्सरिम यह बावर करने की वजह रखकर कि उस बलवे के इर्तिकाब का इहतिमाल था या यह कि उस मजमूए नाजायज के जमा होने का इहतिमाल था जिससे उस बलवे का इर्तिकाब हुआ वह तमाम तदाबीरे जायज़ जो उसके या उनके इमकान में हों उस मजमअ के इज्तिमा के रोकने और उसके मुतफ़र्रिक़ करने के लिये या उस बलवे के वक़ू के रोकने और उसके फ़रो करने के लिये काम में न लाये या न लायें ।

दफ़ः १५६—जब कभी किसी बलवे का इर्तिकाब किसी ऐसे शख़्स के नफ़ा या ख़ातिर के लिये किया जाय जो किसी ऐसी ज़मीन का मालिक या दख़ील हो जिसकी बाबत वह बलवा हुआ या जो शख़्स उस ज़मीन में या किसी अमरे मान्हिहिल निज़ा में जो बलवे की बिना है किसी इस्तिहक़ाक़ का दावा रखता हो या जिसने उस ज़मीन या अमर से कुछ नफ़ा क़बूल किया या हासिल किया हो—

उस मालिक या दख़ील के एजन्ट का मुस्तौजिब सज़ा होना जिसके नफ़ा के लिये इर्तिकाबे बलवा हो ।

तो शख़्से मज़कूर का एजन्ट या मुन्सरिम जुर्माने का मुस्तौजिब होगा बशर्ते कि वह एजन्ट या मुन्सरिम यह बावर करने की वजह रखकर कि उस बलवे के इर्तिकाब का इहतिमाल था या उस मजमए नाजायज के जमअ होने का इहतिमाल था जिससे उस बलवे का इर्तिकाब हुआ वह तमाम तदाबीरे जायज जो उसके इमकान में हों उस बलवे के

(बाब ८—उन जुर्मों के बयान में जो सुकूनीये आम्मः ख़लायक़ के मुख़ालिफ़ हैं—
दफ़आत १५७—१५८ ।)

वक़ूअ के रुकने और उसके फ़रो करने के लिये या उस मजमए के इज्तिमाअ के रोकने और उसके मुतफ़र्रिक़ करने के लिये काम में न लाये

उन लोगों को जो किसी मजमए नाजायज़ के लिये उजरत पर रखे गये हों—छुपा रखना।

दफ़ः १५७—जो कोई शख़्स लोगों को किसी घर या इहाते में जो उसके दख़ल या तहवील या इख़्तियार में हो—छुपा रखे या आने दे या जमा करे यह जानकर कि वह लोग किसी मजमए नाजायज़ में दाख़िल या शरीक होने के लिये उजरत पर रखे गये हैं या उन से क़रारदाद या काम लिया गया है या अनक़रीब वह उजरत पर रखे जायेंगे या उनसे क़रारदाद या काम लिया जायगा तो शख़्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

किसी मजमए नाजायज़ का रुक्न होने या क़रारदाद के लिये उजरत पर रखा जाना—

दफ़ः १५८—जो कोई शख़्स उन अफ़आल में से जिनकी तसरीह दफ़ः १४१ में हुई है किसी फ़ेल के इर्तिकाब के लिये या उसके इर्तिकाब में मदद करने के लिये क़रारदाद करना या उजरत पर रक्खा जाना क़बूल करे या क़रारदाद करने या उजरत पर रक्खे जाने को कहे या उसका इक़दाम करे तो शख़्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी-

बाब ८–उन जुर्मों के बयान में जो आसूदगीये आम्म इ ख़लायक़ के मुख़ालिफ़ हैं–
दफ़ः १६०—और बाब ९–उन जुर्मों के बयान में जो सर्कारी मुलाज़िमों से
सरज़द हों या उनसे मुतअ़ल्लिक़ हों—दफ़ः १६१)

दफ़ः १६०–जो कोई शख़्स हंगामे का मुर्तकिब हो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद एक महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार एक सौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

रुजूअ़ इर्तिकाबे हंगाम ।

बाब ९[1] ।

उन जुर्मों के बयान में जो सर्कारी मुलाज़िमों से सरज़द हों या उनसे मुतअ़ल्लिक़ हों ।

दफ़ः १६१–जो कोई शख़्स कि सर्कारी मुलाज़िम है या सर्कारी मुलाज़िमी का उम्मेदवार है कोई मन्सबी अमल करने या उससे बाज रहने के लिये या अपने लवाज़िमें मन्सबी के निफ़ाज में किसी शख़्स की तरफ़दारी या उस शख़्स के ख़िलाफ़ पर होने या उससे बाज रहने के लिये या हिन्द की लेजिस्लेटिफ या इक्ज़िक्यूटिफ गवर्नमेन्ट या किसी प्रेजीडन्सी की गवर्नमेन्ट या किसी लेफ़्टिनेन्ट गवर्नर या सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से किसी सर्कारी मुलाज़िम के रूबरू किसी शख़्स के साथ भलाई या बुराई करने के लिये या उसका इक़दाम करने के लिये अजरे मुताबिक़े क़ानून के सिवा किसी शख़्स से किसी तरह का कोई माविहिल इह्तिज़ाज़ वजहे तहरीक या हक़्क़ुस्सई के तौर पर अपने वास्ते ख़्वाह किसी और शख़्स के वास्ते क़ुबूल करे या हासिल करे या क़ुबूल करने पर राज़ी हो या हासिल करने का इक़दाम करे तो शख़्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजाये दीजायेंगी ।

सर्कारी मुलाज़िम जो किसी अमले मन्सबी की बाबत अजर मुताबिक़े क़ानून के सिवा और माविहिल इह्तिज़ाज़ ले ।

तशरीहात–"सर्कारी मुलाज़िमी का उम्मेदवार होना" अगर कोई शख़्स जिसको सर्कारी मुलाज़िमी की उम्मेद न हो धोखा देकर

---

[1] दरबार इख़्तियार वास्ते रुजूअ़ करने इस्तिग़ासों के बाज़ सर्कारी मुलाज़िमों के नाम पर मुलाहज़ा तलब मजमूअःइ ज़ाबितःइ फ़ौजदारी सन् १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसद्दरः सन १८९८ ई०) की दफ़ः १९७ [एक्टहाये आम—जिल्द ?] ।

औरों को यह बावर कराये कि मैं सर्कारी मुलाज़िम होनेवाला हूं और तब तुम्हारे काम आऊंगा और इस ज़रिये से कोई माविहिल इहतिजाज हासिल करे तो इस सूरत में शख़्से मज़कूर दग़ा करने का मुजरिम होसक्ता है लेकिन उस जुर्म का मुजरिम न होगा जिसकी तारीफ़ इस दफ़ः में कीगई है।

"माविहिल इहतिज़ाज"—"माविहिल इहतिज़ाज" के लफ़्ज़ से न सिर्फ़ वह शै बाइसे इहतिज़ाज़ मुराद है जो ज़र से मुतअल्लिक़ हो या जिसकी क़दर का तख़मीना ज़र में होसके।

"अजरे मुताबिक़े क़ानून"—"अजरे मुताबिक़े क़ानून" के लफ़्ज़ से न सिर्फ़ वह अजर मुराद है जिसका कोई सर्कारी मुलाज़िम जवाजन् मुतालबा कर सके बल्कि यह लफ़्ज़ हर एक अजर पर मुहीत है जिसके क़ुबूल करने की उसको उस गवर्नमेन्ट[1] की जानिब से इजाज़त है जिसका वह मुलाज़िम है।

"वजहे तहरीक या हक़ुस्सई कोई काम करने के लिये"—जो कोई शख़्स कोई काम करने के वास्ते जिसका करना उसकी नीयत में न हो "वजहे तहरीक के तौर पर या कोई काम करने के वास्ते जो उसने न किया हो हक़ुस्सई के तौर पर कोई माविहिल इहतिजाज क़ुबूल करे वह शख़्स इस इबारत के मिसदाक़ में दाख़िल है।

(वाव ९—उन जुर्मों के बयान में जो सर्कारी मुलाज़िमो से सरज़द हों या उनसे मुतअ़ल्लिक़ हों—दफ़ः १६२ ।)

इ़स्क़ुस्सई के तौरपर साहूकारे मज़कूर की कोठी में कोई ओहदः अपने भाई के लिये हासिल करे तो जैद उस जुर्म का मुर्तकिब होगा जिस की तारीफ इस दफ़ में कीगई है।

(वे) जैद ने जो किसी वालिये मुतीये गवर्नमेन्ट के दर्बार में रेजीडेन्ट का उहदः रखता है उस वाली के दीवान से एक लाख रुपयः क़बूल किया—यह तो ज़ाहिर नहीं होता कि जैद ने यह रुपयः वजहे तहरीक या इ़स्क़ुस्सई के तौर पर किसी ख़ास मन्सबी कामके करने या उससे बाज़ रहने या ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के हुज़ूर मे उस वाली की कोई ख़ास मतलब बरारी करने या किसी ख़ास मतलब बरारीमें जिहिद करने के लिये क़ुबूल किया मगर यह ज़ाहिर होता है कि जैद ने यह रुपय वजहे तहरीक या इ़स्क़ुस्सई के तौरपर अपने लवाज़िमे मन्सबी के निफाज़ में उस वाली की मुतलक़ तरफ़दारी करने के लिये क़ुबूल किया तो ज़ैद उस जुर्म का मुर्तकिब होगा जिसकी तारीफ़ इस दफ़ः में की गई है।

(जीम) ज़ैद जो सर्कारी मुलाज़िम है बक़र को मुग़ालत. देकर बावर कराये कि उस रसूक के सबब जो मुझ को गवर्नमेन्ट में है तुझको एक ख़िताब हासिल हुआ है और ज़ैद इस तरह बक़र को तहरीक करे कि वह इस ख़िदमत के इ़स्क़ुस्सई के तौरपर ज़ैद को रुपयः दे तो ज़ैद उस जुर्म का मुर्तकिब होगा जिसकी तअ़रीफ़ इस दफ़ः में की गई है।

फासिद या ख़िलाफ क़ानून वसीलों से सर्कारी मुलाज़िम पर दबाउ डालने के लिये माबिहिल इहतिज़ाज़ लेना।

दफ़ः १६२—जो कोई शख़्स किसी सर्कारी मुलाज़िम को फासिद या खिलाफे कानून वसीलों के ज़रीये से इस बात की तहरीक करने के लिये कि वह सर्कारी मुलाजिमी कोई मन्सबी अमल करे या उस से बाज रहे या सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से अपने लवाजिमे मन्सबी के निफाज़ में किसी शख़्स की तरफदारी करे या उसके खिलाफ पर हो या हिन्द की लेजिस्लेटिफ या इक्जिक्यूटिफ गवर्नमेन्ट या किसी प्रेजीडन्सी की गवर्नमेन्ट या किसी लेफ्टिनेन्ट गवर्नर [या इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के सिनिट के किसी मिम्बर][1] या सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से किसी सर्कारी मुलाजिम के रूबरू किसी शख़्स के साथ भलाई या बुराई करे या उसका इक़दाम करे—किसी शख़्स से किसी तरह का कोई माबिहिल इहतिजाज वजहे तहरीक या हक़ुस्सई के तौरपर अपने वास्ते ख्वाह किसी और शख़्स के वास्ते क़ुबूल करे या हासिल करे या क़ुबूल करने पर राजी हो या हासिल करने में जिहिद करे तो शख़्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैदकी सजा दीजायेगी

[1] यह अलफ़ाज़ इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के ऐक्ट सन १८८७ ई० (नः १८ मुसदर इ सन १८८७ ई०) की दफ़' १८ (२) के ज़रीये से दाख़िल किये गये [मजमूआ इ क़वानीने मुमालिके मगरबी ओ शिमाली ओ अवध मतबूअ़ः इ सन १८९२ ई०—सफ़ह ६९६]।

जिस की मीआद तीन बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

सर्कारी मुलाज़िम के साथ रसूख़े ज़ाती अमल में लाने के लिये नाजाइज़ इहतिज़ाज़ लेना ।

दफ़ः १६३—जो कोई शख़्स किसी सर्कारी मुलाजिम को अपने ज़ाती रसूख के अमल में लाने से इस बात की तहरीक करने के लिये कि वह सर्कारी मुलाजिम कोई मन्सबी अमल करे या उससे बाज़ रहे या सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से अपने लवाज़िमे मन्सबी के निफाज़ में किसी शख़्स की तरफदारी करे या उसके खिलाफ पर हो या हिन्द की लेजिस्लेटिफ या इक्ज़िक्यूटिफ गवर्नमेन्ट या किसी प्रेज़ीडेन्सी की गवर्नमेन्ट या किसी लेफ़्टिनेन्ट गवर्नर[1] [या इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के सिनिट के किसी मिम्बर] या सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से किसी सर्कारी मुलाजिम के रूबरू किसी शख़्सके साथ भलाई या बुराई करे या उसका इक़दाम करे किसी शख़्स से किसी तरहका नाजाइज़ इहतिजाज बतौर तहरीक या हक़्क़ुस्सई के तौर पर अपने वास्ते ख़ाह किसी और शख़्स के वास्ते क़ुबूल करे या हासिल करे या क़ुबूल करने पर राज़ी हो या हासिल करने में जिहिद करे तो शख़्से मज़कूर को क़ैद महज़ की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

तमसील ।

(बाब ९—उन जुर्मों के बयान में जो सर्कारी मुलाज़िमों से सरज़द हों या उन से मुतअ़ल्लिक़ हों—दफ़. १६५।)

है किसी जुर्म के इर्तिकाब की बिना है और वह उस जुर्म में इआ- करे तो शख़्से मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की द की सजा दी जायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है ज़ुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

ज़िम उन जरायम में करे जिन की तारीफ़ दफ़. १६२ या १६३ में की गई है।

तमसील।

जैद सर्कारी मुलाज़िम है और हिन्दः जो जैद की जौजः है जैद से किसी ख़ास शख़्स को ई उहदः देने की दरख़्वास्त करने के लिये वजह तहरीर के तौर पर कोई तुहफ़ ले और ऐसा करने में हिन्द की इआनत करे तो हिन्दः सज़ाय क़ैद की मुस्तौजिब है जिसकी आद एक बरस से जियाद: न हो या ज़ुर्माने की या दोनों की और ज़ैद सज़ाय क़ैद का तौजिब है जिसकी मीआद तीन बरस तक हो सक्ती है या ज़ुर्माने का या दोनों का।

दफ़ः १६५—कोई शख़्स जो सर्कारी मुलाज़िम है किसी ऐसे ख़्स से जिसको उसकी इल्म में किसी ऐसे मुक़दमे या मुआमिले से अ़ल्लुक़ था या तअ़ल्लुक़ है या तअ़ल्लुक़ रखने का इहतिमाल है जसको उस सर्कारी मुलाज़िम ने अन्जाम दिया या जिसको वह अन्- ाम देने वाला है या जो उस सर्कारी मुलाज़िम या किसी और सर्कारी ुलाज़िम के लवाज़िमे मन्सबी से इलाक़ः रखता है जिसका वह ताबे है। या किसी ऐसे शख़्ससे जिसको वह सर्कारी मुलाज़िम जानता है के वह उस शख़्ससे जिसको तअ़ल्लुक़ मज़कूर है कुछ वास्तः या रिश्तः खता है—कोई क़ीमती शै बग़ैर देने बदल के या ऐसे बदल पर जिसको ह सर्कारी मुलाज़िम ग़ैर मुक़्तफ़ी जानता हो अपने वास्ते या किसी दूसरे शख़्स के वास्ते क़ुबूल करे या हासिल करे या क़ुबूल करने पर ाज़ी हो या हासिल करने की जिहद करे—

सर्कारी मुलाज़िम किसी शख़्स से जो किसी मुक़द्दमे या मुआमिले से तअ़ल्लुक़ रखता हो जिसको उस सर्कारी मुलाज़िम ने अन्जाम दिया—कोई क़ीमती शै बिला बदल हासिल करे।

तो शख़्स मजकूर को क़ैद महज की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद दो बरस तक हो सक्ती है या ज़ुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

तमसीलें।

(अलिफ़) ज़ैद जो कलक्टर है बक्र का एक घर किराये पर ले जिसका कोई मुक़द्दमः ब न्दोबस्त जैद के यहां दायर है और यह शर्त ठहरे कि जैद पचास रुपय. माहवारी दिया करेगा हालांकि वह घर इस हैसियत का है कि अगर नेक नीयती से मुआमिला किया

जाता तो जैद को दो सो रुपया गाहवारी देने पड़ते तो जैद ने बिला देने पूरे बदल के गो से एक क़ीमती शै हासिल की ।

(बे) जैद जो जज है एक शख़्स मस्लन् बक्र से जिसका मुक़द्दमः जैद के मह़कमे में दाइर है गवर्नमेन्ट के प्रामीसरी नोट बट्टेपर ख़रीदे जब कि बाज़ार में उन नोटों पर फ़िरतः मिलता हो तो जैद ने बक्र से बिला देने पूरे बदल के एक क़ीमती शै हासिल की।

(जीम) बक्र का भाई गिरफ़्तार होकर जैद के रूबरू जो मजिस्ट्रेट है इल्ज़ाम दरोग़ हलफ़ी की इल्लत में लाया जाय और जैद बक्र के हाथ किसी बंक के हिस्से फ़िरते पर बेचे जब कि बाज़ार में उन हिस्सों पर बट्टा लगता हो और बक्र उस हिसाब से उन हिस्सों की क़ीमत जैद को देदे तो रुपय. जो जैद ने इस तरह हासिल किया एक क़ीमती शै है जो जैद ने बिला देने पूरे बदल के हासिल की ।

सर्कारी मुलाज़िम जो किसी शख़्स को नुक़्सान पहुचाने की नीयत से क़ानून से इन्ह़िराफ़ करे ।

दफ़ः १६६—कोई शख़्स जो सर्कारी मुलाज़िम है क़ानून की किसी हिदायत से जो उस तरीक़े से मुतअ़ल्लिक़ हो जिसमें उसको सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से चलना चाहिये जान बूझकर इन्ह़िराफ़ करे इस नीयत से या इस अमर के इह़तिमाल के इल्म से कि उस इन्ह़िराफ़ से किसी शख़्स को नुक़्सान पहुंचाये तो उसको क़ैद महज की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

तमसील ।

में से किसी क़िस्मकी क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीत्र्प्राद तीन बरसतक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दीजायेंगी।

दफ़ः १६८–कोई शख़्स जो सर्कारी मुलाजिम है और जिस पर उस सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से तिजारत से सरोकार न रखना कानूनन् वाजिब है तिजारत से सरोकार रखे तो शख़्स मज़कूर को क़ैद महज की सजादी जायेगी जिसकी मीत्र्प्राद एक बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

सर्कारी मुलाज़िम जो नाजायज़ तौर पर तिजारत से सरोकार रखे।

दफ़ः १६९–कोई शख़्स जो सर्कारी मुलाज़िम है और जिसपर उस सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से किसी खास मालको ख़रीद न करना या उसके लिये बोली न बोलना क़ानूनन् वाजिब है उस माल को अपने नाम से या किसी दूसरे शख़्स के नाम से बिल इश्तिराक ख्वाह औरों के साथ बित्तखसीस हिसस् खरीदे या उसके लिये बोली बोले तो शख़्स मजकूर को क़ैद महज की सजा दीजायेगी जिसकी मीत्र्प्राद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी और माले मजकूर अगर खरीदा गया हो तो जब्त किया जायेगा।

सर्कारी मुला-ज़िम जो नाजायज़ तौर पर कोई माल ख़रीदे या उसके लिये बोली बोले।

दफ़ः १७०–जो कोई शख़्स सर्कारी मुलाज़िम के तौर पर किसी खास उहदे पर मन्सूब होनेका इद्दिआ करे यह जान कर कि वह उस उहदे पर मन्सूब नहीं है या झूठ मूठ कोई ऐसा शख़्स बने जो उस उहदे पर मन्सूब है और उस वजये इद्दिआई की हालत में उहदःइ मजकूर के एतिबार से कोई फेल करे या किसी फेल का इक़दाम करे तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीत्र्प्राद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

सर्कारी मुला-ज़िम बनना॥

दफ़ः १७१–कोई शख़्स जो सर्कारी मुलाजिमों के किसी खास तबक़े में दाखिल न हो कोई ऐसा लिबास पहने या कोई ऐसा निशान लिये फिरे जो उस लिबास या निशान के मुशाबिह हो जो सर्कारी मुलाजिमों के उस तबके में मुस्तअ़मल है इस नीयत से या इस अमरके

फ़रेब की नीयत से वह लिबास पहना या वह निशान लिये फिरना।

जिसको सर्कारी मुलाज़िम इख्तियार करता हो।

इहतिमाल के इल्म से कि वह शख़्स सर्कारी मुलाज़िमों के उस तबक़े में दाखिल समझा जाय तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन महीने तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा जिस की मिक़दार दो सौ रुपये तक हो सक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

१

बाब १०।

सर्कारी मुलाज़िमों के इख़्तियाराते जायज़ की तहक़ीर के बयान में।

समन या और इत्तिलानामे का अपने पास तक पहूंचना टाल देने के लिये रूपोश हो जाना।

दफ़ः १७२–जो कोई शख़्स इस लिये रूपोश होजाय कि किसी ऐसे सर्कारी मुलाज़िम के जारी किये हुये समन या इत्तिलानामे या हुक्म का उस तक पहूंचना टल जाय जो उस सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से उस समन या इत्तिलानामे या हुक्म के जारी करने का क़ानूनन् मुजाज़ है तो उस शख़्स को क़ैद महज़ की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक महीनेतक होसक्ती है या जुर्मानेकी सजा जिसकी मिक़दार पांच सौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दीजायेंगी–या अगर वह समन या इत्तिलानामः या हुक्म इस मजमून से सादिर हुआहो कि कोई शख़्स किसी कोर्ट आफ जस्टिसमें खुद हाज़िरहो या अपने एजिन्टको हाज़िरकरे या वहां कोई दस्तावेज पेशकरेतो उस शख़्स

को क़ैद महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीत्याद छःमहीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार एक हज़ार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

दफ़ः १७३–जो कोई शख़्स किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम के जारी किये हुये समन या इत्तिलानामे या हुक्म के अपने या औरके पास पहुंचने को किसी तरह क़स्दन् रोके जो उस सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से उस समन या इत्तिला नामे या हुक्म के जारी करने का क़ानूनन् मुजाज़ है–

समन या और इत्तिला नामे के अपने या और के पास तक पहुचने को या उसके मुश्तहर किये जाने को रोकना।

या क़स्दन् उस समन या इत्तिला नामे या हुक्म के किसी जगह जब्राजन् चस्पां किये जाने को रोके–

या किसी ऐसे समन या इत्तिला नामे या हुक्म को किसी जगह से जहां वह जब्राजन् चस्पां किया गया है क़स्दन उखाड़े–

या किसी ऐसे इश्तिहार के इजराय जायज़ को क़स्दन रोके जो किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम के हुक्म के मुताबिक़ हो जो उस सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से उस इश्तिहार के जारी कराने का क़ानूनन् मुजाज है–

तो उस शख़्स को क़ैद महज़ की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीत्र्याद एक महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार पांच सौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी–

या अगर वह समन या इत्तिलानामः या हुक्म या इश्तिहार इस मज़मून से सादिर हुआ हो कि कोई शख़्स किसी कोर्ट आफ जस्टिस में खुद हाजिर हो या अपने एजिन्ट को हाज़िर करे या वहां कोई दस्तावेज पेश करे तो शख्स मजकूर को क़ैद महज की सजा दी जायगी जिसकी मीत्र्याद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपये तक होसक्तीहै या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

दफ़ः १७४–कोई शख़्स जिसको किसी ऐसे सर्कारी मुलाज़िम के जारी किये हुये समन या इत्तिलानामे या हुक्म या इश्तिहार की

हाज़िर होने को जो सर्कारी

(बाब १०-सर्कारी मुलाज़िमों के इख़्तियाराते जायज़ की तहक़ीर के बयान में-दफ़ः १७५ ।)

हुक्म के हुक्म की तामील में हो तर्क करना ।

तामील में जो उस सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से उस समन या इत्तिलानामे या हुक्म या इश्तिहार के जारी करने का क़ानूनन् मुजाज़ है किसी खास मुक़ाम श्रो ख़ास वक्त पर खुद हाजिर होना या अपने एजन्ट को हाजिर करना क़ानूनन् वाजिब हो और वह शख़्स-

उस मौक़ा या वक्त पर हाजिर होना कस्दन तर्क करे या उस मुकाम से जहां उसको हाजिर रहना वाजिब है उस वक्त से पहले चला जाय जब कि उसका वहां से चला जाना जायज है-

तो उस शख़्स को क़ैद महज की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीत्र्याद एक महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार पांच सौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी-

या अगर वह समन या इत्तिला नामः या हुक्म या इश्तिहार इस मज़मून से सादिर हुआ हो कि कोई शख़्स किसी कोर्ट आफ जस्टिस में खुद हाजिर हो या अपने एजन्ट को हाजिर करे तो क़ैद महज की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीत्र्याद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार एक हज़ार रुपये तक हो सक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

तो शख्स मजकूर को क़ैद महज की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद एक महीने तक होसक्ती है या जुर्मानेकी सजा जिसकी मिक़दार पांचसौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दीजायेंगी—

तर्क करे जिसपर उस का पेश करना क़ानूनन् वाजिब है।

या अगर वह दस्तावेज किसी कोर्ट आफ जस्टिस में पेश किये जाने या हवाले कियेजाने को हो तो क़ैद महज की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो सक्ती है या जुर्मानेकी सजा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी—

तमसील।

ज़ैद जिसको किसी ज़िला कोर्ट के हुजूर में किसी दस्तावेज़ का पेश करना क़ानूनन् वाजिब है दस्तावेज़ मज़कूर का पेश करना क़स्दन् तर्क करे तो ज़ैद उस जुर्म का मुर्तकिब होगा जिसकी तारीफ़ इस दफ़ में की गई है।

दफ़: १७६[1]—कोई शख्स जिसपर किसी सर्कारी मुलाज़िमको उसकी सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से किसी अमर की निस्बत कोई इत्तिला देनी या खबर करनी क़ानूनन् वाजिब है उस वक़्त और उस तौर पर जो क़ानून की रू से मुअय्यन है वह इत्तिला देनी या खबर करनी क़स्दन् तर्क करे तो उस शख्स को क़ैद महज की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद एक महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार पांच सौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी—

वह शख्स सर्कारी मुलाज़िम को इत्तिला या ख़बर देनी तर्क करे जिसपर इत्तिला या ख़बर देनी क़ानूनन् वाजिब है।

या अगर वह इत्तिला या खबर जिसके देने का हुक्म है किसी जुर्म[2] के इर्तिकाब से मुतअल्लिक़ हो या किसी जुर्म[2] के इर्तिकाबकी रोक के लिये या किसी मुजरिम[2] के गिरफ़्तार करनेके लिये ज़रूर हो तो उस शख्स को क़ैद महज की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपये तक हो सक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

---

[1] मुलाहज़: तल्ब मालूम के दफ़: ८२ का फुट नोट।

[2] लफ़्ज़ "जुर्म" और "मुजरिम" केमाने के लिये मुलाहज़ तल्ब मावाद की दफ़ १६७ की नज़ीर।

(बाब १०—सर्कारी मुलाज़िमों के इख़्तियार से जायज़ की तहक़ीर के बयान में—दफ़ः १७७

झूठी ख़बर देना।

दफ़ः १७७—कोई शख़्स जिसपर किसी सर्कारी मुलाज़िम को उसकी सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियतसे किसी अमरकी निस्बत ख़बर देनी क़ानूनन् वाजिब हो उस अमर की निस्बत ऐसी बात ख़बर दे जिसको वह झूठी जानता हो या जिसके झूठी जानने कीवजह रखता हो तो शख़्स मज़कूर को क़ैद महज़ की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार एक हज़ार रुपये तक हो सकती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी—

या अगर वह ख़बर जिसका देना उस शख़्स पर क़ानूनन् वाजिब है किसी जुर्मके इर्तिकाबसे मुतअल्लिक हो या किसी जुर्मके इर्तिकाब की रोकके लिये या किसी मुजरिमके गिरिफ़्तार करने के लिये दरकार हो तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक हो सकती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी या।

(बाब १०—सर्कारी मुलाज़िमों के इख़्तियाराते जायज़की तहक़ीर के बयान में—दफ़आत १७८—१७६ ।)

तशरीह[1]—दफः १७६—और इस दफः में लफ्ज़ "जुर्म" में हरएक ऐसा फेल दाखिल है जिसका इर्तिकाब किसी मुक़ाम खारिजे ब्रिटिश इन्डियामें हुआहो और जो ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर सादिर होनेकी तक़दीर में दफआते मर्क़ूमुज्जैल याने दफआत ३०२ओ ३०४ ओ ३८२ ओ ३९२ ओ ३९३ ओ ३९४ ओ ३९५ ओ ३९६ ओ ३९७ ओ ३९८ ओ ३९९ ओ ४०२ ओ ४३५ ओ ४३६ ओ ४४९ ओ ४५० ओ ४५७ ओ ४५८ ओ ४५९ ओ ४६० में से किसी दफः की रूसे लायक़े सजा होता—और लफ़्ज़ "मुजरिम" में हरएक शख़्स दाखिल है जिसकी निस्बत किसी वैसे फेल का मुजरिम होना जाहिर किया गया है ।

दफ़ः १७८—जो कोई शख़्स सच सच बयान करने के लिये हल्फ उठाने[2] [या इक़रार सालिह करने] से उस हालमें इन्कार करे जब कि कोई ऐसा सर्कारी मुलाजिम उसको उस अमरका हुक्मदे जो उस अमर के लिये हुक्म देने का कानूनन् मुजाज है तो उस शख़्स को क़ैद महज की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार एक हज़ार रुपयेतक होसक्ती है या दोनों सजायें दीजायेंगी ।

हल्फ़ उठाने या इक़रारे सालिह करने से इन्कार करना जब कोई सर्कारी मुलाज़िम उस का बाज़ाबितः हुक्म दे ।

दफ़ः १७६—कोई शख़्स जिसपर किसी अमर की निस्बत किसी सर्कारी मुलाजिम से सच सच बयान करना क़ानूनन् वाजिब हो कि किसी ऐसे सवालके जवाब देने से इन्कारकरे जो वह सर्कारी मुलाजिम उस सर्कारी मुलाजिमी के इख़्तियाराते कानूनी के निफाजमें उस अमर की निस्बत उससे पूछे तो उस शख़्स को क़ैद महज की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपयेतक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

सर्कारी मुलाज़िम को जो सवाल करने का इख़्तियार रखता है जवाब देने से इन्कार करना ।

[1] यह तशरीह हिन्दके फौजदारी आईनके तर्मीम करनेवाले ऐक्ट सन्१८९४ई० (नम्बर३ मुसदर इ सन १८९४ ई०) की दफ़:२के ज़रीयेसे इल्हाक कीगई [ऐक्ट हायआम—जिल्द६]

[2] यहअलफ़ाज़ ऐक्ट मुतअल्लिके हल्फ मजरीय इ हिन्द सन्१८७३ई०(नम्बर१०मुसदरः इ सन् १८७३ ई०) की दफः १४ के ज़रीय से दाखिल कियेगये[ऐक्ट हायआम—जिल्द२]

(बाब १०—सर्कारी मुलाज़िमों के इख्तियाराते जायज़की तह्कीरके बयान में—दफ़आत १८०–१८२।)

बयान पर दस्तखत करने से इन्कार करना।

दफ़ः १८०—जो कोई शख्स अपने किसी बयानपर जो क़लमबन्द हुआहो उस हालमें दस्तखत करने से इन्कारकरे जब कि कोई सर्कारी मुलाजिम जो उस शख्स को उस बयान पर दस्तखत करने के लिये हुक्म देने का क़ानूनन् मुजाज़ है उस को उस बयान पर दस्तखत करने का हुक्म दे तो शख्स मजकूर को क़ैद महज की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार पांचसौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

सर्कारी मुलाजिम या उस शख्स से जो हल्फ़ या इक़रारे सालिह लेने का इख्तियार रखता है व हल्फ़ व इक़रारे सालिह झूठ बयान करना।

दफ़ः १८१—कोई शख्स जिसका हलफ[1] [या इक़रारे सालिह] की रूसे किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम या किसी ऐसे दूसरे शख्स के रूबरू जिसको क़ानूनन् ऐसे हलफ[1] [या इक़रारे सालिह] लेने का इख्तियार है किसी अमर में सच सच बयान करना क़ानूनन् वाजिबहो उस सर्कारी मुलाजिम या उस दूसरे शख्स से जिसका ऊपर जिक्र हुआहै उस अमर की निस्बत कुछ बयानकरे जो झूठा हो और जिसको वह झूठा जानता या झूठा बावर करताहो या जिसको वह सच्चा बावर न करता हो तो उस शख्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैदकी सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

दफ़ः १८२[2]—जो कोई शख्स किसी सर्कारी मुलाजिमको कोई ऐसी खबर दे जिसको वह झूठी जानता या झूठी बावर करता हो और उसकी यह नीयत हो या इस अमर का एहतिमाल उसके इल्म में हो कि उसके जरीये से उस सर्कारी मुलाजिम से—

(अलिफ) कोई ऐसा अमर कराय या तर्क कराय जिस का करना या तर्क करना उस सर्कारी मुलाज़िम को न चाहिये था अगर उन वाकिआतका सच्चा हाल जिनकी निस्बत वह ख़बर दीगई है उसको मालूम होता—या

(बे) उस की सर्कारी मुलाज़िमी का इख़्तियारे जायज़ किसी शख़्स को नुक़सान या रंज पहुंचाने के लिये नाफ़िज़ कराय—

तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार एक हज़ार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दीजायें गी।

तमसीलें।

(अलिफ़) ज़ैद किसी मजिस्ट्रेट को यह ख़बर दे कि बकर जो एक उहदःदारे पुलीस है और उस मजिस्ट्रेट का मातहत है अपने काम में ग़फ़लत या बदचलनीका मुजरिम हुआ है यह जानकर कि वह ख़बर झूठी है और यह जानकर कि उस ख़बर के सबब से इहतिमाल है कि वह मजिस्ट्रेट बक्र को मौक़ूफ़ कर देगा तो ज़ैद उस जुर्म का मुर्तकिब हुआ जिसकी तारीफ़ इस दफ़ः में की गई है।

(बे) ज़ैद किसी सर्कारी मुलाज़िम को यह झूठी ख़बर दे कि बक्रके पास एकमख़्फ़ी जगह में नमके ममनू मौजूद है यह जानकर कि वह ख़बर झूठी है और यह जानकर कि उस ख़बर के सबब से बक्र की ख़ानः तलाशी होने का इहतिमाल है जिससे बक्रको रंज पहुंचेगा तो ज़ैद उस जुर्म का मुर्तकिब होगा जिसकी तारीफ़ इस दफ़ः में की गई है।

(जीम) ज़ैद किसी अहले पुलीस को यह झूठीख़बर दे कि फ़ुलां गांवके क़ुर्ब ओ जवार में मुझपर हम्ला हुआ है और मैं लूटागया हूं मगर ज़ैद उसपर हम्ला करनेवालों में से किसीएक का भी नाम नहीं बताता है मगर यह जानता है कि इसका इहतिमाल है कि इस ख़बर के सबब से पुलीसउस गांवमें तहक़ीक़ातकरेगा और तलाशी लेगा जिससे गांववालोंको या उनमें से बाज़को रंज पहुंचे गा तो ज़ैद इस दफ़ः की रू से मुर्तकिब जुर्म हुआ।

दफ़ः१८३—जो कोईशख़्स किसीमालकेलिये जानेमें जो किसी सर्कारी मुलाज़िमके इख़्तियारे जायज की रूसे लिया जाता हो किसी तरह का तअर्रुज़ करे यह जानकर या बावर करने की वजह रख कर

माल के लिये जाने में जो सर्कारी मुला-

(बाब १०—सर्कारीमुलाज़िमों के इख्तियाराते जायज़की तहक़ीर के बयान में— दफ़आत १८४—१८६ ।)

ज़िम के इख्ति-यार जायज़की रूसे लिया जाता हो तअ-र्रुज़ करना।

कि वह ऐसा ही सर्कारी मुलाज़िम है तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

माल के नीलाम में जो सर्कारी मुला-ज़िमके इख्ति-यार की रूसे नीलाम पर चढ़ाया गया हो—मुज़ाहम होना।

दफ़ः १८४—जो कोई शख़्स किसी माल के नीलाम में जो बहैसियते मुलाज़िमी किसी सर्कारी मुलाज़िम के इख्तियारे जायज़की रू से नीलाम पर चढ़ाया गया हो क़स्दन् मुज़ाहमत पहुंचाये तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद एकमहीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार पांच सौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दीजायेंगी।

दफ़ः १८५—जो कोई शख़्स किसी माल के नीलाममें जो बहैसियते मुलाज़िमी किसी सर्कारी मुलाज़िम के इख्तियारे जायज़की रू से होता हो किसी शख़्स के लिये—ख़्वाह इससे कि ख़ुदही हो या कोई और—कोईमाल ख़रीदे या उसके लिये बोली बोले यह जान कर कि उस शख़्स को उस नीलाममें माले मज़कूरका ख़रीदना क़ानूनन ममनू है या उस माल पर बोली बोले और उन शरायत के अदा करने की नीयत न रखता हो जो उस बोली बोलने से उस पर आयद होंगी तो शख़्स मज़कूरको दोनों क़िस्मोंमेंसे किसी क़िस्मकी क़ैदकी सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एकमहीने तकहोसक्तीहै या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार दोसौ रुपयेतक होसक्तीहै या दोनों सजायेंदीजायेंगी।

(बाब १०—सर्कारी मुलाज़िमों के इख्तियाराते जायज़ की तहक़ीर के बयान में—दफ़आत १८७—१८८।)

दफ़ः [1] १८७—जो कोई शख़्स जिस पर किसी सर्कारी मुलाज़िम को उसके लवाज़िमे मन्सबी की अंजामदिही में मदद देनी या पहुंचानी क़ानूनन् वाजिब हो क़सदन् ऐसी मदद देनी तर्क करे तो उसको क़ैद महज़ की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार दोसौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दीजायेंगी—

सर्कारी मुलाज़िम के मदद देने को तर्क करना जब कि क़ानून की रू से मदद देना वाजिब हो।

और अगर वह मदद उस शख़्स से किसी ऐसे सर्कारी मुलाज़िमने मांगी हो जो क़ानूनन् मुजाज है ऐसी मदद तलब करने का वास्ते तामील किसी हुक्मनामे के जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसने जवाज़न् जारी किया हो या किसी जुर्म के इर्तिकाब के रोकने या किसी बलवे या हंगामे के फ़रो करने के लिये या किसी ऐसे शख़्स के गिरफ़्तार करने के लिये जिसपर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया गया हो या जो किसी जुर्म का या हिरासते जायज से भाग जाने का मुजरिम हुआ हो तो शख़्स मजकूर को क़ैद महज़ की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार पांचसौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

दफ़ः [1] १८८—जो कोई शख़्स यह जान कर कि उसको हुक्म के ज़रीये से जो किसी ऐसे सर्कारी मुलाज़िम ने मशहूर कराया हो जो क़ानून की रू से ऐसे हुक्म के मशहूर कराने का मुजाज है किसी खास फेल से बाज रहने या किसी खास माल की निस्बत जो उसके क़ब्जे या इहतिमाम में है कोई खास बन्दोबस्त करने की हिदायत हुई है और वह शख़्स उस हिदायत से इन्हिराफ़ करे—

सर्कारी मुलाज़िम के बाज़ाबितः मशहूर कराये हुये हुक्म से इन्हिराफ़।

तो अगर वह इन्हिराफ़ उन लोगों को जो किसी कारेजायज में मसरूफ़ हैं मुज़ाहमत या रंज या नुक़सान या मुजाहमत या रंज या नुकसान का खतरः पहुंचाय या पहुंचाने की तरफ़ मुनजर हो तो उस शख़्स को क़ैद महज़ की सजा दीजायेगी जो एक महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार दोसौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दीजायेंगी—

[1] मुलाहज़ः तलब माक़ब्ल के सफ़. ८२ का फुट नोट।

और अगर वह इन्हिराफ इन्सान की जान या आफ़ियत या सलामती को खतरः पहुंचाय या पहुंचाने की तरफ मुनजर हो या कोई बल्वः या हंगामःबरपा करे या बरपा करने की तरफ मुनजर हो तो उस शख़्स को दोनों किस्मों में से किसी क़िस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपये तक हो सक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

तशरीह—यह जरूर नहीं है कि गजन्द पहुंचाना मुजरिम की नीयत में हो या उस अमर का इहतिमाल उसके ज़िहन में हो कि उसके इन्हिराफ से गजन्द पैदा होगा बल्कि इतना ही काफी है कि वह उस हुक्म को जानता हो जिस्से वह इन्हिराफ करता है और यह कि उसका इन्हिराफ गजन्द पैदा करता है या उस्से गजन्द पैदा होने का इहतिमाल है ।

दफ़ः १९०—जो कोई किसी शख़्स को इस गरज से नुक़्सान पहुंचानेकी धम्की दे कि वह किसी नुक़्सान से मुहाफ़िजत कियेजाने के लिये किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिमके हुज़ूरमें हस्ब क़ानून दर्ख़ास्त करने से बाजरहे या दस्तकशहो जो उस सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से ऐसी मुहाफ़िजत करने या कराने का क़ानूनन् मुजाजहो तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी कैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

किसी शख़्स को सर्कारी मुलाज़िम से दर्ख़ास्त मुहाफ़िज़त करने से बाज़रहने की तहरीक करने के लिये नुक़सान की धम्की देना ।

बाब ११ ।[1]

झूठी गवाही और जरायम मुख़ालिफ़े मआदलते आम्मः के बयानमें।

दफ़ः १९१—कोई शख़्स जिसपर क़ानूनन् हल्फ़की रूसे या क़ानूनके किसी खास हुक्मसे सच सच बयान करना या क़ानूनकी रूसे

झूठी गवाही देना ।

---

[1] दरबार-तअ़ल्लुक पिज़ीर होने दफ़आत १९४ ओ १९५ ओ २०१ लग़ायत २०३ ओ २११ लग़ायत २१४ ओ २१६ ओ २२१ लग़ायत २२५ निस्बते जरायम तहते क़वानीने मुख़्तस्सुल अमर या मुख़्तस्सुल मुक़ामके—मुलाहज़ तलब माक़ब्ल की दफ़: ४० ।

दरबार इ इख़्तियार वास्ते रुजू करने इस्तिगासों के तहते दफ़आत १९३ लग़ायत १९६ या दफ़ १९९ या २०० या २०५ लग़ायत २११ या २२८—मुलाहज़ तलब मजमूअ इ ज़ाबित इ फ़ौजदारी सन् १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदरःइ सन् १८९८ ई०) की दफ़ १९५ ज़िम्न (ब) [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ६]।

दरबारःइ ज़ाबित इ कार्रवाई उन जुर्मों की सूरत में जो दफ़ १९३ या १९६ या १९९ या २०० या २०५ लग़ायत २१० में मज़कूरहैं—मुलाहज तलब मजमूअ इ ज़ाबित इ दीवानी की दफ़ ६४३ [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ४] और उस जुर्मकी सूरतमें जो दफ़ २२८ में मज़कूर है—मुलाहज़ तलब मजमूअःइ ज़ाबित इ फ़ौजदारी सन् १८९८ ई० (ऐक्ट५मुसदरःइ सन् १८९८ ई०) की दफ़आत ४८० ओ ४८१ ओ ४८२—और प्रेज़ीडेंसी शहरों की अदालतहाय मुतालिबाते ख़फ़ीफ़ः के ऐक्ट सन् १८८२ ई० (नम्बर १५ मुसदर इ सन् १८८२ ई०) का बाब २२ [ऐक्ट हायआम—जिल्द ४]।

दरबार इ सज़ाय ताज़ियानःन पाने का उन जुर्मों के जो दस्त दफ़ः १९३ क़ाबिले सज़ा है जिनकी तारीफ़ दफ़ १९४ या १९५ या २११ में कीगई है—मुलाहज़ तलब ऐक्ट सज़ाय

किसी अमर की निस्बत कुछ इक़रार करना वाजिब हो कोई ऐसा बयानकरे जो झूठाहो और जिसको वह झूठा जानता याह झूठा बावर करताहो या जिसको वह सच्चा बावर न करता हो तो कहा जायगा कि उसने झूठी गवाही दी।

तशरीह १—कोई बयान आम इससे कि वह ज़बान से किया जाय या किसी और तरह इस दफ़ः की मुराद में दाख़िल है।

तशरीह २—कोई झूठा बयान जो तसदीक़ करनेवाला शख़्स अपनी दानिस्त की निस्बतकरे इस दफ़ा की मुरादमें दाख़िलहै और जैसे कि कोई शख़्स यह बयान करने से कि मैं फलानी बात जानताहूं जिसको वह न जानताहो झूठी गवाही देनेका मुजरिम है वैसेही यह शख़्स भी झूठी गवाही देनेका मुजरिम होसकताहै जो बयान करे कि मैं फलानी बातको बावर करताहूं जिसको वह बावर न करताहो।

(जीम) ज़ैद जो बक्र की ख़त की शान पहचानता है यह बयान करे कि मैं बावर करताहूं कि फ़ुला दस्तख़त बकर के हाथ के लिखे हुये हैं और नेकनीयती से ऐसाही बावर करता हू तो इस सूरत में ज़ैद का बयान सिर्फ़ अपनी दानिस्त की निस्बत है और वह उसकी दानिस्त की निस्बत सच्चा है और इस लिये ज़ैद ने झूठी गवाही नहीं दी गो वह दस्तख़त बक्रके हाथ के लिखे न हों।

(दाल) ज़ैद जिसपर एक हलफ़ की रूसे सच सच बयान करना वाजिब है यह बयान करे कि मैं जानता हू कि बक्र फ़ुला दिन फ़ुला जगह मौजूद था हालांकि वह इस अमरकी निस्बत कुछ न जानताहो तो जैदने झूठी गवाही दी आम इससे कि बक्र उस रोज़ उस जगह मौजूद था या नहीं।

(हे) जैद तर्जुमान या मुतरज्जिम है जिसपर हलफ की रूसे वाजिब है कि किसी बयान या दस्तावेज़ का ज़बानी या तहरीरी सच्चा तर्जुम करे और वह ज़बानी या तहरीरी सच्चे तर्जुमे के तौरपर उसका ऐसा ज़बानी या तहरीरी झूठा तर्जुमः करे या उसकी तसदीक़ करे जो सच्चा न हो और जिसका सच्चा होना बावर न करता हो तो ज़ैद ने झूठी गवाही दी।

दफ़ः १९२—जो कोई शख़्स कोई सूरत पैदाकरे या किसी किताब या किसी काग़ज़े सरिश्तः में कोई झूठी तहरीर बनाय या कोई दस्तावेज़ जिस में कोई झूठा बयान मुन्दर्जहो बनाय इस नीयत से कि वह सूरत या झूठी तहरीर या झूठा बयान अदालत की किसी कार्रवाई में या किसी कार्रवाई में जो क़ानून की रूसे किसी सर्कारी मुलाज़िम के रूबरू उस की सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से या किसी सालिस के रूबरू होरही हो वजह सबूत में पेश होसके और इस नीयत से कि वह सूरत या झूठी तहरीर या झूठा बयान जो इसी तरह वजह सुबूत में पेश होसके किसी ऐसे शख़्स को जो उस कार्रवाई में वजह सुबूत की निस्बत राय लगायेगा किसी अमर की निस्बत जो उस कार्रवाई के नतीजे के लिये अहम है ग़लत राय बहम पहुंचाने का बाइस होसके तो कहा जायेगा कि उस शख़्स ने "झूठी गवाही बनाई"।

झूठी गवाही बनाना।

तमसीलें।

(अलिफ़) ज़ैद किसी सन्दूक में जो बक्र का है इस नीयत से कुछ ज़ेवर रखदे कि वह जेवर उस सन्दूक़ से बरामद हो और यह सूरत बक्र को सर्क़े का मुजरिम साबित कराय तो जैदने झूठी गवाही बनाई।

(बाब ११-झूटी गवाही और जरायम मुख़ालिफ़े मादलते आम्मः के बयान में-दफ़ः१९३)

(वे) जैद अपनी दूकान के बही खाते में इस ग़रज़ से कोई झूटी तहरीर बनाय कि वह उसको किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस में बमन्ज़िलः सुबूते मुवय्यद काम में लाय तो जैदने झूटी गवाही बनाई।

(जीम) जैद इस नीयत से कि बकरको मशवरःइ मुजरिमानः का मुजरिम साबित कराय इस तरह एक चिट्ठी लिखे कि उसमें बकर के ख़त से अपना ख़त मिलादे और वह चिट्ठी उस मशवरःइ मुजरिमानः के किसी शरीक के नाम लिखी हुई जानी जाय और उस चिट्ठी को ऐसी जगह रखे जहां वह जानता हो कि ग़ालिबन् पुलीसके उहदःदार तलाश करेंगे तो ज़ैदने झूटी गवाही बनाई।

झूटी गवाही की सज़ा।

दफ़ः १९३—जो कोई शख़्स अदालत की कार्रवाई की किसी हालत में क़स्दन् झूटी गवाही दे या इस ग़रज से झूटी गवाही बनाय कि वह अदालत की किसी कार्रवाई की किसी हालत में काम में लाई जाय तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की कैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा—

और जो कोई शख़्स क़स्दन् किसी और हाल में झूटी गवाही दे या बनाय तो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की कैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का मुस्तौजिब होगा।

तशरीह १—जो कोई मुक़द्दमः किसी कोर्ट मार्शल [1] **** के हुज़ूर में दर पेशहो उसकी तहक़ीक़ात और तजवीज़ अदालत की एक कार्रवाई [2] है।

तशरीह २—किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस के हुज़ूर की कार्रवाई से पहले जिस तफ़तीश की निस्बत क़ानून की रूसे हिदायतहो वह तफ़तीश अदालत की कार्रवाई [2] की एक हालत है गो वह तफ़तीश किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस के हुज़ूर में वाक़े न हो।

---

१ अल्फ़ाज़ "या किसी मिलिटरी कोर्ट आफ़ रेक्विस्ट" छावनियों के ऐक्ट सन् १८८० ई० (नम्बर १३ मुसद्दरःइ सन् १८८९ ई०) के ज़रीये मन्सूख़ किये गये [ऐक्ट हायआम—जिल्द ४]

२ "अदालत की कार्रवाई" की तारीफ़ के लिये मुलाहिज़ा तलब मजमूअःइ ज़ाबितःइ फ़ौजदारी सन् १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसद्दरःइ सन् १८९८ ई०) की दफ़ः ४ फ़िक़रः (मीम) [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ६]।

(बाब ११-झूठी गवाही और जरायम मुखालिफ़े मादलते आम्मः के बयान में-दफ़ः १९४।)

तमसील।

ज़ैद किसी तहक़ीक़ात में जो किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू इस अमर की तन्क़ीह करने की गरज़ से हो रही हो कि आया बक़र तजवीज़े मुक़द्दमः के लिये सिशन में सपुर्द किया जाय या नहीं हलफ़ से कुछ बयान करे जिसको वह झूठा जानता हो तो चूंकि यह तहक़ीक़ात अदालत की कार्रवाई की एक हालत है इस लिये ज़ैदने झूठी गवाही दी।

तशरीह ३-कोई तफ़तीश जिसके लिये क़ानून के मुताविक़ किसी कोर्ट आफ जस्टिस की जानिब से हिदायत हो और जो किसी कोर्ट आफ जस्टिस के हुक्म के मुताविक़ अमल में आये अदालत की कार्रवाई की एक हालत है गो वह तफ़तीश किसी कोर्ट आफ जस्टिस के हुज़ूर में वाक़े न हो।

तमसील।

ज़ैद एक तहक़ीक़ात में किसी अहलकार के रूबरू जो किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस की तरफ़ से वर सरे ज़मीन किसी अराज़ी की हुदूद को दर्याफ़्त करने के लिये मुअय्यन हुआ हो हलफ़ की रू से कुछ बयान करे जिसको वह झूठा जानता हो तो चूंकि यह तहक़ीक़ात अदालत की कार्रवाई की एक हालत है तो ज़ैदने झूठी गवाही दी।

जुर्म क़ाबिले सज़ाय मौत के साबित कराने की नीयत से झूठी गवाही देना या बनाना।)

दफ़ः १९४-जो कोई शख़्स झूठी गवाही दे या बनाये इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उस झूठी गवाही के बाइस किसी शख़्सको ऐसे जुर्मका मुजरिम साबित कराये जिसकी पादाश में [1][क़ानून ब्रिटिश इन्डिया या इंगलिस्तान की रू से] सज़ाय मौत मुक़र्रर है तो शख़्स मजकूर को हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या क़ैद सख़्त की सजा दी जायगी जिसकी मीआद दस वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा-

अगर बेगुनाह शख़्स उसके सबब से मुजरिम साबित होजाय और सज़ाय मौत पाजाय।

और अगर कोई वे गुनाह शख़्स उस झूठी गवाही के सबब मुजरिम साबित होजाय और सज़ाय मौत पाजाय तो उस शख़्स को जिसने ऐसी झूठी गवाही दी हो या तो सज़ाय मौत दीजायेगी या वह सज़ा जो इस दफ़ः में पहले मजकूर हुई है।

---

[1] यह अलफ़ाज़ बजाय अल्फ़ाज़ "बज़रीये इस मजमूअः के" हिन्द की रेलवयों के ऐक्ट सन् १८९० ई० (नम्बर ९ मुसदरःइ सन् १८९० ई०) की दफ़ः १४९ के ज़रीये से क़ायम कियेगये [ऐक्ट हाय आम-जिल्द ५]।

(बाब ११-झूठी गवाही और जरायम मुतअल्लिक़े मादलते आम्मः के बयान में-दफ़आत १९५-१९७।)

झूठी गवाही देना या बनाना जुर्मे क़ाबिल सज़ाय हब्स बउबूरे दर्याय शोर या क़ैद के साबित कराने की नीयत से झूठी गवाही देना या बनाना।

दफ़ः १९५—जो कोई शख़्स झूठी गवाही दे या बनाये इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उस झूठी गवाही के बाइस किसी शख़्स को ऐसे जुर्मका मुजरिम साबित कराये जिस की पादाश में [1][क़ानून ब्रिटिश इन्डिया या इंगलिस्तान की रू से] सज़ाय मौत तो मुक़र्रर नहीं है मगर हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या क़ैद जिसकी मीआद सात बरस या ज़ियादः है मुक़र्रर है तो शख़्स मज़कूर को वह सज़ा दी जायेगी जिसका मुस्तौजिब वह शख़्स है जो उस जुर्म का मुजरिम साबित होजाय।

तमसील।

ज़ैद किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस के हुज़ूर में इस नीयत से झूठी गवाही दे कि उसके ज़रीये से बक्र को डकैती का मुजरिम साबित कराये तो चूंकि डकैती के लिये हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या क़ैद सख़्त की सज़ा मुक़र्रर है जिसकी मीआद दस बरस तक हो सक्ती है मअ जुर्मानः या बिला जुर्मानः इस लिये ज़ैद उस हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या उस क़ैद सख़्त का मअ जुर्मानः या बिला जुर्मानः मुस्तौजिब है।

झूठ जानी हुई वजह सबूत को काममें लाना।

दफ़ः १९६—जो कोई शख़्स फ़ासिद तौर से किसी वजह सुबूत को जिसे वह जानता है कि झूठी या बनाई हुई है सच्ची या असली वजह सुबूत की हैसियत से काम में लाये या काम में लाने का इक़दाम करे तो उसको उसी तरह सज़ा दी जायेगी कि गोया उसने झूठी गवाही दी या बनाई।

झूठा सर्टीफ़िकट जारी करना या उस पर दस्तख़त करना।

दफ़ः १९७—जो कोई शख़्स कोई ऐसा सर्टीफिकट जारीकरे या उसपर दस्तख़त करे जिसका दिया जाना या जिसपर दस्तख़त किया जाना क़ानून की रू से ज़रूर है या जो किसी ऐसे उमूरे वाक़ई से मुतअल्लिक़ हो जिसकी वजह सुबूत के तौर पर वह सर्टीफिकट क़ानूनन् ले लिये जाने के लायक़ है और यह जानकर या बावर करने की वजह रखकर कि उस सर्टीफिकट में कोई अमर अहम झूठ लिखा

[1] यह अलफ़ाज़ बजाय अलफ़ाज़ "बज़रीये इस मजमूअः के" हिन्द की रेलवयों के ऐक्ट सन् १८९० ई० (नम्बर ९ मुसद्दरः सन् १८९० ई०) की दफ़ः १८९ के ज़रीये से क़ायम कियेगये [ऐक्ट हायआम-जिल्द ५]।

(बाब ११–झूठी गवाही और जरायम मुखालिफ़े मादलते आम्म के बयान में–
दफ़आत १९८–२०१ ।)

है तो उस शख़्स को उसी तरह सज़ा दीजायेगी कि गोया उसने झूठी गवाही दी ।

दफ़ः १९८–जो कोई शख़्स फासिद तौर से किसी ऐसे सर्टी फिकट को सच्चे सर्टीफिकटकी हैसियत से काम में लाये या काममें लाने का इक़दाम करे यह जानकर कि उस सर्टीफिकट में कोई अमर अहम झूठ लिखा है तो उस को उसी तरह सजा दीजायेगी कि गोया उसने झूठी गवाही दी ।

किसी सर्टीफ़िकटको जो झूठ जानाहुआ है सच्चेकी हैसियत से काम मे लाना ।

दफ़ः १९९–जो कोई शख़्स किसी इजहार[1] में जो उसने दिया या जिसपर उसने दस्तखत किये हों और जिस इजहार को किसी अमर वक़ूई की वजह सुबूत के तौर पर ले लेना किसी कोर्ट आफ जस्टिस या किसी सर्कारी मुलाजिम या किसी और शख़्स पर क़ानूनन् वाजिब या उसके लिये क़ानूनन् जायज हो उस मतलब के किसी अमर अहमकी निस्वत जिसके लिये वह इजहार दिया गया या काम में लाया गयाहै कुछ बयान करे जो झूठा हो और जिसका झूठा होना या तो वह जानता या बावर करता हो या जिसका सच्चा होना वह बावर न करता होतो उस शख़्स को उसी तरह सजादीजायेगी गोया कि उसने झूठी गवाही दी।

इज़हार में जो क़ानून की रू से वजह सुबूत के तौर पर लिये जाने के लायक है झूठ बयान करना ।

दफ़ः २००–जो कोई शख़्स फासिद तौर से किसी ऐसे इज़हार को सच्चे इजहार की हैसियत से काम में लाये या काम में लानेका इक़दाम करे यह जानकर कि उसमें कोई अमर अहम झूठा है तो उसको उसी तरह सजा दीजायेगी कि गोया उसने झूठी गवाही दी ।

झूठ जाने हुये किसी ऐसे इज़हारको सच्चे की हैसियत से काम में लाना ।

तशरीह–हर एक ऐसा इजहार जो सिर्फ किसी बेज़ाब्तिगी की वजह से ले लिये जाने के क़ाबिल नहो दफ़आत १९९ और २०० की मुराद में दाखिल है ।

दफ़ः २०१–जो कोई शख़्स यह जान कर या इस अमर के बावर करने की वजह रख कर कि किसी जुर्म[2] का इर्तिकाब हुआ उस जुर्म के इर्तिकाब की किसी वजह सुबूत को इस नीयत से गायब करादे

मुजरिम को बचाने के लिये जुर्म की वजह सुबूतको गायब करा देना या

[1] "इज़हार" के माने के लिये मुलाहज़ा तलब दफ़ः २००की तशरीह ।

[2] " जुर्म " के माने के लिये मुलाहज़ा तलब माबाद की दफ़ः२०३ की तशरीह ।

झूठ ख़बर देना—

कि मुजरिम को सज़ाय जायज़ से बचाये या इसी नीयत से उस जुर्म की निस्बत कुछ ख़बर दे जिसका झूठा होना वह जानता या बावर करता हो—

अगर मुस्तौजिबे सज़ाय मौत हो।

तो अगर उस जुर्म की पादाश में जिसको वह जानता या बावर करता है कि उसका इर्तिकाब हुआ सज़ाय मौत मुक़र्रर है तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ादी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा—=

अगरमुस्तौजिबे हब्स बउबूरे दर्याय शोरहो

और अगर उस जुर्मकी पादाश में हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या ऐसी क़ैद की सज़ा मुक़र्रर है जिसकी मीआद दस बरस तक हो सक्ती है तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ादी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा—

अगरमुस्तौजिबे क़ैदकमअज़दह साल हो।

और अगर उस जुर्मकी पादाश में ऐसी क़ैद की सज़ा मुक़र्रर है जिसकी मीआद दस बरस से कमहो तो उस शख़्स को उस क़िस्म की क़ैद की सज़ादी जायेगी जो उसजुर्म के लिये मुक़र्रर है और जिसकी मीआद उस क़ैद की बड़ी से बड़ी मीआद की एक चौथाईतक होसक्ती है जो जुर्म मज़कूर के लिये मुक़र्रर है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

तमसील।

ज़ैद यह जानकर कि बक्र ने ख़ालिदको मार डाला है लाश दबाने में इस नीयत से बक्र की मदद करे कि बक्र को सज़ा से बचाये तो ज़ैद सात बरस के लिये दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद का मुस्तौजिब है और जुर्माने का भी मुस्तौजिब है।

जुर्म की ख़बर देने को वह शख़्स क़स्दन तर्क करे

दफ़ः२०२—जो कोई शख़्स यह जान कर या इस अम्र के बावर करने की वजह रखकर कि किसी जुर्म[1] का इर्तिकाब हुआ क़स्दन उसजुर्म की निस्बत कोई ऐसी ख़बर देनी तर्क करे जिसका देना क़ानून

---

[1] "जुर्म" के मानी के लिये मुलाहज़ा तम्बीह मातहत की दफ़ः २०३ कीतमहीद।

उस पर वाजिब है तो उस शख्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छःमहीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

जिसपर खबर देना वाजिब है।

दफ़ः २०३—जो कोई शख्स यह जान कर या इस अमर के बावर करने की वजह रखकर कि किसी जुर्म का इर्तिकाब हुआ है उस जुर्म की निस्बत कोई खबर दे जिसका झूठा होना वह जानता या बावर करता हो तो उस शख्स को दोनों किस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

इर्तिकाब किये हुये किसी जुर्म की निस्बत झूठ खबर देना।

तशरीह—दफआत २०१ और २०२ में और इस दफः में लफज 'जुर्म' में हर एक फेल दाखिल है जिसका इर्तिकाब किसी मुकाम खारिजे ब्रिटिश इन्डिया में हुआ हो और जो ब्रिटिश इन्डियाके अन्दर सादिर होने की तक़दीर में दफआते मर्कूमुज़्ज़ैल याने दफआत ३०२ ओ ३०४ ओ ३८२ ओ ३९२ ओ ३९३ ओ ३९४ ओ ३९५ ओ ३९६ ओ ३९७ ओ ३९८ ओ ३९९ ओ ४०२ ओ ४३५ ओ ४३९ ओ ४४६ ओ ४५० ओ ४५७ ओ ४५८ ओ ४५९ ओ ४६०[1] में से किसी दफः की रूसे लायक़े सजा होता।

दफ़ः २०४—जो कोई शख्स किसी ऐसी दस्तावेज को छुपाये या तलफ कर डाले जिसको वह किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस के हुज़ूर में या किसी कार्रवाई में जो कानून के मुताबिक़ किसी सर्कारी मुलाज़िम के रू बरू उसकी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से हो रही हो सुबूत के तौर पर पेश करने के लिये क़ानूनन् मजबूर होसके या उस तमाम दस्तावेज या उसके किसी जुज़ को मिटा डाले या ऐसा करदे कि पढ़ी न जाय इस नीयत से कि उस कोर्ट या उस सर्कारी मुलाजिमे मजकूरुस्सदर के हुज़ूर में उस दस्तावेज़ का वजह सुबूत के तौर पर पेश होना या काम में आना रोक दे या बाद इस के कि उस

वजह सुबूत के तौर पर किसी दस्तावेज़ का पेश किये जाना रोक देने के लिये उसे ज़ाये करना।

[1] यह तशरीह हिन्द के फौजदारी आईन के तरमीम करने वाले ऐक्ट सन् १८९४ ई० (नम्बर ३ मुसद्दरः सन् १८९४ ई०) की दफ़ ६ के ज़रिये से इल्हाक़ की गई।

(बाब ११—झूठी गवाही और जरायम मुख़ालिफ़े मादलते आम्म. के बयान में— दफ़आत २०१—२०७ ।)

को बग़रज़े मज़कूर उस दस्तावेज़ के पेश करने के लिये क़ानून रू से हुक्म या हिदायत हो चुकी हो अफ़आले मज़कूर; में से फ़ेल का मुर्तकिब हो तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

मुक़द्दमे या इस्तिग़ासे में किसी अमर या अमल दरामद् की ग़रज़ से झूठ मूठ कोई और शख़्स बनना ।

दफ़ः २०५—जो कोई शख़्स झूठ मूठ कोई और शख़्स बनकर उस वज़ये इद्देआई की हालत में कोई इक़रार या बयान करे या इक़बाल दावा दाख़िल करे या कोई हुक्मनामः जारी कराये या हाज़िर ज़ामिन या माल ज़ामिन होजाय या दीवानी के किसी मुक़द्दमे या फौजदारी के किसी इस्तिग़ासे में कोई और अमर करे तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों मे से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

ज़ब्ती के तौर पर या डिगरी की तामील में किसी माल का कुर्क़ किया जाना रोकने के लिये उसे फ़रेब से दूरकरना या छुपाना ।

दफ़ः २०६—जो कोई शख़्स फरेब से किसी माल को या किसी इस्तिहक़ाक को जो उस माल में हो इस नीयत से दूर करे या छुपाये या किसी के नाम पर मुन्तकिल कर दे या किसी शख़्स के हवाले कर दे कि हुक्म के मुताबिक़ जो किसी कोर्ट आफ जस्टिस या किसी और हाकिमे मुजाज की जानिब से सादिर हुआ हो या जिसको वह शख़्स जानता है कि उसके सादिर होने का इहतिमाल है वह माल या इस्तिहकाक जो उस माल में है ज़ब्ती या एवज़े जुर्मानः में या उस डिगरी या हुक्म की तामील में जो दीवानी के किसी मुक़द्दमे में किसी कोर्ट आफ जस्टिसने जारी की हो या जिस को वह शख़्स जानता हो कि उसका जारी होने का इहतिमाल है लिया न जाय तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

ज़ब्ती के तौरपर या डिगरी की तामील मे

दफ़ः २०७—जो कोई शख़्स किसी मालको या किसी इस्तिहक़ाक़ को जो उस माल में हो फरेब से क़ुबूल करे या अपनी तहवील में ले या उसका दावा करे यह जान कर कि उस माल या इस्तिह-

बाब ११—झूठी गवाही और जराइम मुख़ालिफ़े मादलते आम्मः के बयान में दफ़ २०८।)

काक में उसका कुछ हक या वाजिबी दावा नहीं है या किसी माल या उस इस्तिहक़ाक़के किसी हक़ की निस्बत जो उस मालमें है कोई मुगालतः दिही अमल में लाये इस नीयत से कि उसके सबब से वह माल या इस्तिहक़ाक़ जो उस माल मे है ऐसे हुक्म के मुताबिक़ जो किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस या किसी और हाकिमे मुजाज की जानिब से सादिर हुआ हो या जिसको वह शख़्स जानता हो कि उसके सादिर होने का इहतिमाल है जब्ती या एवजे जुर्मानः में या किसी ऐसी डिगरी या हुक्म की तामील में जो किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसकी जानिब से दीवानी के किसी मुक़दमे में जारी हुआ हो या जिसको वह शख़्स जानता हो कि उसके जारी होने का इहतिमाल है लिया न जाय तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सजादी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

किसी मालका कुर्क किया जाना रोकने के लिये फ़रेब वाक़ू से उस का दावा करना।

दफ़ः २०८—जो कोई शख़्स किसी शख़्स के दावा में ऐसे रुपये के लिये जो वाजिबुल अदा न हो या उस रुपये से जो उस शख़्सका वाजिबुल अदा है जायद हो या किसी माल या इस्तिहक़ाक़ के लिये जो उस माल में हो जिसका वह शख़्स मुस्तहक न हो फरेब से अपने ऊपर डिगरी या हुक्म जारी कराये या जारी होनेदे या क़िसी डिगरी या हुक्म को उसकी तामील हो चुकने के बाद अपने ऊपर या किसी ऐसी शै के लिये जिसकी निस्बत उस की तामील हो चुकी हो फरेब से जारी कराये या जारी होने दे—तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजादी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

गैर वाजिब रुपये के लिये फरेब से डिगरी जारी होने देना।

तमसील।

ज़ैदबक्र पर दावा करे और बक्र यह जानकर कि मुझ पर ज़ैद के डिगरी पाजाने का इहतिमाल है ख़ालिद के दावा में जिसका उसपर कुछ वाजिबी दावा नहीं है इस ग़रज़ से अपने ऊपर फरेब से जियादः तादाद की निस्बत फ़ैसल सादिर होनदे कि ख़ालिद अपने लिये ख़्वाह उसी के लिये बक्रके माल के ज़रे नीलाम से जो ज़ैद की डिगरीकी रूसे नीलाम हो हिस्स। पाये तो बक्रने इस दफ़ः की रू से जुर्मका इर्तिकाब किया।

(बाब ११—झूठी गवाही और जरायम मुख़ालिफ़े मादलते आम्म. के बयान में दफ़आत २०९–२११)

कोर्ट में बददियानती से झूठा दावा करना।

दफ़ः२०९—जो कोई शख़्स फ़रेब से या बद दियानती से या किसी शख़्स को नुक़्सान पहुंचाने या रंज देनेकी नीयत से किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस में कुछ दावा करे जिसका झूठा होना वह जानता हो—तो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ादी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

ग़ैर वाजिब रुपयेके लिये फ़रेब से डिगरीहासिल करना।

दफ़ः२१०—जो कोई शख़्स किसी शख़्स पर ऐसे रुपये की बाबत जो उसका वाजिबुल अदा न हो या उसके वाजिबुल अदासे ज़ायद हो या किसी ऐसे माल या इस्तिहक़ाककी बाबत जो उस माल में हो और जिसका वह मुस्तहक़ नहीं है कोई डिगरी या हुक्म फ़रेब से हासिल करे या कोई डिगरी या हुक्म उसकी तामील होचुकने के बाद किसी शख़्स पर जारी कराये या किसी ऐसी शै के लिये जारी कराये जिसकी निस्बत उसकी तामील होचुकी हो या फ़रेब से इस क़िस्म का कोई अमर अपने नाम से होने दे या उसके करने की इजाज़त दे—तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ादी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

नुक़्सान पहुंचाने कीनीयत से झूठ दावीये जुर्म।

दफ़ः२११—जो कोई शख़्स किसी शख़्स को नुक़सान पहुंचाने की नीयत से उस पर फ़ौजदारी में नालिश दायर करे या कराये या किसी शख़्स पर किसी जुर्म के इर्तिकाब की निस्बत झूठ मूठ इल्ज़ाम लगाये यह जानकर कि इन्साफ़न् या कानूनन् उस शख़्स पर उस नालिश या दावा की कोई बुनियाद नहीं है—तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ादी जायेगी जिसकी मीआद दोबरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायेंदी जायेंगी।

और अगर वह फ़ौजदारी की नालिश किसी ऐसे जुर्म के झूठे दावा से दाइर कीजाय जिसकी पादाश में सज़ाय मौत या हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या सात बरस या ज़ियादः मीआद की क़ैद मुक़र्रर है—तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा

दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

पनाह दिहीने मुजरिम।

दफ़ः २१२—जिस हाल में कि किसी जुर्म का इर्तिकाब हुआ हो तो जो कोई शख्स इस नीयत से किसी शख्स को पनाह[1] दे या छुपाये जिसका मुजरिम होना वह जानता या बावर करने की वजह रखता हो कि उस मुजरिम को सज़ाय जायज से बचाये—

अगर क़ाबिले सज़ाय मौत हो।

तो अगर उस जुर्म की पादाशमें सज़ाय मौत मुक़र्रर हो तो उस शख्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद पांच बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा—

अगर क़ाबिले सज़ाये हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या क़ैद हो।

और अगर उस जुर्म की पादाश में हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या ऐसी क़ैद की सजा मुक़र्रर हो जिसकी मीआद दस बरस तक हो सक्ती है तो उस शख्स को दोनों किस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा—

और अगर उस जुर्म की पादाश में ऐसी क़ैद की सजा मुक़र्रर हो जिसकी मीआद, एक बरस से जियादः और दस बरस से कम हो तो उस शख्स को उस क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जो जुर्म मजकूर के लिये मुक़र्रर है और उसकी मीआद उस क़ैद की बड़ी से बड़ी मीआद की एक चौथाई तक होसक्ती है जो उस जुर्म के लिये मुक़र्रर है जुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दीजायेंगी।

[2] लफ़्ज "जुर्म" में इस दफ़ः में हर एक ऐसा फेल दाखिल है जिसका इर्तिकाब किसी मुक़ाम खारिजे ब्रिटिश इन्डिया में हुआ हो और जो ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर सादिर होने की तक़्दीर में दफ़आत मज़्कूरुज़्ज़ैल याने दफ़आत ३०२ औ ३०४ औ ३८२ औ ३९२

---

१ "पनाह देना" के माने के लिये मुलाहज: तलब माबाद की दफ़: २१६ (बे)।

२ यह फ़िक़रः हिन्द के फ़ौजदारी आईन के तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन् १८९४ ई० (नम्बर ३ मुसद्दरः सन् १८९४ ई०) की दफ़: ७ के ज़रीये से दाखिल किया गया।

ओ ३९३ ओ ३९४ ओ ३९५ ओ ३९६ ओ ३९७ ओ ३९८ ओ ३९९ ओ ४०२ ओ ४३५ ओ ४३६ ओ ४४९ ओ ४५० ओ ४५७ ओ ४५८ ओ ४५९ ओ ४६० में से किसी दफ़ः की रू से लायके सजा होता-और वैसा हर एक फेल दफ़ःइ हाज़ा की गरजों के लिये लायके सज़ा मुतसौवर होगा इस तरह पर कि गोया शख़्स मुलज़िम ब्रिटिश इन्डियाके अन्दर फेल मज़कूरका मुजरिम हुआथा।

मुस्तस्ना-इस दफ़ः का हुक्म उस हालत को शामिल न होगा जहां पनाह देना या छुपाना मुजरिम का शौहर या उसकी ज़ौजः से सर्ज़द हो।

तमसील।

ज़ैद यह जानकर कि बक़रने डकैती का इर्तिकाब किया है जान बूझकर बकर को सज़ाय जायज़ से बचाने के लिये छुपाये-तो इस सूरत में चूंकि बक़र हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोरका मुस्तौजिब है इसलिये ज़ैद दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद का मुस्तौजिब होगा जिसकी मीआद तीन बरस से ज़ायद न हो और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

मुजरिम को सजा से बचाने के लिये सिला वगैरःलेना।

दफ़ः २१३[1]-जो कोई शख़्स किसी जुर्म के छुपाने या किसी शख़्स को किसी जुर्म की सज़ाय जायज़ से बचाने या किसी शख़्स को सज़ाय जायज़ कराने से बाज़ रहने के एवज़ में अपने वास्ते या किसी और शख़्स के वास्ते कोई माबिहिल इहतिज़ाज़ या अपने वास्ते या किसी और शख़्स के वास्ते इस्तर्दाद के ज़रीये से कोई माल हासिल या क़ुबूल करे या हासिल करने पर इक़दाम करे या क़ुबूल करने पर राज़ी हो-

अगर क़ाबिले सज़ाय मौत हो।

तो अगर उस जुर्मकी पादाश मे सजाय मौत मुक़र्ररहै-तो शख़्स मजकूर को दोनों किस्मो में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा-

और अगर उस जुर्म की पादाश में हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या ऐसी क़ैद मुक़र्रर है जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्तीहै तो

---

1 दफ़. २१३ के इस्तिसना के लिये मुलाहज़ा तलब मावाद की दफ़ २१४ का इस्तिसना।

उस शख़्स को दोनों क़िस्मों से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा—

अगर क़ाबिले सज़ाये हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या क़ैद हो।

और अगर उस जुर्म की पादाशमें ऐसी क़ैद की सजा मुक़र्ररहै जो दस बरस से कम हो तो उस शख़्स को उस क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जो उस जुर्म के लिये मुक़र्रर है और उसकी मीआद उस क़ैद की बड़ी से बड़ी मीआद की एक चौथाई तक हो सकेगी जो जुर्म मज़कूर के लिये मुकर्रर है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

मुजरिम को बचाने के एवज़ में सिलाह देने या मालवापस करने के लिये कहना।

दफ़ः२१४—जो कोई शख़्स कोई जुर्म छुपाने या किसी शख़्स को किसी जुर्म की सजाय जायज से बचाने या किसी शख़्स को सज़ाय जायज कराने से बाज रहने के एवज में किसी शख़्स को कुछ माबिहिल इहतिजाज़ दे या पहुंचाये या देने या पहुंचाने को कहे या देने या पहुंचाने पर राजी हो या किसी शख़्स को कोई माल वापस करे या वापस कराये या वापस करने या वापस कराने को कहे या वापस करने या वापस कराने पर राजीहो—

अगर जुर्म क़ाबिले सज़ाय मौत हो।

तो अगर उस जुर्म की पादाश में सज़ाय मौत मुकर्ररहै तो शख़्स मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजादी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा—

अगर क़ाबिले सज़ाय हब्स दवाम बउबूर दर्यायशोर या क़ैद हो।

और अगर उस जुर्मकी पादाश में हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या ऐसी क़ैद की सजा मुकर्रर है जो दस बरस तक होसक्तीहै तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सजादी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा—

और अगर उस जुर्म की पादाश में ऐसी कैद की सजा मुकर्ररहै जो दस बरस से कमहो तो शख़्स मजकूर को उस किस्म की कैद की सजा दीजायेगी जो उस जुर्म के लिये मुकर्रर है और उस की

(बाब ११–झूठी गवाही और जरायम मुख़ालिफ़े मादलते आम्मः के बयान में– दफ़आत २१५—२१६ ।)

मीआद उस क़ैद की बड़ी से बड़ी मीआद की एक चौथाई तक हो सकेगी जो उस जुर्म के लिये मुक़र्रर है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

मुस्तस्ना–दफ़आत २१३ औ २१४ के अहकाम किसी ऐसी सूरत से मुतअ़ल्लिक़ नहीं हैं जिसमें जुर्म की बाबत जवाज़न् राज़ीनामः होसक्ता हो ।

[तमसीलें]–ऐक्ट १० मुसदरःइ सन १८८२ ई० की रू से मन्सूख़ की गईं ।

माले मसरूक़ः वग़ैरः की बाज़याफ्त में मदद करने के लिये सिलाह लेना ।

दफ़ः २१५–जो कोई शख़्स किसी शख़्स को किसी ऐसे माले मनक़ूलः की बाजयाफ़्त में मदद करने के हीला या सबबसे कुछ माविहिल इहतिजाज ले या लेने पर राज़ीहो या लेना क़ुबूल करे जिससे वह शख़्स किसी जुर्म के सबब जिसके लिये इस मजमूये में सजा मुक़र्रर है महरूम किया गया हो तो फिर बदुज इसके कि शख़्स मजकूर मुजरिम के गिरिफ़्तार कराने और उसको उस जुर्म का मुजरिम साबित कराने के लिये अपने हत्तुल् मकदूर सब वसीलों को काम में लाये उसको दोनों किस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

ऐसे मुजरिम को पनाह देना जो हिरासत से भागा हो या जिसकी गिरफ्तारी का हुक्म होचुका हो ।

दफ़ः २१६–जब कभी कोई शख़्स जो किसी जुर्मका मुजरिम साबित हुआ हो या जिसपर उस जुर्म का इल्ज़ाम लगाया गया हो उस जुर्म के लिये हिरासते जायज में होकर उस हिरासत से भाग जाय–

या जब कभी कोई सर्कारी मुलाज़िम अपनी सर्कारी मुलाज़िमी के इख़्तियाराते जायज के निफ़ाज में किसी जुर्म के लिये किसी खास शख़्स की निस्बत गिरफ़्तार किये जानेका हुक्म दे जो कोई शख़्स उस भाग जाने या उस गिरफ़्तारी के हुक्म को जानकर उस शख़्स को

---

१ यह मुस्तस्ना साबिक़ मुस्तस्ना की जगह मजमूअ़ःइ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द के तरमीम करने वाले ऐक्ट सन् १८८२ ई० (नम्बर ८ मुसदरःइ सन १८८२ ई०) की दफ़ः ६ के ज़रीये से क़ायम किया गया [ऐक्ट हाय आम–जिल्द ४] ।

गिरफ़्तार न होने देने की नीयत से पनाह दे[1] या छुपाये तो शख़्स मज़कूरको नीचे लिखे हुये तरीक़े के मुआफ़िक़ सजादी जायेगी—याने—

अगर जुर्म क़ाबिले सज़ाय मौत हो।

अगर उस जुर्म की पादाश में जिसके लिये वह शख़्स हिरासत में था या जिसके लिये उसके गिरफ़्तार किये जाने का हुक्म दिया गया है सजाय मौत मुक़र्रर है तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा—

अगर क़ाबिले सज़ाय हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या क़ैद हो।

और अगर उस जुर्म की पादाश में हब्स दवाम बउबूरे दर्यायशोर या दस बरस की क़ैद मुक़र्रर है तो शख़्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या जुर्मानः या बिला जुर्मानः दी जायेगी—

और अगर उस जुर्म की पादाश में ऐसी क़ैद की सजा मुकर्रर है जो एक बरससे जायद और दस बरस से कम हो तो शख़्स मजकूर को उस क़िस्मकी कैद की सजा दी जायेगी जो जुर्म मजकूर के लिये मुक़र्रर है और उसकी मीआद उस क़ैद की बड़ी से बड़ी मीआद की एक चौथाई तक होसकेगी जो उस जुर्म के लिये मुक़र्रर है या जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

स्टैटियूट सन ४५ और ४५ जुलूस मलकःइ विक्टोरिया-बाब ६९।

[2]"जुर्म" के लफ़्ज़ में इस दफ़ः में हर ऐसा फेल या तर्क फेल भी दाखिल है जिसके मुजरिम होने का ब्रिटिश इन्डिया के बाहर किसी ऐसे शख़्सकी निस्बत बयान किया गयाहै जो ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर उसके मुजरिम होने की सूरत में बतौर जुर्म के मुस्तलजमे सजा होता और जिसके लिये शख़्स मजकूर बमूजिब किसी क़ानूनन् मुतअल्लिके हवालिगीये मुजरिमान बरियासते गैर या बमूजिबे ऐक्ट फिरारीये मुजरिमान मुसदरःइ सन् १८८१ ई०[3] के या और

---

[1] "पनाह देना" के माने के लिये मुलाहज़ः तलब मानाद की दफ़ २१६ (बे)।

[2] यह फ़िक़रः हिन्द के फौजदारी आईन के तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन् १८८६ ई० (नं० १० मुसदरःइ सन् १८८६ ई०) की दफ़ः २३ के ज़रीये से दाख़िल किया गया [ऐक्ट हाय आम–जिल्द ५]।

[3] छपा " मजमूअःइ स्टैटियूट मुतअल्लिके हिन्द " पर्चःइ मुरतज़ाद मतबूअः सन

तरह पर ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर गिरफ़्तार किये जाने या हिरासत में नजरबन्द रहने का मुस्तौजिब है–और ऐसा हर फेल या तर्क फेल इस दफ़: की गर्ज़ों के लिये इस तरह पर लायक़े सज़ा मुतसौव्वर होगा कि गोया शख़्स मुल्ज़िम ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर फेल या तर्क फेल मज़कूर का मुजरिम हुआ।

मुस्तस्ना–इस दफ़: का हुक्म उस हालत को शामिल न होगा जहां पनाह देना या छुपाना उस शख़्स के शौहर या जौजे से सर्जद हो जिसका गिरफ़्तार किया जाना मकसूद है।

सारिकाने बिलजब्र या डकैतों को पनाह देने की पादाश में सज़ा।

दफ़:२१६[1] (अलिफ)–जो कोई शख़्स यह जानकर या इस बात के बावर करने की वजह रखकर कि बाज अशखास सर्कः बिलजब्र या डकैती करने वाले हैं या हाल में उन्होंने सर्कः बिलजब्र या डकैती की है उन सब को या उनमें से किसी को इस नीयत से पनाह दे[2] कि वैसे सर्कः बिलजब्र या डकैती का इर्तिकाब सहल होजाय या वह लोग या उनमें से कोई सज़ा से बचजाय–उसको कैद सख़्त की सजा जिसकी मीआद सात बरस तक हो सक्ती है दी जायगी और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

तशरीह–इस दफ़: की गर्ज़ों के लिये यह अमर काबिले लिहाज़ नहीं है कि आया ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर या बाहर सर्कः बिलजब्र या डकैती के इर्तिकाब का इरादः किया गया है या नहीं या उस का इर्तिकाब हुआ है नहीं।

मुस्तस्ना–इस दफ़: का हुक्म उस हालत को शामिल नहीं है जहां पनाह देना मुजरिम के शौहर या उसकी जौजः से सर्जद हो।

दफ़आत २१२ ओ २१६ ओ २१६(अलिफ) में "पनाह" की तारीफ़।

[3]**दफ़: २१६** (बे)–दफ़आत २१२ ओ २१६ ओ २१६ (अलिफ) में लफज "पनाह" में किसी शख़्स को पनाह देना या उस

---

१ दफ़आत २१६ (अलिफ) ओ २१६ (बे) हिन्द के फ़ौजदारी आईन के तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८९४ ई० (नम्बर ३ मुसद्दरः सन १८९४ ई०) की दफ़: ८ के ज़रीये से दाख़िल की गई [ऐक्ट हाय आम–जिल्द ६]।

२ "पनाह देना" के माने के लिये मुलाहज़ा तलब नीचे की दफ़: २१६ (बे)।

(बाब ११—झूठी गवाही और जरायम मुतअल्लिक़े मादलते आम्मः के बयान में—
दफ़ाआत २१७—२१९ ।)

को खुराक या शै नोशीदनी या जरे नक़द या कपड़े या असबाब हर्ब ओ जर्ब या तहसील के वसाइल का पहुंचाना या किसी शख़्स को किसी नौ से गिरिफ़्तारी से निकल भागने में मदद देना—दाखिल है ।

सर्कारी मुलाज़िम जो किसी शख़्स को सज़ा से या माल को ज़ब्ती से बचाने की नियत से हिदायते क़ानून से इन्हिराफ़ करे ।

दफ़ः २१७—अगर कोई शख़्स जो सर्कारी मुलाजिम हो कानूनकी किसी हिदायत से जो उस तरीक़े से मुतअल्लिक़ है जिस पर उसको उस सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से चलना चाहिये जान बूझ कर इन्हिराफ़ करे इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उसके बाइस किसी शख़्स को सजाय क़ानूनी से बचाये या जिस क़दर सजा का शख़्स मुस्तौजिब है उससे कम सज़ा दिलाये या किसी माल को ज़ब्ती या किसी ख़र्च से जिसका वह क़ानूनन् मुस्तौजिब है बचाये तो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

सर्कारी मुलाज़िम जो किसी शख़्स को सज़ा से या माल को ज़ब्ती से बचाने की नियत से ग़लत काग़ज़े सरिश्तः या नविश्त मुरत्तब करे ।

दफ़ः २१८—अगर कोई शख़्स जो सर्कारी मुलाजिम हो और सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से किसी कागजे सरिश्तः या किसी और नविश्ते का तैयार करना उस पर लाजिम किया गया हो और वह उस कागजे सरिश्तः या नविश्ते को ऐसे तौर से मुरत्तब करे जिसको वह ग़लत जानता हो इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उस के बाइस आम्मःइ खलायक़को या किसी शख़्स को जियान या नुक़्सान पहुंचाये या इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उसके बाइस किसी शख़्सको सजाय क़ानूनी से बचाये या इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उसके बाइस किसी माल को जब्ती या किसी और ख़र्च से जिसका वह माल क़ानूनन् मुस्तौजिब है बचाये तो शख़्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

सर्कारी मुलाज़िम जो

दफ़ः २१९—अगर कोई शख़्स जो सर्कारी मुलाजिम है अदालतकी कार्रवाई की किसी हालत में फ़ासिद तौर से या खबासत से

अदालत की कार्रवाई में फ़ासिद तौरसे कैफ़ियत वग़ैर: ख़िलाफ़ क़ानून मुरत्तब करे।

कोई कैफ़ियत मुरत्तब करे या कोई हुक्म दे या कोई तजवीज या फ़ैसल: करे जिसका ख़िलाफ़े कानून होना वह जानता हो तो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

वह शख़्से मुज़ाज तजवीज़ या क़ैदके लिये सुपुर्द करे जो जानता हो कि मैं ख़िलाफ़े क़ानून अमल करता हूं।

दफ़: २२०—अगर कोई शख़्स जो किसी ऐसे उहदे पर है जिसकी रू से उसको कानूनन् लोगों को तजवीज़ या कैद के लिये सपुर्द करने या कैद रखने का इख़्तियार हासिलहै उस इख़्तियारके निफाज में किसी शख़्स को फासिद तौर या खबासत से तजवीज़ या क़ैद के लिये सुपुर्द करे या क़ैद रखे यह जानकर कि ऐसा करने में मैं खिलाफे क़ानून अमल करता हूं तो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

क़स्दन् तर्क गिरफ़्तागी उस सर्कारी मुलाज़िम की तरफ़ से जिस पर गिरफ़्तार करना वाजिब हो।

दफ़: २२१—अगर कोई शख़्स जो सर्कारी मुलाजिमहै और जिसपर अपनी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से किसी ऐसे शख़्स का गिरफ़्तार करना या हब्स में रखना क़ानूनन् वाजिब है जिस पर किसी जुर्म का इल्जाम लगाया गया है या जो किसी जुर्म की बाबत गिरफ़्तार किये जाने का मुस्तौजिब है उस शख़्स का गिरफ़्तारकरना क़स्दन् तर्क करे या कस्दन् उस शख़्स को उस हब्स से भागजानेदे या भागजाने या भाग जाने के इक़्दाम में क़स्दन् मदद करे तो उसकोनीचे लिखी हुई सजा दी जायेगी—याने:—

दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की कैद जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है जुर्मानः या बिला जुर्मानः अगर उस शख़्स पर जो हब्स में था या जिसका गिरफ़्तार किया जाना चाहिये था ऐसेजुर्म का इल्जाम लगाया गया था या ऐसे जुर्म के लिये वह गिरफ़्तारकिये जाने का मुस्तौजिब था या जिसकी पादाश में सजाय मौत मुक़र्रर है—या

दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या जुर्मानः या बिला जुर्मानः अगर उस शख़्स पर जो हब्स में था या जिसका गिरफ़्तार किया जाना चाहिये था ऐसे

जुर्म का इल्जाम लगाया गया था या ऐसे जुर्म के लिये वह गिरफ़्तार किये जाने का मुस्तौजिब था जिसकी पादाश में हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या ऐसी क़ैद मुक़र्रर है जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है—या

दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद जिसकी मीआद दो बरस तक हो सक्ती है मा जुर्मानः या बिला जुर्मानः अगर उस शख़्स पर जो हब्स में था या जिसका गिरफ़्तार किया जाना चाहिये था ऐसे जुर्मका इल्जाम लगायागया था या ऐसे जुर्म की बाबत वह गिरफ़्तार किये जाने का मुस्तौजिब था जिसकी पादाश में दश बरस से कम मीआद की क़ैद मुक़र्रर है।

क़स्दन् तर्क गिरफ्तारी उस सर्कारी मुलाज़िम की तरफ से जिसपर किसी ऐसे शख़्स का गिरफ्तार करना वाजिब है जिसकी निस्बत हुक्म सज़ा सादिर हुआ हो या जो जवाजन् हिरासत में रखागया हो।

दफ़ः २२२—अगर कोई शख़्स जो सर्कारी मुलाज़िमहै और जिस पर अपनी सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से किसी ऐसे शख़्स का गिरफ़्तार करना या हब्स में रखना क़ानूनन् वाजिबहै जिसकी निस्बत किसी जुर्म की बाबत किसी कोर्ट आफ जस्टिस ने हुक्मसजा सादिर किया हो[1] [या जो जवाजन् हिरासत में रखा गया हो] उस शख़्स का गिरफ़्तार करना क़स्दन् तर्क करे या उस शख़्स को क़स्दन् उस हब्स से भाग जानेदे या उस हब्स से भाग जाने या जाने के इक़दाम में क़स्दन् उस शख़्स की मदद करे तो उसको नीचे लिखी हुई सज़ा दीजायेंगी—यानेः—

हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद जिसकी मीआद चौदः बरस तक होसक्ती है मा जुर्मानः या बिला जुर्मानः अगर उस शख़्स की निस्बत जो हब्स में था या जिसका गिरफ़्तार किया जाना चाहिये था सज़ाय मौत का हुक्म सादिर हो चुकाहो—या

दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद जिसकी मीआद सात बरस तक हो सक्तीहै मा जुर्मानः या बिला जुर्मानः अगर वह शख़्स

---

१ यह अलफ़ाज़ मजमूअः इ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द के तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नम्बर २७ मुसदरः इ सन १८७० ई०) की दफ़ ८ के ज़रीये से दाख़िल किये गये [ऐक्ट हाय आम-जिल्द २]।

गिरफ़्तार किये जाने का मुस्तौजिब हो जिसकी पादाश में सज़ाय मौत मुक़र्रर है तो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

या अगर वह शख़्स जो गिरफ़्तार किये जाने को हो या जो छुड़ाया गया या जिसके छुड़ाने का इक़दाम किया गया हो किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस के हुक्म सज़ा या उस हुक्म सज़ा के तबादिल की रू से हब्से दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दस बरस या ज़ियादः मीआद के हब्से बउबूरे दर्याय शोर या मशक़्क़ते ताज़ीरी बहालते क़ैद या क़ैद का मुस्तौजिब हो तो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा–

या अगर वह शख़्स जो गिरफतार किये जाने को हो या जो छुड़ाया गया या जिसके छुड़ाने का इक़दाम किया गया हो उसकी निस्बत सज़ाय मौत का हुक्म सादिर हो चुका हो तो उसको हब्स दवाम बउबूरेदर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दस बरस से ज़ायद न हो और वह ज़ुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

ऐसी सूरतों में सर्कारी

दफ़ः २२५[1] (अलिफ)–जो कोई शख़्स सर्कारी मुलाज़िम होकर बहैसियत वैसी सर्कारी मुलाज़िमी के क़ानूनन् किसी शख़्स के किसी

---

१ दफ़आत २२५ (अलिफ़) ओ २२५ (बे) हिन्द के फ़ौजदारी आईन के तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८८६ ई० (नम्बर १० मुसदर इ सन १८८६ ई० की दफ़ः २४ (१) [ऐक्ट हाय आम–जिल्द ५] के ज़रीये से दफ़ः २२६ (अलिफ़) के एवज़ मज मूअःइ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द के तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नम्बर १७ (मुसदरःइ सन १८७०) की दफ़ः ९ के ज़रीये से दाखिल हुई थी–क़ायम की गई।

इस मजमूअःइ क़वानीन के बाब ४ ओ ५ उन जुर्मों से मुतअल्लिक हैं जो दफ़आत २२५ (अलिफ़) ओ २२५ (बे) की रू से क़ाबिले सज़ा हैं–मुलाहज़ तलब मजमूअःइ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द के तर्मीम करनेवाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नम्बर २७ मुसदरःइ सन १८७० ई०) की दफ़आत १२ जैसी कि उनकी तर्मीम मंसूख़ और तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८९१ ई० (नम्बर १२ मुसदरःइ सन १८९१ ई०) [ऐक्ट हाय आम–जिल्द ६] के ज़रीये से हुई है।

ऐसी सूरत में गिरफ़्तार करने या क़ैदमें रखने का पाबन्द है जिसकी निसबत दफ़ः २२१ या दफ़ः २२२ या दफ़ः २२३ या किसी और क़ानूने नाफ़िज़ुल्वक़्त में कोई हुक्म मुन्दर्ज नहीं है किसी ऐसे शख़्स की गिरफ़्तारी तर्क करे या उसको क़ैद से भाग जाने दे तो उसको हस्ब ज़ैल सज़ा दी जायेगी—

मुलाज़िम की तरफ़ से तर्क गिरफ़्तारी या भागजाने देना जिनकी निसबत और तरह का हुक्म न हो।

(अलिफ) अगर मुलाज़िमे मज़कूर क़स्दन् उस फेलका मुर्तकिब हो—तो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी—और

(बे) अगर वह उस फेलका गफ़लतन् मुर्तकिबहो तो उसको क़ैद महज़ की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

दफ़ः २२५ (बे)[१]—जो कोई शख़्स क़स्दन् किसी ऐसी सूरत में जिसकी निसबत दफ़ः २२४ या दफ़ः २२५ में या किसी और क़ानून नाफ़िज़ुल्वक़्त में कुछ हुक्म मुन्दर्ज नहीं है अपने या किसी और शख़्स के जवाज़न् गिरफ़्तार कियेजाने में तअर्रुज़ या खिलाफे क़ानून मुज़ाहमत करे या उस हिरासत से भाग जाय या भागजाने का इक़दाम करे जिस में वह जवाज़न् नज़रबन्द हो या किसी और शख़्स को छुड़ाले या छुड़ा लेने का इक़दाम करे जिसमें वह शख़्स जवाज़न् नज़र बन्दहो तो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो-सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

ऐसी सूरतों में जवाज़न् गिरफ्तार किये जाने में तअर्रुज़ या मुज़ाहमत करना या भाग जाना या छुड़ा लेना जिनकी निसबत और तरह से हुक्म न हो।

दफ़ः २२६—अगर कोई शख़्स जिसकी निसबत जवाज़न् हब्से बउबूरे दर्याय शोर अमल में आया है हब्स मज़कूर से भागकर फ़िर

क़ैद नाजायज़ हब्स बउबूरे दर्याय शोरसे।

[१] मुलाहिज़ा. तलब फुट नोट दफ़. ११६ का।

आये उस हाल में कि हब्स बउबूरे दर्याय शोर की मीआद मुनकज़ी न हुई हो और उसकी सज़ा माफ न हुई हो तो उसको हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर की सजा दी जायगी और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा और इस हब्स बउबूरे दर्याय शोर के अमल में लाने से पहले कैद सख्त का मुस्तौजिब होगा जिसकी मीआद तीन बरस से जायद न हो

मुखालिफते शर्ते माफ़िये सज़ा।

दफ़ः २२७—कोई शख्स जिसने सज़ा की माफिये मशरूत कुबूल की हो जान बूझ कर किसी शर्त के खिलाफ करे जिसपर वह माफी मंज़ूर की गई है तो उस को वही सजा दी जायेगी जिसका हुक्म उसकी निसबत इब्तिदाअन सादिर हुआ हो अगर उसने उस सज़ा का कोई जुज़ भुगता न हो—और अगर वह उस सजा का कोई जुज भुगत चुकाहो तो सजाय मज़कूर के उस क़दर जुज की सजा दी जायेगी जो उसने नहीं भुगती।

क़सदन् सर्कारी मुलाज़िमकी तौहीन करनी या उस का हारिज होना जबकि वह अदालत की कार्रवाई में इजलास कर रहाहो

दफ़ः २२८—जो कोई शख्स कसदन् किसी सर्कारी मुलाज़िम की तौहीन करे या किसी तरह से किसी सर्कारी मुलाजिम का हारिज हो जब कि वह सर्कारी मुलाजिम अदालत की कार्रवाई की किसी हालत में इजलास कर रहा हो तो उसको क़ैद महज़ की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार एक हज़ार रुपये तक होसक्तीहै या दोनों सजायें दी जायेंगी।

अहले जूरी या असेसर बनना।

दफ़ः २२९—जो कोई शख्स दूसरा शख्स बन जाने से या किसी और तरह से क़सदन् यह बात कराये या जान बूझकर यह बात होने दे कि उस का नाम उन लोगों की फिहरिस्त में दर्ज हो जो अहले जूरी मे दाखिल होने की लियाकत रखते हैं या उस का नाम अहले जूरी में दाखिल हो या उससे अहले जूरी या असेसर के तौर पर हलफ लिया जाय किसी ऐसे मुक़द्दमे में जिस मे वह जानता है कि वह क़ानून की रू से ऐसी जूरी की फिहरिस्त में मुन्दर्ज किये जाने या अहले जूरी में दाखिल किये जाने या हलफ लिये

जाने का मुस्तहक़ नहीं है या यह जानकर कि वह खिलाफे क़ानून ऐसी जूरी की फ़िहरिस्त में मुन्दर्ज कियागया या अहले जूरी में दाखिल किया गया है या उससे हलफ लिया गया है बिल इरादः ऐसी जूरी में या ऐसे असेसर का काम दे—तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

बाब १२ [1]

उन जुर्मों के बयान में जो सिक्के और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुतअल्लिक़ हैं।

"सिक्कः" की तारीफ़।

दफ़ः २३०—[2] [सिक्कः वह धात है जो कि बवक़्त मौजूदः बतौर जरे नक़द के रायज हो और बहुक्म किसी सर्कार या शाहे वक़्त के इस तौरपर रायज होने की गर्ज से मनक़ूश और जारी किया गया हो।)

मलकःइ मुअज़्ज़मः का सिक्कः।

[3] मलकःइ मुअज़्ज़मः का सिक्कः वह धात है जो मलकःइ मुअज़्ज़मः या गवर्नमेन्ट हिन्द या किसी प्रेज़ीडिन्सी की गवर्नमेन्ट या किसी और गवर्नमेन्ट वाक़अ क़लमरौ मलकःइ मदूहः के हुक्म की रू से बतौर जरे नक़द के रायज होने की ग़रज़ से ठप्पा किया और

---

[1] दरबारःइ इज़ाफ़ःइ सज़ा दरजः सुबूत जुर्म सानी के बाज़ जरायम तहते बाब१२ की पादाश में—मुलाहज़ः तलब माक़ब्ल की दफ़ः ५७।

[2] यह फ़िक़रः साबिक़ फ़िक़रे की जगह मजमूअःइ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द के तर्मीम करनेवाले ऐक्ट सन १८७२ ई० (नम्बर १९ मुसदरःइ सन १८७२ ई०) के ज़रीये से क़ायम कियागया [ऐक्ट हायआम—जिल्द २]।

[3] यह फ़िक़र साबिक़ फ़िक़रे की जगह मजमूअःइ क़वानीने ताज़ीराते हिन्दके तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८९६ ई० (नम्बर ६ मुसदरःइ सन १८९६ ई०) की दफ़ः ६ (१) के ज़रीये से क़ायम कियागया [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ६]।

जारी किया गयाहो—और वह धात जो इस तौर पर ठप्पा किया और जारी किया गया हो इस बाब की अग़राज के लिये मलकःइ मुअज़्ज़मः का सिक्कः क़ाइम रहेगा बिला लिहाज इस अमर के कि बतौर जरे नक़द के उसका रायज होना मौक़ूफ़ होगया हो।

तमसीलें।

(अलिफ़) कौड़िया सिक्कः नहीं हैं।

(बे) वे ठप्पा किये हुये तांबे के टुकड़े सिक्कः नहीं हैं गो वह नक़द के तौर पर मुस्तअमल हों।

(जीम) तमग़े सिक्कः नहीं हैं क्योंकि उनसे मक़सूद नहीं है कि वह नक़द के तौरपर मुस्तअमल हों।

(दाल) सिक्कः जो कम्पनी का रुपया कहलाताहै मलकःइ मुअज़्ज़मः का सिक्कः है।

[1] (हे "फर्रुख़ाबादी" रुपया जो गवर्नमेन्ट हिन्द के हुक्म के बमूजिब पेश्तर बतौर ज़रे नक़द के रायज था मलकःइ मुअज़्ज़मः का सिक्कः है अगर्चि वह अब हस्ब मज़कूरवाला रायज न रहाहो।]

तलबीसे सिक्कः।

दफ़ः२३१—जो कोई शख़्स सिक्के की तलबीस करे या सिक्के की तलबीस के अमल का कोई जुज़ जान बूझ कर अन्जाम दे तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

तशरीह—वह शख़्स इस जुर्म का मुर्तकिब होगा जो मुग़ालतः देने की नीयत से या इस इल्म से कि उस के जरीये से उस मुग़ालते के चल जाने का इहतिमाल है किसी असली सिक्के को ऐसा करदे कि वह किसी और सिक्के की मानिन्द मालूम हो।

तलबीसे सिक्कःइ मलकःइ मुअज़्ज़मः।

दफ़ः२३२—जो कोई शख़्स मलकःइ मुअज़्ज़मः के सिक्के की तलबीस करे या उसकी तलबीस के अमलका कोई जुज जानबूझ कर

---

[1] यह तमसील मजमूअःइ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द के तरमीम करने वाले ऐक्ट सन १८९६ ई० (नम्बर ६ मुसद्दरः सन १८९६ ई०) की दफ़ः १ (२) के ज़रिये से इज़ाफ़ की गई [ऐक्ट हाए म्वान-जिल्द ६]।

अनुजाम दे तो शख़्स मज़कूर को हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ादी जायेगी जिस की मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

दफ़ः२३३—जो कोई शख़्स कोई ठप्पा या आला बनाये या उस की मरम्मत करे या उसके बनाने या मरम्मत करने के अमल का कोई जुज़ अनुजाम दे या उसको ख़रीदे या बेचे या अपने क़ब्ज़े से जुदा करे इस गरज़ से कि वह सिक्के की तलबीस के लिये काम में आये या यह जान कर या बावर करने की वजःरखकर कि उसका सिक्के की तलबीस के लिये काम में लाया जाना मक़सूद है तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ादी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

साख्त या फ़रोख़्त आलःइ तलबीसे सिक्कः ।

दफ़ः२३४—जो कोई शख़्स कोई ठप्पा या आला बनाये या उस की मरम्मत करे या उसके बनाने या मरम्मत करने के अमल का कोई जुज़ अनुजाम दे या उसको ख़रीदे या बेचे या अपने क़ब्ज़ेसे जुदा करे इस गरज से कि वह मलकःइ मुअज़्ज़मः के सिक्के की तलबीस के लिये काममें लाया जाय या यह जान कर या बावर करने की वजःरखकर कि उस का उस सिक्के की तलबीस के लिये काम में लाया जाना मक़सूद है तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरसतक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

साख्त या फ़रोख़्त आलःइ तलबीसे सिक्कःइ मलकःइ मुअज़्ज़मः ।

दफ़ः२३५—जो कोई शख़्स कोई आला या सामान अपने पास रखता हो इस गरज से कि वह सिक्के की तलबीस के लिये काम में लाया जाय या यह जानकर या बावर करने की वजःरख कर कि उसका उस गरज के लिये काम में लाया जाना मक़सूद है तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा—

आला या सामान को तलबीसे सिक्क में काम में लाने की गरज़से पास रखना ।

और अगर सिक्कःजो तलबीस कियेजाने को है मलकःइ मुअज़्ज़म

अगरचःइ

(बाब १२—उन जुर्मों के बयान में जो सिक्के और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुतअल्लिक़ है—दफ़आत २३१—२४० ।)

मुअज्ज़मः का सिक्कः हो।

का सिक्कः है तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ादी जायेगी जिसकी मीआद दस बरसतक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

हिन्दुस्तान में रहकर हिन्दुस्तान के बाहर तलबीस सिक्कः की इआनत करना।

दफ़ः २३६—कोई शख़्स जो ब्रिटिश इन्डिया की हुदूद के अन्दर हो ब्रिटिश इन्डिया की हुदूद से बाहर सिक्के की तलबीस में इआनत करे तो शख़्स मज़कूर को उसी तरह सज़ादी जायेगी कि गोया उसने ब्रिटिश इन्डिया की हुदूद के अन्दर उस सिक्के की तलबीस में इआनत की।

मुलब्बस सिक्के को अन्दर लाना या बाहर ले जाना।

दफ़ः २३७—जो कोई शख़्स कोई मुलब्बस सिक्कः ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर लाये या उससे बाहर लेजाय यह जान कर या बावर करने की वजः रखकर कि वह मुलब्बस है तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

गवर्नमेन्ट मुअज्ज़मः के सिक्के से मुलब्बस सिक्के को अन्दर लाना या बाहर लेजाना।

दफ़ः २३८—जो कोई शख़्स कोई मुलब्बस सिक्कः जिसको वह जानता या बावर करने की वजः रखताहो कि वह मलकःइ मुअज्ज़मः के सिक्के से मुलब्बस है ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर लाये या उसे बाहर लेजाय तो शख़्स मज़कूर को हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ादी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

क़ब्ज़े में लेते वक़्त जिस सिक्के को जाना गया हो कि वह मुलब्बस है उसे हवाले करना।

दफ़ः २३९—कोई शख़्स जिसके पास कोई मुलब्बस सिक्कः हो और जिस को उसने क़ब्ज़े में लेते वक़्त मुलब्बस जानाहो उस सिक्के को फ़रेब से या फ़रेबका इर्तिकाब किये जानेकी नीयत से किसी शख़्स के हवाले करे या किसी शख़्स को उसे अपनी तहवील में लेने की तहरीक करने का इक़दाम करे तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद पांच बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

क़ब्ज़े में लेते वक़्त जिस

दफ़ः २४०—जो कोई शख़्स जिसके पास कोई ऐसा सिक्कः मुलब्बस हो जो मलकःइ मुअज्ज़मः के सिक्के से मुलब्बस हो और जिस

(बाब १२–उन जुर्मों के बयान में जो सिक्के और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुतअल्लिक़ हैं–दफ़आत २४१—२४२ ।)

को उसने क़ब्जे में लेते वक़्त मलकःइ मुअज्जमः के सिक्के से मुल्तबस जाना हो उस सिक्के को फरेब से या फरेब के इर्तिकाब किये जाने की नीयत से किसी शख़्स के हवाले करे या किसी शख़्स को उसे अपनी तहवील में लेने की तहरीक करने का इक़दाम करे तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

सिक्के को जाना गया हो कि यह मलकःइ मुअज्जमःके सिक्के से मुल्तबस है उसे हवालः करना ।

दफ़ः२४१–जो कोई शख़्स कोई मुल्तबस सिक्कःजिसको वह मुल्तबस जानता हो लेकिन उसको क़ब्जे में लेते वक़्त मुल्तबस न जाना हो सिक्कःइ असली की हैसियत से किसी दूसरे शख़्स के हवाले करे या किसी शख़्स को सिक्कःइ असली की हैसियत से उसे अपनी तहवील में लेने की तहरीक करने का इक़दाम करे तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक हो सक्ती है या उस जुर्माने की सज़ा जिस की मिक़दार उस सिक्के की मालियत के दसगुने तक हो सक्ती है जिसकी तल्बीस की गई या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

ऐसे सिक्के को असली सिक्के की हैसीयत से हवालः करना जिसको हवाले करने वाले ने पहले क़ब्ज़े में लेतेवक़्तन जाना हो कि यह मुल्तबस है ।

तमसील ।

अगर ज़ैद कि क़ल्लब साज़ है अपने शरीक बक़्र को कुछ रुपया जो कम्पनी के रुपये से मुल्तबस हो–चलाने के लिये हवाले करे–और बक़्र उन रुपयों को ख़ालिद के हाथ कि वह भी क़लबी रुपये का चलाने वाला है बेचडाले–और ख़ालिद को मुल्तबस जानकर ख़रीद ले–फिर ख़ालिद उनको किसी माल की क़ीमत में हामिद को दे डाले और हामिद उनको मुल्तबस न जान कर लेले–और उन रुपयों के लेने के बाद यह मालूम करे कि वह मुल्तबस हैं और किसी शै की क़ीमत में इस तौर से देडाले कि गोया वह खरे थे–तो इस सूरत में हामिद सिर्फ़ इसी दफ़ः की रू से सज़ा का मुस्तौजिब है मगर बक़्र और ख़ालिद–जैसा हाल हो–दफ़ः २३९ या २४० की रूसे सज़ा के मुस्तौजिब हैं ।

दफ़ः२४२–जो कोई शख़्स फरेब से या इस नीयत से कि फरेब का इर्तिकाब किया जाय मुल्तबस सिक्कः अपने पास रखता हो और उसको क़ब्ज़े में लाते वक़्त उसे यह इल्म था कि वह मुल्तबस

उस शख़्स का सिक्कःइ मुल्तबस को

(बाब १२—उन जुर्मों के बयान मे जो सिक्के और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुतअल्लिक हैं—दफ़आत २३१—२६३।)

गया हो कि यह मुबद्दल है उसे हवाला करना।

२४८ में कीगई है और जिसने उस सिक्के को क़ब्ज़े में लाते वक्त जान लिया हो कि उस सिक्के की निस्बत जुर्म मजकूर का इर्तिकाब होचुका है फरेब से या इस नीयत से कि फरेब का इर्तिकाब किया जाय उस सिक्के को किसी दूसरे शख़्स के हवाले करे या किसी दूसरे शख़्स को उसे अपनी तहवील में लेनेकी तहरीक करनेका इक़दाम करे तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैदकी सजा दीजायेगी किसी मीआद पांच बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

क़ब्ज़े में लेते वक्त मलक:इ मुअज़्ज़म: के जिस सिक्के को जाना गया हो कि यह मुबद्दल है उसे हवाले करना।

दफ़ः २५१—कोई शख़्स जिसके पास ऐसा सिक्क:हो जिसकी निस्बत उस जुर्म का इर्तिकाब होचुका है जिसकी तारीफ दफः २४७या २४९में कीगई है और जिसने उस सिक्केको क़ब्ज़ेमें लेते वक़्त जानलिया हो कि उस सिक्के की निस्बत जुर्म मजकूर का इर्तिकाब होचुका है उस सिक्के को फरेब से या इस नीयत से कि फरेब का इर्तिकाब कियाजाय किसी दूसरे शख़्स के हवाले करे या किसी दूसरे शख़्सको उसे अपनी तहवील में लेने की तहरीक करने का इक़दाम करे तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

उस शख़्स का सिक्के को पास रखना जिसने उसे क़ब्ज़े मे लेते वक्त जाना हो कि वह मुबद्दल है।

दफ़ः २५२—जो कोई शख़्स फरेब से या इस नीयत से कि फरेब का इर्तिकाब किया जाय कोई ऐसा सिक्कः अपने पास रखताहो जिसकी निस्बत उस जुर्म का इर्तिकाब होचुका है जिसकी तारीफ दफः २४६ ख्वाह २४८ में की गई है और उसने सिक्क:इ मजकूर को क़ब्ज़े में लेते वक़्त जान लियाहो कि उस सिक्केकी निस्बत जुर्म मज़कूर का इर्तिकाब हो चुकाहै—तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

उस शख़्स का मलक:इ मुअज़्ज़म:...

दफ़ः २५३—जो कोई शख़्स फरेब से या इस नीयत से कि फरेब का इर्तिकाब किया जाय कोई सिक्कः अपने पास रखता हो जिसकी निस्बत उस जुर्म का इर्तिकाब हो चुका है जिसकी तारीफ दफः २४७

ख़ाह २४९ में की गई है और उसने सिक्कःइ मज़कूर को कब्जे में लेते वक़्त जानलिया हो कि उस सिक्के की निस्बत जुर्म मज़कूर का इर्तिकाब होचुका है तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद पांच बरस तक होसक्ती है और जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

सिक्के जो पास रखा गया जिस उसे कब्जे में लेते वक़्त मुबद्दल जाना हो ।

दफ़ः २५४–जो कोई शख़्स कोई सिक्कः जिसकी निस्बत वह जानता है कि कोई ऐसा अमल जिसका ज़िक्र दफ़ः २४६ या २४७ या २४८ या २४९ में हुआ है अंजाम पाचुका है लेकिन जिसकी निस्बत अपने कब्जे में लाते वक़्त वह नहीं जानता था कि वह अमल अंजाम पाचुका है असली सिक्के की हैसीयत से या जिस क़िस्मका वह है उस से मुगायर क़िस्म के सिक्के की हैसीयत से किसी शख़्स के हवाले करे या किसी शख़्स को इस बात की तहरीक करने का इक़दाम करे कि वह शख़्स उस सिक्के को असली सिक्के की हैसीयत से या जिस क़िस्म का वह है उससे मुगायर सिक्के की हैसीयत से अपनी तहवील में ले तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार उस सिक्के की मालियत के दस गुने तक होसक्ती है जिसके एवज सिक्कःइ मुबद्दल चलाया गया है या जिसके चलाने का इक़दाम कियागया है ।

ऐसे सिक्के को असली सिक्के की हैसीयत से हवाले करना जिसका हवाले करने वाले ने पहले कब्ज़े में लेते वक़्त मुबद्दल न जाना हो ।

दफ़ः २५५–जो कोई शख़्स किसी ऐसे स्टाम्प की तलबीस करे या जान बूझकर उसकी तलबीस के अमल का कोई जुज़ अंजाम दे जो गवर्नमेन्ट[1] की जानिब से सर्कारी आमदनी के लिये जारी किया गया है तो शख़्स मज़कूर को हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

तलबीसे गवर्नमेन्ट स्टाम्प

तशरीह–वह शख़्स इस जुर्म का मुर्तकिब होगा जो एक नौ के असली स्टाम्प को और नौ के असली स्टाम्प की सूरतका करदेने से तलबीस करे ।

---

[1] "गवर्नमेन्ट" के मानी के लिये मुलाहज़ा तलब म॰बाद की दफ़ा २६३ (अलिफ़) (४)।

(बाब १२—उन जुर्मों के बयान में जो सिक्के और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुतअ़ल्लिक़ हैं—दफ़आत २५६–२५९।)

तलबीसे गवर्नमेन्ट स्टाम्प की ग़रज़ से कोई आल. या सामान पास रखना।

दफ़ः २५६—जो कोई शख़्स कोई आलः या सामान इस ग़रज़ से अपने क़ब्ज़े में रखता हो कि वह किसी ऐसे स्टाम्प की तलबीस के काम में आये या यह जानता या बावर करने की वजः रखता हो कि उसका किसी ऐसे स्टाम्प की तलबीस के काम में आना मक़सूद है जो गवर्नमेन्ट[1] की जानिब से सर्कारी आमदनी के लिये जारी किया गया हो तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

गवर्नमेन्ट स्टाम्प की तलबीस की ग़रज़ से आल: की साख़्त या फ़रोख़्त।

दफ़ः २५७—जो कोई शख़्स कोई आलः बनाये या उसकी साख़्त के अमल का कोई जुज़ अन्जाम दे या उस आलःको ख़रीदे या बेचे या अपने क़ब्ज़े से जुदा करे इस ग़रज़ से कि वह किसी ऐसे स्टाम्प की तलबीस के काम में आये या यह जानकर या बावर करने की वजः रखकर कि उसका किसी ऐसे स्टाम्प की तलबीस के काम में आना मक़सूद है जो गवर्नमेन्ट[1] की जानिब से सर्कारी आमदनी के लिये जारी किया गया है तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

फ़रोख़्त मुलतबस गवर्नमेन्ट स्टाम्प

दफ़ः २५८—जो कोई शख़्स कोई स्टाम्प बेचे या मारज़े बै में रखे यह जानकर या बावर करने की वजः रखकर कि वह किसी ऐसे स्टाम्प से मुल्तबस है जो गवर्नमेन्ट[1] की जानिब से सर्कारी आमदनी के लिये जारी किया गया है तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

मुलतबस गवर्नमेन्ट स्टाम्प को पास रखना

दफ़ः २५९—जो कोई शख़्स कोई स्टाम्प जिसको वह जानता हो कि किसी ऐसे स्टाम्प से मुल्तबस है जो गवर्नमेन्ट की जानिब से सर्कारी आमदनी के लिये जारी कियागया है।

[1] "गवर्नमेन्ट" के मानी के लिये मुलाहज़ा तलब मआद की दफ़ा १६३ (…) (१)

(बाब १२-उन जुर्मों के बयान में जो सिक्के और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुतअल्लिक़ हैं-दफ़आत २६०-२६२।)

अपने पास रखता हो इस नीयत से कि उस स्टाम्प को असली स्टाम्प की हैसियत से काम में लाये या अपने कब्जे से जुदा करे या यह गरज हो कि वह असली स्टाम्प की हैसियत से काम में लाया जायँ तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

मुल्तबस जान हुये गवर्नमेंट स्टाम्प को असली स्टाम्प की हैसियत से काम मे लाना।

दफ़ः २६०—जो कोई शख़्स असली स्टाम्पकी हैसियत से कोई स्टाम्प काममें लाये यह जान कर कि वह स्टाम्प किसी ऐसे स्टाम्प से मुल्तबस है जो गवर्नमेंटकी जानिबसे सर्कारी आमदनीके लिये जारी किया गयाहै तो शख़्से मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

गवर्नमेन्ट को जियान पहुचाने की नीयत से किसी माद्दे से जिसपर गवर्नमेंट स्टाम्प हो तहरीर मिटाना या दस्तावेज़ से वह स्टाम्प जो उसके लिये काम मे लाया गया है दूर करना।

दफ़ः २६१—जो कोई शख़्स फरेबसे या इस नीयत से कि गवर्नमेंट का जियान कराये किसी माद्दे से जिसपर कोई ऐसा स्टाम्प लगाहो जो गवर्नमेन्ट की जानिब से सर्कारी आमदनी के लिये जारी किया गया है कोई तहरीर या दस्तावेज दूर करे या मिटा डाले जिसके लिये वह स्टाम्प काम में लाया गया था या किसी तहरीर या दस्तावेज से कोई स्टाम्प जो उस तहरीर या दस्तावेज़ के लिये काम में लाया गया हो इस गरज से दूरकरे कि वह स्टाम्प किसी और तहरीर या दस्तावेज़ के लिये काम में लाया जाय तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी।

मुस्तअमल जाने हुये गवर्नमेंट स्टाम्प को काम मे लाना।

दफ़ः २६२—जो कोई शख़्स फरेबसे या इस नीयतसे कि गवर्नमेंट का जियान कराये कोई स्टाम्प जो गवर्नमेंट से सर्कारी आमदनी के लिये जारी किया गया हो किसी गरज से काम में लाये यह जानकर कि वह पहले काममें आचुका है तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में

---

[1] "गवर्नमेन्ट" के मानेके लिये मुलाहज़ा तलब मावादकी दफ़ २६३ (अलिफ) (४)।

से किसी क़िस्मकी क़ैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

उन निशान को छीलना जिस से यह ज़ाहिर होता है कि स्टाम्प काम में आचुका है।

दफ़ः २६३—जो कोई शख़्स फ़रेब से या इस नीयत से गवर्नमेन्ट का ज़ियान कराये किसी स्टाम्प पर से जो गवर्नमेन्ट[1] की जानिव से सर्कारी आमदनी के लिये जारी किया गयाहै कोई ऐसा निशान छील डाले या दूर करे जो इस बात के ज़ाहिर करने के लिये उस स्टाम्प पर लगाया या नक़्श किया गयाहो कि वह स्टाम्प काम में आचुका है या ऐसा स्टाम्प जिसको वह जानताहो कि काममें आचुका है और जिसपर से वह निशान छीलागया या दूर किया गयाहो जान बूझकर अपने पास रखे या बेचे या अपने क़ब्ज़े से जुदाकरे तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

मसनुई स्टाम्प की मुमानिअ़त।

दफ़ः २६३[2]—(अलिफ)—

(१) जो कोई शख़्स—

(अलिफ) कोई मसनुई स्टाम्प वनाये या जान बूझ कर चलाये या उसका कारोवार करे या उसे बेचे या कोई मसनुई स्टाम्प किसी डाक की ग़रज से जान बूझ कर इस्तअमाल करे—या

(बे) कोई मसनुई स्टाम्प बिदून वजहे जायज के अपने पास रखे—या

(जीम) कोई ठप्पा या धात की कन्दः की हुई तख़्ती या औज़ार या सामान कोई मसनुई स्टाम्प तैयार करने के लिये बनाये या बिदून वजहे जायज के अपने पास रखे—

१ "गवर्नमेंट" के मानी के लिये मुलाहज़ः तलब मावाद की दफ़ः २६३ (अलिफ) (४)।

२ दफ़ः २६३ (अलिफ) हिन्द के फ़ौजदारी आईन के तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८९५ ई० (नम्बर ३ मुनद्दरजः सन् १८९५ ई०) की दफ़ः २ के ज़रिये से इज़ाफ़ा कीगई [ऐक्ट हाय आम जिल्द ६]

तो उसको जुर्माने की सज़ा दी जायगी जिसकी मिक़दार दो सौ रुपये तक हो सक्ती है।

(२) हर ऐसा स्टाम्प या ठप्पा या धात की कन्दः की हुई तख़्ती या औज़ार या सामान मसनूई स्टाम्प बनाने का जो किसी शख़्स के पास पाया जाय वह कुर्क होकर ज़ब्त हो जायेगा।

(३) इस दफ़ः में "मसनुई स्टाम्प" के लफ़्ज़ से हर स्टाम्प मुराद है जो झूठ मूठ मुक्तज़ी इस का हो कि गवर्नमेन्ट ने उसे महसूले डाक की शरह के ज़ाहिर करने की गरज से जारी कियाहै या ऐसे स्टाम्प की कोई नक़ल या तक़लीद या शबीह मुरादहै जिसे गवर्नमेन्ट ने उस गरज के लिये जारी किया है आम इससे कि वह कागज पर हो या और निहज पर।

(४) इस दफ़ः में और नीज दफआत २५५ से २६३ तक में (बशमूल इन दोनों दफआत के) "गवर्नमेन्ट" के लफ़्ज से जब वह बइलाका या बनिसबत किसी ऐसे स्टाम्प के मुस्तअमल हो जो महसूले डाक की शरह के जाहिर करने की गरज से जारी किया जाय बावजूद इसके कि दफ़ः १७ में कोई मजमून मौजूद हो वह शख़्स या अशखास समझे जायेंगे जो इकजीकिउटिफ गवर्नमेन्ट का इन्तिजाम करने के लिये किसी जुजवे इन्डिया में और नीज़ जनाब मलकःइ मुअज्जमः की कलमरौ किसी हिस्से में या किसी मुल्क गैर में-क़ानूनन् मुजाज़ गर्दाने गये हों।

बाब १३।

उन जुर्मो के बयान मे जो बांटो और पैमानों से मुतअल्लिक़ हैं।

दफ़ः२६४—जो कोई शख़्स तौलने के किसी आले को जिसे वह झूठा जानता हो फरेब से काम मे लाये तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों मेंसे किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

तौलने के झूठे आले को फरेब से इस्ति-अमाल करना।

(बाब १३—उन जुर्मों के बयान में जो बाटों और पैमानों से मुतअल्लिक़ हैं—दफ़आत २६५-२६७-और बाब १४—उन जुर्मों के बयान मे जो आम्मःइ ख़लाइक की आफ़ियत और सलामती और आसाइश और हया और आदात पर मुअस्सर हैं—दफ़ः २६८ ।)

झूठे बाट या पैमाने को फरेब से इस्तिअमाल करना ।

दफ़ः२६५—जो कोई शख़्स किसी झूठे बांटको या तूल या वसअत के झूठे पैमाने को फरेब से काममें लाये या किसी बांट या तूल या वसअत के किसी पैमाने को किसी और बांट या पैमाने की हैसियत से जो उससे मुगायर हो फरेब से काम में लाये तो शख़्स मज़कूरको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद एकबरस तक होसक्तीहै या जुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

झूठे बाट या पैमाने को पास रखना ।

दफ़ः२६६—जो कोई शख़्स तौलने का कोई आला या कोई बांट या तूल या वसअत का कोई पैमानः जिसे वह झूठा जानता हो अपने पास रखता हो और उसकी यह नीयत हो कि वह फरेब से काम में लाया जाय तो शख़्स मज़कूरको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद एक बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

झूठे बाट या पैमाने का बनाना या बेचना ।

दफ़ः२६७—जो कोई शख़्स तौलने का कोई आलःया कोई बांट या वसअत का कोई पैमानः जिसे वह झूठा जानता हो इस गरज से बनाये या बेचे या अपने कब्जे से जुदा करे कि वह सच्चे की हैसियत से काममें लाया जाय या यह जानकर कि सच्चे की हैसियत से उसके काम में लाये जाने का इहतिमाल है तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

बाब १४ ।

उन जुर्मों के बयान में जो आम्मःइ खलायक़ की आफियत और सलामती और आसाइश और हया और आदात पर मुअस्सर हैं ।

[illegible]

दफ़ः२६८—वह शख़्स अमर बाइसे तकलीफ़ आम का मुजरिम[1]

---

[1] तारीफ़ "अमर बाइसे तकलीफ़ आम" की जो यहा लिखी गई—[illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] में और [illegible] [illegible] तहत-[illegible]-[illegible] ।

(बाब १४-उन जुर्मों के बयान में जो आम्म इ खलायक़ की आफ़ियत और सलामती और आसाइश और हया और आदात पर मुअस्सर हैं-दफ़ आत २६९-२७० ।)

होगा जो कोई ऐसा फ़ेल करे या किसी ऐसे तर्क खिलाफ़े क़ानून का मुजरिम हो जो आम्मः इ खलायक़ को या उमूमन उन लोगों को जो उसके क़ुर्ब ओ जवार में रहते या किसी ज़मीन या मकान पर दखल रखते हों कोई नुक़्साने आम या खतरः इ आम या रंज आम पहुंचाये या जो उन लोगों को जिन्हें किसी इस्तिहक़ाक़े आम्मः के काम में लाने की ज़रूरत हो बिज़्ज़ुरूर नुक़्सान या मुज़ाहमत या खतरः या रंज पहुंचाये ।

कोई अमर बाइसे तकलीफ़े आम इस वजह से दर गुज़र के लायक़ न होगा कि उससे कुछ आसाइश या नफ़ा ज़ुहूर में आता है ।

गफ़लतन् वह काम करना जिससे जान को खतर पहुचाने वाले किसी मर्ज़ की उफ़ूनत फैलने का इहतिमाल हो ।

दफ़ः २६९—जो कोई शख्स ना जवाजन् या गफ़लत से कोई फ़ेल करे जो ऐसा है और जिसको वह जानता है या जिसकी निस्बत वह बावर करने की वजह रखता है कि उससे किसी ऐसे मर्ज़ की उफ़ूनत फैलने का इहतिमाल है जिससे जान को खतरः है तो शख्स मज़कूर को दोनो क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

बद अन्देशी से वह काम करना जिससे जान को खतरः पहुचाने वाले किसी मर्ज़ की

दफ़ः २७०—जो कोई शख्स बद अन्देशी से ऐसा फ़ेल करे जो ऐसा है और जिसको वह जानता है या जिसकी निस्बत वह बावर करने की वजह रखता है कि उससे किसी ऐसे मर्ज़ की उफ़ूनत फैलने का इहतिमाल है जिससे जान को खतरः है तो शख्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी

स्टैटिउट सन ३३ जुलूसे मलकः इ मुअज़्ज़मः विक्टोरिया से जो १४-जनवरी सन् १८८७ ई० के बाद सादिर हुये हों-मुतअल्लिक़ हैं-मुलाहज़ तलब ऐक्ट मजालीने आम सन १८९७ ई० (नम्बर १० मुसदर इ सन् १८९७ ई०) की दफ़ः ३ ज़िम्न ४२ और दफ़ ४ (२) [ऐक्ट हाय आम-जिल्द ६ ।]

दरबारः इ ज़ाबिनः इ कारगुज़ारी के उमूर बादसे तकलीफ़े आम की सूरत में -मुलाहज़ः तलब मजमूअः इ ज़ाबित इ फ़ौजदारी सन १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदर इ सन १८९८ ई०). बाब १०-दफ़आत १३३ वगैर. [ऐक्ट हाय आम-जिल्द ६ ।]

(बाब १४—उन जुर्मों के बयान में जो आम्मःइ ख़लायक़ की आफ़ियत और सलामती और आसाइश और हया और आदात पर मुश्तमिल हैं—दफ़आत २७१-२७३।)

उफ़ूनत फैलने का इहतिमाल हो।

मीआद दो बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

क़ायदःइ कुवारनटीन् से इन्हिराफ़ करना।

दफ़ः २७१—जो कोई शख़्स जान बूझकर किसी ऐसे क़ायदे से इनहिराफ़ करे जो गवर्नमेन्ट हिन्द या किसी और गवर्नमेन्ट ने[1] किसी मर्कबे तरी को कुवारनटीन् की हालत में रखने के लिये या वास्ते इन्तिजाम आमद ओ रफ़्त दरमियान उन मराकबे तरी के जो कुवारनटीन् की हालत में हैं और साहेल दर्या या और मराकबे तरी के या वास्ते इन्तिजामे आमद ओ रफ़्त दरमियान ऐसे मुक़ामों के जहां कि कोई मर्ज़ उफ़ूनती फैला हुआहै और और मुक़ामात के जारी या मुश्तहर किया हो तो शख़्स मजकूर को दोनों किस्मोंमें से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद छःमहीने तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजाये दी जायेंगी।

खाने या पीने की शै में जिसका बेचना मक़्सूद हो आमेजिश करना।

दफ़ः २७२[2]—जो कोई खाने या पीने की किसी शै में ऐसीतरह से आमेजिश करे कि वह शै खाने या पीने में मुज़िर होजाय इस नीयत से कि उस शैको खाने या पीने की शै की हैसियत से बेचे या इस इल्म से कि खाने या पीने की शै की हैसियत से उस शै के बिकजाने का इहतिमाल है तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपये तक हो सक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

खाने या पीने की मुज़िर शै को बेचना।

दफ़ः २७३[2]—जो कोई शख़्स खाने या पीने की शै की हैसियत से किसी ऐसी शै को बेचे या मअ़रिजे बै में रखे या बेचनेके लिये

---

१ दरबार इ इख़्तियार वज़अ क़वाइद मुतअ़ल्लिक़ कुवारनटीन् (क़रनतीन) के— मुलाहज़ा तलब ऐक्ट क़रनतीन मजरियःइ हिन्द सन १८७० ई० (नम्बर १ मुसद्दरःइ सन १८७० ई०) [ऐक्ट हाय आम-जिल्द २।]

२ उस खाने या और शै के नेस्त ओ नाबूद करने के हुक्म देने के इख़्तियार के बारे में जिसकी निस्बत तहत दफ़ २७२—२७५ मुर्तकिब जुर्म हो चुका हो—मुलाहज़ा तलब मजमूअ़ःइ ज़ाबितःइ फ़ौजदारी सन १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसद्दरःइ सन १८९८ ई०) नम्बर ५१७ (१) [ऐक्ट हाय आम जिल्द [illegible]]।

निकाले जो मुजिर बना दीगई हो या मुज़िर होगई हो या ऐसी हालत में हो कि खाने या पीने के क़ाबिल न हो यह जानकर या इस अमर के बावर करने की वजह रखकर कि शै मजकूर खाने या पीने के लिये मुजिर है तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार एक हज़ार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

दवाओं में आमेज़िश करनी।

दफ़ः २७४[1]–जो कोई शख़्स किसी दवाय मुफरिद या मुरक्कब में ऐसी तरह से आमेजिश करे कि उसके जरीये से उस दवाय मुफरिद या मुरक्कब की तासीर कम करदे या उसका अमल बदल दे या उसको मुजिर बनादे इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि वह किसी मुआलिजे के लिये इस तरह से बिकजाय या काम में आये कि गोया उसमें आमेज़िश नहीं हुई तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार एक हज़ार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दीजायेंगी।

आमेज़िश की हुई दवाओं का बेचना।

दफ़ः २७५[1]–जो कोई शख़्स यह जानकर कि किसी दवाय मुफरिद या मुरक्कब में ऐसी तरह पर आमेजिश की गई है कि उसके सबब से उसकी तासीर कम होगई या अमल बदल गया या वह मुजिर बना दीगई है उसको बेचे या मारज़े बै में रखे या बेचने के लिये निकाले या दवाखाने से मुआलजे के लिये ऐसी दवा की हैसीयत से जिसमें आमेजिश नहीं की गई तक़सीम करे या किसी शख़्स से जो उस आमेज़िश से वाक़िफ न हो मुआलजे के लिये उसका इस्तिअमाल कराये तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

---

[1] मुलाहज़ा तलब सफ़ः १३४ का फुट नोट २।

(बाब १४—उन जुर्मों के बयान में जो आम्मःइ ख़लायक की आफ़ियत और सलामती और आसाइश और हया और आदात पर मुअस्सर हैं—दफ़आत २६८—२९४ ।)

किसी दवा को किसी और दवाय मुफ़रिद या मुरक्कब की हैसियत से बेचना

दफ़ः २७६—जो कोई शख़्स किसी दवाय मुफ़रिद या मुरक्कब को किसी और दवाय मुफ़रिद या मुरक्कब की हैसियत से जान बूझकर देचे या मारिज़े बै में रखे या बेचने के लिये निकाले या दवाखाने से मुआलजे के लिये तकसीम करे तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार एक हज़ार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

आम चश्मे या हौज़ के पानी को गदला करना।

दफ़ः २७७—जो कोई शख़्स किसी चश्मःइ आम या हौज़ आम के पानी को बिलइरादः ख़राब या गदला करे इस तरह पर कि उसको ऐसा करदे कि जिस मतलब के वास्ते वह हस्बे मामूल काम में आता है जैसा था वैसा उसके लायक न रहे तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायगी जिसकी मीआद तीन महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार पांचसौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

हवा को मुज़िरे सिहत करना।

दफ़ः २७८—जो कोई शख़्स किसी जगह की हवा को बिलइरादः फ़ासिद करदे इस तरह पर कि वह उन लोगोंकी सेहतके लिये मुज़िर हो जो उमूमन् उसके कुर्ब में बूद ओ बाश रखते या कारोबार करते हों या किसी गुज़रगाहे आम से होकर आमद ओ रफ़्त रखते हों तो शख़्स मजकूर को जुर्माने की सजा दी जायेगी जो पांच सौ रुपये तक होसक्ता है।

किसी शारेअ आम पर बे इहतियाती से गाड़ी चलाना या सवार होकर निकलना।

दफ़ः २७९—जो कोई शख़्स किसी शारेअ आममें ऐसी बेइहतियाती या गफ़लत से कोई गाड़ी चलाये या सवार होकर निकले कि उससे इन्सान की जान को ख़तर हो या किसी दूसरे शख़्स को ज़रर या नुक़सान पहुंचने का इहतिमाल हो तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से क़िसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीनेतक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपये तक होसक्तीहै या दोनों सजायें दीजायेंगी

(बाब १४-उन जुर्मों के बयान में जो आम्म इ ख़लायक़ की आफ़ियत और सलामती और आसाइश और हया और आदात पर मुअस्सर है-दफ़आत २८०-२८४ ।)

दफ़: २८०—जो कोई शख़्स किसी मर्कवेतरी को इस तौर पर बे इहतियाती या गफ़लत से चलाये कि उससे इन्सान की जान को खतर हो—या किसी और शख़्स को जरर या नुक़सान पहुंचने का इहतिमाल हो तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो-सक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

बे इहतियाती से मर्कवेतरी को चलाना ।

दफ़: २८१—जो कोई शख़्स झूठी रोशनी या झूठा निशान या पानी पर तैरने वाला निशान दिखलाये इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उस दिखलाने के सबब से किसी मर्कवेतरी के चलाने वाले को गुमराह करे तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

झूठी रोशनी या झूठा निशान या पानी पर तैरने वाला निशान दिखाना ।

दफ़: २८२—जो कोई शख़्स पानी की राह से किसी शख़्सको किसी मर्कवेतरी में जब कि वह मर्कवेतरी ऐसी हालत में हो या इस क़दर लदा हो कि उसमे उस शख़्स की जानको खतर हो जान बूझ कर या गफ़लत करके अजूरे पर लेजाय या लिवा लेजाय तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

किसी शख़्स को पानी की राहे अजूरे पर गैर मामूल या हद से ज़ियाद लदे हुये मर्कवेतरी में लेजाना ।

दफ़: २८३—जो कोई शख़्स किसी फ़ेल के करने से या किसी माल की निस्बत जो उसके क़ब्ज़े या इहतिमाम मे हो निगहदाश्त तर्क करने से किसी शारेअ आम या मराकिबे तरी की आम राह पर किसी शख़्स को खतर: या मुज़ाहमत या नुक़सान पहुंचाये तो शख़्स मजकूर को जुर्माने की सज़ा दीजायेगी जिसकी मिक़दार दो सौ रुपये तक होसक्ती है ।

खुश्की या तरी की आम राह पर खतर: या मुज़ाहमत पहुंचाना ।

दफ़: २८४—जो कोई शख़्स किसी जहरीले मादे से कोई फ़ेल ऐसी बे इहतियाती या गफ़लतके साथ करे जिससे इन्सान की जान

जहरीले मादे की निस्बत

तग़ाफ़ुल करना।

को खतर हो या किसी और शख़्स को ज़रर या नुक़सान पहुंचने का इहतिमाल हो—

या किसी ज़हरीले माद्दे की निस्बत जो उसके पास हो जान बूझ कर या गफलत करके ऐसी निगाह दाश्त तर्क करे जो उस खतरे के दफ़ैअः के लिये जिसके पहुंचने का इहतिमाल इन्सान की जान को उस ज़हरीले माद्दे से है काफ़ी हो—

तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार एक हज़ार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

आग या आतशगीर माद्दे की निस्बत तग़ाफ़ुल करना।

दफ़ः २८५—जो कोई शख़्स आग या किसी आतशगीर माद्दे से कोई फेल ऐसी बेइहतियाती या ग़फलतके साथ करे जिससे इन्सान की जान को खतर हो या जिससे किसी और शख़्स को जरर या नुक़सान पहुंचने का इहतिमाल हो—

या किसी आग या किसी आतशगीर माद्दे की निस्बत जो उस के पास हो जान बूझ कर या गफलत करके ऐसी निगह दाश्त तर्क करे जो उस खतरे के दफ़ैअः के लिये जिसके पहुचंने का इहतिमाल इन्सान की जानको उस आग या आतशगीर माद्दे से है काफी हो—

तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

भक से उड़ जाने वाले माद्दे की निस्बत तग़ाफ़ुल करना।

दफ़ः २८६—जो कोई शख़्स भक से उड़ जानेवाले किसी माद्दे से कोई फेल ऐसी बेइहतियाती या गफ़लत के साथ करे जिससे इन्सान की जान को खतर हो या जिससे किसी दूसरे शख़्स को ज़रर या नुक़सान पहुंचने का इहतिमाल हो—

(बाब १४—उन जुर्मों के बयान में जो आम्मः ख़लायक़ की आफ़ियत और सलामती और आसाइश और हया और आदात पर मुश्तमिल हैं—दफ़आत २८७—२८८।)

या भक से उड़ जाने वाले किसी माद्दे की निसबत जो उसके पास हो जान बूझ कर या गफलत करके ऐसी निगहदाश्त तर्क करे जो उस खतरे के दफ़ैअः के लिये जिसके पहुँचने का इहतिमाल इन्सान की जान को उस भक से उड़ जाने वाले माद्दे से है काफी हो—

तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

दफ़ः २८७—जो कोई शख़्स किसी कल से कोई फेल ऐसी बेइहतियाती या गफलत के साथ करे जिससे इन्सान की जान को खतर हो या जिससे किसी दूसरे शख़्स को ज़रर या नुक़सान पहुँचने का इहतिमाल हो—

कल की निस्बत तग़ाफ़ुल करना।

या किसी कल की निसबत जो उसके पासहो या उसके इहतिमाम में हो जान बूझ कर या गफलत करके ऐसी निगहदाश्त तर्क करे जो उस खतरे के दफ़ैअः में जिसके पहुँचने का इहतिमाल इन्सान की जान को उस कल से है काफी हो—

तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपये तक होसक्तीहै या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

दफ़ः २८८—जो कोई शख़्स किसी इमारतके मिस्मार करने या मरम्मत करने में उस इमारत की निस्बत ऐसी निगहदाश्त जान बूझ कर या गफलत करके तर्क करे जो उस खतरे से जिसके पहुँचने का इहतिमाल इन्सान की जान को उस इमारत या उसके किसी जुज़ के गिरने से है काफी हो तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक

इमारत के मिस्मार करने या उसकी मरम्मत करने की निस्बत तग़ाफ़ुल करना।

(बाब १४-उन जुर्मों के बयान में जो आम्मः इ खलायक़ की आफ़ियत और सलामती और आसाइश और हया और आदात पर मुअस्सर हैं-दफ़आत २८९-२९२।)

होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

हैवान की निस्बत तग़ाफ़ुल करना।

दफ़ः २८९—जो कोई शख़्स किसी हैवान की निस्बत जो उसके पास हो जान बूझ कर या गफलत करके ऐसी निगहदास्त तर्क करे जो इन्सान की जान के खतरे या जररे शदीद के अंदेशे के दफ़ैअः के लिये जिसके पहुंचने का इहतिमाल उस हैवान से है काफी हो तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजाये दी जायेंगी।

सज़ाय अमर बाइसे तक़लीफ़े आम उन सूरतों में कि जिनमें और तरह पर हुक्म नहीं है।

दफ़ः २९०—जो कोई शख़्स किसी ऐसी हालतमें किसी अमर बाइसे तकलीफ़े आम का मुर्तकिब हो जिसकी पादाश में इस मजमूअ़ः की रू से कोई और सजा मुअय्यन नहीं है तो शख़्स मजकूरको जुर्माने की सजा दी जायेगी जिसकी मिक़दार दो सौ रुपये तक होसक्ती है।

अमरे बाइसे तक़लीफ़ के न करते रहने की हिदायत पाकर उसे करते रहना।

दफ़ः २९१—अगर कोई शख़्स किसी अमर बाइसे तकलीफ़े आम का इआदः करे या उसे करता रहे जिसको किसी ऐसे सर्कारी मुलाज़िम की जानिब से उस अमरे बाइसे तक़लीफ़ के इआदःन करने या उसे न करते रहने की हिदायत होचुकी हो जो ऐसी हिदायत नाफ़िज करने का इख़्तियारे जायज रखताहो तो शख़्स मजकूर को क़ैद महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो-सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

फ़हुश किताब वग़ैरह का फ़रोख़्त करना वग़ैरः।

दफ़ः २९२[1]—जो कोई शख़्स कोई फ़ुहुश किताब या रिसालः या तहरीर या तसवीर सादः या रंगदार या शबीह या मूरत बेचे या

[1] उन [illegible] की नक़लों के [illegible] ओ नाबूद करने के हुक्म देने के इख़्तियारके बारेमें [illegible] निस्बत तहते दफ़ः२९२ या दफ़ः २९३ के सबूत जुर्म होचुका हो—मुलाहज़ः तलब [illegible] ज़ाबितः फ़ौजदारी सन १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मजरियः सन १८९८ ई०) की दफ़ः ५२१ [illegible]

बांटे या बेचने या किरायः पर चलाने के लिये दूसरे मुल्क से लाये या छापे या अमदन् आम्मःइ खलायक़ को दिखलाये या ऐसा करने पर इक़दाम करे या ऐसा करने को खुद कहे तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की कैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

मुस्तसना–इस दफ़ः का हुक्म उस शबीह को शामिल न होगा (तर्शी हुई हो या खुदी हुई या रंगदार बनी हुई हो या और तरह पर बनाई गई हो) जो किसी मन्दिर के ऊपर हो या अन्दर या किसी ऐसी गाड़ी के ऊपर हो जो बुतों के लेजाने के वास्ते इस्तिअमाल की जाती हो या किसी मज़हबी गरज के लिये रखी या इस्तिअमाल की गई हो ।

फ़ुहुश किताब वग़ैरः को बेचने या दिखाने के लिये पास रखना ।

दफ़ः २९३[1]–जो कोई शख़्स कोई ऐसी फ़ुहुश किताब या कोई और शै जो दफ़ःइ अखीरे मज़कूरःइ बाला में मुसर्रः हुई बेचने या बांटने या आम्मःइ खय लक को दिखलाने के लिये अपने पास रखता हो तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

फ़ुहुश अफ़आल और गीत ।

दफ़ः २९४[2]–जो कोई शख़्स औरों के रंज पहुंचाने को—

(अलिफ) कोई फ़ुहुश फेल आम्मःइ खलायक की आमद ओ रफ़्त की जगह में करे–या

(बे) आम्मःइ खलायक की आमद ओ रफ़्त की जगह में या उसके क़रीब कोई फ़ुहुश गीत गाये या कोई फ़ुहुश शेर पढ़े या फ़ुहुश बातें बके—

---

[1] मुलाहज़ा तलब सफ़ १४० का फुट नोट ।

[2] दफ़ःइ हाज़ा असल दफ़ २९४ की जगह हिन्द के फ़ौजदारी आईन के तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८९५ ई० (नम्बर ३ मुसद्दरः सन १८९५ ई०) की दफ़. ३ के ज़रिये से क़ायम की गई [ऐक्टहाय आम—जिल्द ६] ।

(बाब १४–उन जुर्मों के बयान में जो आम्मःइ ख़लायक़ की आफ़ियत और अम्न और आसूदगी और हया और आदात पर मुअस्सर हैं–दफ़ः २९४ (अलिफ़)–और बाब १५ उन जुर्मों के बयान में जो मज़हब से मुतअल्लिक़ हैं–दफ़ः २९५।)

उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेगी।

चिट्ठी डालने के दफ़्तर का रखना।

दफ़ः२९४–(अलिफ़)–जो कोई शख़्स कोई दफ़्तर या मकान बग़रज़ ऐसी चिट्ठी डालने के रक्खे जिसकी इजाजत सर्कार से नहीं है तो उसको दोनों किस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेगी।

और जो कोई शख़्स किसी वाक़िअःया इत्तिफाक़ के वक़्त पर जो निस्बत या तअल्लुक किसी टिकट या कुरःया नम्बर या हिन्दसः से ऐसी चिट्ठी डालने में रखता हो किसी शख़्स की मनफ़िअत के वास्ते कुछ रुपया अदा करने या कोई असबाब हवाले करने या किसी फेल के अमल में लाने या किसी फेल के करने न देने के लिये कोई तजवीज मुश्तहर करे उसको जुर्माने की सज़ा होगी जो एक हजार रुपये तक हो सक्ती है।

बाब १५।

उन जुर्मों के बयान में जो मज़हब से मुतअल्लिक़ हैं।

किसी फ़िर्क़े के मज़हब की तौहीन करने की नीयत से।

दफ़ः२९५–जो कोई शख़्स किसी इबादतगाह या किसी शैको जो लोगों के किसी फ़िर्क़े के नज़दीक मुतबर्रक समझी जातीहो ख़राब करे या मज़र्रत पहुंचाये या नजिस करे उसके ज़रीये से लोगोंके किसी फ़िर्क़ेके मज़हबकी तौहीन करने की नीयतसे या इस अमरके इहतिमालके

(बाब १५-उन जुर्मोंके बयान में जो मज़हब से मुतअल्लिक़हैं—दफ़आत २९५—२९८।)

इल्म से कि लोगों का कोई फिर्क़ः उस खराब करने या मज़र्रत पहुंचाने या नजिस करने को अपने मजहब की एक तरह की तौहीन समझेगा तो शख़्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद दो बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

किसी इबादत गाह को नुकसान पहुंचाना या नजिस करना।

दफ़ः २९६—जो कोई शख़्स बिल इरादः किसी मजमे को ईज़ा पहुंचाये जो मजहबी इबादत या मज़हबी रस्मों के अदा करने में जाअज़न मसरूफ हों तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

मजम इ मज़हबी को ईज़ा पहुचाना।

दफ़ः २९७—जो कोई शख़्स किसी शख़्स का दिल दुखाने या किसी शख़्स के मज़हब की तौहीन करने की नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि इस के ज़रीये से किसी शख़्स का दिल दुखेगा या किसी शख़्स के मज़हब की तौहीन होगी—

क़बरस्तानों वग़ैर में मुदाखलते बेजा करना।

किसी इबादत गाह या क़बरस्तान या ऐसे मुक़ाम में जो अदाय मरासिमे तदफ़ीन के लिये मुअय्यन हो या ब मंज़िला लाश की बदीअत गाह के हो—किसी मुदाखलते बेजा का मुर्तकिब हो या किसी लाशे इन्सानी की तज़लील करे या उन शख़्सों को ईज़ा पहुंचाये जो अदाय मरासिमे तदफ़ीन के लिये जमा हुये हों—

तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

दफ़ः२९८[1]—जो कोई शख़्स सोच विचार कर मज़हब की

सोच विचार कर मज़हब की बाबत

[1] उन जुर्मों में जो हस्ब दफ़ः २९८ क़ाबिले सज़ा हों राज़ीनामः हो सक्ता है मुलाहज़ तलब मजमूअ इ ज़ाबित इ फ़ौजदारी सन १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदर इ सन १८९८ ई०) की दफ़ ३४५ [ऐक्ट हाय आम-जिल्द ६]—दरसूरत उस नौबते दौराने मुक़द्दम के कि जब अदालत की इजाज़त के बिदून राज़ीनामः जायज़ नहीं है मुलाहज़ः तलब मजमूअ इ मज़कूर की दफ़ मजकूर की दफ़ इ तहती (५)।

(बाब १८–उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं–दफ़ा. २९९।)

दिल दोखने की नीयतसेबात वग़ैर करना।

निसबत किसी शख़्स का दिल दोखने की नियत से कोई बात कहे या कोई आवाज़ निकाले जिसको वह शख़्स सुन सके या उस शख़्स के पेश नजर कोई हरकत करे या कोई शै उसके पेशे नजर रखे तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

बाब १६।

उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं।

उन जुर्मों के बयान में जो इन्सान की जान पर मुअस्सर हैं[1]।

क़तले इन्सान मुस्तल्ज़मे सज़ा।

दफ़ः२९९—जो कोई शख़्स किसी फेल के इर्तिकाब से हलाकत का बाइस हो इस नीयत से कि हलाकत वक़ू में आये या इस नीयत से कि ऐसा नुक़साने जिस्मानी वक़ू में आये जिससे हलाकत होजाने का

---

[1] उन जुर्मों की इत्तिला के पहुचाने की पाबन्दी के बारे में जो दफ़ः ३०२ या ३०३या ३०४ की रूसे क़ाबिले सज़ा हैं मुलाहज़ तलब मजमूअ इ ज़ाबित:इ फ़ौजदारी सन १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसद्दर ह सन १८९८ ई०) की दफ़ ४४–नीज़ मुलाहज़: तलब (उन जुर्मों के बारे में जो दफ़ः ३०२ या ३०४ की रूसे क़ाबिले सज़ा है) मजमूअ इ मज़कूर की दफ़ ४५–और (दरबार:इ क़तले अमद और क़तल इन्सान मुस्तल्ज़म सज़ा जो हद्दे क़तले अमद तक न पहुंचता हो) मजमूअ इ मज़कूर की दफ़ः ४५ जैसी कि उसकी तर्मीमे बर्मा के लिये अपर बर्मा के गाओं के रेगूलेशन सन १८८७ ई० (नम्बर १८ मुसद्दर:इ सन १८८७ ई०) की दफ़ ४ के ज़रीये से–और लोअर बर्मा के गाओं के ऐक्ट सन १८८९ ई० (नम्बर ३ मुसद्दर:इ सन १८८९ ई०) की दफ़ ५ के ज़रीये से हुई है [उसी मजमूअ इ क़वानीने बर्मा मतबूअ:इ सन १८९९ ई० में]।

दरबार: सज़ाय ताज़ियान: के अपर बर्मा में जरायमे मुसर्र:इ दफ़आत ३०२ ओ ३०४ ओ ३०७ की पादाश में मुलाहज़: तलब बर्मा के आईनों के ऐक्ट सन १८९८ ई० (नम्बर १३ मुसद्दर इ सन १८९८ ई०) की दफ़ ८ (३) (बे) और ज़मीम:२ [मजमूअ:इ क़वानीने बर्मा मतबूअ:इ सन १८९९ ई०]।

दरबार:इ सज़ा बरादार जरायम तहते दफ़आत ३०२ ओ ३०४ ओ ३०७ ओ ३०८ के जिनकी तहक़ीक़ात पंजाब के ज़िल:इ सर्हद्दी या बिलोचिस्तान में बज़रीये पंचायत सर्दारान के अमल में आये मुलाहज़: तलब पंजाब के सर्हद्दी जरायम के रेगूलेशन सन १८८७ ई० (नम्बर ४ मुसद्दर:इ सन १८८७ ई०) की दफ़. १४ [उसी मजमूअ:इ क़वानीन पंजाब मतबूअ:इ सन १८८८ ई० के सफ़ह २९६–और मजमूअ:इ [illegible]

(बाब १६-उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं-दफः २९९।)
इहतिमाल है या इस इल्म से कि ग़ालिबन उस फ़ेल के करनेसे वह हलाकत का बाइस होगा तो वह शख़्स जुर्म कतले इन्सान मुस्तलज़िमे सज़ा का मुर्तकिब है।

तमसीलें।

(अलिफ़) ज़ैद किसी ग़ार पर लकड़ियां और घास फूस पाट दे इस नीयत से कि उसके ज़रीये से हलाकत का बाइस हो या इस इल्म से कि उसके ज़रीये से हलाकत होनेका इहतिमाल है और बकर उसको सख़्त ज़मीन समझ कर उस पर चले और उसमें गिरकर हलाक होजाय तो ज़ैद क़तल इन्सान मुस्तलज़िम सज़ाके जुर्मका मुर्तकिब हुआ।

(बे) ज़ैद यह जानता हो कि बकर किसी झाड़ी के पीछे है और अमर यह न जानता हो और ज़ैद अमर को उस झाड़ी पर बन्दूक़ चलाने की तहरीक करे इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि वह तहरीक बक्र की हलाकत का बाइस होगी-अमर बन्दूक़ चलाये और बक्र को हलाक करे-तो इस सूरत में मुमकिन है कि अमर किसी जुर्म का मुजरिम न हो मगर ज़ैद कतल इन्सान मुस्तलज़िम सज़ाके जुर्मका मुर्तकिब हुआ।

(जीम) ज़ैद किसी मुर्ग़ी को मारने और चुराने की नीयत से मुर्ग़ी पर बन्दूक़ चलाये और बक्र को जो किसी झाड़ी के पीछे हो हलाक करे-और ज़ैद को यह न मालूम हो कि बकर वहांहै-तो इस सूरत में ज़ैद कतल इन्सान मुस्तलज़िम सज़ाके जुर्म का मुजरिम न होगा गो वह एक फ़ेल नाजायज़ करता था क्योंकि उसने बक्र के मारडालने की नीयत नहीं की थी और न उसकी यह नीयत थी कि ऐसे फेल के करने से जिससे वह जानता था कि हलाकत होजाने का इहतिमाल है हलाकत का बाइस होजाये।

तशरीह १-जो कोई शख़्स किसी और शख़्स को जो किसी आरज़े या मर्ज़ या ज़ोअफ़े जिस्मानी में मुब्तिलाहो नुक़्साने जिस्मानी पहुँचाये और उसके ज़रिये से उसकी हलाकत की ताजीलका बाइस हो तो शख़्स मज़कूर उसकी हलाकत का बाइस मुतसौवर होगा।

तशरीह २-जिस हाल में नुक़्साने जिस्मानी के सबब से हलाकत वाके हो वह शख़्स जो उस नुक़्साने जिस्मानी का बाइस है उस हलाकत का बाइस मुतसौवर होगा गो मुनासिब तदबीरों और आकेलानःइलाज की तरफ रुजू करने से उस हलाकत की रोक हो सक्ती थी।

तशरीह ३—रिहमे मादर में किसी बच्चे की हलाकत का बाइस होना क़तले इन्सान नहीं है मगर किसी जिन्दः बच्चे की हलाकतका बाइस होना क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ाकी हदतक पहुँच सक्ता है अगर उस बच्चे का कोई जुज़ रिहम से बाहर निकलआया हो गो उस बच्चे ने सांस न लिया हो या तमाम ओ कमाल पैदा न हुआ हो।

क़तले अमद।

दफ़ः ३००—उन सूरतों के सिवा जो नीचे मुस्तसना की जाती हैं क़तले इन्साने मुस्तलज़मे सज़ा क़तले अमद होगा।

पहली—अगर वह फेल जिसके बाइस से हलाकत वाक़े हुई इस नीयत से किया गया कि हलाकत का बाइस हो—या—

दूसरी—अगर फेल ऐसे नुक़साने जिस्मानी के पहुंचाने की नीयत से कियागया हो जिस से मुजरिम के इल्म में शख़्स गज़न्द रसीदः के हलाक होने का इहतिमाल है—या—

तीसरी—अगर फेल किसी शख़्स को नुकसान जिस्मानी पहुंचानेकी नीयत से किया गया और वह नुक़सान जिस्मानी जिसका पहुंचाना मक़सूद था तबीअत की आदत मामूली के मुवाफ़िक़ याने आदतन् हलाक करने को काफ़ी हो—या—

चौथी—अगर वह शख़्स जो उस फेल का मुर्तकिब है यह जानता हो कि वह फेल ऐसा शिद्दत से खतरनाक है कि अग़लबन हलाकत या ऐसे नुक़सान जिस्मानीका बाइस होगा जिस से हलाकत वाक़े होनेका इहतिमाल है और उस फेल के इर्तिकाब में हलाकत का खतरः या नुक़सान मज़कूरुस्सदर का ख़तरः पैदा करना महज़ बिला वजः हो।

तमसीलें।

(अलिफ़) ज़ैद बक़र के मारडालने की नियत से उस पर बन्दूक़ चलावे और बक्र उस सबब से मरजाय तो ज़ैद क़तले अमद का मुर्तकिब हुआ।

(बाब १६—उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं—दफ़ः ३००।)

(बे) ज़ैद यह जानकर कि बकर ऐसे मर्ज़ में मुब्तिला है कि एक ज़र्ब से उसके हलाक होजाने का इहतिमाल है नुक़सान जिस्मानी पहुचाने की नीयत से बक़र को मारे और बक़र उस ज़र्ब के सबब से मरजाय—तो ज़ैद क़तल अमद का मुजरिम होगा गो ऐसी ज़र्ब तबीअत की आदत माहूदः के मुवाफ़िक़ यानी आदतन् किसी तन्दुरुस्त शख़्स की हलाकत के बाइस होने को काफ़ी न होसके लेकिन अगर ज़ैद यह न जानताहो कि बक़र किसी मर्ज़ में मुबतिला है और उसके ऐसी ज़र्ब लगाये जो तबीअत की आदत माहूदः के मुवाफ़िक़ यानी आदतन् किसी तन्दुरुस्त शख़्स की हलाकत के बाइस होने को काफ़ी न होसके—तो इस सूरत में ज़ैद क़तल अमद का मुजरिम न होगा अगर्चे उसने नुक़सान जिस्मानी पहुँचाने की नियत की हो बशर्ते कि हलाक करना या ऐसा नुक़सान जिस्मानी पहुचाना उसकी नीयत में न था जो तबीअत की आदत माहूद. के मुवाफ़िक़ यानी आदतन् हलाकत का बाइस होसक्ता है।

(जीम) जैद तलवार या लठ से बक़र को क़सदन् ऐसा ज़ख़्म पहुचाये जो तबीअत की आदते माहूद के मुवाफिक यानी आदतन् किसी आदमी के हलाक करने को काफी होता है और बक़र उस ज़ख़्म के सबब से मरजाय तो इस सूरत में ज़ैद क़तले अमद का मुजरिम होगा गो बक़र का हलाक करना उसकी नीयत में न था।

(दाल) जैद लोगों के एक ग़ोल पर महज़ बिला वजह भरी हुई तोप चलाये और उनमें से एक को हलाक करे तो जैद क़तले अमद का मुजरिम होगा गो पहले से फ़िक्र करके उसने किसी ख़ास शख़्स के हलाक करने का इरादः न कियाहो।

जबकि क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा क़तले अमद नहीं है।

मुस्तसना १—क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा क़तले अमद न होगा जब कि सख़्त ओ नागहानी बाइसे इश्तिआले तबअ के सबब से मुजरिम को अपने जब्त करने की क़ुदरत न रहे और वह उस शख़्स को हलाक करे जिसने वह बाइसे इश्तिआले तबअ दिलाया हो या गलती या इत्तिफाक़ से किसी दूसरे शख़्स की हलाकत का बाइस हो।

ऊपर लिखा हुआ मुस्तसना नीचे लिखी हुई शर्तों[1] से मशरूत होगाः—

पहली—यह कि मुजरिम खुद उस बाइसे इश्तिआले तबअका तालिब न हुआ हो या बिलइरादः इस ग़रज़ से उस बाइसे इश्तिआले तबअ का मुहर्रिक न हुआ

[1] दरबारः तअल्लुक़ पिज़ीर होने इन शर्तों के बाइसे इश्तिआले तबअ पर ज़रर पहुचाने की सूरत में—मुलाहज़ तलब माबाद की दफ़ः ३३५ की तशरीह।

हो कि उसे किसी शख़्स के हलाक करने या उस को गजन्द पहुंचाने की वजह होजाय।

दूसरी—यह कि वह बाइसे इश्तिआले तबअ़ ऐसे अमर के सबब से न दिलाया गयाहो जो कानून की तामील में किया गया है या जिसको किसी सर्कारी मुलाज़िमने अपनी सर्कारी मुलाज़िमी के इख़्तियारात के निफ़ाज़े जायज में किया है।

तीसरी—यह कि वह बाइसे इश्तिआले तबअ़ किसी ऐसे अमर के सबब से न दिलाया गयाहो-जो इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाज़ते ख़ुद इख़्तियारी के निफ़ाज़े जायज़ में किया गयाहै।

तशरीह—यह बात कि आया वह बाइसे इश्तिआले तबअ़ वाक़े में ऐसा सख़्त ओ नागहानी था या नहीं कि उससे उस जुर्म का क़तले अमद की हद तक पहुंचना रुक जाय एक अमरे तनक़ीह तलब है।

तमसीलें।

(अलिफ़) जैद शख़्स इ शैज म जो बकर के दिलाये हुये बाइसे इश्तिआले तबअ़ के सबब मुश्तअ़िल होगया हो बक़र के तिफ़्ल हामिद नामी को क़स्दन् हलाक करे तो यह क़तले अमद है क्योंकि वह बाइसे इश्तिआले तबअ़ तिफ़्ल ने नहीं दिलाया था और उस तिफ़्ल की हलाकत इत्तिफ़ाक़ या शामत से किसी ऐसे फ़ेल के करने में वाक़े नहीं हुई जिसका सबब वह बाइसे इश्तिआल तबअ़ हुआ हो।

(बे) बक़र जैद को सख़्त और नागहान बाइसे इश्तिआले तबअ़ दिलाये और जैद उस बाइसे इश्तिआले तबअ़ के होते ही बकर पर तपंचः चलाये और ख़ालिद के हलाक करने की न उसकी नीयत हो और न इस अमर का इहतिमाल उसके इल्म में हो कि वह ख़ालिद को हलाक करे जो उसके पास खड़ा है मगर नज़र नहीं आता और जैद ख़ालिद को हलाक करे—तो इस सूरत में जैद क़तले अमद का मुर्तकिब नहीं हुआ बल्कि सिर्फ़ क़तले इन्सान मुस्तल्ज़िमे सज़ा का।

(बाब १६—उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं—दफ़ः ३०० ।)

(दाल) जैद बक्र के रूबरू जो मजिस्ट्रेट है गवाह के तौरपर हाज़िर हो और बक्र यह कहे कि मैं जैद के इज़हार के किसी एक लफ़्ज़ पर भी एतिमाद नहीं करता और जैद ने हलफ़दरोगी की और जद इन बातों से दफ़अतन गैज़ में आजाय और बक्र को हलाक करे तो यह क़तले अमद है ।

(हे) जैद बक्र की नाक मड़ोड़ने का इक़दाम करे और बक्र इस्तिहक़ाके हिफ़ाज़ते खुद इख़्तियारी के निफ़ाज़ में जैद को इस लिये पकड़ ले कि उसकी यह हरकत रोके और जैद इस सबब से दफ़अतन् ग़ैज़े शदीद में आकर बक्र को हलाक करे तो यह क़तले अमद है क्योंकि वह बाइसे इश्तिआले नफ़्स ऐसे अमर से दिलाया गया जो इस्तिहक़ाक़ हिफ़ाज़ते खुद इख़्तियारी के निफ़ाज़ में सरज़द हुआ ।

(वाव) ज़ैद बक्र को मारे और बक्र उस बाइसे इश्तिआल तबअ के सबब से ग़ुस्सःइ शदीद में मर जाय और ख़ालिद जो क़रीब खड़ा हुआ हो इस नीयत से कि इस ग़ुस्से मे जैद को बक्र से हलाक कराने का मौक़ा मिल जाय बक्र के हाथ में इस ग़रज़ से एक छूरी देदे और बक्र उस छूरी से जैद को हलाक करे तो इस सूरत में मुमकिन् है कि बक्र सिर्फ़ क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ाका मुर्तकिब हो मगर ख़ालिद क़तले अमदका मुर्तकिब होगा ।

मुस्तसना २—क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा क़तले अमद न होगा अगर मुजरिम नेक नीयती से इस्तिहक़ाक़े हिफ़ाजते खुद इख़्तियारीये जिस्म या माल के निफ़ाज में उस इख़्तियार से बढ़ जाय जो उस को क़ानून की रूसे हासिल है और उस गज़न्द से जो उस हिफ़ाजत के लिये ज़रूर है जियादः गजन्द पहुंचाने की पहले से कोई फ़िक्र या नीयत न करके उस शख़्स को हलाक करे जिस के दफ़ैअः में उस इस्तहक़ाक़े हिफ़ाजत को नाफ़िज करता है ।

तमसील ।

ज़ैद बक्र के कोड़े मारने का इक़दाम करे न इस तरह पर कि बक्र को जररे शदीद पहुंचे और बक्र तपचः निकाल ले और जैद उस हमले में इसरार करे और बक्र नेक नीयती से यह समझ कर कि वह अपने तईं किसी और तदबीर से कोड़े खाने से नहीं बचा सक्ता ज़ैद को तपचे मार कर हलाक करे तो बक्र क़तले अमद का मुर्तकिब नहीं हुआ बल्कि सिर्फ़ क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ाका ।

मुस्तसना ३—क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा क़तले अमद न होगा अगर मुजरिम जो सर्कारी मुलाजिम हो या किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम की मदद कररहा हो जो मअदलते आम्मःके इजरा के लिये

अमल कररहा है उन इख़्तियारात से जो उसको क़ानूनकी रूसे हासिल हैं बढ़जाय और किसी ऐसे फेलके करने से हलाकत का बाइसहो जिस को वह नेक नीयती से जायज़ और अपनी मन्सबी खिदमतकी मुनासिब अन्जाम दिही के लिये बहैसियत उस सर्कारी मुलाज़िमी के ज़रूरी समझता हो और उस शख़्स से जो हलाक हुआ कुछ अदावत न रखताहो।

मुस्तसना ४—क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा क़तले अमद न होगा अगर पहले से फ़िक्र न करके नागहानी तनाज़ों के वाक़े होने पर बहालते ग़ैज़ नागहानी लड़ाई में उसका इर्तिकाब हुआहो—और बिदून इसके कि मुजरिमने उस अमलमें ना मुनासिब इस्तिफ़ादःकिया हो बे रहमी से या ग़ैर मुस्तअमल तौरपर अमल किया हो।

तशरीह—ऐसी सूरतों में यह अमर लिहाज़ तलब नहीं है कि इश्तिआले तबअ किस फ़रीक़ ने दिलाया या किसने पहले हम्ले का इर्तिकाब किया।

मुस्तसना ५—क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा उस हालत में क़तले अमद न होगा जब कि वह शख़्स जो हलाक किया गया है अट्ठारः बरस से ज़ियादः उमर का हो और अपनी रिज़ामन्दी से हलाक कियाजाय या हलाकत का ख़तरः उठाये।

तमसील।

ज़ैद बकर से जिसकी उमर अट्ठारः बरस से कम है तर्ग़ीब देकर बिल इरादः खुद कुशी का इर्तिकाब कराये तो चूंकि इस सूरत में बकर कम उमरी के बाइस से अपनी हलाकत की निस्बत रिज़ामन्दी ज़ाहिर करने के क़ाबिल न था इस लिये ज़ैदने क़तल अमदमें इआनतकी।

जिस शख़्स का हलाक करना मक़सूद था उसके सिवा किसी और की हलाकत [illegible]

दफ़ः ३०१—अगर कोई शख़्स कोई ऐसा अमर करने से जिस से उसकी यह नीयत हो या जिससे इस अमर का इह्तिमाल उसके इल्म में हो कि वह हलाकत का बाइस होगा किसी ऐसे शख़्स की हलाकत का बाइस होकर क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ाका इर्तिकाब करे जिसकी हलाकत के बाइस होने की न तो उसने नीयत की न इस अमर का इह्तिमाल उसके इल्म में था कि वह उसकी हलाकतका

बाइस हो तो यह कतल इन्सान मुस्तलजमे सज़ा जिस का वह मुजरिम मुर्तकिब हुआ है उसी क़िस्म का है जो उस हाल में होता जब कि मुजरिम उस शख़्स की हलाकत का बाइस हुआ होता जिसकी हलाकत उसकी नीयत में था या इस अमर का इहतिमाल उसके इल्म में था कि उसकी हलाकत का बाइस होगा।

इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा।

दफ़ा ३०२—जो कोई शख़्स क़तल अमद का मुर्तकिबहो उस को सज़ाय मौत या हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर की सज़ा दीजायेगी और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

सज़ाय क़तले अमद।

दफ़ः ३०३—कोई शख़्स जिसकी निस्बत हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर का हुक्म सज़ा सादिर होचुका हो क़तले अमद का मुर्तकिब हो तो उसको सज़ाय मौत दी जायेगी।

सज़ाय क़तल अमद मुर्तकब-इ मुजरिम जो जनम कैदी हो।

दफ़ः ३०४—जो कोई शख़्स ऐसे क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सजा का मुर्तकिब हो जो क़तले अमद की हद को न पहुंचता हो तो उस शख़्स को हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर की सज़ा दी जायेगी या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा बशर्तेकि वह फेल जिससे हलाकत वाक़े हुई हलाकत के बाइस होने की नीयत से या ऐसे नुक़साने जिस्मानी के बाइस होने की नीयत से किया गया जिससे हलाकत वाक़े होने का इहतिमालहै—

या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी बशर्तेकि फेल मजकूर इस इल्म से किया गया हो कि उससे हलाकत के वाक़े होने का इहतिमाल है मगर कुछ यह नीयत नहो कि उससे हलाकत वाक़े हो या ऐसा नुक़साने जिस्मानी पहुंचे, जिससे हलाकत वाक़े होनेका इहतिमाल है।

सज़ाय क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा जो क़तले अमद तक न पहुचे।

दफ़ः ३०४ (अलिफ)[1]—अगर कोई शख़्स किसी बेइहतियाती या ग़फलत के फेल से जो कतले इन्सान मुस्तलजमे सज़ाकी हदतक

ग़फ़लत करने से बाइस हलाकती का होना।

[1] दफ़ा ३०४ (अलिफ़) मजमूअःइ क़वानीने ताज़ीराते हिन्दके तर्मीम करनेवाले ऐक्ट

न पहुंचे किसी शख़्स की हलाकत का बाइस हो तो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनो सज़ायें दी जायेंगी।

खुद कुशी में तिफ़्ल या फ़ातिरुल अक़्ल की इआनत।

दफ़ः ३०५—अगर कोई शख़्स जिसकी उमर अट्ठारह बरस से कम हो या कोई फ़ातिरुल्अक़ल या कोई मख़्लूबुल्हवास या कोई मख़्बूते फ़ितरी या कोई मुतनश्शी खुदकुशी का इर्तिकाब करे तो जो कोई शख़्स उस खुदकुशी के इर्तिकाब में इआनत करे उसको सज़ाय मौत या हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या ऐसी क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस से ज़ायद न हो और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

खुद कुशी में इआनत।

दफ़ः ३०६—अगर कोई शख़्स ख़ुदकुशी का इर्तिकाब करे तो जो कोई शख़्स उस ख़ुदकुशी के इर्तिकाब में इआनत करे उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

क़त्ले अमद का इक़्दाम

दफ़ः ३०७—जो कोई शख़्स कोई फ़ेल ऐसी नीयत या ऐसे इल्म से और ऐसी हालत में करे कि अगर वह उस फ़ेल के जरीये से हलाकत का बाइस होता तो क़तल अमद का मुजरिम होता उसको दोनों किस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा और अगर उस फेल के बाइस से किसी शख़्स को ज़रर पहुंचे तो मुजरिम या तो हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर का या उस सजाका जो इस दफः में पहले बयान कीगई है मुस्तौजिब होगा।

सन् १८७० ई० (नम्बर २७ मुसद्दरः सन १८७० ई०) की दफ़ः १२ के ज़रीये से दाख़िल कीगई [ऐक्ट हाय आम की—जिल्द २]।

इस मजमूअःइ क़वानीन के बाब ८ और ५ और २३ उन जुर्मों से मुतअल्लिक़ हैं जो दफ़. ३०४ (अलिफ़) क़ाबिले सज़ा है—मजमूअःइ क़वानीने ताज़ीरात हिन्द के तर्मीम करनेवाले ऐक्ट सन् १८७० ई० (नम्बर २७ मुसद्दरः सन् १८७० ई० की दफ़ः १२ [ऐक्ट हाय आम—जिल्द २]।

(बाब १६-उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं-दफ़. ३०८।)

जिस हालमे कि कोई शख्स जो हस्ब दफ़ःइ हाजा मुजरिम होकर राजाये हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर की भुगत रहाहो उस सूरत में अगर किसी शख्स को जरर पहुंचे तो उसको सजाय मौत होसक्ती है।[3]

इक़्दाम मुजर्मो की तरफ़ से जो जन्म क़ैदी हो।

तमसीलें।

(अलिफ़) जैद बक्र को हलाक करने की नीयत से ऐसी हालत में उस पर बन्दूक चलाये कि अगर उससे हलाकत वाक़े होती तो ज़ैद कतल अमद का मुजरिम होता तो ज़ैद इस दफ़ः की रू से सज़ाका मुस्तौजिब है।

(बे) जैद किसी कम उमर तिफ़्ल के हलाक कराने की नीयत से उसको किसी वीरान जगह में डालदे तो ज़ैद उस जुर्म का मुर्तकिब होगा जिसकी तारीफ़ इस दफ़. में की गई है गो उस तिफ़्ल की हलाकत वाक़े न हो।

(जीम) ज़ैद बक्र के मारडालने की नीयत करके एक बन्दूक ख़रीदे और उसको भरे तो हनोज़ ज़ैद जुर्म का मुर्तकिब नहीं है फिर जैद बक्रपर बन्दूक चलाये तो जैद उस जुर्म का मुर्तकिब होगा जिसकी तारीफ इस दफ़ में की गई है और अगर उस बन्दूक चलाने से वह बकर को ज़ख़्मी करे तो जैद उस सजा का मुस्तौजिब होगा जो इस दफ़ः के [2] [फ़िक़रःइ अव्वल] के हिस्सा अख़ीर में मुक़र्रर कीगई है।

(दाल) ज़ैद बकर को ज़हर से मारडालने की नीयत करके ज़हर ख़रीदे और उसको उस खाने में मिलादे जो जैद की तहवील में रहताहो तो हनोज़ जैद ने उस जुर्मका इर्तिकाब नहीं किया जिसकी तारीफ़ इस दफ़ में की गई है, फिर जैद उस खाने को बक्रकी मेज पर लगाये या बक्र के नौकरों को दे दे कि वह उसको बक्र की मेज़ पर लगायें तो जैद उस जुर्मका मुर्तकिब हुआ जिसकी तारीफ़ इस दफ़ में कीगई है।

दफ़ः ३०८—जो कोई शख्स कोई फेल ऐसी नीयत या ऐसे इल्म से और ऐसी हालत में करे कि अगर वह उस फेल के जरीये से हलाकत का बाइस हो तो वह उस क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा का मुजरिम हो जो क़तल अमद की हद को नहीं पहुंचता है तो शख्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी

क़तल इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा के इर्तिकाब का इक़दाम।

---

[1] यह जिम्न मजमूअःइ क़वानीने ताजीराते हिन्दके तर्मीम करनेवाले ऐक्ट सन् १८७० ई० (नम्बर २७ मुसदरःइ सन् १८७० ई०) की दफ़. ११ के ज़रीये से इलाक़ की गई [ऐक्ट हाय आम-जिल्द २]।

[2] यह अल्फ़ाज़ मन्सूख़ और तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन् १८९१ ई० (नम्बर १२ मुसदरःइ सन १८९१ ई०) के जरीये से दाखिल किये गये [ऐक्ट हायआम-जिल्द ६]।

जायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्तीहै या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी और अगर उस फ़ेल के बाइस से किसी शख़्स को ज़रर पहुंचे तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनो सजायें दी जायेंगी।

तमसील।

ज़ैद सख़्त तौर नागहानी बाइसे इश्तिआल तबअ के सबबसे बक्र पर ऐसी हालत में तमंचा चलाये कि अगर वह उस के ज़रीये से हलाकत का बाइस होता तो वह उस क़त्ले इन्सान मुस्तलज़िमे सज़ाका मुजरिम होता जो क़तले अमद की हद तक नहीं पहुंचता है तो ज़ैद उस जुर्म का मुर्तकिब हुआ जिसकी तारीफ़ इस दफ़ः में कीगई है।

खुद कुशी के इर्तिकाब का इक़्दाम।

दफ़ः ३०९—जो कोई शख़्स खुदकुशी के इर्तिकाब का इक़्दाम करे और कोई ऐसा फ़ेल करे जो जुर्म मज़कूर के इर्तिकाब की तरफ़ मुन्जर हो तो शख़्स मज़कूर को क़ैद महज़की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है [या जुर्माने की सजा दी जायेगी या दोनों सज़ायें।]

ठग

दफ़ः ३१०—जिस किसी शख़्सने किसी वक्त बाद जारी होने इस ऐक्ट के किसी और शख़्स या और अशख़ास के साथ आदतन इस गरज़ से मिलाप रक्खाहो कि क़तले अमद के ज़रीये से या मशग़ूल क़तले अमद के सर्क़ः बिल जब्र या दुज़दीये अतफ़ाल के जुर्म का इर्तिकाबहो वह ठग कहलाया जायेगा।

सज़ा।

दफ़ः ३११—जो कोई शख़्स ठगहो उसको हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोरकी सज़ा दी जायेगी और वह जुर्मानेका भी मुस्तौजिब होगा।

(बाब १६ उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सरहैं—
दफ़आत ३१२—३१४ ।)

इस्क़ाते हमल कराने और जनीन को नुक़सान पहुं-चाने और बच्चों को बाहर डालदेने और इख़फ़ाय तवल्लुदके बयान में ।

इस्क़ाते हमल करना ।

दफ़ः ३१२—जो कोई शख़्स बिलइरादः किसी औरत के इस्क़ाते हमल का बाइस हो तो अगर वह इस्क़ाते हमल नेक नीयती से उस औरत की जान बचाने के लिये न कराया गया हो तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी और अगर उस औरत के जनीन में जान पड़गई हो तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

तशरीह—वह औरत जो ख़ुद अपने इस्क़ाते हमल की बाइस हो इस दफः की मुराद में दाख़िलहै ।

औरतकी बिला रिज़ामन्दी इस्क़ाते हमल करना ।

दफ़ः ३१३—जो कोई शख़्स बिला रिजामन्दी औरत के उस जुर्म का मुर्तकिब हो जिसकी तारीफ दफःइ अख़ीरे मजकूरःइ बाला में कीगई है आम इस से कि उस औरत के जनीन में जान पड़गई हो या नहीं तो शख़्स मजकूर को हब्स दवाम बउबूरे दरियाय शोर की सजा दीजायेगी या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

हलाकत जिसका बाइस वह फेल हो जो इस्क़ात हमल कराने की नीयत से कियागया है ।

दफ़ः ३१४—जो कोई शख़्स किसी औरत का इस्क़ाते हमल कराने की नीयत से कोई ऐसा फेलकरे जो उस औरत की हलाकत का बाइसहो तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में किसी क़िस्म की क़ैदकी सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद दश बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मानेका भी मुस्तौजिब होगा ।

और अगर वह फ़ेल बिला रिज़ामन्दी उस औरत के किया जाय [illegible]

(बाब १६—उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुवस्सरहैं— दफ़ आत २९९–३७७।)

औरत की बिला रिज़ा-मन्दी किया गया है।

तो या तो हब्स दवाम बउबूरे दरियाय शोर की सज़ा दीजावेगी या वह सज़ा दीजावेगी जो पहिले बयान कीगई है।

तशरीह—इस जुर्म के मुतहक्किक होने के लिये मुजरिम का यह जानना ज़रूर नहीं है कि उस फ़ेल से हलाकत वाक़े होने का इहतिमालहै।

फ़ेल जो बच्चे को ज़िन्दः पैदा होने देने या पैदा होने के बाद उसकी हलाकत का बाइस होने की नीयत से कियागया हो।

दफ़ः ३१५.—जो कोई शख़्स किसी बच्चे के पैदा होनेसे पहले कोई फ़ेल इस नीयत से करे कि वह उसके बाइस से उस बच्चे के ज़िन्दः पैदा होनेको रोके या उसके पैदा होनेके बाद उसकी हलाकत का बाइस हो और उस फ़ेल से उस बच्चे के ज़िन्दः पैदा होनेको रोके या उसके पैदा होने के बाद उसकी हलाकत का बाइस हो तो अगर वह फ़ेल नेक नीयती से मा की जान बचाने के लिये न किया गया हो तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दीजावेंगी।

दफ़ः ३१६—जो कोई शख़्स ऐसी हालत में कोई फ़ेल करे कि वह अगर उसके ज़रीये से हलाकत का बाइस होता तो वह क़त्ले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा का मुजरिम होता और उस फ़ेल से किसी जानदार जनीन को हलाक कराने तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजावेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

इस नीयत से डाल दे या छोड़ दे कि उस तिफ़्ल से कता तअल्लुक़ करे तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

मुहाफ़िज़ का बारहबरस से कम उमर के बच्चे को डाल देना और छोड़ देना।

तशरीह—इस दफ़ः से यह मुराद नहीं है कि मगर उस डाल देने के सबब से वह तिफ़्ल हलाक हो जाय तो मुजरिम जुर्मे क़तले अमद या क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा में—जैसी सूरत हो माख़ूज़ न किया जाय।

दफ़ः ३१८—जो कोई शख़्स किसी तिफ़्ल की लाश चुपके से दफ़न कर देनेसे या किसी और तरह उस को अलाहिदः कर देने से क़स्दन उस तिफ़्ल के तवल्लुद का इख़फ़ा करे या उसके इख़फ़ा में जिद्द करे आम इससे कि वह तिफ़्ल पैदा होने से पहले या पीछे या पैदा होने में मर गया हो तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

लाश को चुपके से रख देने से इख़फ़ाय वलादत।

[1]

ज़रर के बयान में।

दफ़ः ३१९—जो कोई शख़्स किसी शख़्स को दर्द जिस्मानी या मर्ज़ जिस्मानी या ज़ोफ़े जिस्मानी पहुंचाये तो कहा जायेगा कि उसने ज़रर पहुंचाया।

ज़रर

---

[1] दरबार. तअल्लुक़ पज़ीर होने दफ़आत ३२७ लगायत ३३१ निस्बत जरायम तहत क़वानीने मुतअल्लक़ अमर या मुतअल्लुक़ मक़ामके—मुलाहज़ा तलबमा क़बल की दफ़ः४०।

उन जुर्मों में जो तहत दफ़आत ३२३ ओ ३३४ क़ाबिले सज़ा हों राज़ीनामः हो सक्ता है और जो तहते दफ़आत ३२४ ओ ३२५ओ३३५ओ३३७ओ ३३८ क़ाबिले सज़ा है उन मे बइजाज़ते अदालत राज़ीनामः होसक्ता है—मुलाहज़ा तलब मजमूअः ज़ाबितःइ फ़ौजदारी सन् १८९८ई० (ऐक्ट५मुसदरः इ सन१८९८ई०) की दफ़ः ३४५[छपा ऐक्टहाय—आम-जिल्द ६] दर ख़ुसूस उस नौबते दौराने मुक़द्दमः के कि जब अदालत की इजाज़त के बिदून राज़ीनामः जायज़ नहीं है मुलाहज़ा तलब मजमूअः इ मज़कूर की दफ़ः मज़कूरकी दफ़ःइ तहती(५)।

दरबारः सज़ाय ताज़िरातः के अमर बर्मा में जरायमे मुसर्रहःइ दफ़आत ३२५ ओ ३२६ ओ ३२७ ओ ३२९ ओ ३३२ [illegible] —मुलाहज़ा. तलब अमर बर्मा [illegible] ऐक्ट

(वाब १६– उन जुर्मों के बयानमें जो जिस्म इन्सानपर मुअस्सर हैं दफ़ आत ३२०-३२१)

ज़रर शदीद।

दफ़ः ३२०–ज़रर की सिर्फ दह क़िस्में जो नीचे लिखी जाती हैं "ज़ररे शदीद" कही जायेंगी।

पहली–मुखन्नस किया जाना।

दूसरी–किसी एक आंख की वसारत का हमेशः के लिये मादूम किया जाना।

तीसरी–किसी एक कान की समाअ़त का हमेशः के लिये मादूम किया जाना।

चौथी–किसी अज़्व या मुफ़स्सल का मादूम किया जाना।

पांचवीं–किसी अज़्व या मुफ़स्सल के कुवा का मादूम किया जाना या हमेशः के लिये ज़ईफ किया जाना।

छठी–सर या चिहरे का हमेशः के लिये बद सूरत किया जाना।

सातवीं–किसी हड्डी या दांत का तोड़ डाला जाना या उखाड़ डाला जाना।

आठवीं–कोई ज़रर जो जान को खतरे में डाले या बीसरोज़ के अर्से तक शख़्स जरर रसीदः को सख़्त दर्द जिस्मानी में मुबतला रखे या उसको अपने मामूली कारोबार के करने के नाक़ाबिल करदे।

बिल इरादः ज़रर पहुंचाना।

दफ़ः ३२१–जो कोई शख़्स इस नीयत से कोई फेल करे कि उस के जरीये से किसी शख़्स को जरर पहुंचाये या इस अमर के इहतिमाल

सा १८९८ ई० (नम्बर १३ मुसदरः इ सन १८९८ ई०) की दफ़ः ४(३),बे) और ज़मीमः [मजमूअः क़वानीने वर्मा मतबूअः सन १८९९ ई०]–और ज़िलःइ सर्हदीये पंजाब में या बिलूचिस्तान में बपादाश उन जरायमके जो तहत दफ़आत ३२५ ओ ३२६ के क़ाबिले सज़ा हैं–मुलाहज़ा तलब पंजाब के सर्हदी जरायम के रेगूलेशन सन १८८७ ई० (नम्बर ४ मुसदरः इ सन १८८७ ई० की) दफ़ः ८ [मजमूअः क़वानीने पंजाब मतबूअः सन १८८८ ई०–और मजमूअः क़वानीने बिलूचिस्तान मतबूअः सन १८९० ई०]।

दरबारःइसज़ा बपादाश जरायम तहत दफ़आत ३२५ ओ ३२६ ओ ३२८ के [illegible] तहक़ीक़ात पंजाब के ज़िलः इ सर्हदी या बिलूचिस्तान में बज़रिये कौन्सिले सर्दारान के अमल में आये–मुलाहज़ा तलब पंजाब के सर्हदी जरायम के रेगूलेशन सन १८८७ ई० (नम्बर ४ मुसदरः इ सन १८८७ ई०) की दफ़ः १४ [मजमूअः क़वानीने पंजाब मतबूअः सन १८८८ ई० [illegible] मजमूअः क़वानीने बिलूचिस्तान मतबूअः सन १८९० ई०)

के इल्म से कि उस फ़ेल के जरीये से वह किसी शख़्स को ज़रर पहुंचायेगा और उस के जरीये से वह किसी शख़्स को जरर पहुंचाये तो कहा जायेगा कि उसने "बिल इरादः ज़रर पहुंचाया"।

दफ़ः ३२२—जो कोई शख़्स बिलइरादः जरर पहुंचाये तो अगर वह जरर जिसका पहुंचाना उसकी नीयत में हो या जिसको वह जानता हो कि उससे उसके पहुंचने का इहतिमाल है जररे शदीद हो और जो ज़रर उसने पहुंचाया है वह ज़ररे शदीद है तो कहा जायेगा कि उसने "बिलइरादः ज़ररे शदीद पहुंचाया"।

बिल इरादः ज़ररे शदीद पहुँचाना।

तशरीह—यह बात कि एक शख़्सने बिलइरादः जररेशदीद पहुंचाया न कही जायेगी बजुज इसके कि वह जररे शदीद पहुंचाये और उस की यह नीयत भी हो या इस अमर का इहतिमाल उसके इल्म में भी हो कि वह उस फेल के ज़रीये से ज़ररे शदीद पहुंचाये लेकिन अगर वह यह नीयत करके या इस अमर का इहतिमाल जानकर कि वह एक क़िस्म का जररे शदीद पहुंचायेगा फिलवाके किसी और क़िस्म का ज़ररे शदीद पहुंचाये तो कहा जायेगा कि उस शख़्सने बिलइरादः जररे शदीद पहुंचाया।

तमसील।

जैद यह नीयत करके या इस अमर का इहतिमाल जान कर कि बक़र के चिहरे को हमेश के लिये बदसूरत करदे बक़र के एक ज़र्ब लगाये जो बकर के चिहरे को हमेशः के लिये बदसूरत तो न करे मगर उस के सबब से बीसरोज के अर्से तक बक़र को सख़्त दर्द जिस्मानी में मुबतिला रखे—तो ज़ैदने बिल इराद ज़ररे शदीद पहुचाया।

दफ़ः ३२३—जो कोई शख़्स उस सूरत के सिवा जिसकी निस्बत दफ़ः ३३४ में हुक्म है बिलइरादः जरर पहुंचाये तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है या जुर्मानेकी सजा जिसकी मिक़्दार एक हजार रुपये तक होसकती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

बिल इरादः ज़रर पहुचाने की सज़ा।

दफ़ः ३२४—जो कोई शख़्स उस सूरत के सिवा जिसकी निस्बत दफ़ः ३३४ में हुक्महै तीर या गोली वगैरः छोड़ने या भोंकने या काटने

ख़तर नाक हर्बों या

(बाब १६—उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं—दफ़आत २५-३२)

दलीलोंसे बिल इरादः ज़रर पहुंचाना ।

के किसी हथियार या किसी ऐसे हथियार के ज़रीये से जिसको हर्बे ज़र्ब काम में लावे तो उसके बाइस से हलाकत के वाक़े होनेका इहतिमाल है या आग या किसी गर्म कियेहुये माद्दे के ज़रीये से या किसी ज़हर या किसी अक्काल माद्दे के ज़रीये से या भकसे उड़ जाने वाले किसी माद्दे के ज़रीयेसे या किसी ऐसे माद्दे के ज़रीये से जिसका दम लगाना या निगलना या खून में मिला लेना इन्सान के जिस्म को मज़रूत करे या किसी हैवान के ज़रीये से बिलइरादः ज़रर पहुंचाये तो उस शख्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन बरसतक होसकतीहै या जुर्मानेकी सज़ा या दोनोंसजायें दीजायेंगी।

बिल इरादः ज़ररे शदीद पहुंचाने की सज़ा ।

दफ़ः ३२५—जो कोई शख्स उस सूरत के सिवा जिसकी निस्बत दफ़ः ३३५ में हुक्म है बिल इरादः ज़ररे शदीद पहुंचाये तो उस शख्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

बिलजब्र करे या इस लिये कि शख़्स जररसीदः को या किसी और शख़्स को जो शख़्स जररसीदः से गरज रखता हो कोई ऐसा अमर करने पर मजबूर करे जो खिलाफ़े क़ानून है जिससे किसी जुर्म का इर्तिकाब सहल होजाये तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

कफ़े या किसी फ़ेले खिलाफ़े क़ानून पर मजबूर करने के लिये बिलइरादः ज़रर पहुंचाना।

दफ़ः ३२८—जो कोई शख़्स किसी क़िस्म का ज़हर या कोई बेहोश करनेवाली या मुनश्शी या मुज़िर्र सिहत दवाय मुफ़रिद या कोई दूसरी शै इस नीयत से किसी शख़्स को खिलाये या खिलवाये कि उस शख़्स को जरर पहुंचाये या इस नीयत से कि किसी जुर्म का इर्तिकाब करे या उसके इर्तिकाब को सहल करे या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि वह उसके जरीये से ज़रर पहुंचायेगा तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

इर्तिकाबजुर्मकी नीयत से ज़हर वग़ैर के ज़रिये से ज़रर पहुंचाना।

दफ़ः ३२९—जो कोई शख़्स बिलइरादः इसलिये ज़ररे शदीद पहुंचाये कि शख़्से ज़ररसीदः से या किसी और शख़्स से जो शख़्स जररसीदः से ग़रज रखता हो किसी माल या किफालतुल-माल का इस्तिहसाले बिलजब्र करे या इस लिये कि ज़ररसीदः को या किसी और शख़्स को जो शख़्स ज़ररसीदः से गरज रखता हो कोई ऐसा फेल करने पर मजबूरकरे जो खिलाफे कानून है या जिससे किसी जुर्म का इर्तिकाब सहल होजाय तो शख़्स मज़कूर को हब्स दवाम बउबूरेदर्याय शोर की सज़ा दी जायेगी या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दसबरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

मालका इस्तिहसाले बिल जब्र करने या किसी फ़ेले ख़िलाफ़े क़ानून पर मजबूर करने के लिये बिलइरादः ज़ररे शदीद पहुंचाना।

दफ़ः ३३०—जो कोई शख़्स बिल इरादः इसलिये जरर पहुंचाये कि जररसीदः से या किसी और शख़्स से जो जररसीदः से गरज रखताहो जबरन कोई ऐसा इक़रार या मुख़बिरी कराये जो

इक़रारका इस्तिहसाले बिलजब्र करने या

माल के वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये बिल इरादः ज़रर पहुंचाना।

किसी जुर्म या बदकिर्दारी के मुनकशिफ कर देने की तरफ़ मुंजर हों या इस लिये कि ज़ररररसीदः को या किसी और शख़्स को जो ज़ररररसीदः से गरज़ रखता हो किसी माल या किफालतुलमाल के वापस करने या वापस कराने पर या किसी दावे या मुतालिबे के अदा करने या ऐसी मुखबिरी करनेपर जो किसी माल या किफालतुल मालके वापस करनेकी तरफ मुंज़रहो मजबूर करे तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

तमसीलें।

(अलिफ़) ज़ैद कि उहद दारे पुलीस है बक्र को इस अमर के इक़रार करनेकी तहरीक करने के लिये कि उसने जुर्म का इर्तिकाब कियाहै उक़ूबत दे तो ज़ैद इस दफ़ः की रू से एक जुर्म का मुजरिम है।

(बे) ज़ैद कि उहदःदारे पुलीस है बक्र को उस जगह के बतलाने की तहरीक करने के लिये जहां कोई माले मसरूक़ः रखा हो उक़ूबत दे तो ज़ैद इस दफ़ः की रूसे एक जुर्म का मुजरिम है।

(जीम) ज़ैद कि सरिश्तःए मालका उहद दार है बक्र को सर्कारी बाक़ी के अदा करने पर मजबूर करने के लिये जो उसके ज़िम्मा वाजिबुलअदा है उक़ूबतदे तो ज़ैद इस दफ़ः की रू से एक जुर्म का मुजरिम है।

(दाल) ज़ैद कि ज़मींदार है किसी काश्तकार को अपना ज़रे लगान अदा करने पर मजबूर करने के लिये उक़ूबत दे तो ज़ैद इस दफ़ः की रू से एक जुर्म का मुजरिम है।

इक़रार का इस्तिहसाले बिलजब्र करने या माल के वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये बिल इरादः ज़रर शदीद पहुंचाना।

दफ़ः ३३१—जो कोई शख़्स बिल इरादः इसलिये ज़रर शदीद पहुंचाये कि ज़ररररसीदः से या किसी और शख़्स से जो ज़ररररसीदः से गरज़ रखताहो जबरन कोई ऐसा इक़रार या मुखबरी कराये जो किसी जुर्म या बदकिर्दारी के मुनकशिफ करदेने की तरफ मुंजर हो या इस लिये कि ज़ररररसीदः को या किसी और शख़्स को जो ज़ररररसीदः से गरज रखता है किसी माल या किफालतुल माल के वापस करने या वापस कराने पर या किसी दावे या मुतालिबे के अदा करने या ऐसी मुखबिरी करने पर जो किसी माल या किफालतुलमाल के वापस करने

की तरफ़ गुज़रहो मजबूर करे तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

सर्कारी मुलाज़िम को अदाय ख़िदमतसे डराकर बाज़ रखने के लिये बिलइराद: ज़रर पहुचाना ।

दफ़ः ३३२—जो कोई शख़्स किसी शख़्स को जो सर्कारी मुलाजिम है जब कि वह अपनी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से खिदमते मन्सबी को अन्जाम देरहाहो बिल्इराद : ज़रर पहुंचाये या इस नीयत से कि वह उस शख़्स को या किसी दूसरे सर्कारी मुलाज़िम को उसकी सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से उसकी खिदमते मन्सबी की अन्जामदिही से रोके या डराये बिलइराद: ज़रर पहुंचाये या बसबब किसी अमर के जो उस शख़्स ने अपनी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से खिदमते मन्सबी की अंजामदिहीये जायज़ में किया हो या करने की जिहद की हो बिल्इराद: ज़रर पहुंचाये तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

सर्कारी मुलाज़िम को अदाय ख़िदमत स डराकर बाज़ रखने के लिये बिलइराद ज़ररे शदीद पहुंचाना ।

दफ़:३३३—जो कोईशख़्स किसी शख़्स को जो सर्कारी मुलाज़िम हो जब कि वह अपनी सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियतसे अपनी खिदमते मन्सबीको अन्जाम देरहा हो बिल्इराद:जररे सदीद पहुंचाये या इस नीयत से कि उस शख़्सको या किसी दूसरे सर्कारी मुलाजिम को उसकी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से उसकी खिद्मते मन्सबी की अन्जामदिहीसे रोके या डराये या बसबब किसी अमर के जो उस शख़्सने अपनी सर्कारी मुलाज़िमीकी हैसियतसे खिदमतेमन्सबी की अन्जामदिहीये जायज में किया हो या करने की जिहदकी हो बिल्इराद: जररेशदीद पहुंचाये तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मो में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरसतक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

बाइसे इश्ति-

दफ़:३३४—जोकोई शख़्स सख़्त और नागहानी बाइसे इश्ति-

(बाब १६—उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं—
दफ़आत ३२५—३३६।)

आले तवश्र पर बिल्इरादः ज़रर पहुंचाना।

श्रालेतवश्र[1] के ज़ुहूर में आने के सबब से बिल्इरादः ज़रर पहुंचाये तो अगर उस शख़्स के सिवा जिससे वह बाइस इश्तिआल तवश्र ज़ुहूर में आया है किसी दूसरे शख़्स को ज़रर पहुँचाना उसकी नीयत में न हो या ऐसे ज़रर पहुँचाने का इहतिमाल उसके इल्म में न हो तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद एक महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़्दार पांचसौ रुपये तक होसकती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

बाइसे इश्तिआले तवअ पर ज़ररे शदीद पहुंचाना।

दफ़ः ३३५—जो कोई शख़्स सख़्त और नागहानी बाइसे इश्तिआले तवश्र[1] के ज़ुहूर में आने के सबब से बिल्इरादः[2] ज़ररेशदीद पहुंचाये तो अगर उस शख़्स के सिवा जिससे वह बाइसे इश्तिआले तवश्र ज़ुहूर में आया है किसी दूसरे शख़्स को ज़ररे शदीद पहुंचाना उसकी नीयत में न हो या ऐसे ज़ररे शदीद पहुंचाने का इहतिमाल उस इल्म में न हो तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद चार बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार दोहज़ार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

तशरीह—पिछली दोनों दफ़ायें उन्हीं शर्तों से मशरूत समझी जायेंगी जिनसे दफ़ः ३०० का पहला मुस्तस्ना मशरूत है।

वह फ़ेल जो जान या औरों की सलामतीये ज़ाती को ख़तर में डाले।

दफ़ः ३३६—जो कोई शख़्स कोई फ़ेल ऐसी बे इहतियाती या ग़फ़लत से करे कि उससे इन्सान की जान को या औरों की सलामतीये ज़ाती को ख़तर हो तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़्दार ढाई सौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

---

१ दरबाबः बाइसे इश्तिआले तवश्र के—मुलाहज़ा तहत दफ़ः ३३४ [illegible]।

२ लफ़्ज़ "बिल्इरादः" मजमूअःइ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द के [illegible] १८८२ ई० (नम्बर ८ मुसद्दरः सन १८८२ ई० [illegible]) [illegible] [illegible]।

(बाब१६–उन जुर्मों के बयानमें जो जिस्म इन्सानपर मुअस्सरहैं–दफ़आत ३१७–३३९।)

दफ़ः ३३७–जो कोई शख़्स कोई फ़ेल ऐसी बे इहतियाती या ग़फ़लत के साथ करने से कि उससे इन्सान की जान को या औरों की सलामतीये ज़ातीको ख़तर हो किसी शख़्स को ज़रर पहुंचाये तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मोंमें से किसी क़िस्मकी क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीनेतक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़्दार पांचसौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

ऐसे फ़ेल से ज़रर पहुंचाना जो जान या औरों की सलामतीये ज़ाती को ख़तर में डाले।

दफ़ः ३३८–जो कोई शख़्स कोई फ़ेल ऐसी बे इहतियाती या ग़फ़लत के साथ करने से कि उससे इन्सान की जानको या औरों की सलामतीये ज़ाती को ख़तर हो किसी शख़्स को ज़ररे शदीद पहुंचाये तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़्दार एक हज़ार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

ऐसे फ़ेल से ज़रर शदीद पहुंचाना जो जान या औरों की सलामतीये ज़ाती को ख़तर में डाले।

मुज़ाहमते बेजा और हब्स बेजा के बयान में। [1]

दफ़ः ३३९–जो कोई शख़्स किसी शख़्स का बिल्इरादः इस तरह सदेराह हो कि उस शख़्स को किसी ऐसी सिम्त में जाने से रोके जिसमें वह जाने का इस्तिहक़ाक़ रखता हो तो कहा जायेगा कि उसने उस शख़्स की मुज़ाहमत बेजा की।

मुज़ाहमते बेजा।

मुस्तसना–ख़ुश्की या तरी की किसी निज की राह को मसदूद करना जिसकी निस्बत कोई शख़्स नेकनीयती से बावर करता है कि वह उसके मसदूद करने का इस्तिहक़ाक़े जायज़ रखता है हस्ब मनशा इस दफ़ः के जुर्म नहीं है।

---

[1] दरबारः तअल्लुक़ गिज़ीर होने दफ़आत ३४७ ओ ३४८ के निस्बतेजरायम तहते क़वानीने मुफ़्तरहुल अमर या मुफ़्तरहुल मुक़ाम के–मुलाहज़ः तलब माक़ब्ल की दफ़ ४०।

उन जुर्मों में जो तहते दफ़आत ३४१ ओ ३४२ क़ाबिले सज़ा हों–राज़ीनामः होसक्ता है मुलाहज़ तलब मजमूअः ज़ाबित.इ फ़ौजदारी सन् १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदरःइ सन १८९८ ई०) की दफ़ः ३४५ [ऐक्ट हाय आम–जिल्द ६]–दरख़ुसूस उस नौबते दौराने मुक़द्दमः के कि जब अदालत की इजाज़त के बिदून राज़ीनाम जायज़ नहीं है–मुलाहज़ः तलब मजमूअः इ मज़्कूर की दफ़ ः तहती (६)।

तमसील ।

ज़ैद किसी राह को जिसपर चलने का बक्र इस्तिहक़ाक रखता है मसदूद करके नेक नीयती से यह बावर न करके कि मैं उस राह के रोक देने का इस्तिहक़ाक़ रखता हूं और इस बाइस से बक्र उस राह पर चलने से रोका जाय तो जैद बक्र की मुज़ाहमते बेजा की।

हब्स बेजा ।

दफ़ः ३४०—जो कोई शख़्स किसी शख़्स की इस तरह से मुज़ाहमते बेजा करे कि उस शख़्स को किसी खास हुदूदे मुहीतः के बाहर जाने से रोके—तो कहा जायेगा कि शख़्स मज़कूर ने उसकी निस्बत "हब्स बेजा" किया ।

तमसीलें ।

(अलिफ़) जैद इस अमरका बाइस हो कि बक्र एक चार दीवारी के अन्दर जाय और ज़ैद क़ुफ़्ल लगाकर उसको उसके अन्दर बन्द करदे और इस तरह बक्र दीवार के ख़ते मुहीत से बाहर किसी सिम्तमें जाने से रुक जाय तो ज़ैद ने बक्र को हब्स बेजा किया।

(बे) ज़ैद आदमियों को जो गोली मारने के हथियार लिये हुये हैं किसी मकान की आमद गाहों पर मुतअय्यन करे और बक्र से कहदे कि अगर तू इस मकान से जानेकी जिद्द करैगा तो यह तुझे गोली मारेंगे तो इस सूरत में ज़ैद ने बक्र को हब्स बेजा किया।

मुज़ाहमते बेजा की सज़ा ।

दफ़ः ३४१—जो कोई शख़्स किसी शख़्स को मुज़ाहमते बेजा करे तो उसको क़ैद महज़ की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद एक महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़्दार पांचसौ रुपये तक होसक्ती या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

हब्स बेजा की सज़ा ।

दफ़ः ३४२—जो कोई शख़्स किसी शख़्स को हब्स बेजा करे तो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़्दार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

तीन या ज़ियादः दिन तक हब्स बेजा ।

दफ़ः ३४३—जो कोई शख़्स किसी शख़्स को तीन रोज़ या ज़ियादः हब्स बेजा करे तो उस शख़्सको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

दस या ज़ियादः

दफ़ः ३४४—जो कोई शख़्स किसी शख़्स को दस रोज़

या ज़ियादः हब्स बेजा करे तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

दिन तक हब्स बेजा।

दफ़ः ३४५—जो कोई शख़्स किसी शख़्स को हब्स बेजामें रक्खे यह जानकर कि उस शख़्सकी रिहाई की निस्बत हस्ब ज़ाबितः हुक्मनामः जारी होचुका है तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है और यह उस क़ैदकी मीआद के अलावः होगी जिसका वह इस मजमूये की किसी और दफ़ः की रूसे मुस्तौजिब हो।

उस शख़्स का हब्स बेजा जिस की रिहाई के लिये हुक्म नाम जारी होचुका है।

दफ़ः ३४६—जो कोई शख़्स किसी शख़्सको इसतरह से हब्स बेजा करे कि जिससे यह नीयत ज़ाहिरहो कि उस शख़्स का महबूस होना किसी शख़्स को जो शख़्स महबूस से ग़रज़ रखताहो या किसी सर्कारी मुलाज़िम को न मालूम होसके या यह कि उस हब्सकी जगह ऐसे शख़्स या सर्कारी मुलाज़िमको जिसका ज़िक्र इस दफ़ःमें पहले किया गया मालूम या दर्याफ़्त न होजाय तो शख़्स मज़कूर को किसी और सज़ा के अलावः जिसका वह उस हब्स बेजा की पादाश में मुस्तौजिब हो दोनों किस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है।

मख़फ़ी हब्स बेजा।

दफ़ः ३४७—जो कोई शख़्स किसी शख़्सको इस लिये हब्स बेजा करे कि शख़्स महबूस से या किसी और शख़्स से जो शख़्स महबूस से ग़रज रखताहै किसी माल या किफ़ालतुलमालका इस्तिहसाले बिल्जब्रकरे या शख़्स महबूसको या किसी और शख़्स को जो शख़्स महबूस से गरज रखताहै कोई ऐसा अमर करनेपर जो खिलाफ़े क़ानून है या ऐसी मुख़बरी करने पर जिससे किसी जुर्मका इर्तिकाब सहल होजाय मजबूर करे तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

मालका इस्तिहसाले बिलजब्र करने या फ़ेल खिलाफ़े क़ानून पर मजबूरकरने के लिये हब्स बेजा।

दफ़ः ३४८—जो कोई शख़्स किसी शख़्स को इस लिये हब्स

इक़रार का

इस्तिहसाले विल्जब्र करने या माल के वापस करदेने पर मजबूर करने के लिये हब्से बेजा।

बेजा करे कि शख़्से महबूस से या किसी और शख़्स से जो शख़्स महबूस से ग़रज़ रखता है जबरन् कोई ऐसा इक़रार या मुख़बिरी कराये जो किसी जुर्म या बदकिर्दारी के मुनकशिफ़ कर देने की तरफ़ मुंजर हो या इस लिये कि शख़्स महबूस को या किसी और शख़्स को जो शख़्स महबूस से ग़रज़ रखता है किसी माल या किफ़ालतुल माल के वापस करने या वापस कराने के वास्ते या किसी दावे या मुतालिबे के अदा करने या ऐसी मुख़बिरी करने के वास्ते जो किसी माल या किफ़ालतुल माल के वापस किये जाने की तरफ़ मुंजर हो मजबूर करे–तो शख़्स मज़कूर दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का मुस्तौजिब होगा।

जब्र मुजरिमानः और हमले के बयान में।[1]

जब्र।

दफ़ः ३४९–अगर कोई शख़्स किसी दूसरे शख़्स की हरकत या तबदीले हरकत या इन्क़िताय हरकतका बाइस हो या किसी शै की निस्बत ऐसी हरकत या तबदीले हरकत या इन्क़िताय हरकत का बाइस हो कि वह शै उस दूसरे शख़्स के जिस्मके किसी जुज़ से इत्तिसाल पाये या किसी ऐसी चीज़से इत्तिसाल पाये जिसको वह दूसरा शख़्स पहने हुये या लिये हुये हो या किसी ऐसी चीज से इत्तिसाल पाये जो ऐसे मौक़ेमें हो कि वह इत्तिसाल उस दूसरे शख़्स के लामिसेपर

[1] उन जुर्मों में जो तहत दफ़आत ३५२ ओ ३५५ ओ ३५८ क़ाबिल सज़ा हों राज़ीनामः होसक्ता है–मुलाहज़ा तलब मजमूअःइज़ाबितःइफ़ौजदारी सन् १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुजरियः सन् १८९८ ई०) की दफ़ः ३४५ [ऐक्ट हाय आम–जिल्द ६]–दरसूरत उस नौबत दौराने मुक़द्दमः के कि जब अदालत की इजाज़त के बिदून राज़ीनामः जायज़ नहीं है मुलाहज़ा तलब मजमूअः इ मज़कूर की दफ़ः इ मज़कूर की दफ़ः इ तहती (५)।

दरबारःइ सज़ा व पादाश जुर्म तहते दफ़ः ३५४ के जिसकी तहक़ीक़ात पंजाब के [illegible] ज़िलों या ब्रिटिश बिलोचिस्तान में बज़रीये कौंसिल्स सर्दारान के अमल में आवे–मुलाहज़ा तलब पंजाब के सर्हदी जरायम के रेगूलेशन सन १८८७ ई० (नम्बर ४ मुसदरः इ सन १८८७ ई०) की दफ़ः १४ [मजमूअः इ क़वानीने पंजाब मतबूअः इ सन् १८८८ ई० और मजमूअः इ क़वानीने ब्रिटिश बिलोचिस्तान मतबूअः इ सन् १८९० ई०]।

(बाब १६—उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं —दफ़ः ३५०।)

मुअस्सर हो तो कहा जायेगा कि शख़्स मज़कूर ने दूसरे शख़्स पर जब्र किया—मगर शर्त यह है कि वह शख़्स जो हरकत या तब्दीले हरकत या इन्क़िताय हरकत का बाइस हो नीचे लिखेहुये तीनों तरीक़ों में से किसी तरीक़ पर उस हरकत या तबदीले हरकत या इन्क़िताय हरकत का बाइस हो—

पहले—खुद अपनी कूवते जिस्मानी से।

दूसरे—किसी शै को ऐसे तौर पर रखने से कि वह हरकत या तबदीले हरकत या इन्क़िताय हरकत बिला इर्तिकाब किसी और फेल के उस शख़्स की जानिब से या किसी दूसरे शख़्स की जानिब से वक़ू में आये।

तीसरे—किसी हैवान को हरकत या तबदीले हरकत या इन्क़िताय हरकत की तहरीक करने से।

दफ़ः ३५०—जो कोई शख़्स किसी जुर्म के इर्तिकाब के लिये किसी शख़्स पर उसकी बिला रिज़ामन्दी क़स्दन् जब्र करे या इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि ऐसा जब्र करने से वह उस शख़्स को जिस पर जब्र कियागया है नुक़सान या खौफ या रंज पहुंचायेगा तो कहा जायेगा कि उस शख़्स ने दूसरे शख़्स पर जब्र मुजरिमानः किया।

जब्र मुजरिमान·

तमसीलें॥

(अलिफ़) बक़र किसी कश्ती पर जो दर्या में रस्सों से बंधी है बैठा है और ज़ैद रस्सों को खोल दे और इस तरह क़स्दन कश्ती को धार में बहा दे तो इस सूरत में ज़ैद क़स्दन बक़र की हरकत का बाइस हुआ और उसने यह फ़ेले अशया को इस तरह रखने से किया कि बिला इर्तिकाब किसी और फ़ेल के किसी शख़्स की जानिब से हरकत पैदा होगई तो इस लिये ज़ैद ने बक़र पर क़स्दन जब्र किया और अगर उसने किसी जुर्म का इर्तिकाब करने के लिये या इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि वह जब्रकरने से बक़र को नुक़सान या ख़ौफ़ या रंज पहुचाये बक़र की बिला रिज़ामन्दी ऐसा किया तो ज़ैद ने बक़र पर जब्र मुजरिमान· किया।

(बे) बक़र फिटन गाड़ी पर सवार है और ज़ैद बक़र के घोड़ों के चाबुक मारे इस ज़रीये से इनकी रफ़्तार तेज़करदे तो इस सूरत में ज़ैद हैवानों को तब्दीले हरकत की

तहरीक करने से बक्र की निस्बत तब्दीले हरकत का बाइस हुआ और इसलिये ज़ैदने बक्र पर जब्र किया और अगर ज़ैद ने बिला रिज़ामन्दी बक्र के इस नीयत से या इस अम्र के इहतिमाल के इल्म से कि वह उस जब्र से बक्र को नुक्सान या ख़ौफ़ या रंज पहुंचावे ऐसा किया तो ज़ैद ने बक्र पर जब्र मुजरिमानः किया।

(जीम) बक्र पालकी में सवार है और ज़ैद बक्र की निस्बत सर्क़ः बिलजब्र करने के लिये पालकी का डंडा पकड़ कर पालकी को रोक ले तो इस सूरत में ज़ैद बक्र की निस्बत इन्क़िताए हरकत का बाइस हुआ और यह उसने खुद अपनी कूवते जिस्मानी से किया और इस लिये ज़ैद ने बक्र पर जब्र किया और चूंकि ज़ैदने जुर्म का इर्तिकाब करने के लिये बिला रिज़ामन्दी बक्र के क़स्दन् ऐसा किया तो ज़ैदने बक्र पर जब्र मुजरिमानः किया।

(दाल) अगर ज़ैद गली में बक्र को क़स्दन् धक्का लगादे तो इस सूरत में ज़ैदने अपनी क़ूवते जिस्मानी से इस तौर से अपने जिस्म को हरकत दी कि उसने बक्र से इत्तिसाल पैदा किया इस लिये ज़ैदने क़स्दन् बक्र पर जब्र किया और अगर ज़ैद ने बिला रिज़ामन्दी बक्र के इस नीयत से या इस अम्र के इहतिमाल के इल्म से कि वह उसके ज़रीये से बक्र को नुक्सान या ख़ौफ़ या रंज पहुंचावे ऐसा किया तो ज़ैदने बक्र पर जब्र मुजरिमानः किया।

(बाब १६—उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं—
दफ़आत ३५१—३५२।)

(हे) जैद किसी कुत्ते को बिला रिज़ामन्दी बक़र के बक़र पर दौड़ने की तहरीककरे तो इस सूरत में अगर जैद की यह नीयत हो कि बक़र को नुक़सान या ख़ौफ़ या रंज पहुचाये तो जैदने बक़र पर जब्र मुजरिमानः किया।

दफ़ः ३५१—जो कोई शख़्स कोई सूरत बनाये या कोई तैयारी करे इस नीयतसे या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उस सूरत बनाने या तैयारी करने से कोई शख़्स हाज़िरे मौक़ा यह तसव्वर करे कि सूरत बनानेवाला या तैयारी करनेवाला शख़्स उस पर अनक़रीब जब्र मुजरिमानः करनेवाला है तो कहा जायेगा कि शख़्स मज़कूर हम्ले का मुर्तकिब है। हमलः।

तशरीह—महज़ अल्फ़ाज़ हम्ले की हद को नहीं पहुंचते मगर मुमकिन है कि उन अल्फ़ाज़ से जिनका कोई शख़्स इस्तिअमाल करे उस शख़्स की सूरत बनाने या तैयारी करने की निस्बत ऐसा मतलब ज़ाहिर हो कि वह सूरत बनाना या तैयारी करना हम्ले की हद को पहुंच जाय।

तमसीलें ॥

(अलिफ़) जैद बकर पर घूंसा उठाये यह नीयत करके या इस अमर का इहतिमाल जान कर कि वह उसके ज़रीये से बक़र को यह बावर कराये कि वह उसको अनक़रीब मारने वाला है तो जैद ने हम्ले का इर्तिकाब किया।

(बे) जैद किसी कटखने कुत्ते का दहानबन्द मुंह से खोलना शुरू करे इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उस के ज़रीये से बक़र को यह बावर कराये कि वह बक़र पर अनक़रीब उस कुत्ते को दौड़ानेवाला है तो जैद ने बक़र पर हम्ले का इर्तिकाब किया।

(जीम) जैद एक लकड़ी उठाकर बक़र से कहे कि "मैं तुझ को मारूंगा" इस सूरत में अगर्चे यह अल्फ़ाज़ जिनका इस्तिअमाल जैद ने किया किसी हालत में हम्ले की हद को नहीं पहुंच सक्ते और भी महज़ यह सूरत बनाना बगैर शामिल होने और हालात के हम्ले की हद को न पहुंचे ताहम वह सूरत बनाना जिसका मतलब लफ़्ज़ों के ज़रीये से ज़ाहिर किया गया हम्ले की हद को पहुंच सक्ता है।

दफ़ः ३५२—जो कोई शख़्स किसी शख़्स पर हम्लः या जब्र मुजरिमानः करे सिवा इसके कि उस शख़्सकी जानिब से कोई शख़्स और नागहानी बाइसे इश्तिआलेतबअ ज़ुहूरमें आये तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जावेगी बाइसे सख़्त इश्तिआले तबअ के अलावः और तरह पर

(बाब १६—उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं—दफ़. २५३ ।)

हम्ल: या जब्र मुजरि-मान: करने की सज़ा ।

जिसकी मीआद तीन महीने तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़्दार पांचसौ रुपये तक हो सक्ती है या दोनो सजायें दी जायेंगी ।

तशरीह—सख़्त और नागहानी बाइसे इश्तिआले तबअ़ की वजह से उस सजाये जुर्ममें तख़फ़ीफ़ न होगी जो इस दफ़ः में मज़कूर है अगर मुजरिम ख़ुद उस बाइसे इश्तिआले तबअ़का तालिब या बिल इरादःमुहर्रिक हुआ हो ताकि उस जुर्मके लिये एक वजह बनजाय—या

अगर बाइसे इश्तिआले तबअ़ किसी ऐसे अमर के सबब से ज़ुहूर में आया हो जो ब इत्तिबाये क़ानून किया गया है या जो किसी सर्कारी मुलाज़िम ने अपनी सर्कारी मुलाज़िमी के इख़्तियारात के निफ़ाज़े जायज में कियाहो—या

अगर बाइसे इश्तिआले तबअ़ किसी ऐसे अमर के सबबसे ज़ुहूर में आया हो जो इस्तिहक़ाक़े हिफाज़ते ख़ुद इख़्तियारी के निफ़ाज़े जायज में किया गया हो ।

यह बात कि आया वह बाइसे इश्तिआले तबअ़ फ़िलवा क़े ऐसा सख़्त और नागहानी था कि वह उस जुर्म के ख़फ़ीफ़ करने को काफ़ी हो एक अमर तन्क़ीह तलब है ।

सर्कारी मुला-ज़िम को अपनी ख़िद-मत अदा करने से डरा कर दफ़ा रखने के लिये हम्ल: या जब्र मुजरि-मान: ।

दफ़ः३५३—जो कोई शख़्स किसी शख़्सपर जो सर्कारी मुला-ज़िम है जब कि वह मुलाज़िम बहैसियत अपनी सर्कारी मुलाज़िमी के अपनी ख़िदमते मन्सबी को अंजाम दे रहा हो हम्लः या जब्र मुजरि-मानः करे इस नीयत से कि उस मुलाज़िम को उसकी मुलाज़िमी की हैसियत से उसकी ख़िदमते मन्सबीकी अञ्जामदिही से रोके या डराये हम्लः या जब्र मुजरिमानः करे या ब सबब किसी अमर के जो उस शख़्स ने अपनी सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से ख़िदमते मन्सबी की अञ्जामदिहीये जायज में किया हो या करने का इक़्दाम कियाहो हम्लः या जब्र मुजरिमानः करे तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

(बाब १६—उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं—
दफ़आत ३५४—३५८।)

दफ़ः ३५४—जो कोई शख़्स किसी औरत पर हम्लः या जब्र मुजरिमानः करे यह नीयत करके या इस अमर का इहतिमाल जान कर कि वह उसके जरीयेसे उसकी इफ़्फ़त में खलल डाले तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेगी।

किसी औरत की इफ़्फ़त में खललडालने की नीयत से हम्ल॰ या जब्र मुजरिमानः।

दफ़ः ३५५—जो कोई शख़्स किसी शख़्स पर हम्लः या जब्र मुजरिमानः करे यह नीयत करके कि उसके ज़रीये से उस शख़्स की बेहुर्मती करे सिवा इसके कि उस शख़्स की जानिब से कोई शख़्स और नागहानी बाइसे इश्तिआले तबअ ज़हूर में आया हो तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिस की मीआद दो बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

सख़्त इश्तिआले तबअ के अलावः और तरह पर किसी शख़्स को बेहुर्मत करने की नीयत से हम्लः या जब्र मुजरिमानः।

दफ़ः ३५६—जो कोई शख़्स किसी शख़्स पर किसी ऐसे माल के सर्क़े का इर्तिकाब करने के इक़्दाम में हम्लः या ज़ब्र मुजरिमानः करे जिसको वह शख़्स उस वक़्त पहने या लिये हो तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मोंमें से किसी क़िस्मकी क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

उस माल के सर्क़े के इर्तिकाबके इक़्दाम में हम्लः या जब्र मुजरिमान॰ जिसको कोई शख़्स लिये हुये हो।

दफ़ः ३५७—जो कोई शख़्स किसी शख़्सको हब्सबेजा करने के इक़्दाम में उसपर हम्लः या जब्र मुजरिमानः करे तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक हो सक्तीहै या जुर्मानेकी सज़ा जिसकी मिक़्दार एक हज़ार रुपये तक हो सकती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

किसी शख़्स के हब्स बेजा के इक़्दाम में हम्ल या जब्र मुजरिमानः।

दफ़ः ३५८—जो कोई शख़्स सख़्त और नागहानी बाइसे इश्तिआले तबअ के सबब से जो किसी शख़्स की जानिब से ज़हूर में आयाहो उस शख़्स पर हम्लः या जब्र मुजरिमानः करे तो शख़्स मजकूर को क़ैद महज की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद एक

सख़्त इश्तिआले तबअ पर हम्लः या जब्र मुजरिमान॰।

(बाब १६—उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं—
दफ़आत २५९—३६१।)

महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिस की मिक़दार दोसौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

तशरीह—यह पिछली दफ़: उसी तशरीह से मशरूत है जिससे दफ़: ३५२ मशरूतहै।

इन्सान को ले भागने और भगा लेजाने और गुलाम बनाने और मिहनत व जब्र लेने के बयान में[१]।

इन्सान को ले भागना।

दफ़: ३५९—इन्सान को ले भागना दो क़िस्म का है—ब्रिटिश इण्डिया में से इन्सान को ले भागना—और वलीकी विलायते जायज में से इन्सान को ले भागना।

ब्रिटिश इन्डिया से इन्सान को ले भागना।

दफ़: ३६०—जो कोई शख़्स किसी शख़्स को बिला रिज़ामन्दी उस शख़्स के या किसी और शख़्स के जो उस शख़्स की जानिब से रिज़ामन्दी जाहिर करने का क़ानूनन् मुजाज़ है ब्रिटिश इण्डिया की हुदूद के बाहर ले जाय तो कहा जायेगा कि शख़्स मज़कूर उस शख़्स को ब्रिटिश इण्डिया में से ले भागा।

वलीये जायज़ की हिफ़ाज़त में से इन्सान का ले भागना।

दफ़:३६१—जो कोई शख़्स किसी नाबालिग लड़केको जिसकी उमर चौद: बरस से कमहो या किसी नाबालिग लड़की को जिसकी उमर सोल: बरस से कमहो या किसी शख़्सको जिसकी अ़क़लमें फ़ुतूरहो उस नाबालिग के या उस शख़्स के जिसकी अ़क़ल में फ़ुतूरहै

---

१ उन जुर्मों में जो तहते दफ़ ३७४ क़ाबिले सज़ा हों—राज़ी नाम: हो सक्ता है—मुला-हज़: तलब मजमूअ़:इ ज़ाबित:इ फ़ौजदारी सन् १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदर:इ सन् १८९८ ई०) की दफ़ ३४५ [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ६]—दर सूरत उस नौबते दौरान मुक़द्दम: के कि जब अदालत की इजाज़त के बिदून राज़ीनाम जायज़ नहीं है मुलाहज़: तलब मजमूअ़:इ मज़कूर की दफ़: मज़कूर की दफ़:इ तहती (५)।

दरबार:इ सज़ा व पादाश जरायम तहते दफ़आत ३६३ लगायत ३६९ के जिनकी तह-क़ीक़ात पंजाब के ज़िले सर्हदी या बिलोचिस्तान में बज़रीअ़:इ फ़ैसले सर्दारान के अमल में आये—मुलाहज़: तलब पंजाब के सर्हदी जरायम के रेगूलेशन सन् १८८७ ई० (नम्बर ४ मुसदर:इ सन् १८८७ ई०) की दफ़: १४—[मजमूअ़:इ क़वानीने पंजाब मतबूअ़:इ सन् १८८८ ई०—और मजमूअ़:इ क़वानीने बिलोचिस्तान मतबूअ़:इ सन् १८९० ई०]

वलीय जायज़ की सपुर्दिगी में से बिला रिज़ामन्दी उस वली के ले जाय या फ़ुसला लेजाय तो कहा जायेगा कि शख़्स मजकूर उस नाबालिग या उस शख़्स को वली की विलायते जायज़ से ले भागा।

तशरीह—"वलीय जायज़" का लफ़्ज इस दफ़ः में हर किसी शख़्स को शामिल है जिसको उस नाबालिग या उस दूसरे शख़्स की खबरगीरी या हिफ़ाज़त जवाज़न सपुर्द हो।

मुस्तसना।

यह दफ़ः किसी ऐसे शख़्स के फेल पर मुहीत नहीं है जो नेक नीयती से अपने तईं किसी वलदुल हराम का बाप बावर करताहो या जो नेक नीयती से अपने तईं उस फेल की हिफ़ाज़ते जायज़का मुस्तहक़ बावर करता हो सिवा इसके कि उस फेल का इर्तिकाब लुचपन या अमर नाजायज़ की गरज़ से वाक़े हुआहो।

दफ़ः ३६२—जो कोई शख़्स किसी शख़्स को किसी जगह से जाने के लिये ख़ाह बजब्र मजबूर करे ख़ाह किसी तरह दग़ाबाज़ी के वसीलों से तहरीक करे तो कहा जायेगा कि शख़्स मज़कूर उस शख़्स को भगा लेगया। इन्सान को भगा ले जाना।

दफ़ः ३६३—जो कोई शख़्स किसी शख़्सको ब्रिटिश इण्डिया में से या किसी की विलायते जायज़ से ले भागे उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा। इन्सान को ले भागने की सज़ा।

दफ़ः ३६४—जो कोई शख़्स किसी शख़्स को इस लिये ले भागे या भगा लेजाय कि वह शख़्स मार डाला जाय या ऐसी हालत में रखा जाय कि वह मारे जाने के खतरे में पड़े तो शख़्स मज़कूरको हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर की सज़ा दीजायेगी या क़ैद सख़्तकी जिसकी मीआद दस बरस तक होसकती है और वह जुर्मानेका भी मुस्तौजिब होगा। क़तले अमद के लिये इन्सान को ले भागना या भगा लेजाना।

तमसीलें।

(अलिफ़) जैद बकर को ब्रिटिश इण्डिया में से ले भागे और उस की यह नीयत हो या

ग़रज़ से देचना।

नाबालिग फ़ेले शनीअ या किसी अमर नाजायज़ या लुचपने के लिये मसरूफ किया जाय या काम में लाया जाय या यह जान कर कि उस नाबालिग़ के ऐसे काम में मसरूफ किये जाने या उससे ऐसा काम लिये जाने का इहतिमाल है तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

नाबालिग को फ़ेले शनीअ वग़ैर. की ग़रज़ से ख़रीदना।

दफ़ः ३७३—जो कोई शख़्स किसी नाबालिग़ को जिसकी उमर सोलह बरस से कम हो ख़रीदे या उजरत पर ले या किसी और तौर पर अपने क़ब्ज़े में लाये इस नियत से कि वह नाबालिग फेले शनीअ या किसी अमर नाजायज या लुचपने में मसरूफ किया जाय या काम में लाया जाय या यह जानकर कि उस नाबालिग के ऐसे काम में मसरूफ किये जाने या उस से ऐसा काम लिये जाने का इहतिमाल है तो शख़्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरसतक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

मिहनत करने पर ना जवाज़न मजबूर करना।

दफ़ः ३७४—जो कोई शख़्स किसी शख़्स को उस की मर्ज़ी के ख़िलाफ मिहनत करने के लिये नाजायज़ तौर पर मजबूर करे तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

ज़िना बजब्र के बयान में।[1]

ज़िना बजब्र।

दफ़ः ३७५—जो मर्द उस सूरत के सिवा जो नीचे मुस्तसना

[1] दरबार सज़ाय ताज़ियान. के—मुलाहज़ः तलब ऐक्ट सज़ाय ताज़ियान सन् १८[illegible] ई० (नम्बर ६ मुसद्दर ३ सन् १८६४ ई०) की दफ़आत ४ औ ६ [ऐक्ट हाय [illegible] जिल्द १] और पंजाबके इज़लाअ सर्हदी और बिलूचिस्तान में—पंजाब के सर्हदी [illegible] के रेगूलेशन सन १८८७ ई० (नम्बर ४ मुसद्दरः सन १८८[illegible] ई०) की दफ़ः ८ [[illegible] [illegible] क़वानीने पंजाब—मतबूअः सन् १८८८ ई०—और [illegible] मतबूअः सन् १८९० ई०]।

दरबार. [illegible] [illegible]

(बाब १६ - उन जुर्मो के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं-दफ़ः ३७६ ।)

गई है ऐसे हालात में जो जैल की लिखी हुई पांचवीं क़िस्मों में से किसी क़िस्म में दाखिल हों किसी औरत से ज़िना करे तो कहा जायेगा कि उस मर्द ने "ज़िना बजब्र" कियाः-

पहिली-औरत की मर्ज़ी के खिलाफ़।

दूसरी-औरत की बिला रिज़ामन्दी ।

तीसरी-औरत की रिज़ामन्दी के साथ जब कि उसकी रिज़ामन्दी हलाकत या ज़रर की तख़वीफ से हासिल कीगई हो।

चौथी-औरत की रिज़ामन्दी के साथ जब कि मर्द यह जानता हो कि वह उस औरत का शौहर नहीं है और यह कि औरत की जानिब से वह रिज़ामन्दी इस नज़र से ज़ाहिर कीगई है कि वह बावर करती है कि यह मर्द वही मर्द है जिसके साथ उसका इज़दिवाज़ जवाज़न हुआ है या जिसके साथ वह अपना जवाज़न इज़दिवाज़ होना बावर करती है ।

पांचवीं-औरत की रिज़ामन्दी के साथ या उसकी बिला रिज़ामन्दी जब कि उसकी उमर [बारह[1]] बरस से कम हो ।

तशरीह-उस जमा के मुतहक़्क़िक़ होने के लिये जो जुर्म ज़िना बजब्र क़ायम करने के वास्ते ज़ुरूर है इदखाल काफ़ी है ।

मुस्तसना-मर्द का ज़िना अपनी जौज़ा से जब कि उसकी उमर [बारह[1]] बरस से कम न हो ज़िना बजब्र नहीं है ।

दफ़ः ३७६-जो कोई शख़्स ज़िना बजब्रका मुर्तकिबहो उसको हब्स दवाम बउबूर दर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

ज़िना बजब्र की सज़ा ।

---

[1] लफ़्ज़ "बारह" लफ़्ज़ "दस" की जगह हिन्द के फ़ौजदारी आईन के तर्मीम करनेवाले ऐक्ट सन् १८६१ ई० (नम्बर १०-मुसदरः इ सन् १८६१) की दफ़ः १ के ज़रीये से क़ायम कियागया [ऐक्ट हाय आम-जिल्द ६] ।

(बाब १७–उन जुर्मों के बयान में जो माल से मुतअल्लिक है–दफ़: ३७८ ।)

लेने से ज़ैद सर्क़े का मुर्तकिब नहीं है गो मुमकिन है कि वह माल के तसर्रुफ़े बेजा मुजरिमानः का मुर्तकिब हो ।

(हे) ज़ैद बक्र की अंगूठी उस के घर में मेज़ पर पड़ी हुई देखे और ज़ैद तलाश और इफ़शा के ख़ौफ़ से उसी वक़्त उस अंगूठी के तसर्रुफ़े बेजा करने की जुरअत न पाके उसको ऐसी जगह में छुपाये जहां से मिल जाना उसका बक्र को महज़ ख़िलाफ़ क़यास है इस नीयत से कि जब गुम हो जाना अंगूठी का बक्र की याद से जाता रहे तब ज़ैद उस अंगूठी को उस मख़्फ़ी करने की जगह से निकाल कर बेच डाले तो इस सूरत में ज़ैद उस अंगूठी की पहली तबदीले जाय करतेही सर्क़े का मुर्तकिब हुआ ।

(तो) ज़ैद अपनी घड़ी की चाल ठीक कर देने के लिये उसको बक्र घड़ीसाज़ के हवाले करे और बक्र उसको अपनी दूकान पर ले जाय और जैद जिसको बक्र घड़ी साज़ का कोई कर्ज़ देना नहीं है जिसके एवज़ में घड़ी साज़ उस घड़ी को ज़मानत के तौर पर जवाज़न रोक रख सक्ता हो बक्र की दूकान में अलानिय: चला जाय और बक्र के हाथ से वह घड़ी जबरन लेकर चल दे तो इस सूरत में अगरचे मुमकिन् है कि जैद मुदाख़लते बेजा मुजरिमानः और हमूल का मुर्तकिब हो लेकिन सर्क़े का मुर्तकिब नहीं है क्योंकि जो कुछ उसने किया बद दियानती से नहीं किया ।

(या) अगर जैद को घड़ी की मरम्मत करने की बाबत बक्र का कुछ रुपया देना हो और बक्र उस कर्ज़े की जमानत के तौर पर घड़ी को जवाज़न रोक रखे और ज़ैद बक्र के कब्ज़े में से उस घड़ी को इस नीयत से लेले कि वह बक्र को उस माल से महरूम करके कर्ज़े की ज़मानत को मअदूम करे तो जैद सर्क़े का मुर्तकिब होगा क्योंकि वह उस घड़ी को बद दियानती से लेताहै ।

(काफ़) फिर अगर जैद अपनी घड़ी बक्र के पास रिहन करे और बग़ैर अदा करने उस रुपया के जो उसने बक्र से घड़ी पर क़र्ज़ लिया है घड़ी को बक्र के कब्ज़े में से उसकी बिला रिज़ामन्दी लेले तो अगरचि घड़ी ज़ैद का माल है मगर ताहम ज़ैद सर्क़ेका मुर्तकिब होगा क्योंकि वह उस को बददियानती से लेताहै ।

(लाम) ज़ैद इस नीयत से बक्र की कोई चीज़ उस के कब्ज़े में से उसकी बिला रिजामन्दी लेले कि जब तक बक्र से उसके वापस करने के सिले के तौर पर कुछ रुपयः न हासिल करे चीज मजकूर को अपने पास रखे तो इस सूरत में चूंकि जैद बद दियानती से लेता है इसलिये जैद सर्क़े का मुर्तकिब हुआ ।

(मीम) जैद जो बक्र के साथ दोस्तानः राह जो रसम रखता है बक्र की ग़ैबत में उसके कुतुब ख़ाने में जाय और उस की बिला रिजामन्दीये लफ़्ज़ी के कोई किताब सिर्फ़ पढ़ने के लिये ले जाय और वापस करना उसका जैद की नीयत में हो तो इस सूरत में ग़ालिब है कि जैद ने यह समझा हो कि उस को बक्र की जानिब से बक्रकी किताब पढ़ने की मानन इजाज़त है पस अगर जैद का यह गुमान था तो ज़ैद सर्क़े का मुर्तकिब नहीं हुआ ।

(बाब १७—उन जुर्मों के बयान में जो मालसे मुतअ़ल्लिक़ हैं—दफ़आत ३७८-३८२।)

(नू) जैद बक़र की ज़ौजः से ख़ैरात मांगे और वह जैद को रुपयः खाना और कपड़े दे जिसको जैद जानता हो कि वह उसके शौहर का माल है तो इस सूरत में गालिब है कि जैद यह समझताहो कि बक़र की जौजः ऐसी ख़ैरात देने की मुजाज़ है पस अगर जैद का यह गुमान था तो जैद सर्क़े का मुर्तकिब नहीं हुआ।

(सीन) ज़ैद बकर की जौजः का आशना है—वह ज़ैद को क़ीमती माल दे जिस को जैद जानता हो कि उसके शौहर बक़र का है और ऐसा माल है कि बक़रकी तरफ़ से वह उस के देने की मुजाज़ नहीं है पस अगर ज़ैद बद दियानती से माल ले ते तो वह सर्क़े का मुर्तकिब हुआ।

(अयन) ज़ैद बकर के माल को अपना माल समझकर नेक नीयती से अमर के क़ब्ज़े में से ले तो इस सूरत में चूंकि ज़ैद बद दियानती से नहीं लेताहै इस लिये ज़ैद सर्क़े का मुर्तकिब नहीं है।

सर्क़े की सज़ा।

दफ़ः ३७९—जो कोई शख़्स सर्क़े का मुर्तकिब हो उस शख़्स को दोनों किस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिस की मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

मकाने सुकूनत वग़ैर में सर्क़ः।

दफ़ः ३८०—जो कोई शख़्स किसी इमारत या खेमे या मर्कबेतरी में जो इमारत या खेमः या मर्कबेतरी इन्सान की बूद ओ बाश या माल की हिफाज़त के लिये काम में आताहो सर्क़े का इर्तिकाब करे तो उस शख़्स को दोनों किस्मों में से किसी क़िस्मकी कैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

मुतसद्दी या नौकर का उस माल को सर्क़ः करना जो आक़ा के क़ब्ज़े में है।

दफ़ः ३८१—कोई शख़्स जो मुतसद्दी या नौकर हो या मुतसद्दी या नौकर के काम पर मामूर हो किसी माल की निस्बत जो उसके आक़ा या अमर के कब्जे में हो सर्क़े का इर्तिकाब करे तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

सर्क़े के इर्तिकाब की गरज़ से हलाक करने या

दफ़ः ३८२—जो कोई शख़्स सर्क़े के इर्तिकाब के लिये या उस सर्क़े के इर्तिकाब के बाद अपने भाग जानेके लिये या उस मालके बचा रखने के लिये जो उस सर्क़े के ज़रीये से लिया जाय हलाकत या जरर

या मुज़ाहमत की या हलाकत या ज़रर या मुज़ाहमत की तख़्वीफ़ की तैयारी करके सर्क़े का इर्तिकाब करे तो उस शख़्स को क़ैदे सख़्त की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक हो-सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

जरर पहुंचाने या मुज़ाहमत की तैयारी करने के बाद सर्क़ा।

तमसीलें।

(अलिफ) ज़ैद उस माल की निसबत जो बक्कर के क़ब्ज़े में हो सर्क़े का इर्तिकाब करे, और जिस वक़्त कि वह इस सर्क़े का इर्तिकाब कर रहा हो उसके कपड़े के नीचे एक भरा हुआ तमञ्चा हो जो उसने इसलिये बहम पहुंचाया है कि अगर बक्कर तअ़र्रुज करे तो उसको जरर पहुंचाये तो ज़ैद उस जुर्म का मुर्तकिब हुआ जिसकी तारीफ़ इस दफ़ा में की गई है।

(बे) ज़ैद अपने चन्द शरीकों को अपने आस पास इसलिये खड़ा करके बक्कर की जेब कतरे कि अगर बक्कर इस माजिरे से मुत्तले होकर तअ़र्रुज करे या ज़ैद के पकड़ने का इक़दाम करे तो बक्कर के मुज़ाहिम हों तो ज़ैद उस जुर्म का मुर्तकिब हुआ जिस की तारीफ़ इस दफ़ा में की गई है।

इस्तिहसाले बिलजब्र के बयान में[3]।

दफ़ः ३८३—जो कोई शख़्स क़स्दन किसी शख़्स को ख़ुद उस शख़्स या किसी दूसरे शख़्स के किसी नुक़सान की तख़्वीफ़ करे और उसके ज़रीये से उस शख़्स को जिसकी इसतरह तख़्वीफ़ की गई है इस बात की बद दियानती से तहरीक करे कि वह कोई माल या किफ़ालतुल माल या कोई शै दस्तख़ती या मुहरी जो किफ़ालतुल माल हो जाने की हैसियत रखती हो किसी शख़्स के हवाले करे तो शख़्से मज़कूर ‘ इस्तिहसाले बिलजब्र ’ का मुर्तकिब होगा।

इस्तिहसाले बिल जब्र।

---

[1]दरबार इ तअ़ल्लुक़ पिज़ीर होने दफ़आत ३८८ ओ ३८९ व निस्बते जरायम तहते क़वानीने मुख़्तस्सुल अमर या मुख़्तस्सुल मुक़ाम के—मुलाहज़ तलब माक़ब्ल की—दफ़ा ४० ।

दरबार इ सजाय ताज़ियान बपादाशे जरायम मुसर्रह इ दफ़आत ३८८ ओ ३८९ के मुलाहज़ तलब ऐक्ट सजाय ताज़ियान सन १८६४ ई० (नम्बर ६ मुसदर इ सन १८६४ ई०) की दफ़आत २ ओ ३ [ऐक्ट हाय आम—जिल्द २]।

दरबार इ सजाय ताज़ियान बपादाशे जरायम मुसर्रह इ दफ़आत ३८६ ओ ३८७ के अपर ब्रह्मा में मुलाहज़ तलब अपर ब्रह्मा के क़वानीने ऐक्ट सन १८९८ ई० (नम्बर १३ मुसदर इ सन १८९८ ई०) की दफ़ा ४ (३) (बे) [मजमूअ़ इ क़वानीने ब्रह्मा [illegible] सन १८९९ ई०]।

कैदकी सज़ा मुक़र्रर है जिसकी मीआद दस बरस तक हो सक्ती है तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी कैद की सज़ा दीजाये गी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा और अगर वह जुर्म ऐसा हो कि उसकी सज़ा मजमूअ़:इ हाज़ा की दफ़ः ३७७ की रु से हो सक्ती है तो शख़्स मज़कूर को हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर की सज़ा दी जासक्ती है।

सर्क़:इ बिलजब्र ओ डकैती के बयान में।[1]

सर्क़:इ बिलजब्र। दफ़ः ३९०—हर सर्क़:इ बिलजब्र में या तो सर्क़: या इस्तिहसाले बिलजब्र पाया जाता है।

जिस हालत मे सर्क़ सर्क़:इ बिलजब्र है। सर्क़:"सर्क़:इ बिलजब्र" होगा अगर सर्क़:के इर्तिकाब के लिये या सर्क़े के इर्तिकाबमें या उस मालके लेजाने या लेजाने के इक़्दाममें जो

---

[1] उन जुर्मों के इत्तिला पहुंचाने की पाबन्दी के बारे में जो तहत दफ़आत ३९२ ता [illegible] ३९९ या ४०२ के क़ाबिल सज़ा हैं मुलाहज़ः तलब मजमूअ़:इ ज़ाबित:इ फ़ौजदारी सन १८९८ ई०(ऐक्ट५मुसदर इ सन १८९८ई०) की दफ़ ४४ [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ६] और वही दफ़ ऐक्ट १० मुसदर इ सन १८८२ ई० की जैसी कि [illegible] तमाम ब्रह्मा के लिये अपर ब्रह्मा के गाव के रेगूलेशन सन १८८७ ई० (नम्बर [illegible] मुसदर इ सन १८८७ई०) की दफ़ ४ के ज़रिये से [मजमूअ़:इ क़वानीने ब्रह्मा मतबूअ़:इ सन १८९९ ई०] और लुअर ब्रह्मा के गाव के ऐक्ट सन १८८९ ई० [नम्बर २ मुसदर इ सन १८८९ ई० की दफ़ ५ के ज़रिये से दर ख़ुसूस सर्क़:इ बिलजब्र और डकैती के हुई है [मजमूअ़:इ क़वानीने ब्रह्मा मतबूअ़:इ सन १८९९ ई०]।

दरबार इ सज़ाय ताज़ियान बपादाश जरायम तहत दफ़आत ३९० [illegible] ३९३ ओ ३९४ के-मुलाहज़ः तलब ऐक्ट सज़ाय ताज़ियान. सन १८६४ ई० (नम्बर ६ मुसदर इ सन १८६४ ई०) की दफ़आत ४ ओ ६ [ऐक्ट हायआम-जिल्द १]-और बपादाशे जरायम तहते दफ़आत ३९२ ओ ४०२ के अपर ब्रह्मा में मुलाहज़ः तलब अपर ब्रह्मा के क़वानीन के ऐक्ट सन १८९८ ई० (नम्बर १३ मुसदर इ सन १८९८ ई०) की दफ़ ४ (२) (बे) और ज़मीम २ [मजमूअ़:इ क़वानीने ब्रह्मा मतबूअ़:इ सन १८९९ ई०]-और बापदाशे जरायम तहते दफ़आत ३९२-३९९ के पंजाब के इज़लाय सर्हदी में और बिलूचिस्तान मे मुलाहज़ः तलब पंजाब के सर्हदी जरायम रेगूलेशन सन १८८७ ई० (नम्बर ४ मुसदर इ सन १८८७ ई०) की दफ़: ८ [मजमूअ़:इ क़वानीने पंजाब मतबूअ़:इ सन १८८८ ई०-और मजमूअ़:इ क़वानीने बिलूचिस्तान मतबूअ़:इ सन १८९० ई०]।

दरबार इ सज़ा बपादाशे जरायम तहते दफ़आत ३९२ —३९९ के जिनकी तहक़ीक़ात पंजाब के ज़िला इ सर्हदी मे या बिलूचिस्तान में बज़रिये कौंसिले [illegible] [illegible] मुलाहज़ः तलब रेगूलेशन मज़कूर की दफ़ [illegible] ।

सर्क़े से हासिल किया गया है मुजरिम उस मतलब से बिलइरादः किसी शख़्स की हलाकत या ज़रर या मुज़ाहमते बेजाका बाइसहो या उसके बाइस होने का इक़दाम करे या फ़ौरन हलाक होने या फ़ौरन ज़रर या फ़ौरन मुज़ाहमते बेजा उठाने की तख़वीफ़का बाइस हो या उसके बाइस होने का इक़दाम करे।

जिस हालत में इस्तहसाले बिलजब्र सर्क़ःइ बिलजब्र है। इस्तिहसाले बिलजब्र "सर्क़ःइ बिलजब्र" होगा अगर मुजरिम इस्तिहसाले बिलजब्रके इर्तिकाबके वक़्त शख़्स मुख़व्वफ़के क़ुर्बमें हाज़िर हो और उस शख़्स को ख़ुद उस शख़्स के या किसी दूसरे शख़्स के फ़ौरन हलाक होने या फ़ौरन ज़रर या फ़ौरन मुज़ाहमते बेजा उठाने की तख़वीफ़ करने से इस्तिहसाले बिलजब्रका मुर्तकिबहो और इस तरह तख़वीफ़ करने से शख़्स मुख़व्वफ़को शैमुस्तहसिले बिलजब्रके उसवक़्त और उसजगह हवाले कर देने की तहरीक करे।

तशरीह—अगर मुजरिम इस क़दर क़रीबहो कि उसका क़ुर्ब उस दूसरे शख़्स को फ़ौरन हलाक होने या फ़ौरन ज़रर या फ़ौरन मुज़ाहमते बेजाके उठाने की तख़वीफ़को काफ़ी हो तो कहा जायेगा कि मुजरिम क़ुर्ब में हाज़िर है।

तमसीलें।

(अलिफ़) जैद बकर को दबा बैठे और बकरके कपड़ोंमें से बकर का रुपय. और ज़ेवर बिला रिज़ामन्दी बकरके फ़रेब से ले ले तो इस सूरत में जैद सर्क़े का मुर्तकिब हुआ और चूंकि सर्क़े के इर्तिकाब के लिये उसने बकर की निस्बत बिलइराद मुज़ाहमतेबेजा की इस लिये जैद सर्क़ःइ बिलजब्र का मुर्तकिब हुआ।

(बे) जैद शारिअ आम पर बकर से मुलाक़ी हो और बकर को तपंच दिखाकर उस की हमियानी तलब करे और बकर उसके सबब से अपनी हमियानी मजबूर होकर छोड़दे इस सूरत में चूंकि जैद ने बकर को फ़ौरन ज़रर पहुंचानेकी तख़वीफ़ करने के ज़रीये से उससे हमियानी इस्तिहसाल बिलजब्र करके ली और इस्तिहसाले बिलजब्र के इर्तिकाब के वक़्त बकर के क़ुर्ब में हाज़िर था इस लिये जैद सर्क़ःइ बिलजब्रका मुर्तकिब हुआ।

(जीम) जैद शारिअ आम पर बकरसे और उसके तिफ़्ल से मुलाक़ीहो और जैद तिफ़्ल को पकड़ के बकरको धमकावे कि अगर तू अपनी हमियानी मेरे हवाले न करेगा तो मैं तेरे [illegible] हवाले करे तो इस

(बाब १७ उन जुर्मों के बयान में जो माल से मुतअल्लिक़हैं—दफ़आत२२१-२२४ ।)

सूरत में जैद ने बकर को इस बात की तख़वीफ़ करने से कि तिफ्लको जो वहां हाज़िर है फ़ौरन ज़रर पहुंचेगा बकरसे हमियानी को इस्तिहसाले बिलजब्र करके ले लिया इसलिये जैद बकर की निस्बत सर्कः इ बिल जब्रका मुर्तकिब हुआ ।

(दाल) जैद बकर से कोई माल यह कहकर हासिलकरे कि—"तेरा लड़का हमारे गुरोह के इख़्तियारमेंहै—अगर तू हमको दसहज़ार रुपय. न भेजदेगा तो वह मार डाला जायेगा"—तो यह इस्तिहसाल बिलजब्र है और उसकी पादाश मे इस्तिहसाले बिलजब्रही की सज़ा दी जायेगी मगर सर्कः इ बिलजब्र नहीं है सिवाय इसके कि बकर को लड़के के फ़ौरन् हलाक होजाने की तख़वीफ़ की जाय ।

डकैती ।

दफ़ः३६१—जब पांच या ज़ियादःशख़्स शामिलहोकरसर्कः इ बिलजब्र का इर्तिकाब या इक़्दामे इर्तिकाबकरें या जब कि उन शख़्सों की कुल तादाद जो सर्कःइ बिलजब्रका इर्तिकाब या इक़्दामे इर्तिकाब शामिल होकर करतेहों मअ तादाद उन शख़्सों के जो हाज़िर हों और उसके इर्तिकाब या इक़्दामे इर्तिकाबमें मदद करतेहों पांच या पांच से ज़ियादःहों तो हरएकशख़्स इर्तिकाब करनेवाला या इर्तिकाब का इक़्दाम करनेवाला या उसमें मदद करने वाला "डकैती" का मुर्तकिब कहलाया जायेगा ।

सर्कः इ बिलजब्रकी सज़ा ।

दफ़ः ३६२—जो कोई शख़्स सर्कःइ बिलजब्र का मुर्तकिबहो उसको क़ैदे सख़्तकी सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा और अगर उस सर्कःइ बिलजब्र का इर्तिकाब शारेअ आम पर गुरूब औ तुलूअ आफताब के दर्मियान किया जाय तो कैद की मीआद चौदः बरस तक होसक्ती है ।

सर्कः इ बिलजब्र के इर्तिकाब का इक़्दाम ।

दफ़ः ३६३—जो कोई शख़्स सर्कःइ बिलजब्र के इर्तिकाब का इक़्दाम करे उस शख़्स को क़ैद सख़्त की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने काभी मुस्तौजिब होगा ।

सर्कः इ बिलजब्र के इर्तिकाब में बिल

दफ़ः३६४—अगर कोई शख़्ससर्कःइ बिल जब्र के इर्तिकाब या उसकेइर्तिकाबके इक़्दाम में किसी शख़्सको बिलइरादः जररपहुंचाये तो शख़्स मजरूहको और किसी दूसरे शख़्स को जो उस सर्कःइ बिलजब्र

के इर्तिकाब या उसके इर्तिकाब के इक़्दाम में शामिल होकर मस्रूफ हुआ हो हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या क़ैद सख़्त की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

ज़रर पहुंचाना।

दफ़ः ३९५—जो कोई शख़्स डकैती का मुर्तकिब हो उसको हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या क़ैद सख़्त की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

डकैती की सजा।

दफ़ः ३९६—अगर उन पांच या ज़ियादः शख़्सों में से जो शामिल होकर डकैती का इर्तिकाब करें कोई एक शख़्स उस डकैती के इर्तिकाब में कतले अमद का मुर्तकिब हो तो उन में से हरएक शख़्स को सज़ाय मौत या हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या क़ैद सख़्त की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वः जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

डकैती कतले अमद के साथ।

दफ़ः ३९७—अगर सर्क़ःइ बिलजब्र या डकैती इर्तिकाब के वक्त मुजरिम कोई हर्बःइ मुहलिक काम में लाये या किसी शख़्स को ज़रर शदीद पहुंचाये या किसी शख़्स के हलाक करने या ज़रर शदीद पहुंचाने का इक़्दाम करे तो वह क़ैद जिस की सज़ा उस मुजरिम को दी जायेगी सात बरससे कम न होगी।

सर्क़ःइ बिलजब्र या डकैती हलाक करने या ज़रर शदीद पहुंचाने के इक़्दाम के साथ।

दफ़ः ३९८—अगर सर्क़ःइ बिलजब्र डकैती के इर्तिकाब के इक़्दाम के वक्त मुजरिम किसी हर्बःइ मुहलिक से मुसल्लःहो तो वह क़ैद जिसकी सजा इस मुजरिम को दी जायेगी सात बरस से कम न होगी।

सर्क़ःइ बिलजब्र या डकैती के इर्तिकाब का इक़्दाम हर्बःइ मुहलिक से मुसल्लः होनेकी हालत में।

दफ़ः ३९९—जो कोई शख़्स डकैती के इर्तिकाब के लिये कोई तैयारी करे उसको क़ैद सख़्त की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

डकैती के इर्तिकाब के लिये तैयारी करना।

दफ़ः ४००—जो कोई शख़्स किसी वक़्त बाद जारी होने इस ऐक्ट के ऐसे शख़्सोंके गुरोह का शरीक होगा जो डकैती का आदतन

डकैतों के गुरोह के

शरीक होने की सज़ा।

इर्तिक़ाब करने के लिये मिलाप रखते हों तो उस शख़्स को हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या क़ैद सख़्त की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

चोरों के गुरोह में शरीक होने की सज़ा।

दफ़ः ४०१–जो कोई शख़्स किसी वक़्त—बाद जारी होने इस ऐक्ट के—शख़्सों के गुरोहे आवारा या किसी और गुरोह का शरीक होगा जो सर्क़ः या सर्क़ःइ बिलजब्र के आदतन् इर्तिक़ाब के लिये मिलाप रखते हों लेकिन जो ठगों या डाकुओं का गुरोह न हो तो शख़्स मज़कूर को क़ैदे सख़्त की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

डकैती के इर्तिकाब के लिये जमा होना।

दफ़ः ४०२–जो कोई शख़्स किसी वक़्त बाद जारी होने इस ऐक्ट के उन पांच या ज़ियादः शख़्सों में से होगा जो डकैती के इर्तिक़ाब के लिये जमा हुये हों तो उस शख़्स को क़ैदे सख़्त की सज़ादी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा॥

माल के तसर्रुफ़े बेजा मुजरिमानः के बयानमें।

बददियानती से माल का तसर्रुफ़े बेजा।

दफ़ः ४०३–जो कोई शख़्स बददियानती से किसी माले मनकूलः को अपने तसर्रुफ़े बेजा में या अपने काम में ले आये उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस[1] तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

तमसीलें।

(अलिफ़) जैद बक़र के क़ब्ज़े में से बक़र का माल ले और नेकनीयती से उसके लेते वक्त यह बावर करता हो कि वह माल मेरा है तो इस सूरत मे जैद सर्क़े का मुर्तकिब नहीं है लेकिन अगर जैद अपनी गलती मालूम करलेने के बाद उस माल को बददियानती से अपने तसर्रुफ में ले आये तो वह उस जुर्म का मुर्तकिब है जिसका इस दफ़ः में जिक्र है।

---

[1] दरखुसूस मुरत्तब करने फर्दे क़रारदादे जुर्म तहते दफ़ःइ हाजा के मुलाहज़ा तरमीम मजमूअःइ ज़ाबितःइ फौजदारी सन १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसद्दरः सन १८९८ ई०) की दफ़ः २२२ [ऐक्ट हाय आम जिल्द ६]।

(बाब १७–उन जुर्मा के बयान मे जो माल से मुतअल्लिक है दफ़ ४०३ ।)

(बे) जैद जो बकर से दोस्ताना राह औ रस्म रखता है बकरके कुतुबखाने मे बकरकी गैबत में जाय और बकर की बिलारिजामन्दीये सरीह के एक किताब ले जाय उस सूरत मे अगर जैदको यह गुमान था कि पढ़नेके लिये किताब लेनेकी मुझको बकरकी रिजामन्दीये मानवी हासिल है तो जैद सर्के का मुर्तकिब नहीं है लेकिन अगर जैद इसके बाद अपने फ़ायदे के लिये उस किताब को बेच डाले तो जैद उस जुर्म का मुर्तकिब है जिसका इस दफ़ः में जिक्र है ।

(जीम) अगर जैद औ बकर बिलइश्तिराक किसी घोड़े के मालिक हो और जैद घोड़े को बकर के क़ब्जे में से काम में लाने की नीयत करके लेले तो इस सूरतमे चूंकि जैद उस घोडे को काम में लाने का मुस्तहक़है इसलिये वह बददियानती से उसको तसर्रुफ़े बेजा मे नही लाता लेकिन अगर जैद घोडे को बेचडाले और उसकी क़ीमतका तमामरुपय अपने तसर्रुफ़ में ले आय तो वह उस जुर्म का मुजरिम है जिसका इस दफ़ः में जिक्र है ।

तशरीह १–तसर्रुफ़े बेजा बददियानतीके साथ जो सिर्फ एक मुद्दत तक किया जाय उस तसर्रुफ़े बेजा में दाखिलहै जो इस दफ़ः में मक़सूद है ।

तमसील ।

जैद एक गवर्नमेन्ट परामेसरी नोट जो बकर की मिल्क हो और जिसपर इबारते जहरी न लिखी हो पाय और जैद यह जानकर कि वह नोट बकरकी मिल्कहै उसको क़र्ज की जमानत में किसी महाजन के पास मकफूल करे इस नीयत से कि जमानइ आइन्द मे किसी वक्त उसे बकर को वापस करेगा तो जैद उस जुर्म का मुर्तकिब है जिसका इस दफ़ मे जिक्रहै ।

तशरीह २–जो शख़्स कोई मालजो किसी शख़्सके क़ब्जे मे न हो पाय और उस माल को उसके मालिक की जानिब से हिफ़ाजत करने या उसके मालिकको वापस करने के लिये अपनी तहवील में लाय तो शख़्से मजकूर उस माल को बददियानती से अपनी तहवील या तसर्रुफ़े बेजा में नहीं लाता और न जुर्म का मुजरिमहै लेकिन वह शख़्स उस जुर्म का जिसकी ऊपर तारीफ कीगई है मुजरिम होगा अगर वह उस माल को अपने काम के लिये तसर्रुफ में लाय जबकि वह उसके मालिक को जानता हो या उसके दर्याफ़्त करलेने के वसीले रखताहो या इससे पहले कि वह मालिकके दर्याफ़्त करने और उसके मुत्तले करने के माक़ूल वसीले काम में ला चुका हो और एक माक़ूल मुद्दत तक उस मालको अपनी तहवील में रक्खाहो ताकि मालिक को उसके दावा करने का क़ाबू होता ।

यह बात कि ऐसी सूरत में कौन्से वसीले फ़िलवाक़े माक़ूल हैं और कौन्सी मुद्दत फ़िलवाक़े माक़ूल है एक अमरे तन्क़ीह तलब होगा।

यह ज़रूर नहीं है कि पानेवाला यह जाने कि उस माल का कौन मालिक है या यह कि फ़ुलां शख़्स उसका मालिकहै बल्कि यह काफ़ी है कि माल को अपने तसर्रुफ़ में लातेवक़्त वह यह बावर न करताहो कि वह उसका अपना माल है या नेक नीयती से बावर न करे कि उसका हक़ीक़ी मालिक दस्तयाब नहीं होसक्ता।

तमसीलें।

(अलिफ़) जैद एक शारिऐ आम पर एक रुपय पाये और उस को यह इल्म न हो कि वह किसकी मिल्क है और जैद उस रुपये को उठा ले तो इस सूरत में जैद उस जुर्म का मुर्तकिब नहीं हुआ जिसकी तारीफ़ इस दफ़ में की गई है।

(बे) जैद शारिऐ आम पर एक खत पाय और उस में एक महाजनी हुन्डीहो और देखे कि और खत के मजमून से जैद दर्याफ्त करे कि वह हुन्डी फ़लाने शख़्स की है फिर वह उसको अपने तसर्रुफ़ में लाय तो जैद एक जुर्मका मुजरिम है जिसका इस दफ़ःमें ज़िक्र है।

(जीम) जैद एक रुक़अ जिसका रुपय हामिले रुक़अ को वाजिबुल अदाहो पाये और किसी तरह से उस के ख़याल में न आय कि यह रुक़अ किस से खो गया है लेकिन रुक़अ लिखने वालेका नाम वाज़िहहो और जैद यह जाने कि उस रुक़ऐ का लिखनेवाला उस शख़्स का निशान बता सक्ता है जिसके हुक्ममें वह रुक़अ लिखा गया है मगर जैद मालिक के दर्याफ्त करने की कोई जिहद न करके उस रुक़ऐ को अपने तसर्रुफ़में लाय तो जैद एक जुर्म का मुजरिम है जिसका ज़िक्र इस दफ़ः में है।

(दाल) जैद बकर के पास उसकी हमयानी जिस में रुपये हों गिरते देखे और जैद बकर को फिर देने की नीयत से हमयानी को उठाय मगर बाद उसके उसको अपने कामके वास्ते तसर्रुफ़ में लाय तो जैद उस जुर्म का मुर्तकिब हुआ जिसका ज़िक्र इस दफ़ में है।

(वाब १७—उन जुर्मो के बयान में जो माल से मुतअ़ल्लिक़ हैं-दफ़आत ४०४-४०५।)

दफ़ः ४०४—जो कोई शख़्स कोई माल वददियानती से अपने तसर्रुफ़े वेजा या काम में यह जान कर लाय कि वह माल किसी शख़्स के मर्ते वक़्त उस मुतवफ़्फ़ा के क़ब्ज़े में था और यह कि वह माल उस वक़्त से किसी ऐसे शख़्स के क़ब्ज़े में नहीं रहा है जो उस क़ब्जे का क़ानूनन् मुस्तहक़ हो तो शख़्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन वरसतक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा और अगर मुजरिम उस शख़्स मुतवफ़्फ़ा की जानिब से उसकी वफ़ात के वक़्त मुतसद्दी या मुलाज़िम के तौर पर मामूर था तो क़ैद की मीआद सात वरसतक होसक्ती है।

वददियानती से उस माल का तसर्रुफ़े वेजा जो मरने के वक़्त शख़्स मुतवफ़्फ़ा के क़ब्जे में था।

तमसील।

अगर ज़ैद असासुल वैत और रुपये पर क़ाविज़ होने की हालत में मर जाय और वकर उस का नौकर क़ब्ल इसके कि वह रुपय किसी ऐसे शख़्स के क़ब्जे में आजाय जो उस क़ब्जे का मुस्तहक़ है रुपये मजकूर को वददियानती से अपने तसर्रुफ़े वेजा मे लाये तो इस सूरत में जैद उस जुर्म का मुर्तकिव हुआ जिसकी तारीफ़ इस दफ़ में की गई है।

ख़यानते मुजरिमानः के बयान में।

दफ़ः ४०५—कोई शख़्स जिसको किसी तरह से कोई माल या किसी मालका इहतिमाम अमानतन् सपुर्द हो क़ानून की किसी ऐसी हिदायत के ख़िलाफ़ करके जिसमें अमानते मजकूर के अदा करने का तरीक़ मुअय्यन हो या किसी मुआहद:इ मुताविक़े क़ानून के ख़िलाफ़ करके जो लफ़्ज़न् या मानन् शख़्स मजकूर ने अमानते मज़कूर के अदा करने के तरीक़ की निस्वत किया हो माले मज़कूर को वददियानती से अपने तसर्रुफ़े वेजा में या अपने काम में लाय या उस माल को वद दियानती से अपने इस्तिअमाल में लाये या अलाहद:करे या किसी दूसरे शख़्स को अमदन ऐसा करने दे तो शख़्स मजकूर "ख़यानते मुजरिमानः" का मुर्तकिव होगा[1]।

ख़ियानते मुजरिमान।

---

[1] दरख़सूस मुरत्तव करने फ़र्दे क़रारदादे जुर्म तहते दफ़:इ हाज़ा के मुलाहज़ा तलब मजमूअ़:इ ज़ाविते इ फ़ौजदारी सन् १८६८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदर:इ सन् १८६८ ई०) की दफ़ा २२३ [ऐक्ट हाय आम-जिल्द ६]।

तमसीलें ।

(अलिफ) अगर जैद जो किसी शख्स मुतवफ्फा के वसीयतनामेकी रूसे वसीहो वद दियानती से उस क़ानून के खिलाफ करे जिसमें वसीयतनामे के मुताबिक़ तर्के की तक़सीम करने का हुक्म है और तर्क.अपने कामके लिये तसर्रुफ़मे लाय तो जैद खयानते मुजरिमान. का मुर्तकिब होगा ।

(बे) जैद गुदाम का मालिकहो और बकर जो सफर करने का आमाद है जैदको अपना असासुलबैत इस मुआहदे की शर्त से अमानतन् सपुर्द करे कि जिस वक्त गुदाम घरकी बाबत नक़्दी माहद अदा की जाय असासुलबैत वापिस किया जायेगा और जैद उस माल ओ अस बाब को वददियानती से बेचडाले तो जैद खियानते मुजरिमान. का मुर्तकिब होगा ।

(जीम) अगर जैद साकिने कलकत्त बकर साकिने दिहली का एजन्ट हो और इनदोनों के दर्मियान लफ्जन् या मानन् एक मुआहद हो कि बकर जो रुपय' जैद को हुन्डी करे उसको जैद बक़र की हिदायत के मुताबिक़ नफअ के लिये अमानतन् लगा ले और बकर एक लाख रुपय इस हिदायत से जैद के पास हुन्डीकरे कि जैद उसको कम्पनी के प्रामीसरी नोट की खरीद में लगा दे मगर जैद वददियानती से उस हिदायत के खिलाफ़ करके अपने कारओबार में सर्फ करे तो जैद खयानते मुजरिमान. का मुर्तकिब होगा ।

(दाल) लेकिन ऊपर की पिछली तमसील मे अगर जैद न वददियानती से बल्कि नेक नीयती से यह बावर करके कि बक बगाल के हिस्से खरीद लेना बकर के लिये जियादातर मुफीद होगा बकर की हिदायतके खिलाफ करे और कम्पनी के कागज खरीदने की जगह बक बंगाल के हिस्से बकर के नाम खरीदे तो इससूरत मे गो बकर जिया उठाय और उस जिया की बाबत जैद पर दिवानी में नालिश करने का मुस्तहक़हो ताहम चूंकि जैदने वददियानती से अमल नहीं किया इस लिये जैद खयानते मुजरिमान. का मुर्तकिब नहीं है ।

(हे) अगर जैद जो सरिश्त इ माल का अहलकारहे जरे सर्कारी का अमानतदारहो और उस पर खाह क़ानून की हिदाइत के मुवाफ़िक़ खाह किसी मुआहिदेकी रू से जो गवर्नमेन्ट के साथ लफ्जन् या मानन् जहूर में आयाहो वाजिवहो कि वह तमाम जरे सर्कारी जो उसके क़ब्जे में है किसी खास खजाने में दाखिल करे मगर जैद उस रुपये की वददियानती से अपने तसर्रुफ में लाय तो जैद खियानते मुजरिमान का मुर्तकिब है ।

(वाव) बकर की जानिबसे जैद को जो माल ओ असबाब पहुंचानेका पेशा रखताहै कोई माल अमानतन सपुर्द हो कि वह उसे खुशकी या तरीकी राह से पहुंचादे और जैद उस माल को वददियानती से तसर्रुफे बेजा मे लाय तो जैद खयानते मुजरिमान का मुर्तकिब होगा ।

सज़ाए खियानते मुजरि- **दफ़ः ४०६—जो कोई शख्स खयानते मुजरिमानःका मुर्तकिब हो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सजा दीजायगी**

(बाब १७—उन जुर्मों के बयान मे जो मालसे मुतअल्लिक़हैं—दफ़्आत ४०७-४१०।)

जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

मान की सज़ा ।

दफ़ः ४०७—अगर कोई शख़्स जिसको माल पहुंचानेके पेशावर या घटवाल या गुदाम के मालिक की हैसीयत से कोई माल अमानतन सपुर्द हो उस माल की निस्वत खियानते मुजरिमानः का मुर्तकिब हो तो शख़्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

माल पहुंचाने वाले वग़ैरह से ख़ियानते मुजरिमान ।

दफ़ः ४०८—कोई शख़्स जो मुतसद्दी या नौकर हो या जो मुतसद्दी या नौकर के काम पर मामूर हो और जिसको किसी तरह मुतसद्दी या नौकर की हैसीयत से कोई माल या किसी मालका इहतिमाम अमानतन सपुर्द हो माले मज़कूरकी निस्वत खयानते मुजरिमानः का मुर्तकिब हो तो शख़्से मज़कूर को दोनों किस्मों मेंसे किसी क़िस्म की क़ैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

मुतसद्दी या नौकर से ख़ियानते मुजरिमान ।

दफ़ः ४०९—कोई शख़्स जिसको बहैसीयते सर्कारी मुलाज़िम या अपने कारओबार के एतिबार से बहैसीयत महाजन या सौदागर या कारपदोज़ या दल्लाल या मुख़्तार या एजिन्ट के कोई माल या किसी माल का इहतिमाम किसी तरह अमानतन सपुर्द हो माले मज़कूर की निस्वत खयानते मुजरिमानः का मुर्तकिब हो तो शख़्स मज़कूर को हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दोनों किस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

सर्कारीमुलाज़िम या महाजन या सौदागर या एजिन्ट से ख़ियानते मुजरिमान ।

माले मसरूक़ः लेने के बयान में ।

दफ़ः४१०—वह माल जिसका क़ब्ज़ः सर्के[1] या इस्तिहसाले बिलजब्र या सर्कःइबिलजब्रके ज़रीये से मुन्तक़ल हुआ हो और वह

माले मसरूक़ ।

[1] दरबार इ सज़ाय ताज़ीयान बपादाशे जुर्म मुसर्रह इ दफ़ ४११ के मुलाहज़ः तलब ऐक्ट सज़ाय ताजियान सन् १८६४ ई० (नम्बर ६ मुसदर-इ सन् १८६४ ई०) की दफ़आत २ ओ ३ [ऐक्ट हाय आम—जिल्द[1]]- और बपादाशे जुर्म मुसर्रह इ दफ़ ४१२ के

माल जो तसर्रुफ़े बेजा मुजरिमानःमें लाया गया हो जिसकी निस्वत[1] खियानते मुजरिमानः का इर्तिकाब हुआ हो "माले मसरूक़ः" कहा जायेगा[2] [आम इस से कि उस माल का ऐसा इन्तिकाल या तसर्रुफ़ बेजा या उसकी निस्बत खियानते मुजरिमानःब्रिटिश इन्डिया के अन्दर या उसके बाहर वक़ू में आई हो] लेकिन वह माल अगर बादहू उस शख़्स के कब्ज़े में आ जाय जो उसके कब्ज़े का क़ानूनन् मुस्तहक़ है तब वह माल माले मसरूक़ःन होगा।

माले मसरूक़ः बददियानती से लेना।

दफ़ः ४११—जो कोई शख़्स कोई माले मसरूक़ःयह जानकर या बावर करने की वजह रखकर कि वह माल माले मसरूक़ःहै बद दियानती से ले या ले रखे उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन बरसतक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

माले मसरूक़ः व इर्तिकाब डकैती बद दियानती से लेना।

दफ़ः ४१२—जो कोई शख़्स कोई माले मसरूक़ः बद दियानती से ले या ले रखे जिसकी निस्बत वह जानता या बावर करने की वजह रखता हो कि उसका कब्ज़ः डकैती के इर्तिकाब के ज़रीये से मुन्तक़िल हुआ है या किसी शख़्ससे जिसकी निस्बत वह जानता या बावर करने

मुलाहज़ा तलब वही ऐक्ट—और नीज़ दरबार बर्मा के आईनों के ऐक्ट सन् १८९८ ई० (नम्बर १३ मुसदर-इ सन् १८९८ ई०) की दफ़ ४ (३) (बे) और ज़मीम २ [मजमूअ-इ क़वानीने बर्मा मतबूअ-इ सन् १८९९ ई०] — और बपादाशे जुर्म मुसर्रह-इ दफ़ ४१२ हे मुलाहज़ा तलब ऐक्ट सज़ाये ताज़ियान सन् १८६४ ई० (नम्बर ६ मुसदर-इ सन् १८६४ ई०) की दफ़आत ४ औ ६।

दरबार इ सज़ा बपादाशे जराइम तहते दफ़आत ४११–४१४ के जिनकी तहक़ीक़ पन्जाबके ज़िल इ सर्हदी में या बिलोचिस्तान में बज़रिये कौन्सिले सर्दारान के ... आय मुलाहज़ा तलब पन्जाब के सर्हदी जराइम के रेगूलेशन सन् १८८७ ई० (नम्बर ... मुसदर इ सन् १८८७ ई०) की दफ़ १४ [मजमूअ इ क़वानीने पन्जाब मतबूअ इ सन् १८८८ ई०—और मजमूअ इ क़वानीने बिलोचिस्तान मतबूअ इ सन् १८९० ई०]।

[1] लफ़्ज़ "जुर्म" मजमूअ इ क़वानीने ताज़ीराते हिन्दके तर्मीम करनेवाले ऐक्ट सन् १८८२ ई० (नम्बर ८ मुसदर इ सन् १८८२ ई०) की दफ़ ९ के ज़रीये से मन्सूख़ किया गया [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ४।]

[2] यह अलफ़ाज़ मजमूअ-इ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द के तर्मीम करनेवाले ऐक्ट १८८२ ई० (नम्बर ८ मुसदर इ सन् १८८२ ई०) की दफ़ ९ के ज़रीये से दाख़िल किये गये [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ४]।

की वजह रखता है कि वह डाकुओं के गुरोह में शरीक है या शरीक रहा है कोई माल बददियानती से ले जिसकी निस्बत वह जानता या बावर करने की वजह रखता है कि वह माल माले मसरूक़ः है तो शख़्स मज़कूर को हब्स दवाम वउबूरे दर्याय शोर या क़ैद सख़्त की सजा दीजायेगी जिसकी मीत्र्याद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

दफ़ः ४१३–जो शख़्स कोई ऐसा माल जिसको वह जानता या बावर करने की वजह रखता हो कि वह माल माले मसरूक़ःहै आदतन लिया करता हो या उसका कारत्र्योबार किया करता हो उस शख़्स को हब्स दवाम वउबूरे दर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीत्र्याद दस बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा । माले मसरूक़ का आदतन कारत्र्योबार करना ।

दफ़ः४१४–जो कोई शख़्स किसी ऐसे माल के छुपाने या अलाहदः करने या तलफ करने में बिल्इरादः मदद करे जिसकी निस्बत वह जानता या बावर करने की वजह रखता हो कि वह माल माले मसरूक़ः है तो शख़्से मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीत्र्याद तीन बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी । माले मसरूक़ः छुपाने में मदद देना ।

दग़ाके बयान में ।

दफ़ः४१५–जो कोई शख़्स किसी शख़्स को धोका देकर उस धोका खानेवाले शख़्स को फरेब से या बददियानती से तहरीक करे कि वह कोई माल किसी शख़्स के हवाले करे या इसपर रिज़ामन्दी जाहिर करे कि कोई शख़्स कोई माल ले रखे या धोका खानेवाले शख़्स को किसी ऐसे अमर के करने या तर्क करने की क़सदन् तहरीक करे जिसको वह न करता या तर्क न करता दरहाले कि उसको इस तरह धोका न दियाजाता और जो फेल या तर्क उस शख़्स के जिस्म या खातिर या नेकनामी या माल को मजर्रत या गज़न्द पहुंचाय या दग़ा ।

(बाब १७—उन जुर्मों के बयान में जो माल से मुतअल्लिक़ हैं—दफ़ः ४१५ ।)

उसके पहुंचाने का इहतिमाल हो तो कहा जायेगा कि शख़्से मज़कूर ने "दगा की" ।

तशरीह—बददियानती से उमूरे वाक़ई का एखफा करना एक धोका देना है जो इस दफ़ः में मक़सूद है ।

तमसीलें ।

(अलिफ) जैद झूटमूट मुलाजिमे मुतअहहिदे मुल्की होने का इद्देआ करके क़सदन वकर को धोका दे और इस तरह बददियानती से वकर को तहरीककरे कि वह उसे नसतन माल दे जिसकी कीमत अदाकरना उसकी नीयत मे न हो तो जैद ने दगा की।

(बे) जैद किसी शै पर कोई निशाने मुलतवस लगाने के जरीये से क़सदन धोका देके वकर को यह बावर कराय कि वह शै फ़ुला नामवर कारीगर की बनाई हुईहै और इस तरह बददियानती से वकर को शै मजकूर के ख़रीदने और क़ीमत देने की तहरीक करे तो जैद ने दगा की ।

(जीम) जैद वकर को किसी शै का झूटा नमूना दिखलानेसे क़सदन धोका देके वकर को यह बावर कराय कि वह शै नमूने के मुताबिक है और इस जरीये से वकर को उसके ख़रीदने और क़ीमत देने की बददियानती से तहरीक करे तो जैद ने दगा की ।

(दाल) अगर जैद किसी शै की क़ीमत मे किसी कोठी पर जिस में जैद का रुपया जमा नहीं है एक रुक़्क़ा पेश करे और उसको यह उम्मेद हो कि उस कोठी में यह रुक़्क़ा न पटेगा और इस तरह वकर को क़स्दन् धोका दे और इस जरीये से उसको शै मजकूर के हवाले करने की बददियानती से तहरीक करे और उसकी क़ीमतका न देना जैदकी नीयत मे हो तो जैद ने दगा की ।

(हे) अगर जैद ऐसी चीजों को हीरों की हैसियत से गिरौ रखकर जिन को वह जानता है कि हीरे नहीं हैं क़स्दन् वकर को धोका दे और इस जरीये से वकर को नक़द कर्ज देने की बददियानती से तहरीक करे तो जैद ने दगा की ।

(वाव) जैद वकर को क़स्दन धोका देकर यह बावर कराय कि जो रुपया तू मुझको क़र्ज देगा उसके अदा करने की मै नीयत रखता हू और इसके जरिये से वकर को नक़द क़र्ज देने की बददियानती से तहरीक करे और जैद की रुपया अदा करने की नीयत न हो तो जैद ने दगा की ।

(जे) जैद वकरको क़स्दन धोका देकर यह बावर कराय कि मै तुझ को एक तादाद मिक्दार वर्ग नील की देना चाहता हू जिसका देना उस की नीयत में न हो और उसके जरीये से उस देने के एतिबार पर वकरको पेशगी रुपया देने की बददियानती से तहरीक करे तो जैद ने दगा की लेकिन अगर रुपया हासिल करते वक्त वर्ग नील देना जैद की नीयत में हो और बाद उसके वह अपना मुआहदा तोडडाले और वर्ग नील न दे तो वह दगा नहीं करता है मगर मुआहदा के तोडने की बाबत सिर्फ़ नालिश दीवानी मे मानूज होने के लाइक है ।

(हे) ज़ैद बक्कर को क़स्दन धोका देकर यह बावर कराये कि मेरे और तेरे दर्मियान में जो मुआहद: हुआ था उसकी निस्बत मैंने अपना अहद उफ़ा किया जिसको उसने उफ़ा न किया हो और इस ज़रिये से बक्कर को रुपय देने की बद्दियानती से तहरीक करे तो ज़ैद ने दग़ा की।

(तो) ज़ैद कोई जायदाद बक्कर के हाथ बेचे और उसके नाम मुन्तक़ल करदे और फिर यह जानकर कि बे करने के सबब से उस माल की निस्बत मुझको कुछ इस्तिहक़ाक़ नहीं रहा बग़ैर ज़ाहिर करने इस बात के कि बक्कर के हाथ पहले बे ओ इन्तिक़ाल हो चुका ख़ालिद के हाथ उसी जायदाद को बे या रिहन करे और ख़ालिद से ज़रे बे या ज़रे रिहन ले ले तो ज़ैद ने दग़ा की।

दफ़ः ४१६—अगर कोई शख़्स यह इद्दिआ करने से कि वह कोई और शख़्स है या जान बूझ कर एक शख़्स को किसी दूसरे शख़्सका क़ायम मुक़ाम बनाने से या अपने आप को या किसी दूसरे शख़्स को ऐसा शख़्स ज़ाहिर करने से जो वह ख़ुद या दूसरा शख़्स फ़िलवाक़े न हो दग़ा करे तो कहा जायेगा कि शख़्से मज़कूरने "दूसरा शख़्स बनाने से दग़ा की"। (दूसरा शख़्स बनाने से दग़ा।)

तशरीह—जुर्मे मज़कूर का इर्तिकाब वक़ू में आना समझा जायेगा आम इससे कि वह शख़्स जिसके होने का इद्दिआ हुआ वाक़ई हो या ख़याली।

तम्सीलें।

(अलिफ़) ज़ैद अपने तईं एक अपना हमनाम दौलत मन्द महाजन इद्दिआ करके दग़ा करे तो ज़ैद ने दूसरा शख़्स बनाने से दग़ा की।

(बे) ज़ैद यह इद्दिआ करके दग़ा करे कि मैं बक्कर हूं और बक्कर एक शख़्स मुतवफ़्फ़ा हो तो ज़ैद ने दूसरा शख़्स बनाने से दग़ा की।

दफ़ः ४१७—जो कोई शख़्स दग़ा करे उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद एक बरसतक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी। (दग़ा की सज़ा।)

दफ़ः ४१८—जो कोई शख़्स दग़ा करे इस इल्म से कि उसके ज़रियेसे ऐसे शख़्स को ज़ियाने बेजा पहुंचाने का इहतिमाल है जिसके इस्तिहक़ाक़की हिफ़ाज़त उस मुआमिले में जिसकी निस्बत दग़ा वाक़े (दग़ा इस इल्म से कि उस से ज़ियाने बेजा)

किसी शख़्स को पहुंचे जिसके इस्तिहक़ाक़ की हिफ़ाज़त मुजरिम पर वाजिब है।

हो किसी क़ानून या मुआहदःइ मुताबिक़े क़ानून की रूसे उस पर वाजिब थी तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन बरसतक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

दूसरा शख़्स बनाने से दग़ा करने की सजा।

दफ़ः ४१९—जो कोई शख़्स दूसरा शख़्स बनाने से दग़ा करे उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन बरसतक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

माल के हवाले करने को दग़ा और बद दियानतीसे तहरीक करना।

दफ़ः ४२०—जो कोई शख़्स दग़ा करे और इस के ज़रीये से धोका खाने वाले शख़्स को बददियानती से तहरीक करे कि वह कोई माल किसी शख़्स के हवाले करे या किसी कफ़ालतुल माल के कुल या जुज़ को या किसी शै को जो दस्तख़ती या मुहरी हो और जो कफ़ालतुल माल किये जाने की हैसीयत रखती हो बनाये या तब्दील करे या तलफ़करे तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरसतक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

फ़रेब आमेज़ वसीक़ों और माल को फ़रेब से क़ब्ज़े से अलाहदा करने के बयान में।

क़र्ज़ख़ाहों मे तक़सीम के रोकने के लिये बददियानती या फ़रेब से माल को दूर करना या छुपाना।

दफ़ः ४२१—जो कोई शख़्स बग़ैर लेने काफ़ी एवज़ के कोई माल बददियानती से या फ़रेब से दूर करे या छुपाये या किसी शख़्स के हवाले करे या मुन्तक़ल करे या मुन्तक़ल कराये यह नीयत करके या इस अमर का इहतिमाल जानकर कि उसके ज़रीये से माले मज़कूर उसके क़र्ज़ख़ाहों या किसी शख़्स के क़र्ज़ख़ाहों के दर्मियान में क़ानून के मुताबिक़ तक़सीम होने से रुक जाय तो शख़्स मज़कूरको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दो बरसतक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेगी।

क़र्ज़े को [illegible]

दफ़ः ४२२—जो कोई शख़्स किसी क़र्ज़े या मुतालिबे को जो उसका अपना या किसी दूसरे शख़्स का पाना हो अपने क़र्ज़े या [illegible]

दूसरे शख़्स के क़र्ज़ के अदा होने के लिये क़ानून के मुआफ़िक़ मुयस्सर होने से बददियानती या फरेब से रोके तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी।

को मुअम्मा होने से बददियानती या फरेब से रोकना।

दफ़ः ४२३—जो कोई शख़्स बददियानती या फरेब से किसी ऐसे वसीक़े या नविश्ते पर दस्तख़त करे या उसकी तकमील करे या उसमें शरीक होजाय जिस वसीक़े या नविश्ते का मजमून यह हो कि किसी माल या किसी इस्तिहक़ाक़ का मुतअल्लिक़ उस माल के उसके ज़रीये से इन्तिक़ाल हो या उसमें कोई ख़र्च पड़े और जिसमें कोई झूठ बयान बाबत उस इन्तिक़ाल या ख़र्च के एवज़ के हो या वह झूठ बयान उस शख़्स या उन शख़्सों से तअल्लुक़ रखता हो जिसके या जिनके इस्तिअमाल या नफ़ा के लिये उसका मुअस्सर होना फ़िलवाक़े मक़सूद है तो शख़्स मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

वसीक़ः इस्तिहक़ाक़ की बददियानती या फरेब से तकमील करना जिसमें एवज़ का झूठ बयान लिखा है।

दफ़ः ४२४—जो कोई शख़्स अपना या किसी दूसरे शख़्स का कोई माल बददियानती या फरेब से छुपाये या दूर करे या उसके छुपाने या दूर करने में बददियानती या फरेब से मदद करे या किसी मुतालिबे या दावी से जिसका वह मुस्तहक़ है बददियानती से दस्तबर्दार हो तो शख़्स मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

माल को बददियानती या फरेब से दूर करना या छुपाना।

नुक़सान रसानी के बयान में।[1]

दफ़ः ४२५—जो कोई शख़्स इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि आम्मःइ ख़लाइक़ को या किसी शख़्स को

नुक़सान रसानी।

[1] उन जुर्मों के इत्तिला पहुंचानेकी पाबन्दीके वारे में जो तहते दफ़ा ४३५ या ४३६ क़ाबिले सजा हैं मुलाहज़ा तलब मजमूअः इ ज़ाबित इ फ़ौजदारी सन् १८६८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदर इ सन् १८६८ ई०) की दफ़: ४४ [ऐक्ट हायआम-जिल्द ६]।

ज़ियाने नाजायज़ या मज़र्रत पहुंचाये किसी माल के तलफ़ का या किसी मालकी ऐसी तब्दील या उसकी जगह की ऐसी तब्दील का बाइस हो जिससे उसकी मालीयत या काममें आनेकी क़ाबिलीयत मादूम होजाय या कम होजाय या जो नुक़्सान के साथ उसपर मुअ-स्सर हो तो कहा जायगा कि शख़्से मज़कूर "नुक़्सान रसानी" का मुर्तकिब हुआ।

तशरीह १—जुर्मे नुक़्सान रसानी के मुतहक़्क़िक़ होने के लिये यह जरूर नहीं है कि उस माल के मालिक को जिसे नुक़्सान पहुंचा या जो तलफ़ हुआ ज़ियान या मज़र्रत पहुंचाना मुजरिम की नीयतमें हो बल्कि यह काफ़ी है कि उसकी यह नीयत हो या इस अमर का इहतिमाल उसके इल्म में हो कि किसी मालके नुक़सान पहुंचाने के ज़रीये से किसी शख़्स को ज़ियाने बेजा या मज़र्रत पहुंचाये आम इससे कि वह माल उस शख़्स की मिल्कहो या न हो।

तशरीह २—नुक़्सानरसानी का इर्तिकाब किसी ऐसे फ़ेलके ज़रीयेसे होसक्ताहै जो किसी मालपर असर करे ख़्वाह वह माल उस

उन जुर्मों में जो हस्बे दफ़आत ४२६ ओ ४२७ क़ाबिले सजाहों बाज सूरतों में राज़ीनाम होसक्ता है-मुलाहज तलब मजमूअ इ मजकूर की दफ़ ३४५ दरखुसूस उस नौबते दौराने मुक़द्दम के कि जब अदालत की इजाज़त के बिदून राज़ीनाम· जायज़ नहीं है मुलाहज़ तलब मजमूअ इ मजकूर की दफ इ मजबूर की दफ इ तहती (५)।

दर्बारः सज़ाये ताज़ियान के पजाब के अज़लाये सरहदी और बिलूचिस्तान में बपादाश उन जराइम के जो तहते दफ़आत ४२७ लगायत ४२९ ओ दफ़आत ४३५ ओ ४३६ के काबिले सजाहैं मुलाहज तलब पजाब के सरहदी जराइम के रेगूलेशन सन् १८८७ ई० (न ४ मुसदर इ सन् १८८७ ई०) की दफ़· ८ [मजमूअ इ क़वानीने पजाब मतबूअ इ सन १८८८ ई०-और मजमूअ इ क़वानीने बिलूचिस्तान मतबूअ इ सन् १८९० ई०]-और अपर ब्रह्मा में बपादाश उन जुर्मों के जो तहते दफआत ४३५ ओ ४३६ ओ ४४० के क़ाबिले सज़ा हैं मुलाहज तलब अपरब्रह्मा के आईनो के ऐक्ट सन् १८९८ई० (न १३ मुसदर इ सन् १८९८ ई०) की दफ़ ४ (३)(बे) और ज़मीम· २ [मजमूअ इ क़वानीने ब्रह्मा मतबूअ इ सन् १८९९ई०]।

दरबार इ सज़ा बपादाशे जराइम तहते दफ़आत ४२७ ओ ४२९ ओ ४३५ ओ ४३६ के जिनकी तरक़्क़ीकान पजाब के जिलये सरहदी में या बिलूचिस्तान में बज़रीये [illegible] [illegible] के [illegible] में [illegible] मुलाहज तलब रेगूलेशने मजकूर की दफ़ [illegible]।

शख़्स की मिल्क हो जो इर्तिकाबे फेल करता है ख़ाह उस शख़्स और और शख़्सों की बिल्इश्तिराक़ मिल्कीयत हो ।

तमसीलें ।

(अलिफ़) ज़ैद बकर को ज़ियाने बेजा पहुचाने की नीयत से बक़र के किसी कफ़ालतुल्माल को बिलाइरादः जला दे तो ज़ैद नुक़्सान रसानी का मुर्तिकब हुआ ।

(बे) ज़ैद बक़र को ज़ियाने बेजा पहुचाने की नीयत से उसके बर्फ़ख़ाने में पानी पहुचाये और इस तरह से बर्फ़ पिघलने का बाइस हो तो ज़ैद नुक़्सान रसानी का मुर्तकिबहुआ।

(जीम) ज़ैद दर्यामें बक़र की अगूठी बिलइराद फेंक दे इस नीयत से कि वह उसके ज़रीये से बक़र को ज़ियाने बेजा पहुचाये तो ज़ैद नुक़्सान रसानी का मुर्तकिब हुआ ।

(दाल) ज़ैद यह जानकर कि उसका असबाब बक़र के क़र्ज़े के अदा करने के लिये जो ज़ैद पर आता है कुर्क़ होनेवाला है उस असबाब को तलफ़ कर डाले इस नीयत से कि वह उसके ज़रीये से बकर को उसके क़र्ज़े के वसूल पाने से रोके और इस तरह से बक़र को मज़रत पहुचाये तो ज़ैद नुक़्सान रसानी का मुर्तकिब हुआ ।

(हे) ज़ैद किसी जहाज़ का बीमा कराके बिल इरादः उस जहाज़ की तबाही का बाइसहो इस नीयत से कि वह बीमे वालों को मज़र्रत पहुचाये तो ज़ैद नुक़्सान रसानी का मुर्तकिब हुआ ।

(वाव) ज़ैद किसी जहाज़ की तबाही का बाइस हो इस नीयत से कि बक़र को जिसने उस जहाज़ की क़िफ़ालत पर रुपय क़र्ज़ दियाहो मज़रत पहुचाये तो ज़ैद नुक़्सान रसानी का मुर्तकिब हुआ ।

(ज़े) ज़ैद जो बक़र की शिरकत में किसी घोड़े का मालिक हो उस घोड़े के गोली मारे इस नीयत से कि वह उसके ज़रीये से बक़र को ज़ियाने बेजा पहुचाये तो ज़ैद नुक़्सान रसानी का मुर्तकिब हुआ ।

(हे) ज़ैद बक़र के खेत में मवेशी के घुस जाने का बाइस हो यह नीयत करके और इस अमर का इहतिमाल जानकर कि बक़र की फ़सल को मज़र्रत पहुचाये तो ज़ैद नुक़्सानरसानी का मुर्तकिब हुआ ।

नुक़्सान रसानी की सज़ा ।

दफ़ः४२६—जो कोई शख़्स नुक़्सान रसानी का मुर्तकिब हो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

(बाब १७–उन जुर्मों के बयान में जो माल से मुतअ़ल्लिक़ हैं—दफ़आत ४२७–४३०।)

नुक्सान रसानी के जरीये से पचास रुपये तक मजर्रत पहुचाना।

दफ़ः ४२७—जो कोई शख़्स नुक़्सानरसानी का मुर्तकिब हो और उसके ज़रीये से बकदरे पचास रुपये या जियादः के जियान या मज़र्रत का बाइस हो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

दस रुपये की मालीयत के किसी हैवान को मार डालने या उसके किसी अज़्व को बेकार करने से नुक़सान रसानी।

दफ़ः ४२८—जो कोई शख़्स दस रुपये या ज़ियादःकी मालीयत के किसी हैवान या हैवानों के मार डालने या ज़हर देने या उसके किसी अज़्व को बेकारकरने या उसको बेकार करने के जरीये से नुक़्सानरसानी का मुर्तकिब हो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरसतक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

किसी मालीयत की मवेशीवग़ैर-को या पचास रुपयेकी माली-यत के किसी हैवान को मार डालने या उसके किसी अज़्व को बेकार करने से नुक्सान रसानी।

दफ़ः ४२९—जो कोई शख़्स किसी हाथी या ऊंट या घोड़े या खच्चर या भैंसे या बैल या गाय या बधिया को कितनीही मालियत उसकी हो या पचास रुपये या जियादः की मालियत के किसी दूसरे हैवान को मार डालने या ज़हर देने या उसके अज़्व को बेकार या उसको बेकार करनेके ज़रीये से नुक़्सानरसानी का मुर्तकिब हो तो शख़्से मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद पांच बरसतक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

आबयारी के कामों को नुक्सान पहुंचाने से या बतौरे बेजा पानीका रुख़ फेर देने से नुक्सान रसानी।

दफ़ः ४३०—जो कोई शख़्स किसी ऐसे फ़ेलके इर्तिकाबके जरिये से नुक़्सानरसानी का मुर्तकिब हो जो ऐसे पानी की कमी का बाइस हो या मुर्तकिब जानता हो कि उसके ऐसी कमी के बाइस होने का इहतिमाल है जो ज़राअ़त के कामों के लिये या इन्सान के या ऐसे हैवानों के खाने पीनेके लिये जो मालहै या सफ़ाई के लिये या किसी दस्तकारी के इजराके लिये काममें आताहो तो शख़्से मजकूर को दोनों क़िस्मोंमें से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद पांच बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दीजायेंगी।

दफ़ः४३१—जो कोई शख़्स किसी ऐसे फ़ेल के इर्तिकाब के जरिये से नुक़सान रसानी का मुर्तकिब हो जो किसी शारे आम या पुल या किसी दर्याये क़ाबिले रवानीये मर्कबेतरी को या किसी गुज़राये आबे क़ुदरती या अमली क़ाबिले रवानीये मर्कबेतरी को ऐसा करदे या मुर्तकिब जानता हो कि उसके ऐसे कर देनेका इहतिमाल है कि वह सफर करने या असबाब के लेजाने के लिये गुजर के काबिले न रहे या उसके बेखतर होने में खलल पड़ जाय तो शख़्से मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद पांच बरसतक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

[illegible]

दफ़ः ४३२—जो कोई शख़्स किसी ऐसे फ़ेल के इर्तिकाब के ज़रिये से नुक़्सानरसानी का मुर्तकिब हो जो किसी ऐसे सैलाब फैलने का या किसी आम बदररौ की ऐसी रोक का बाइस हो या जिसको मुजरिम जानता है कि उस फ़ेल के बाइस से ऐसे सैलाब फैलने या ऐसी रोक का इहतिमाल है जिससे नुक़्सान या मजर्रत ज़ुहूर में आये तो शख़्से मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायगी जिसकी मीआद पांच बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

सैलाब फैलाने या बद्ररौ नाम के रोकने से जिनसे मज़र्रत होती है । नुक़्सानरसानी।

दफ़ः ४३३—जो कोई शख़्स किसी लाइट् हाउस या किसी रौशनी को जो निशाने समुन्दरी के तौर पर काम में आती हो या किसी निशाने समुन्दरी या पानी पर तैरने वाले किसी निशान या किसी और शै को जो मर्कबेतरी के चलाने वालों की रहनुमाई के लिये क़ाइम की गई हो तबाह करने या तब्दीले जाय करने के जरीये से या किसी ऐसे फ़ेल के जरीये से जो ऐसे लाइट् हाउस या निशाने समुन्दरी या पानी पर तैरने वाले किसी निशान या उस क़िस्म के किसी और शै को जिसका जिक्र ऊपर हुआ मर्कबेतरी के चलाने वालों की रहनुमाई के लिये किसी क़दर बेकार करदे नुक़्सान रसानीका मुर्तकिबहो तो शख़्से मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजादीजायेगी जिसकी मीआद सातबरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

लाइट् हाउस या निशाने समुन्दरी को तबाह करने या उसकी तब्दीले जायकरने या किसी क़दर बेकार कर देने से नुक्सान रसानी ।

(बाब १७-उन जुर्मों के बयान मे जो माल से मुतअल्लिक़ हैं-दफ़ः ४४१ ।)

मुदाख़लते बेजा मुजरिमानःके बयान में[1]।

मुदाखलते बेजा मुजरिमान. ।

दफ़ः ४४१—जो कोई शख़्स किसी ऐसी जायदादके अन्दर दाख़िलहो जो किसी दूसरे शख़्स के क़ब्ज़े में है इस नीयत से कि किसी जुर्म का इर्तिकाब करे या उस शख़्स की जो जायदादे मज़कूर पर क़ाविज़है तख़वीफ़ तौहीन करे या उसको रञ्जदे—

या उस जायदाद के अन्दर जब्राजन दाख़िल होकर वहां

---

[1] दरवार तअल्लुक़ पिज़ीर होने दफआत ४४१ ओ ४४५ बनिसबते जराइम तहते क़वानीने मुख्तस्सुल ध्मर या मुख्तस्सुल मुक़ाम के मुलाहज़ तलब माक़ब्ल की दफ़.४०–उन जुर्मों के इत्तिला पहुचाने की पाबन्दी के बारे में जो तहते दफआत ४४६ ओ ४५० या दफ़' ४५६ लग़ाइत ४६० के क़ाबिले सज़ा हैं मुलाहज़ तलब मजमूअ इ ज़ाबित इ फ़ौजदारी सन् १८६८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदरःइ सन् १८६८ ई०) की दफ़' ४४ [ऐक्टहाये आम— जिल्द ६]—नीज़ मुलाहज़ तलब (बनिस्बत उन जुर्मों के जो तहते दफ़आत ४४६ या ४५० या ४५७ या ४५८ या ४५६ या ४६० क़ाबिले सज़ा हैं) दफ़ ४५ ।

उन जुर्मों में जो तहते दफ़आत ४४७ ओ ४४८ क़ाबिले सज़ा हो राज़ीनाम. होसक्ता है—मुलाहज़. तलबमजमूअ इ मज़कूर की दफ़. ३४५—दर खुसूस उस नौबते दौराने मुक़द्दम के कि जब अदालत की इजाज़त के बिदून राज़ीनाम. जायज़ नहीं है मुलाहज़' तलब मजमूअ इमज़कूर की दफ.इ मज़बूरकी दफ़ इ तहती (५) ।

दरबारः सज़ाये ताज़ियान बपादाशे जराइम मुसर्रह इ दफ़आत ४४३—४४६ के मुलाहज़. तलब ऐक्टे सज़ाये ताज़ियान सन् १८६४ ई० (नम्बर ६ मुसदर इ सन्१८६४ ई०) की दफआत २ ओ ३ ओ ४ ओ ६ [ऐक्ट हाये आम—जिल्द १]।

दरबार सज़ाये ताज़ियान बपादाशे जराइम क़ाबिले सज़ा तहते दफ़आत४४८-४६० के (पंजाब के अजलाये सरहदी और बिलोचिस्तान मे) मुलाहज़' तलब पंजाबके सरहदी जराइम के रेगूलेशन सन् १८८७ ई० (नम्बर ४ मुसदर इ सन् १८८७ ई० की दफ़ ८ मजमूअ इ क़वानीने पंजाब मतबूअ इ सन् १८८८ ई०—और मजमूअ इ क़वानीने बिलोचिस्तान मतबूअ इ सन् १८६० ई०)—और बपादाशे जराइम क़ाबिले सज़ा तहते दफआत ४५५ ओ ४५८ ओ ४५६ ओ ४६० के अपरबर्मा में मुलाहज़ तलब अपरबर्मा के आईनो के ऐक्ट सन् १८६८ ई० (नम्बर १३ मुसदर इ सन् १८६८ ई०) की दफ़ा ४(३) (ये) और जमीम २ [मजमूअ इ क़वानीने बर्मा मतबूअ इ सन् १८६६ ई०]।

दरबार इ सज़ा बपादाशे जराइम तहते दफ़आत ४४८—४६० के जिनकी तहक़ीक़ात पंजाब के ज़िलाजे सरहदी या बिलोचिस्तान मे बज़रीये कौन्सिले सर्दारान के अमल में आये मुलाहज़ तलब पंजाब के सरहदी जराइम के रेगूलेशन सन् १८८७ ई० (नम्बर ४ मुसदर इ १८८७ ई०) की दफ़ १४

नाजवाजी के साथ ठहरा रहे इस नीयत से कि उसके जरिये से उस शख़्स की तखवीफ या तौहीन करे या उसको रञ्जदे या इस नीयत से कि किसी जुर्मका इर्तिकाव करे—

तो कहा जायगा कि शख़्से मज़कूर "मुदाखलते वेजा मुजरिमानः" का मुर्तकिव हुआ।

दफ़ः ४४२—जो कोई शख़्स किसी ऐसी इमारत या खेमे या मरकवेतरी में जो इन्सान की वूद व वाशके तौर पर काम में आती है या किसी ऐसी इमारतमें जो इवादतगाह या माल की जाये हिफ़ाज़तके लिये काम में आती है दाखिल होने या ठहरे रहने के ज़रीये से मुदाखलते वेजा मुजरिमानः का मुर्तकिव हो तो कहा जायगा कि शख़्से मज़कूर "मुदाखलतेवेजा वखानः" का मुर्तकिव हुआ।

मुदाखलते वेजा वखान।

तशरीह—मुदाखलते वेजा वखानः के मुतहक़्क़िक़ होने के लिये यह काफी है कि मुदाखलते वेजा मुजरिमानः का मुर्तकिव अपने जिस्म का कोई जुज़ दाखिल करे।

दफ़ः ४४३—जो कोई शख़्स मुदाखलतेवेजा वखानःका मुर्तकिवहो यह पेशवन्दी करके कि वह मुदाखलतेवेजा वखानः किसी ऐसे शख़्ससे छुपाये जो मुर्तकिव को उस इमारत या खेमें या मरकवेतरी से जिसमें वह मुदाखलते वेजा कीजाय न आने देने या निकाल देने का इस्तिहक़ाक़ रखता है तो कहा जायगा कि शख़्से मजकूर "मखफी मुदाखलतेवेजा वखानः" का मुर्तकिव हुआ।

मखफी मुदाखलतेवेजा वखान।

दफ़ः ४४४—जो कोई शख़्स आफताव के गुरुव के वाद और तुलू से पहले मखफी मुदाखलतेवेजा वखानः का मुर्तकिव हो तो कहा जायगा कि शख़्से मजकूर "मखफी मुदाखलतेवेजा वखानः वक्त शव" का मुर्तकिव हुआ।

मखफी मुदाखलते वेजा वखान वक्ते शव।

दफ़ः ४४५—वह शख़्स जो मुदाखलतेवेजा वखानः का मुर्तकिव हो "नक़्ववजनी" का मुर्तकिव कहलाया जायगा अगर वह घर या घरके किसी हिस्से में नीचे लिखेहुये छः तरीक़ों में से किसी तरीक़े पर मुदाखलत करे या अगर किसी जुर्म के इर्तिकाव के लिये घर

नक़्ववज़नी।

में या उसके किसी हिस्से में मौजूद होकर या वहां किसी जुर्म का इर्तिकाब करके छः तरीकों मज़कूर में से किसी एक तरीके पर उस मकान से या उस मकान के किसी हिस्से से बाहर निकल आये—याने:—

पहला—अगर वह ऐसे गुज़र से दाखिल हो या बाहर निकले जो खुद उसने या मुदाखलते बेजा बखानः के किसी मुईन ने मुदाखलते बेजा बखानः के इर्तिकाब के लिये बना लिया हो।

दूसरा—अगर वह ऐसे गुजर से दाखिल हो या बाहर निकले जिस्से दाखिल होना इन्सान का किसी और शख़्स के नजदीक सिवाय उसके या जुर्म के किसी मुईन के मक़्सूद न हो या किसी ऐसे गुज़र से जिस तक किसी दीवार या इमारत पर कमन्द लगाने या चढ़ने से पहुंचा हो।

तीसरा—अगर वह किसी ऐसे गुजर से दाखिल हो या बाहर निकले जिसको उसने खुद या मुदाखलते बेजा बखानः के किसी मुईनने मुदाखलते बेजा बखानः के इर्तिकाब के लिये ऐसे वसीलों से खोल लियाहो जिनसे उस गुज़रका खोला जाना साहिबे खानःका मक़्सूद नथा।

चौथा—अगर वह मुदाखलते बेजा बखानः के इर्तिकाब के लिये या मुदाखलते बेजा बखानः के इर्तिकाब के बाद घर से बाहर निकलनेके लिये कोई कुफल खोलकर दाखिलहो या बाहर निकले।

पांचवां—अगर वह जब्रे मुजरिमानः के इस्तिमाल से या हम्ले के इर्तिकाब या हम्ले की धमकी देने से दुखूल या खुरूज करे।

छठा—अगर वह किसी ऐसे गुज़र से दाखिलहो या बाहर निकले जिसको वह जानता हो कि दुखूल या खुरूज के

बाब १७-उन जुर्मों के बयान में जो माल से मुतअल्लिक़ हैं- दफ़ ४४६ ।)

दफ़े के लिये वन्द किया गयाहै और वह खुद उसने या मुदाखलते वेजा वखानःके किसी मुईन ने खोललियाहै।

तशरीह—शागिर्द पेशः वग़ैरः का कोई मकान या कोई इमारत रके शामिल सर्फ़ में हो और जिसके और उस घरके दर्मियान ई पैवस्तः अन्दरूनी आमद ओ रफ़्त हो इस्ते मनूरा इस दफ़ः ह मकान या इमारत घर का हिस्सः है ।

तमसीलें ।

अलिफ़) जैद वक़र के घरकी दीवार में सूराख करने और अपना हाथ उस सूराखके डालने से मुदाखलते वेजा वखान का मुर्तकिब हो तो यह नक़बज़नी है ।

बे) जैद किसी जहाज के अन्दर एक कगूरे की राहसे जो पहाड़ के दर्मियानहो घुस दाखलते वेजा वखान का मुर्तकिव हो तो यह नक़बज़नी है ।

जीम) जैद एक खिड़की की राह से वक़र के घर में दाखिल होने से मुदाखलते वेजा । का मुर्तकिव हो तो यह नक़बज़नी है ।

दाल) जैद एक वन्द दर्वाज़े को खोलकर उसकी राहसे वक़रके घरके अन्दर दाखिल से मुदाखलते वेजा वखान का मुर्तकिब हो तो यह नक़बज़नी है ।

हे) जैद दर्वाज़े के एक सूराख में तार डालने से बिल्ली को उठाकर उस दर्वाज़े से वक़र र में दाखिल होने से मुदाखलते वेजा वखान का मुर्तकिव हो तो यह नक़बज़नी है ।

वाव) जैद वक़र के घर के दर्वाज़े की कुञ्जी जो वक़र के पास से गुम होगई हो पाये उस कुञ्जी से दर्वाज़े का कुफ़ल खोलकर वक़र के घरमें दाखिल होने से मुदाखलतेवेजा न का मुर्तकिव हो तो यह नक़बज़नी है ।

जे) वक़र अपने दर्वाज़े में खड़ा हो और जैद वक़र को मारकर और गिराकर जबरन् : हासिल करे और घर के अन्दर दाखिल होने से मुदाखलते वेजा वखान का मुर्तकिवहो यह नक़बज़नी है ।

(हे) वक़र कि खालिद का दरवान है खालिद के दर्वाज़े में खड़ा है और जैद वक़र को ने की धमकी देने से अपने तअर्रुज़ से बाज रखकर घरमें दाखिल होकर मुदाखलते वेजा ान का मुर्तकिव हो तो यह नक़बज़नी है ।

दफ़ः ४४६—जो कोई शख्स आफताब के गुरूब के बाद और नक़बज़नी तूके क़ब्ल नक़बज़नी का मुर्तकिब हो तो कहा जायगा कि वह वक्ते शब । नक़बज़नी वक़्ते शब " का मुर्तकिब हुआ ।

(बाब १७ उन जुर्मों के बयान में जो माल से मुतअल्लिक हैं—दफ़आत ४४७-४५२।)

मुदाख़लते-वेजामुजरिमानः की सज़ा।

दफ़ः ४४७—जो कोई शख़्स मुदाखलतेवेजा मुजरिमानः का मुर्तकिब हो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन महीने तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़्दार पांचसौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

मुदाख़लते वेजा वख़ानः की सज़ा।

दफ़ः ४४८—जो कोई शख़्स मुदाखलते वेजा वखानः का मुर्तकिब हो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद एक वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़्दार एक हज़ार रुपये तक हो सक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

जुर्मके इर्तिकाब के लिये जिसकी सज़ा मौत है मुदाख़लते वेजा वख़ान।

दफ़ः ४४९—जो कोई शख़्स किसी ऐसे जुर्म के इर्तिकाब के लिये जिसकी पादाश में सज़ाये मौत मुक़र्रर है मुदाखलते वेजा वखानः का मुर्तकिब हो उस शख़्स को हब्स दवाम वउबूरे दर्याय-शोर या क़ैद सख़्त की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस वरस से ज़ियादः नहो और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

जुर्म के इर्तिकाब के लिये जिसकी सज़ा हब्से दवाम वउबूरे दर्याय शोर है मुदाख़लते वेजा वख़ान.।

दफ़ः ४५०—जो कोई शख़्स किसी ऐसे जुर्मके इर्तिकाबके लिये जिसकी पादाशमें हब्से दवाम वउबूरे दर्याये शोर की सज़ा मुक़र्रर है मुदाखलते वेजा वखानः का मुर्तकिब हो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस वरस से ज़ियादः नहो और यह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

जुर्म के इर्तिकाब के लिये जिसकी सज़ाक़ैद है। मुदाख़लते वेजा वख़ान.।

दफ़ः ४५१—जो कोई शख़्स किसी ऐसे जुर्म के इर्तिकाब के लिये जिसकी पादाश में सजाये क़ैद मुक़र्रर है मुदाखलते वेजा वखानः का मुर्तकिब हो उस शख़्स को दोनों किस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा और अगर वह जुर्म जिसका इर्तिकाब नीयत में है सर्क़ः हो तो क़ैद की मीआद सात वरस तक हो सक्ती है।

ज़रर पहु-चाने या

दफ़ः ४५२—जो कोई शख़्स किसी शख़्स को ज़रर पहुंचाने या किसी शख़्स पर हम्लः करने या किसी शख़्स की मुज़ाहमते वेजा

करने के लिये या किसी शख़्स को ज़रर या हम्लः या मुजाहमतेबेजा की तख़्वीफ़ करनेके लिये तय्यारी करके मुदाख़लते बेजा बख़ानः का मुर्तकिबहो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मानेका भी मुस्तौजिब होगा।

हमल करने या मुजाहमतेबेजा करने की तय्यारी के बाद मुदाख़लतेबेजा बख़ान।

दफ़ः ४५३—जो कोई शख़्स मख़फ़ी मुदाख़लते बेजा बख़ानः या नक़बज़नी का मुर्तकिब हो उसको दोनों क़िस्मों मेंसे किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

मख़फ़ी मुदाख़लते बेजा बख़ान या नक़बज़नी की सज़ा।

दफ़ः ४५४—जो कोई शख़्स किसी ऐसे जुर्म के इर्तिकाब के लिये जिसकी पादाशमें सजाये क़ैद मुक़र्ररहै मख़फी मुदाख़लते बेजा बख़ानः या नक़बज़नी का मुर्तकिबहो उस शख़्सको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा और अगर वह जुर्म जिसका इर्तिकाब नीयत में है सर्क़ः हो तो क़ैदकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है।

जुर्म के इर्तिकाब के लिये जिसकी सज़ा क़ैद है मख़फ़ीमुदाख़लते बेजा बख़ानः या नक़बज़नी।

दफ़ः४५५—जो कोई शख़्स किसी शख़्सको ज़रर पहुंचाने या किसी शख़्स पर हम्लः करने या किसी शख़्स की मुज़ाहमते बेजा करने की या किसी शख़्स को जरर या हम्लः या मुज़ाहमते बेजाकी तख़्वीफ़ करने की तय्यारी करके मख़फी मुदाख़लते बेजा बख़ानः या नक़बज़नी का मुर्तकिब हो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

ज़ररपहुंचाने या हमल करने या मुजाहमते बेजा करने की तय्यारी करने के बाद मख़फ़ी मुदाख़लते बेजा बख़ान या नक़बज़नी।

दफ़ः ४५६—जो कोई शख़्स मख़फी मुदाख़लते बेजा बख़ानः वक़्ते शब या नक़बज़नी वक़्ते शब का मुर्तकिब हो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

मख़फ़ी मुदाख़लते बेजा बख़ान. या नक़बज़नी वक़्ते शब की सज़ा।

दफ़ः ४५७—जो कोई शख़्स जिसको ऐसे जुर्म के इर्तिकाबके

जुर्म के इर्ति-

काब के लिये जिसकी सजा क़ैद है मखफी मुदाखलते बेजा बखान या नक़बजनी वक़्ते शब।

लिये जिसकी पादाशमें सजाये क़ैद मुक़र्ररहै मखफी मुदाखलते बेजा बखानः वक़्ते शब या नक़बज़नी वक़्ते शब का मुर्तकिबहो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैदकी सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद पांच बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा और अगर वह जुर्म जिसका इर्तिकाब नीयत में है सर्क़ः हो तो क़ैदकी मीआद चौदःबरस तक होसक्ती है।

जरर पहुचाने या हम्ल करने या मुजाहमते बेजा करने की तैयारी के बाद मख़फी मुदाख़लते बेजा बखान या नक़बजनी वक़्तेशब।

दफ़ः ४५८—जो कोई शख़्स किसी शख़्स को जरर पहुंचाने या किसी शख़्स पर हम्लः करने या किसी शख़्स की मुजाहमतेबेजा करने की तय्यारी या किसी शख़्स को ज़रर या हम्ले या मुजाहमते बेजा की तख़वीफ करने की तैयारी करके मखफी मुदाखलते बेजा बखानः वक़्ते शब या नक़बजनी वक़्ते शब का मुर्तकिब हो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सजा दीजायगी जिसकी मीआद चौदःबरस तक होसक्ती है और वह जुर्मानेका भी मुस्तौजिब होगा।

मख़फी मुदाख़लते बेजा बख़ान या नक़बजनी के इर्तिकाब की हालतमें जरर शदीद पहुचाना।

दफ़ः ४५९—जो कोई शख़्स मखफी मुदाखलते बेजा बखानः या नक़बजनी के इर्तिकाब की हालत में किसी शख़्स को ज़ररे शदीद पहुंचाये या किसी शख़्स को हलाकत या ज़ररे शदीद पहुंचाने का इक़्दाम करे तो उसको हब्से दवाम बउबूरे दर्याये शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सजा दीजायगी जिसकी मीआद दसबरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने भी मुस्तौजिब होगा।

मखफी मुदाखलते बेजा बखान या नक़बजनी वक़्ते शब में कुल शुरका मुस्तौजिब सजा है जबकि हलाकत या जररे शदीद का उनमें से कोई बाइस हो।

दफ़ः ४६०—अगर मखफी मुदाखलते बेजा बखानःवक़्ते शब या नक़बज़नी वक़्त शबके इर्तिकाबके वक़्त कोई शख़्स जोजुर्म मज़कूर का मुजरिमहै बिल इरादः किसी शख़्स को हलाकत या जररे शदीद पहुंचाये या पहुंचाने का इक़्दाम करे तो हरएक शख़्स को जो उस मखफी मुदाखलते बेजा बखानः वक़्ते शबे या नक़बजनीये वक़्ते शबके इर्तिकाब में शरीकहो हब्से दवाम बउबूरे दर्याये शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

दफ़ः४६१—जो कोई शख़्स बददियानती से या नुक़्सान

रसानी के इर्तिकाब की नीयत से किसी बन्द किये हुये ज़र्फ़ को तोड़कर खोले या उसका बन्द खोले तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्मानेकी सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

तोड़कर बद दियानती से खोलना जिसमे माल है

दफ़ः ४६२—अगर कोई शख़्स जिसको कोई बन्द किया हुआ ज़र्फ़ अमानतन सपुर्द हो जिसमें कुछ माल हो या जिसमें माल का होना वह बावर करता हो बददियानती से या नुक़्सानरसानी के इर्तिकाब की नीयत से बग़ैर इसके कि उसके खोलने की उसको इजाज़त हो उस ज़र्फ़ को तोड़कर खोले या उसका बन्द खोले तो शख़्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

उसी जुर्म की सज़ा जबकि मुहाफ़िज़ मुर्तकिब हो।

बाब १८॥

उन जुर्मों के बयान में जो दस्तावेज़ों[1] और हिर्फ़े या मिल्कीयत के निशानों से मुतअल्लिक़ हैं।

दफ़ः ४६३—जो कोई शख़्स कोई झूठ दस्तावेज या उसका कोई जुज़ इस नीयत से बनाये कि आम्मःइ ख़लाइक़ या किसी शख़्स को मज़र्रत या नुक़्सान पहुंचाये या किसी दावी या इस्तिहक़ाक़ की ताईद करे या किसी शख़्ससे कोई माल अलाहिदःकराये या

जालसाज़ी।

---

१ दरबार इख़्तियार दरख़ुसूस इर्जा इस्तिग़ासात तहते दफ़ ४६३या४७१या४७५या ४७६ के मुलाहज़ तलब मजमूअ़ इ ज़ाबित इ फ़ौजदारी सन १८६८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदर इ सन१८६८ई० की दफ़ १६५ दफ़ इ तहती (१) जिमन् (जीम) [ऐक्टहाय आम-जिल्द६]।

दरबार- ज़ाबित इ कार्रवाई के जराइम मुसर्रह इ दफ़ ४६३ या ४७१ या ४७४ या ४७५ या ४७६ या ४७७ की सूरत में मुलाहज़ तलब मजमूअ़ इ ज़ाबित इ दीवानी सन १८८२ ई० (ऐक्ट १४ मुसदर इ सन १८८२ ई०) की दफ़ ६४२ [ऐक्टहाय आम-जिल्द ४]।

दरबार सज़ाये ताज़ियान बपादाशे जराइम मुसर्रह इ दफ़ ४६३ औ दफ़आत४६६—४६६ के—मुलाहज़ तलब ऐक्ट सज़ाये ताज़ियान सन १८६४ ई० (नम्बर ६ मुसदर इ सन १८६४ ई०) की दफ़आत ४ औ ६ [ऐक्टहाय आम- जिल्द ५]।

गुमान कराये कि वह बक्र की ज़मानत रखता है और उसके जरीये से हुंडी की मिती काट कर पटा ले इस लिये जैद जालसाजी का मुजरिम है।

(बाव) बक्र के वसीयत नामे में यह इबारत हो—कि "मैं हिदायत करता हूं कि मेरी जायदाद में से तमाम बाक़ीमादः जायदाद जैद औ अमर औ खालिद के दर्मियान में बराबर तक़सीम की जाय" जैद बददियानती से अमर का नाम छील डाले यह नीयत करके कि यह बावर कर लिया जाय कि वह तमाम जायदाद उसके और खालिद के वास्ते है तो जैद जालसाजी का मुर्तकिब हुआ।

(जे) जैद किसी गवर्नमेन्ट प्रामिसरी नोट पर इबारते जुहरी लिखे और उस पर यह इबारत लिखने से कि "बक्र को या उसे जिसको वह हुक्म दे जरे बिल दिया जाय" और उस इबारते ज़ुहरी पर दस्तखत करने से बक्र को या उसे जिसको वह हुक्म दे बिल का रुपय: वाजिबुल अदा करदे और खालिद यह इबारत कि "बक्र को या उसे जिसको वह हुक्म दे रुपय: दिया जाय" बददियानती से छील डाले और उसके जरिये से ऐसी खास इबारते ज़ुहरी को इबारते ज़ुहरी बिला नाम की करदे तो खालिद जालसाजी का मुर्तकिब है।

(हे) जैद कोई मिल्कीयत बक्र के हाथ बेचे और उसके नाम मुन्तकिल करदे और बाद इसके इस गरज़ से कि बक्र को उसकी मिल्कीयत से अज़राहे फ़रेब महरूम करे उस मिल्कीयत का इन्तिक़ालनाम खालिद के नाम मुरत्तब करदे जिसकी तारीख तहरीर बक्र के नाम इन्तिक़ाल किये जाने की तारीख तहरीर से छ महीने पहले की हो यह नीयत करके कि यह बात बावर कर लीजाय कि जैद उस मिल्कीयत को बक्र के नाम मुन्तकिल करने से पहिले खालिद के नाम मुन्तकिल कर चुका था तो जैद जालसाजी का मुर्तकिब हुआ।

(तो) बक्र जैद को अपना वसीयत नाम लिखने के लिये जबानी इबारत बताई जाय और जैद उस मूसालहु के नाम के एवज जो बक्रने बताया है किसी दूसरे मूसालहु का नाम लिखदे और जैद बक्र से यह बयान करके कि तुम्हारी हिदायतों के मुताबिक मैंने वसीयत नाम तैयार किया है बक्र को उस वसीयत नामे पर दस्तखत करने की तहरीक करे तो जैद जालसाज़ी का मुर्तकिब है।

(य) जैद एक चिट्ठी लिखकर बिला इजाज़त बक्र के उस पर बक्र के दस्तखत करले और उसमें इस बात का इज़हार हो कि जैद नेकचलन है और नागहानी आफ़त के सबब से तंग हाल है यह नीयत करके कि उस चिट्ठी के जरीये से खालिद और दूसरे शख्सों से ख़ैरात हासिल करे इस सूरत में चूंकि जैदने इस गरज से एक झूठी दस्तावेज़ बनाई कि खालिद को माल अलाहिद करने की तहरीक करे इस लिये जैद जालसाज़ी का मुर्तकिब हुआ।

(बाब १८--उन जुर्मों के बयान में जो दस्तावेज़ो और हिर्फ़े या मिल्कीयत के निशानों से मुतअ़ल्लिक है -दफ़ ४६४।)

खालिद को जाली सर्टिफ़िकेट के ज़रीये से धोका देने की नीयत की और उसके ज़रीये से खालिद को नौकरी की बाबत एक मुआहद इ लफ़्ज़ी या मानवी करने की तहरीक की।

तश्रीह १--आदमी का खुद अपने नाम को दस्तखत करना जालसाजी की हद तक पहुंच सक्ता है।

तमसीलें।

(अलिफ़) जैद किसी हुडी पर अपना नाम दस्तख़त करे यह नीयत करके कि यह बात बावर करलीजाय कि उस हुडी को किसी दूसरे शख्स उसके हमनाम ने लिखा है तो जैद जालसाज़ी का मुर्तकिब है।

(बे) जैद लफ्ज़ "सिकारी" किसी पर्चे पर लिखे और उस पर बक़र का नाम दस्तख़त करदे इस लिये कि ख़ालिद आख़ीर को उसी काग़जपर एक हुडी अपनी तरफ़ से बक़र के ऊपर लिखे और उसको बक़र की सिकारी हुई हुडी के तौर पर बेच डाले तो जैद जालसाज़ी का मुजरिम है--और अगर ख़ालिद यह अमर वाक़ई जानकर जैद की नीयत के मुताबिक़ हुंडी उस कागज़ पर लिखे तो ख़ालिद भी जालसाज़ी का मुजरिमहै।

(जीम) जैद कोई पड़ी हुई हुडी जिसका रुपय जैद के हमनाम किसी दूसरे शख्स के हुक्म से वाजिबुलअदा हो उठाले और उस पर इबारते ज़हरी अपने नाम पर लिखदे यह नीयत करके कि उससे यह बावर करलिया जाय कि इबारत ज़हरी उसी शख्स ने लिखी है जिसके हुक्म के मुताबिक़ रुपय वाजिबुलअदा है तो इस सूरत में जैद जालसाज़ी का मुर्तकिब हुआ।

(दाल) जैद कोई मिल्कीयत ख़रीदे जो किसी डिक्री की तामील में कि बक़र पर हुई है नीलामहो और बक़र उस मिल्कीयत की जब्ती के बाद ख़ालिद से साज़िश करके ख़ालिद को किसी फ़र्ज़ी लगान पर मुद्दते दराज के वास्ते उस मिल्कीयत का ठेका दे और उस ठेके की कोई तारीख़ लिखे जो जब्ती की तारीख़ से छ महीने पहले की हो इस नीयत से कि जैद को मिल्कीयत से अज़राहे फ़रेब महरूम करे और यह बावर कराये कि ठेक जब्ती से पहले दिया गया है--इस सूरत में अगर्चि बक़र ने वह ठेक अपने नाम से लिखा है ताहम मुतक़द्दम तारीख़ लिखने के बाइस से वह जालसाज़ी का मुर्तकिब है।

(हे) जैद एक साहूकार दिवाला निकालने की पेशबन्दी करके अपने फ़ाइदे के लिये कोई माल ओ मता बक़र के पास रखदे और अपने क़र्ज़ख़ाहों को ठगने की नीयत से और मुआमले की साख जमाने की ग़रज़ से एक तमस्सुक लिखदे कि मुझको बक़र का इसक़दर रुपय उस मालियते मौहूल की बाबत देना वाजिब है और उस तमस्सुक में तारीखे मुतक़द्दम लिखदे इस नीयत से कि यह बावर किया जाय कि वह उससे पहले लिखा गया है कि जैद दिवाला

(वाव १८-उन जुर्मों के वयान में जो दस्तावेज़ों और हिर्फे या मिल्कीयत के निशानों से मुतअल्लिक़ हैं--दफ़आत ४६५--४६६ ।)

निकालने को था तो जैद जालसाजी की तारीफ़ की पहली जिम्न के मुवाफ़िक़ जालसाजी का मुर्तकिव हुआ ।

तशरीह २—किसी झूठी दस्तावेज़ का किसी फर्जी शख़्स के नाम से वनाना इस नीयत से कि यह वात वावर की जाय कि वह दस्तावेज़ किसी वाक़ई शख़्स ने बनाई है या उसका किसी मुतवफ़्फ़ा शख़्स के नाम से वनाना यह नीयत करके कि वावर किया जाय कि वह दस्तावेज़ उस शख़्स ने अपने हीनेहयात बनाई है जालसाज़ी की हद तक पहुंच सक्ता है ।

तमसील ।

जैद कोई हुंडी किसी फर्जी शख़्स के ऊपर लिखे और फरेव से उस फ़र्जी शख़्स के नाम से उस हुंडी को सिकारे इस नीयत से कि उसको वेच डाले तो जैद जालसाजी का मुर्तकिव है।

जालसाज़ी की सजा ।

दफ़ः ४६५—जो कोई शख़्स जालसाजी का मुर्तकिव हो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

कोर्ट के कागजे सररिश्त या आम रेजिस्टर वगैर को जाली वनाना ।

दफ़ः ४६६—जो कोई शख़्स कोई जाली दस्तावेज़ वनाये जो इसकी मुक़्तज़ी हो कि वह किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस का कागजे सररिश्तः या कागजे मिस्ल है या विलादत या इस्तिवाग या इज़्दिवाज या तदफ़ीन का रेजिस्टर है या कोई रेजिस्टर है जिसको कोई सर्कारी मुलाजिम अपनी मुलाजिमी की हैसियत से मुरत्तव करता है या कोई सर्टीफ़िकट या दस्तावेज़ वनाये जो इसकी मुक़्तज़ी है कि वह किसी सर्कारी मुलाजिम ने अपने उहदे की हैसियत से मुरत्तव की है या किसी मुक़द्दमे के दाइर करने या उसकी जवाबदिही करने या उसमें किसी तरह की पैरवी करने या इक़्वाले दावा दाखिल करने के लिये इजाजतनामः है या वह मुख़्तारनामः है तो शख़्से मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

(बाब १८-उन जुर्मों के बयान में जो दस्तावेज़ों और हिर्फ़े या मिल्कीयत के निशानों से मुतअल्लिक़ हैं-दफ़आत ४६७-४७१।)

दफ़ः ४६७—जो कोई शख़्स कोई जाली दस्तावेज़ बनाये जो इसकी मुक़्तज़ी हो कि वह किफ़ालतुलमाल या वसीयतनामः या मुतबन्ना करने का इजाज़तनामः है या इसकी मुक़्तज़ी हो कि उससे किसी शख़्स को किसी किफ़ालतुलमाल के बनाने या मुन्तक़िल करने या असल या सूद या सूद के हिस्सों को तहवील में लाने या रुपये या माले मन्क़ूलः या किफ़ालतुलमाल के तहवील में लाने या हवाले करने की इजाज़त है या कोई दस्तावेज जाली बनाये जो इसकी मुक़्तज़ी हो कि फ़ारिग़ख़ती या क़ब्ज़ुलवसूल है जिसमें रुपये के वसूल होने का इक़रार है या किसी मालेमन्क़ूलः या किफ़ालतुलमाल के हवाले किये जाने की फ़ारिग़ख़ती या क़ब्ज़ुलवसूल है तो शख़्से मज़कूर को हब्से दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

किफ़ालतुल-माल या वसीअतनाम वग़ैर का जाली बनाना।

दफ़ः ४६८—जो कोई शख़्स जालसाज़ी का मुर्तकिब हो यह नीयत करके कि दस्तावेज़े जाली दग़ा देने के लिये काम में लाई जायगी उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

दग़ा के लिये जालसाज़ी।

दफ़ः ४६९—जो कोई शख़्स जालसाज़ी का मुर्तकिब हो यह नीयत करके कि दस्तावेज़े जाली किसी फ़रीक़ की नेकनामी को गज़न्द पहुंचाये या यह जानकर कि उसके इस काम में लाये जाने का इहतिमाल है तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

नेकनामी को गज़न्द पहुचाने के लिये जाल-साज़ी।

दफ़ः ४७०—जो झूठी दस्तावेज़ कुल्लन् या जुज़अन जालसाज़ी से मुरत्तब की जाय वह "जाली दस्तावेज" कहलाई जायगी।

जाली दस्ता-वेज़।

दफ़ः ४७१ जो कोई शख़्स किसी दस्तावेज को जिसको वह जानता या बावर करने की वजः रखता हो कि वह जाली दस्तावेज है

जाली दस्ता-वेज़ों का

(बाब १८--उन जुर्मों के बयान मे जो दस्तावेजों और हर्फ़ें या मिल्कीयत के निशानो से मुतअल्लिक़ हैं-दफ़आत ४७२-४७४।)

असली दस्तावेज की हैसीयत से काम में लाना।

वहैसीयत असली दस्तावेज़ के फ़रेब से या वददियानती से काम में लाये तो उस शख़्स को उसी तरह सज़ा दी जायगी कि गोया उसने उस दस्तावेज़ को जाली वनाया।

जालसाज़ी के इर्तिकाव की नीयत से जो दफ़ ४६७की रूसे मुस्तौजिवे सज़ा है मुल्तवस मुहर वग़ैर· वनाना या पासरखना।

दफ़ः ४७२—जो कोई शख़्स कोई मुहर या कन्दःकी हुई धात की तख़्ती या नक़ूश करने का कोई और आलः वनाये या उसकी तल्वीस करे यह नीयत करके कि वह किसी ऐसी जालसाज़ी के इर्तिकाव के लिये काम में आये जिसकी पादाश में इस मजमूए की दफ़ः ४६७ की रूसे सज़ा मुक़र्रर है या उसी नीयतसे कोई ऐसी मुहर या कन्दः की हुई धात की तख़्ती या कोई और आलः अपने पास रखता हो यह जानकर कि वह मुल्तवस है तो उस शख़्स को हब्से दवाम वउबूरे दर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा।

जालसाज़ी के इर्तिकाव की नीयतसेजिसकी दूसरी सज़ा मुक़र्रर है मुल्तवस मुहर वग़ैर वनाना या पास रखना।

दफ़ः ४७३—जो कोई शख़्स कोई मुहर या कन्दःकी हुई धात की तख़्ती या नक़ूश करने का कोई और आलः वनाये या उसकी तल्वीस करे यह नीयत करके कि वह किसी ऐसी जालसाज़ी के इर्तिकाव के लिये काम में आये जिसकी पादाश में इस वाव की दफ़ः ४६७ के सिवा किसी और दफ़ःकी रूसे सज़ा दी जासक्ती है या उसी नीयत से कोई मुहर या कन्दःकीहुई धात की तख़्ती या कोई और आलः जिसको वह मुल्तवस जानता है अपने पास रखता हो तो शख़्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा।

दस्तावेज़ मज़कूरइ दफ़ ४६६ या ४६७ को जाली जानकर और वहैसीयते

दफ़ः ४७४—जो कोई शख़्स कोई दस्तावेज़ अपने पास रखे यह जानकर कि वह जाली है और यह नीयत करके कि वह वहैसीयत असली दस्तावेज़ के फरेव से या वददियानती से काम में लाई जाय तो अगर वह दस्तावेज उस क़िस्मकी दस्तावेज है जिसका ज़िक्र इस मजमूए की दफ़ः ४६६ में है तो शख़्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से

(बाव १८—उन जुर्मो के वयान में जो दस्तावेजों और हिर्फ़े या मिल्कीयत के निशानों से मुतअल्लिक़ हैं—दफ़आत ४७५–४७७ ।)

किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा और अगर वह दस्तावेज़ उस क़िस्म की दस्तावेज है जिसका ज़िक्र दफ़ः ४६७ में है तो हब्से दवाम वउबूरे दर्यायशोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

असली काम में लाने की नीयत से पास रखना ।

दफ़ः ४७५—जो कोई शख़्स किसी माद्दे के जिर्म पर या जिर्म में किसी ऐसी अलामत या निशान की तल्वीस करे जो किसी ऐसी दस्तावेज की तस्दीक़के काममें आती हो जिसका वयान इस मजमूए की दफ़ः ४६७ में हुआ है यह नीयत करके कि वह अलामत या निशान इस काम में आये कि जो दस्तावेज उस माद्दे पर विल्फ़ेल जाली वनचुकी या आइन्दः जाली वनाये जाने को है उसके असली दस्तावेज होने की नुमाइश करे या उसी नीयत से कोई ऐसा माद्दःअपने पास रखे जिसके जुर्म पर या जुर्म में उस अलामत या निशान की तल्वीस की गई है तो उस शख़्स को हब्से दवाम वउबूरे दर्यायशोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सजा दीजायगी जिसकी मीआद सात वरसतक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

अलामत या निशान की तल्वीस जो दस्तावेज मज़कूर इ दफ़ ४६७ की तस्दीक़ के लिये काम में आये या मुलव्वस निशान किये हुये माद्दे को पास रखना ।

दफ़ः ४७६—जो कोई शख़्स किसी माद्देके जिर्म पर या जिर्ममें किसी ऐसी अलामत या निशानकी तल्वीस करे जो किसी ऐसी दस्तावेज़ की तस्दीक़ करने के काम में आतीहो जो उन दस्तावेजों में से न हो जिनका वयान इस मजमूए की दफ़ः ४६७ में हुआ है यह नीयत करके कि वह अलामत या निशान इस काम में आये कि जो दस्तावेज इस माद्दे पर विलफेल जाली वनाई गई है या आइन्दः जाली वनाई जाने को है उसके असली दस्तावेज होने की नुमाइश करे या जो कोई शख़्स ऐसी नीयत से कोई माद्दःअपने पास रखताहो जिसके जुर्म पर या जुर्म में किसी ऐसी अलामत या निशान की तल्वीस की गई है तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

अलामत या निशान की तल्वीस जो दस्तावेजों के सिवाय दस्तावेजाते मज़कूर इ दफ़ ४६७ की तस्दीक़ के काम में आये या मुलव्वस निशान किये हुये माद्दे का पास रखना ।

(वाब १८—उनजुर्मों के बयान मे जो दस्तावेजों और हिर्फ़े या मिल्कीयत के निशानो से मुतअल्लिक हैं—दफ. ४७७ (अलिफ़) ।)

वसीयत नामे या मुतवन्ना करने के इजाज़त नामे या क़िफ़ालतुल माल पर फ़रेब से खते नसूख खींचना या उसका तलफ़ करना वग़ैरः।

दफ़ः ४७७—जो कोई शख़्स फ़रेब से या बददियानती से या इस नीयत से कि वह आम्मः ख़लाइक़ को या किसी शख़्स को मज़र्रत या नुक़्सान पहुंचाये किसी ऐसी दस्तावेज़पर खते नस्ख खींचे या उसको तल्फ़ करे या बिगाड़ दे या उसपर खते नस्ख खींचने या उसके तल्फ़ करने या बिगाड़ देने का इक़दाम करे या उसको छुपाये या उसके छुपाने का इक़्दाम करे जो वसीयत नामः या मुतवन्ना करने का इजाज़त नामः या कोई किफ़ालतुलमाल हो या होने की मुद्दअतजीहो या ऐसी दस्तावेज़ की निस्बत नुक़्सानरसानी का मुर्तकिब हो तो उस शख़्स को हब्स दवाम बउबूरे दर्यायशोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

हिसाब झूठा बनाना।

दफ़ः ४७७(अलिफ)[1]-जो कोई शख़्स मुतसद्दी या अहलेकार या नौकर होकर या मुतसद्दी या अहलेकार या नौकर की हैसीयत से माक़ूर या कारगुज़ार होकर—अमदन् और फ़रेब देने की नीयत से कोई बही या काग़ज़ या तहरीर या किफालतुलमाल या हिसाब जो उसके आका का है या उसके आका के पास है या जो उसने अपने आका के लिये या अपने आका की तरफ से पाया हो तलफ करे या बदले या उसमें काट कूट करे या उसको झूठा बनाये—या अमदन् और फरेब देने की नीयत से किसी वैसी बही या कागज या तहरीर या किफालतुलमाल या हिसाब में कोई झूठा दाख़िलःमुन्दर्ज करे या उसके करने में इआनत करे या वही या कागज़ या तहरीर या किफाल-तुलमाल या हिसाबे मज़कूर से कोई ज़ुरूरी बात निकाल दे या उसमें किसी ज़ुरूरी बात को बदल दे या निकाल देने या बदल देनेमें इआनत करे तो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

तशरीह—इस दफ़ः के मुतअल्लिक़ किसी इल्ज़ाम में बग़ैर

[1] दफ़ ४७७ (अलिफ़) फ़ौजदारी क़ानून के तरमीम करने वाले ऐक्ट १८९५ [illegible] (न २ मुन्दर्ज सन १८९५ ई०) की रू [illegible] के ज़रिये से इज़ाफ़ा [illegible] नाम आम-जिल्द ६]।

बताये नाम किसी खास शख़्स के जिसको फरेब देना मक़सूद हो या बग़ैर तसरीह किसी खास मुवालिगे ज़र के जिसका गाइःइ फरेब होना मक़सूद हो या बग़ैर तसरीह किसी खास दिनके जिस दिन कि जुर्म का इर्तिकाब हुआ हो फरेब देने की आम नीयतका बयान करना काफ़ी होगा।

हिर्फ़े और मिल्कीयत के और दूसरे निशानों के बयान में।[1]

दफ़ः ४७८—जो निशान इस अमर के जाहिर करने के लिये काम में लाया जाय कि यह असबाब फ़ुलां शख़्से खासका सनाअत कियाहुआ या तिजारती है तो वह निशान निशाने हिर्फ़ः कहलायेगा।

(निशानेहिर्फः।)

और इस मजमूअे की ग़रजों के लिये "निशाने हिर्फ़ः" के लफ़्ज़ में हर ऐसा निशाने हिर्फ़ दाखिल है जिसकी रेजिस्टरी हिर्फ़े के निशानों की ऐसी वही में हुई हो जो नम्बरों और इख़्तिराओं और हिर्फ़े के निशानों के ऐक्ट मुसद्दरःइ सन् १८८३ ई० की रूसे रखीजाती है—और हर ऐसा निशाने हिर्फ़ः भी दाखिल है जिसकी या तो रेजिस्टरी करके या बिदूनं रेजिस्टरी के किसी ऐसे मक़बूजाते बृतानी या रियासते ग़ैर में बज़रीयः क़ानून के हिफाजत की गई हो जहां नमूनों और इख़्तिराओं और हिर्फ़ों के निशानों के ऐक्ट मुसदरःइ सन् १८८३ ई० की दफ़ः एकसौ तीन के अहकाम इजला से कौन्सिल के हुक्म से वर वक़्त तअल्लुक़ पिजीर रहें।

(स्टाट्यूट मजरीय: सन् ४६ ओ ४७ जुलूसे मलक: विक्टोरिया—बाब ५७।)

---

[1] दफ़आत ४७८ लगायत ४८९ साबिक़ दफ़आत की जगह हिन्दके सौदागरीके मालके निशानों के ऐक्ट सन् १८८९ ई० (न० ४ मुसदर इ सन १८८९ ई०) की दफ़ः ३ के जरीये से काइम कीगई [ऐक्ट हाय आम-जिल्द ५]।

इन दफ़आत के तहत में जवाब या इर्जाअे नालिश और हद्दे समाअते नालिशात के खर्चे के बारे में मुलाहज तलब उसी ऐक्ट की दफ़आत १४ ओ १५।

दफ़आत ४८०—४८२ या दफ़ ४८५ की बिला इराद खिलाफ़ वर्जी के बारे में मुलाहज तलब उसी ऐक्ट की दफ़ ८।

माल की जब्ती बहालत खिलाफ़ वर्जी दफ़ ४८२ या दफ़आत ४८६—४८८ के बारे मे मुलाहज तलब उसी ऐक्ट की दफ़ ६।

(बाब १८—उन जुर्मों के बयान में जो दस्तावेज़ों और हिर्फ़ें या मिल्कीयत के निशानों से मुतअल्लिक हैं—दफ़आत ४७९–४८३ ।)

निशाने मिल्कीयत ।

दफ़ः ४७९—जो निशान इस अमर के ज़ाहिर करने के लिये काम में लाया जाय कि यह माले मन्कूलः किसी शख़्से खास की मिल्क है तो वह निशाने मिल्कीयत कहलायेगा ।

झूठे निशाने हिर्फ़ का काम मे लाना ।

दफ़ः ४८०—जो कोई शख़्स किसी असबाब पर या किसी सन्दूक या गठरी या किसी और ज़र्फ पर जिसमें असबाब हो निशान बनाये या किसी सन्दूक या गठरी या और ज़र्फ को किसी निशानके साथ जो उस पर रहे काम में लाये उस तरह पर जिस्से बवजहे माकूल यह बावर कराया जासके कि वह असबाब जिसपर निशान है या कोई असबाब जो ऐसे सन्दूक या गठरी या ज़र्फ में है जिसपर निशान है किसी ऐसे शख़्स का सनाअत किया हुआ या तिजारती है जिसका वह सनाअत किया हुआ या तिजारती न हो तो कहा जायगा कि शख़्से मज़कूर झूठा निशाने हिर्फ़ः काम में लाया ।

झूठे निशाने मिल्कीयत का काम में लाना ।

दफ़ः ४८१—जो कोई शख़्स किसी माले मन्कूलः या असबाब पर या किसी सन्दूक या गठरी या किसी और ज़र्फपर जिसमें माले मन्कूलः या असबाब हो निशान बनाये या कोई सन्दूक या गठरी या कोई और ज़र्फ पर जिसपर निशानहो काम में लाये इस तरह पर जिससे बवजहे माकूल यह बावर कराया जासके कि माल या असबाब जिसपर वह निशान है या कोई माल या असबाब जो किसी ऐसे ज़र्फ में है जिसपर वह निशानहो ऐसे शख़्स की मिल्कहै जिसकी वह मिल्क न हो तो कहा जायगा कि शख़्से मज़कूर झूठा निशाने मिल्कीयत काममें लाया ।

झूठे निशाने हिर्फ़ या निशाने मिल्कीयत को काम मे लाने की सज़ा ।

दफ़ः ४८२—जो कोई शख़्स कोई झूठा निशाने हिर्फ़ः या कोई झूठा निशाने मिल्कीयत काम में लाये उसको जबतक वह यह साबित न करे कि उसने यह काम फरेब देनेकी नीयत से नहीं कियाथा दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की कैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायँगी ।

उन निशाने हिर्फ़ या

दफ़ः ४८३—जो कोई शख़्स किसी ऐसे निशाने हिर्फ़ः या ऐसे निशाने मिल्कीयत की नक़्लीद करे जिसको कोई और शख़्स काम

(बाब १८—उन जुर्मों के बयान मे जो दस्तावेजों और हिर्फे या मिल्कीयत के निशानो से मुतअल्लिक़ हैं-दफ़आत ४८४—४८६।)

में लाता हो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

निशाने मिल्कीयत की तल्बीस जिसको कोई और शख़्स काममें लाताहै।

दफ़ः ४८४—जो कोई शख़्स किसी ऐसे निशाने मिल्कीयत की तल्बीस करे जिसको कोई सर्कारी मुलाज़िम काम में लाता हो या किसी ऐसे निशाने की तल्बीस करे जिसको कोई सर्कारी मुलाज़िम यह ज़ाहिर करने के लिये काम में लाता हो कि कोई माल किसी शख़्से ख़ास ने तैयार किया है या किसी खास वक़्त या खास मुक़ाम में तैयार किया गया है या यह कि वह माल किसी खास दर्जे का है या किसी ख़ास कचहरी में होकर गुजरा है या यह कि वह किसी मुआफी का मुस्तहक़ है या कोई ऐसा निशान जिसको वह मुल्तबस जानताहो सहीह निशान की हैसीयत से काम में लाये तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद तीन वरस तक होसक्ती है और वह मुस्तौजिब जुर्माने का भी होगा।

तल्बीस ऐसे निशानकी जो सर्कारी मुलाज़िम काम में लाता है।

दफ़ः ४८५—जो कोई शख़्स किसी निशाने हिर्फः या निशाने मिल्कीयतकी तल्बीस की गरज से कोई ठप्पा या धात की कन्दः की हुई तख़्ती या कोई और आला वनाये या अपने पास रखे या कोई निशाने हिर्फः या निशाने मिल्कीयत इस गरज से अपने पास रखे कि किसी असवाव की निस्वत यह जाहिर हो कि वह उस शख़्स का सनाअत किया हुआ या तिजारती असवाव है जिसका सनाअत किया हुआ या तिजारती वह न हो या यह कि वह उस शख़्स की मिल्क है जिसकी वह मिल्क नहो तो उसको दोनों किस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायगी जिसकी मीआद तीन वरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

किसी निशाने हिर्फ़ या निशाने मिल्कीयतकी तल्बीस के लिये किसी आला का वनाना या पास रखना।

दफ़ः ४८६—जो कोई शख़्स कोई असवाव या शै मुल्तवस निशानेहिर्फः या निशानेमिल्कीयत के साथ जो उस पर या किसी सन्दूक़ या गठरी या और ज़र्फ पर जिसमें वह असवाव रहे चस्पां या ठप्पा किया गया हो वेचे या वेचने के लिये या तिजारत या सनाअत

ऐसे असवाव का वेचना जिस पर मुल्तवस निशाने हिर्फ़ या निशाने

(बाब १८—उन जुर्मों के बयान में जो दस्तावेज़ो और हिफ़े या मिल्कीयत के निशानों से मुतअ़ल्लिक हैं—दफ़ ४८७।)

मिल्कीयत रहे। की किसी ग़रज से नुमायां करे या अपने पास रखे उसको ताबक़े कि वह यह साबित न करे—

(अलिफ) कि इस दफ़ःकी खिलाफ़ वर्जी में किसी जुर्म के मुर्तकिब नहोने के लिये जिस क़दर इहतियात माकूल तौर पर करनी लाज़िम थी उस क़द्र इहतियात करके जुर्मे इजहारी के इर्तिकाब के वक़्त उसने उस निशान के सहीह होनेकी बाबत कोई शुबःकी वजः नहीं पाई थी—और

(बे) यह कि पैरोकारे इस्तिग़ासः के पूछने पर या पैरोकारे इस्तिग़ासः की तरफ़ से पूछे जाने पर उसने उन अशख़ास की बाबत जिनसे उसने वैसा असबाब या शै को हासिल किया था तमाम ऐसी खबरें दी हैं जिनका देना उसके इख़्तियार में था—या

(जीम) यह कि और तरह से उसने बेक़ुसूरानः काम किया है उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद एक बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

किसी ज़र्फ़ पर जिसमें असबाब रहे कोई झूठा निशान बनाना।

दफ़ः ४८७—जो कोई शख़्स किसी ऐसे सन्दूक़ या गठरी या दूसरे ज़र्फ़ पर जिसमे असबाब रहे कोई झूठा निशान बनाये इस तरह पर जिससे किसी सर्कारी मुलाज़िम या और शख़्स को बवजहे माकूल यह बावर कराया जासके कि उस ज़र्फ़ मे ऐसा असबाब है जो उसमें नहो या यह कि उस ज़र्फ़ में ऐसा असबाब नहीं है जो उसमें हो या यह कि जो असबाब उस ज़र्फ़ में है वह इस नौइयत या इस दर्जे का है जो उस असबाब की असली नौइयत या दर्जे से जुदा है उसको जबतक वह यह साबित न करे कि उसने फरेब देने की नीयत से यह काम नहीं किया था दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा—या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

(बाब १८–उन जुर्मों के बयान मे जो दस्तावेजों और हिर्फे या मिल्कीयत के निशानों से मुतअल्लिक है–दफआत ४६३–४८९ (अलिफ)।)

दफ़ः ४८८–जो कोई शख़्स किसी वैसे झूठे निशान को उस तरह पर काममें लाये जिसकी निस्वत दफ़ःइ अखीरे मज़कूरःइ वाला में मुमानिअत है उसको जबतक कि वह यह साबित न करे कि उसने फरेब देने की नीयतसे यह काम नहीं किया था ऐसी सज़ा दी जायगी जो उस दफ़ः की खिलाफवर्ज़ी में किसी जुर्म के मुर्तकिब होने की तक़दीर में उसको दीजाती ।

किसी वैसे झूठे निशान के काम में लानेकी सज़ा ।

दफ़ः ४८९–जो कोई शख़्स किसी निशाने मिल्कीयत को दूर करे या मादूम करे या बिगाड़े या उसमें कुछ बढ़ाये इस नीयत से या यह जानकर कि वह इस ज़रीये से किसी शख़्स को गालिबन नुक़्सान पहुंचा सक्ता है उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैदकी सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

निशाने मिल्कीयत में नुक्सान पहुचाने की नीयत से कारसाज़ी करनी ।

करन्सी नोटों और बैंक नोटों के बयान में[1]।

दफ़ः ४८९ (अलिफ)–जो कोई शख़्स किसी करन्सी नोट या बैंक नोट की तल्बीस करे या उसकी तल्बीस के अमल का कोई जुज़ जान बूझकर अंजाम दे उसको हब्से दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मानेका भी मुस्तौजिब होगा ।

करन्सी नोटों या बैंक नोटों की तल्बीस ।

तशरीह–वास्ते अगराज़ दफ़ःइ हाज़ा ओ दफ़आत ४८९ (बे) ओ ४८९ (जीम) ओ ४८९ (दाल) के लफ़्ज़ "बैंक नोट" से मुराद है ऐसा प्रामिसरी नोट या इक़रारनामः जिसे वास्ते इन्दुत्तलब अदा होने रुपयः के हामिल को कोई ऐसा शख़्स जारी करे जो किसी हिस्सःइ दुनिया में महाजनी कारोबार करता हो या वह किसी सर्कार या शाहे वक़्तकी तरफ से या बमूजिब उसके हुक्मके जारी किया

[1] दफ़आत ४८९ (अलिफ़) लग़ाइत ४८९ (दाल) करन्सी नोटों की जालसाज़ी के ऐक्ट सन १८९९ ई० (नम्बर १२ मुसदरः सन १८९९ ई०) की दफ़. २ के ज़रीये से दाखिल कीगई ।

जाय और जिसका नक़ूद के हमकीमत होने के तौर पर या नक़ूद के एवज के तौरपर काममें लाया जाना मक़सूदहो।

जाली या मुल्तवस करन्सी नोटों या बैंक नोटोंको असली नोटोंकी हैसीयत से काम में लाना।

दफ़ः ४८९ (बे)–जो कोई शख़्स किसी जाली या मुल्तवस करन्सी नोट या बैंक नोटको दूसरे शख़्सके पास बेचे या उससे खरीदे या हासिलकरे या और तरहपर उसका लेन देनकरे या उसको असली होनेकी हैसीयत से काममें लाये यह जानकर या इस बातके बावर करने की वजः रखकर कि करन्सी नोट या बैंक नोट मज़कूर जाली या मुल्तवस है उसको हब्से दवाम वउबूरे दर्याये शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैदकी सजा दीजायगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मानेका भी मुस्तौजिब होगा।

जाली या मुल्तवस करन्सी नोटों या बैंक नोटों को पास रखना।

दफ़ः ४८९ (जीम)–जो कोई शख़्स कोई जाली या मुल्तवस करंसी नोट या बैंक नोट अपने पास रखे यह जानकर या इस बातके बावर करने की वजः रखकर कि वह जाली या मुल्तवस है और यह नीयत करके कि उसको असली होनेकी हैसीयत से काम में लाये या यह कि वह असली होने की हैसीयत से काम में लाया जासके उस को दोनों किस्मों में से किसी क़िस्मकी कैदकी सजा दी जायगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दीजायेगी।

करन्सी नोटों या बैंक नोटों के जाली बनाने या उनकी तल्बीस करने के लिये आलात या सामान बनाना या पास रखना।

दफ़ः ४८९ (दाल)–जो कोई शख़्स कोई कल या आला या सामान बनाये या उसकी साख़्त के अमल का कोई जुज अंजामदे या उसको खरीदे या बेचे या अपने क़ब्जे से जुदाकरे या अपने पास रखे इस गरज़ से कि वह किसी करन्सी नोट या बैंक नोटके जाली बनाने या उसकी तल्बीस करने के लिये काम में आये या यह जानकर या इस बातके बावर करनेकी वजः रखकर कि उसका किसी करन्सी नोट या बैंकनोट के जाली बनाने या उसकी तल्बीस करने के लिये काम में लाया जाना मक़सूद है उसको हब्से दवाम वउबूरे दर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी किस्मकी क़ैदकी सजा दीजायगी जिसकी

मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मानेका भी मुस्तौजिब होगा ।

बाब १९ ।[1]

ख़िदमत के मुआहदों के नक़्ज़े मुजरिमान: के बयान में ।

ख़िदमत सफ़रे-तरी या ख़ुश्की के मुआहदे क नक्ज़ ।

दफ़:४९०—जो कोई शख़्स जिस पर मुआहद:इ जाइज़ की रू से वाजिब है कि वह किसी शख़्स या माल के एक जगहसे दूसरी जगह लेजाने या पहुंचाने में बिज़ातिही ख़िदमत करे या सफ़रे तरी या सफ़रे ख़ुश्की में किसी शख़्स की नौकर की हैसीयत से ख़िदमत करे या सफ़रे तरी या सफ़रे ख़ुश्की में किसी शख़्स या माल की हिफ़ाज़त करे सिवाय हालते बीमारी या बदसुलूकी किये जाने के बिल इराद: ऐसा करना तर्क करे तो शख़्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद एक महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार सौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

तमसीलें ।

(अलिफ़) जैद पालकी का एक कहार जिसपर मुआहद इ मुताबिके क़ानून की रूसे बक्र को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुचाना वाजिब है राह में से भाग जाय तो जैद उस जुर्म का मुर्तकिब हुआ जिसकी तारीफ इस दफ में की गई है ।

(बे) जैद एक क़ुली जिसपर मुआहद इ जायज की रू से बक्र के असबाबे सफ़र को एक जगह से दूसरी जगह लेजाना वाजिब है असबाब को फेंक कर चलदे तो जैद उस जुर्म का मुर्तकिब हुआ जिसकी तारीफ़ इस दफ में कीगई है ।

(जीम) जैद बिलून का एक मालिक जिसपर मुआहद इ मुताबिके कानून की रू मे वाजिब है कि अपने बिलून पर लाद कर असबाब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुचादे ।

---

[1] किसी जुर्म तहते बाब १९ की समाअत सिर्फ किसी फरीक़ की जानिब से जिसको रंज पहुचा हो नालिश होने पर होसक्तीहै-मुलाहजा तलब मजमूअ इ ज़ाबित इ फ़ौजदारी सन १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदर इ सन १८९८ ई०) की दफ़ १९८ [ऐक्ट हाये आम-जिल्द ६] ।

उन जुर्मों में जो तहते बाबे हाजा क़ाबिले सज़ा हों राज़ीनाम होसक्ता है मुलाहज़ा-तलब मजमूअ इ मज़कूर की दफ ३४५-दरखुसूस उस नौबते दौराने मुकद्दम के कि जब अदालत की इजाज़त के बिदून राज़ीनाम जायज़ नहीं है मुलाहजा तलब मजमूअ इ मज़कूर की दफ़ इ मजकूर की दफ इ तहती (५) ।

ऐसा करना ख़िलाफ़े क़ानून तर्क करे तो ज़ैद उस जुर्म का मुर्तकिब हुआ जिसकी तारीफ़ इस दफ़ः में की गई है ।

(दाल) ज़ैद बक़र को जो एक कुली है नाजायज़ वसीलों से अपना असबाबे सफ़र पहुचाने के लिये मजबूर करे और बक़र अस्नाये सफ़र में असबाब रखकर भाग जाय तो इस सूरत मे चूंकि असबाब का पहुँचाना बक़र पर ज़ाब्तन वाजिब न था इस लिये बक़र किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं ।

तशरीह—इस जुर्म के मुतहक्क़िक़ होने के लिये ज़रूर नहीं है कि मुआहदः उस शख़्स के साथ किया जाय जिसके लिये वह ख़िदमत अदा की जाने को है बल्कि यही काफ़ी है कि उस शख़्स ने जिसको वह ख़िदमत करनी पड़ेगी किसी शख़्स के साथ वह मुआहदः क़ानून के मुताबिक़ किया हो ख़ाह लफ़ज़न ख़ाह मानन ।

तमसील ।

ज़ैद किसी डाक कम्पनी के साथ एक महीने तक उसकी गाडी हाकने का मुआहद करे और बक़र डाक कम्पनी मज़कूर को इस लिये मामूर करे कि वह उसे किसी सफर को लेजाय और उस महीने के अन्दर वह कम्पनी बक़र को कोई गाडी दे जिसको ज़ैद हाकता है और ज़ैद असनाये सफ़र में बिलइराद गाड़ी को छोड जाय तो इस सूरत में अगर्चि ज़ैद ने बक़र के साथ ख़ुद मुआहद. नहीं किया ताहम ज़ैद इस दफ़. की रू से जुर्म का मुजरिम है ।

आजिज़ की ख़िदमत करने और उसकी ज़रूरियात के बहम पहुचाने के मुआहदे का नक्ज़ ।

दफ़ः ४९१—कोई शख़्स जिस पर मुआहदःइ जायज़ की रू से किसी ऐसे शख़्स की ख़िदमत करना या उसकी ज़रूरियात का बहम पहुंचाना वाजिब है जो सिग्र सिनी या अक़ल के फ़ुतूर या बीमारी या ज़ोफ़े जिस्मानी के सबब से आजिज़ है या जो अपने अमल की तदबीर करने या अपनी ज़रूरियात के बहम पहुंचाने के लिये नाक़ाबिल है बिलइरादः ऐसा करना तर्क करे तो उस शख़्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद तीन महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार दोसौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

मिर्सा दूर दराज जगहमें ख़िदमत

दफ़ः ४९२—कोई शख़्स जिसपर किसी मुआहदःइ जायज़ तहरीरी के मुवाफ़िक़ किसी और शख़्स के लिये दस्तकार या कारीगर या मज़दूर की हैसीयत से किसी मुद्दत तक जो तीन बरस से ज़ायद

न हो बृटिशइन्डिया के अन्दर किसी ऐसे मुक़ाम में काम करना वाजिब है जहां वह उस मुआहदे के एतिबार से उस शख़्स के खर्च से पहुंचाया गया हो या पहुंचाये जाने को हो उस शख़्सकी खिदमत पर से उस हाल में कि वह मुआहदः क़ाइम है बिलइरादः भागजाय या बग़ैर किसी वजहे माकूल के उस खिदमत की अन्जामदिही से इन्कार करे जिसके अदा करने का उसने मुआहदः किया है और वह खिदमते माकूल और मुनासिबे हो तो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद एक महीने से जियादः न हो या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़्दार उस खर्च की दो चन्द मिक़्दार से ज़ायद न हो या दोनों सज़ायें दी जायेंगी बजुज़ इसके कि यह बात जाहिर होजाय कि अमर ने उसके साथ बद-सुलूकी की या अपनी तरफ से उस मुआहदे का ईफा नहीं किया ।

करने के मुआहदे का नक़्ज़ जहा नौकर शख़्स के खर्च से पहुचाया गयाहो ।

बाब २० ।[1]

उन जुर्मों के बयान में जो इज़्दिवाज से तअल्लुक़ रखते हैं ।

दफ़ः४९३—हर ऐसे मर्द को जो किसी औरत को जिसका इज़्दिवाजे जायज़ उस मर्द के साथ न हुआ हो धोखे से यह बावर

हम् ख़ानगी जो किसी ,

---

[1] किसी जुर्मे तहते दफ ४९३ या ४९४या ४९५ या ४९६ की समाअत सिर्फ किसी फ़रीक़ की जानिब से जिसको रंज पहुचा हो नालिश होने पर और किसी जुर्म तहते दफ़ ४९७ या ४९८ की समाअत सिर्फ औरत के शौहर या वलीये मुहाफिज़ की तरफ से नालिश होने पर होसक्ती है—मुलाहज़ तलब मजमूअ इ ज़ाबित इ फौजदारी सन१८९८ई० (ऐक्ट ५ मुसद्दर इ सन १८९८ ई०) की दफ़आत १९८ ओ १९९ [ऐक्ट हाय आम-जिल्द ६] ।

उन जुर्मों में जो तहते दफ़आत ४९७ ओ ४९८ क़ाबिले सज़ा हों राज़ीनाम होसक्ताहै—मुलाहज़ तलब मजमूअ इ मज़कूर की दफ ३४५ दरखुसूस उस नौबते दौराने मुक़द्दम तहते दफ़आत ४९७ ओ ४९८ के कि जब अदालत की इजाज़त के बिदून राज़ीनाम जायज़ नहीं है मुलाहज़ तलब मजमूअ इ मज़कूर की दफ़ इ मज़कूर की दफ़ इ तहती (५) ।

दरबार सज़ा बपादाशे जराइम तहते दफ़आत ४९७ ओ ४९८ कि जिनकी तहक़ीक़ात पंजाब के जिलये सरहदी में या बिलूचिस्तान में बज़रीय कौन्सिले सर्दारान् के अमल में आये मुलाहज़ तलब पंजाब के सरहदी जराइम के रेगूलेशन सन १८८७ ई० (न० ४ मुसद्दर इ सन १८८७ ई०) की दफ़ १४ [मजमूअ इ क़वानीने पंजाब मतबूअ इ सन १८८८ ई० और मजमूअ इ क़वानीने बिलूचिस्तान मतबूअ इ सन १८९० ई०] ।

तो शख़्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी।

बाब २१।[1]

इज़ाल:इ हैसीयते उर्फ़ी के बयान में।

इज़ाल:इ हैसीयते उर्फ़ी।

दफ़: ४९९—जो कोई शख़्स ऐसी बातों के ज़रिये से जो तलफ़्फ़ुज़ से अदा कीजायँ या जिनका पढ़ा जाना मक़सूद हो या इशारों के ज़रिये से या नुक़ूशे मरईय: के ज़रिये से किसी शख़्स की निस्बत कोई इत्तिहाम लगाये या मुश्तहर करे यह नीयत करके कि उस शख़्स की नेकनामी को गज़न्द पहुंचाये या यह जानकर या यह बावर करने की वज: रखकर कि वह इत्तिहाम उस शख़्स की नेकनामी को गज़न्द पहुंचायेगा तो सिवा उन हालतों के जो नीचे मुस्तसना की गईहैं कहा जायेगा कि उसने उस शख़्स का इज़ाल:इ हैसीयते उर्फ़ी किया।

तशरीह १—किसी शख़्से मुतवफ़्फ़ा की निस्बत किसी अमर का इत्तिहाम लगाना इज़ाल:इ हैसीयते उर्फ़ी की हद तक पहुंच सक्ता है बशर्ते कि उस इत्तिहाम से उस शख़्स के जीतेजी उसकी नेकनामी को गज़न्द पहुंचता और उससे यह नीयत हो कि उस शख़्स के अहल ओ अयाल या क़रीब के रिश्त:दारों के दिलों को चोट पहुंचाये।

---

[1] किसी जुर्म तहते बाब २१ की समाअत सिर्फ किसी फरीक की जानिब से जिसको रंज पहुंचा हो नालिश होने पर होसक्ती है—मुलाहज़ा तलब मजमूअ:इ ज़ाबित:इ फौजदारी सन १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसद्दर:इ सन १८९८ ई०) की दफ़: १९८ [ऐक्टहाय आम जिल्द ६]।

उन जुर्मों में तहते दफ़: ५०० या ५०१ या ५०२ का बिले मजा हो राज़ीनामा हो सक्ता है—मुलाहज़ा तलब मजमूअ:इ मज़कूर की दफ़: ३४५—दरसूरत उस नालिश दायर होने मुक़द्दम: के कि जब अदालत की इजाज़त के बिदून राज़ीनामा जायज़ नहीं है मुलाहज़ा तलब मजमूअ:इ मज़कूर की दफ़:इ मज़कूर की दफ़:इ तहती (५)।

उस शै के मुसतज़ाद के तलफ़ करने के हुक्म देने के इख्तियार के बारे में जिसकी निस्बत तहते दफ़: ५०१ या दफ़: ५०२ जुर्म साबित क़रार पाया है मुलाहज़ा तलब मजमूअ:इ मज़कूर की दफ़: ५२१।

तशरीह २–किसी कम्पनी या जमाअ़ते मुत्तफ़िक़ः या जमाअ़ते अशख़ास की निस्बत बहैसियत उस कम्पनी या जमाअ़ते मुत्तफ़िक़ः या जमाअ़ते अशख़ास के इत्तिहाम करना इज़ाल:इ हैसीयते उर्फ़ी तक पहुंच सक्ता है ।

तशरीह ३–जो इत्तिहाम मानीये ख़ियार की सूरत रखता हो या हज्वे मलीह की तरह किया जाय वह इज़ाल:इ हैसीयते उर्फ़ी तक पहुंच सक्ता है ।

तशरीह ४–किसी इत्तिहाम की निस्बत न कहा जायगा कि वह किसी शख़्स की नेकनामी को गज़न्द पहुंचाता है बजुज़ इसके कि वह इत्तिहाम सराहतन् या क़िनायतन् और लोगों की नज़र में उस शख़्स की आदात की या सिफ़ाते अक़्ली की ख़िफ़्फ़त का बाइसहो या बलिहाज उसकी जात या उसके पेशे के उस शख़्स की हैसियते उर्फ़ी की ख़िफ़्फ़त का बाइस हो या उसकी मोतबरी की ख़िफ़्फ़त का बाइसहो या यह बात बावर किये जाने का बाइस हो कि उस शख़्स का जिस्म एक मकरूह हालत में या एक ऐसी हालत में है जो उमूमन रिसवाई का मूजिबहै ।

तमसीलें ।

(अलिफ़) जैद कहे–" कि बक़र दियानतदार आदमी है उसने ख़ालिद की घड़ी हरगिज नहीं चुराई " यह बावर करानेकी नीयत से कि बक़र ने ख़ालिद की घड़ी चुराई है तो यह इज़ाल इ हैसीयते उर्फ़ी है बजुज़ इसके कि वह मुस्तसनीयात में से किसी मुस्तसना में दाख़िल हो ।

(बे) जैद से पूछा जाय कि बक़र की घड़ी किसने चुराई और जैद ख़ालिदकी तरफ इशार करे यह बावर कराने की नीयत से कि ख़ालिद ने बक़र की घड़ी चुराई है तो यह इज़ाल इ हैसीयते उर्फ़ी है बजुज इस के कि वह मुस्तसनीयात मे से किसी मुस्तसना में दाख़िल हो ।

(जीम) जैद बक़र की ऐसी तसवीर खींचे कि वह ख़ालिदकी घडी लिये भागा जाता है यह बावर करानेकी नीयत से कि बक़र ने ख़ालिद की घडी चुराई है तो यह इज़ाल इ हैसीयते उर्फ़ी है बजुज़ इसके कि यह मुस्तसनीयात मे से किसी मुस्तना मे दाख़िल हो ।

(बाब २१-इज़ाल इ हैसीयते उर्फ़ी के बयान मे-दफ़ ४६६ ।)

किसी सच्ची बात का इत्तिहामजिसका करना या मुश्त-हर करना आम्म इ खलाइक़ के फ़ाइदेके लिये दरकार है ।

पहला मुस्तसना—इत्तिहाम लगाना किसी अमर का जो किसी शख़्स की निस्बत सचहो इज़ालःइ हैसियते उर्फ़ी नहीं है अगर आम्मःइ खलाइक़ का फ़ाइदः इसमें हो कि वह इत्तिहाम लगाया जाय या मुश्तहर किया जाय—यह बात कि आया इसमें आम्मःइ खलाइक़ का फ़ाइदः फ़िलवाक़ै है या नहीं एक अमरे तनक़ीह तलब होगा ।

सर्कारी मुलाज़िमों का तरीक़े अमल वहैसीयत उसकी मुलाज़िमी के ।

दूसरा मुस्तसना—किसी राय का नेक नीयती से ज़ाहिर करना किसी सर्कारी मुलाज़िम के तरीक़े अमल की निस्बत उसके लवाज़िमाने मन्सबी की अन्जामदिही में या उसकी आदात ओ सिफ़ात की निस्बत जिस क़दर कि वह आदात ओ सिफ़ात उस तरीक़े अमल से ज़ाहिर होती हों और न इससे ज़ियादः इज़ालःइ हैसीयते उर्फ़ी नहीं है ।

किसी शख़्स का तरीक़े अमल बनिस्बत किसी मुआमल इ आम्म इ खलाइक़ के ।

तीसरा मुस्तसना—किसी राय का नेक नीयती से ज़ाहिर करना किसी शख़्सके तरीक़े अमल की निस्बत जो आम्मःइ खलाइक़के किसी मुआमले से मुतअल्लिक़ हो और उस शख़्स की आदात ओ सिफ़ात की निस्बत जिस क़दर कि वह आदात ओ सिफ़ात उस तरके अमल से ज़ाहिर होती हों और न इससे ज़ियादः इज़ालःइ हैसीयते उर्फ़ी नहीं है ।

तमसील ।

ज़ैद का उन उमूरमें बक्र के तरीक़े अमल की निस्बत कोई राय नेक नीयती के साथ ज़ाहिर करना इज़ाल इ हैसीयते उर्फ़ी नहीं है याने आम्म इ खलाइक़ के किसी मुआमले बाबत गवर्नमेन्ट को दरखास्त देने में—या किसी तलबी नामे पर जो आम्म इ खलाइक़ के किसी मुआमले मे लोगों के जमा होने के लिये हो दस्तख़त करने में—या उस क़िस्म का मजमअ का सरगरोह या शरीक होने में—या किसी ऐसे मजमा के बानी या शरीक होने मे जो आम्म इ खलाइक़से इस्तिमदादके लिये हो—या किसी ऐसे उहदेके लिये जिसके लवाज़िम की मुस्तहसन अन्जामदिही मे आम्म इ खलाइक़की गरज मुतअल्लिक़हो किसी खास उम्मेदवारके इस्तिहक़ाक़की निस्बत राय देने या उसके लिये औरों से राय हासिल करने में ।

चौथे की

चौथा मुस्तसना—कोर्ट आफ जस्टिस की कार्रवाई या

ऐसी किसी कार्रवाई के नतीजे की निस्बत फिल असल सच्ची कैफीयत का मुश्तहर करना इजालःइ हैसीयते उर्फी नहीं है ।

कार्रवाई की कैफीयत को मुश्तहर करना ।

तशरीह—कोई जस्टिस आफ दी पीस या और अफ़सर जो वरमला इजलास में तहक़ीक़ात कर रहा हो क़ब्ल इसके कि वह मुक़द्दमः किसी कोर्ट आफ जस्टिस में पेश हो एक कोर्ट है जो दफःइ वाला की मुराद में दाखिल है ।

पांचवां मुस्तसना—दीवानी या फौजदारी के किसी मुक़द्दमे की हक़ीक़ते हाल की निस्बत जो किसी कोर्ट आफ जस्टिस ने फैसल किया हो या किसी शख्स के तरीक़े अमल की निस्बत उस के किसी ऐसे मुक़द्दमे में फरीक़ या गवाह या एजन्ट होने की हैसीयत से या ऐसे शख्स की आदात औ सिफात की निस्बत जहां तक कि उसके तरीक़े अमल से वह आदात औ सिफात ज़ाहिर होती हों और न इस से जियादः किसी राय का नेक नीयती से जाहिर करना इजालःइ हैसीयते उर्फी नहीं है ।

किसी मुक़द्दमे की हक़ीक़ते हाल जिसका फ़ैसल कोर्ट मे हुआ हो गवाहों और और लोगों का तरीक़े अमल जो उससे तअल्लुक़ रखते हों

तमसीलें ।

(अलिफ़) जैद कहे कि—" मेरी दानिश्त में बकर की गवाही फुलां मुक़द्दमे में ऐसी मुतनाक़िज है कि वह जुरूर बेवक़ूफ़ या बद दियानत है " तो जैद इस मुस्तसनामें दाखिल है अगर वह नेक नीयती से यह बात कहता है क्योंकि वह राय जो जैद जाहिर करताहै बक़र की आदात औ सिफ़ात से मुतअल्लिक़ है जैसी उसके तरीक़े अमल से बहैसीयत गवाह होने के जाहिर होती है और न इससे जियाद ।

(बे) लेकिन अगर जैद यह कहे कि—" बक़र ने फ़ुलां मुक़द्दमे में जो बयान किया है उसको मैं बावर नहीं करता क्योंकि मैं जानता हू कि बक़र की आदत झूठ बोलने की है " तो जैद इस मुस्तसना में दाख़िल नहीं है क्योंकि वह राय जो जैद बक़रकी आदात औ सिफ़ात की निस्बत बयान करताहै ऐसी रायहै जो बक़र के तरीक़े अमल पर बहैसीयते गवाह मुब्तनी नहीं है ।

छठा मुस्तसना—नेकनीयती से किसी राय का जाहिर करना किसी अमल के हुस्न औ क़ुबुह की निस्बत जिस को किसी अमल करनेवाले ने आम्मःइ खलाइक़ की राय पर छोड़ा हो या अमल करनेवाले की आदात औ सिफात की निस्बत जहांतक कि वह आदात

आम्म:इ खला-इक़ के सामने अमल हो

हुस्न जो कुबुह ।

औ सिफ़ात उस अमल से जाहिर होती हों और न उससे जियादः इजालःइ हैसीयते उर्फ़ी नहीं है ।

तशरीह—कोई अमल आम्मःइ खलाइकः की रायपर छोड़ा जा सक्ता है खाह सराहतन खाह अमल करने वाले के ऐसे अफ़आल से जिनसे आम्मःइ खलाइक़ की राय पर उस अमल का छोड़ा जाना मुतसौवर हो ।

तमसीलें ।

(अलिफ) वह शख्स जो किसी किताब को छपवाये उस किताब को आम्म इ खलाइक की राय पर छोड़ताहै ।

(बे) वह शख्स जो बर्मला कोई कलाम करे उस कलाम को आम्म इ खलाइक की राय पर छोड़ताहै ।

(जीम) कोई नक्काल या गवैया जो जलस इ आम में अपना हुनर जाहिर करे अपनी नक्काली या गाना आम्म इ खलाइककी राय पर छोड़ता है ।

(दाल) जैद किसी किताबकी निस्बत जो बक़र ने छपवाई है कहे कि—"बक़र की किताब लगो है और इसलिये बक़र ज़रूर जईफुलअक़्ल है या बक़र की किताब फ़ुहुश है और इसलिये ज़रूर बक़र फ़ाहिशुलखियाल आदमी है" तो जैद इस मुस्तसना मे दाखिल है अगर वह यह बात नेक नीयती से कहता है क्योंकि वह राय जो जैद बक़र की निस्बत जाहिर करता है सिर्फ बक़र की आदात ओ सिफ़ात से मुतअल्लिक है जहा तक कि वह बक़र की किताब से जाहिर होती हैं न उससे जियाद ।

(हे) लेकिन अगर जैद यह कहे कि—"मेरे नज़दीक तअज्जुब नहीं है कि बक़र की किताब लगो और फ़ुहुश हो क्योंकि बक़र जईफुल अकल और शहवत परस्त है" तो जैद इस मुस्तसना में दाखिल नहीं है क्योंकि वह राय जो जैद बक़र की आदात ओ सिफ़ात की निस्बत जाहिर करता है ऐसी राय है जो बक़र की किताब पर मुब्तनी नहीं है ।

सरज़निश जो कोई शख्स नेक नीयती के साथ करे जो उसके इख्तियार पर जायज़ इख्तियार रखता हो ।

सातवां मुस्तसना—वह शख्स इजालःइ हैसीयते उर्फ़ी का मुर्तकिब नहीं है जो किसी दूसरे शख्स पर इसी तरह का इख्तियार रखता है खाह वह कानून का अतीयः हो खाह किसी मुआहदःइ जायज पर मुब्तनी हो जो उस दूसरे शख्स के साथ किया गया है अगर शख्से मजकूर ऐसे मुआमलों में जिन से वह इख्तियारे जायज़ मुतअल्लिक है उस दूसरे शख्स के तरीक़े अमल पर कोई सरज़निश नेक नीयती से जहूर में लाये ।

तमसील।

नीचे लिखे हुये अशख़ास इस मुस्तसना में दाखिल हैं यानि कोई जज जो किसी गवाह को या अपनी अदालत के किसी अहलेकार को उसके तरीक़े अमल पर नेक नीयती से सरज़निश करताहो—या किसी महकमे का आला अफ़सर जो नेक नीयती से अपने मातहतों को सरज़निश करता हो—या कोई मा या बाप जो अपने तिफ़्ल को और अतफ़ाल के रूबरू नेक नीयती से सरज़निश करता हो—या कोई मुअल्लिम जिसको किसी तालिबे इल्म के मा बाप की तरफ़ से इख़्तियार हासिल हो उस तालिबेइल्म पर और तुलबा के रूबरू नेक नीयती से सरज़निश करताहो—या कोई आक़ा जो अपने नौकर को ख़िदमते गुज़ारी में काहिल होनेकी निस्वत नेक नीयती से सरज़निश करता हो—या कोई महाजन जो अपनी कोठी के तहसीलदार को उसके तरीक़े अमल की निस्वत बहैसीयत उसकी तहसीलदारी के सरज़निश करताहो।

आठवां मुस्तसना—नेक नीयती से किसी शख़्स की शिकायत करनी किसी शख़्सके रूबरू मिन्जुम्लः उन अशख़ास के जो उस शख़्स पर बिनाये शिकायत की निस्वत इख़्तियारे जायज़ रखते हैं इजालःइ हैसीयती उर्फी नहीं है।

शिकायत जो शख़्से जी इख़्तियार के सामने नेक नीयती से पेश की जाय।

तमसील।

अगर ज़ैद किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू नेक नीयती से बक्र की शिकायत करे—या अगर ज़ैद नेक नीयती से बक्र के तरीक़े अमल की निस्वत जो नौकर है उसके आक़ा से शिकायत करे—या अगर ज़ैद नेक नीयती से बक्र की जो एक तिफ़्ल है उसके तरीके अमल की निस्वत उसके बाप से शिकायत करे—तो ज़ैद इस मुस्तसना में दाखिल है।

नवां मुस्तसना—किसी शख़्सकी आदाद ओ सिफ़ाते उर्फी की निस्वत इत्तिहाम लगाना इजालःइ हैसीयते उर्फी नहीं है बशर्तेकि वह इत्तिहाम नेक नीयती से इत्तिहाम लगानेवालेकी या किसी और शख़्स की अगराज़ की हिफ़ाज़त के लिये आम्मःइ ख़लाइक के फ़ायदे के लिये लगाया जाय।

इत्तिहाम जो कोई शख़्स अपनी या ग़ैर की अगराज़ की हिफ़ाज़त के लिये नेक नीयती से करे।

तमसीलें।

(अलिफ़) ज़ैद एक दूकानदार बक्र से जो उसके कारोबार का इन्तिज़ाम करता है कहे कि—"तुम ख़ालिद के हाथ कोई चीज़ न बेचो बजुज़ इस के कि वह तुमको नक़द क़ीमत दे क्योंकि मैं उसकी दियानत पर एतिमाद नहीं रखताहूं"—तो ज़ैद इस मुस्तसना में दाखिल है अगर उसने यह इत्तिहाम अपनी अगराज़की हिफ़ाज़त के लिये नेक नीयती से ख़ालिद पर लगाया है।

(बे) जैद एक मजिस्ट्रेट अपनी कैफ़ीयत में जो वह अफ़सरे बालादस्त को लिखता है बकर की आदात औ सिफ़ात पर इत्तिहाम लगाये तो इस सूरत में अगर वह इत्तिहाम नेक नीयत से और आम्म इ खलाइक के फायदे के लिये लगाया गयाहो तो जैद इस मुस्तसना में दाख़िल है।

तहज़ीर करना जिससे उस शख़्स का फायद जिसको तहज़ीर की गई हो या आम्म इ खलाइक का फायद नीयत में हो।

दशवां मुस्तसना—एक शख़्सको दूसरे शख़्सके नेक नीयती से तहज़ीर करना इज़ालःइ हैसीयते उर्फी नहीं है बशर्तेकि ऐसी तहज़ीर करने के उस शख़्स का फाइदः जिसको तहज़ीर कीजाती है या किसी और शख़्सका फाइदः जो उससे गरज़ रखता हो या आम्मःइ खलाइक का फ़ायदः नीयत में हो।

इज़ाल इ हैसीयते उर्फी की सज़ा।

दफ़ः ५००—जो कोई शख़्स किसी शख़्स की हैसीयते उर्फी का इज़ालः करे उस शख़्स को कैदे महज़की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

कोई मज़मून छापना या कन्दः करना जिसका मुज़ीले हैसीयते उर्फी होना इल्म में हो।

दफ़ः ५०१—जो कोई शख़्स किसी मज़मूनको छापे या कन्दः करे यह जानकर या यह बावर करने की काफी वजःरखकर कि वह मज़मून मुज़ीले हैसीयते उर्फी किसी शख़्सका है उस शख़्सको कैदे महज़की सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

किसी छपे हुये या कन्द किये हुये माद्दे की फरोख्त जिसमें कोई मज़मून मुज़ीले हैसीयते [illegible] हो।

दफ़ः ५०२—जो कोई शख़्स किसी छपेहुये या कन्दःकियेहुये माद्दे को जिसमें कोई मज़मून मुज़ीले हैसीयते उर्फी हो बेचे या मारज़े बै में रखे यह जानकर कि उसमें ऐसा मज़मून है उसको कैदे महज़ की सजा दीजायगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

बाब २२।[1]

तख़वीफ़े मुजरिमानः श्रो तौहीने मुजरिमानः श्रो रंजदिहीये मुजरिमानः के बयान में।

दफ़ः५०३—जो कोई शख़्स किसी और शख़्सको उसके जिस्म या नेकनामी या माल को या किसी शख़्सके जिस्म या नेकनामी को जिससे वह शख़्स गरज़ रखता है नुक़्सान पहुंचाने की धमकी दे इस नीयत से कि उसको ख़ौफ में डाले या उससे कोई ऐसा फ़ेल कराये जिसका करना उसपर कानूनन् वाजिब नहीं है या उससे कोई ऐसा फेल तर्क कराये जिसके करने का वह क़ानूनन् मुस्तहक़है ताकि वह इर्तिकाब या तर्के फेल उस धमकी की तकमील के इन्सिदाद का वसीलःहो तो शख़्से मज़कूर तख़वीफे मुजरिमानःका मुर्तकिब होगा।

तख़वीफ़े मुजरिमान।

तशरीह—किसी ऐसे शख़्से मुतवफ़्फा की नेकनामी को नुक़्सान पहुंचाने की धमकी जिस से धमकाया हुआ शख़्स ग़रज़ रखता है इस दफः में दाखिल है।

तमसील।

जैद बक़र को किसी मुक़द्दम इ दीवानी की पैरवी से बाज रहने की तहरीक करने के लिये बक़र के घर जलाने की धमकी दे तो जैद तख़वीफ़े मुजरिमान का मुजरिम है।

---

[1] उन जुर्मों में जो तहते दफ़ ५०४ क़ाबिलेसजाहों और बाज़ जुर्मोंमें जो तहतेदफ़ ५०६ क़ाबिले सजाहों राजीनाम होसक्ताहै—मुलाहज़ तलब मजमूअ इ जाबित इ फौजदारी सन १८६८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदर इ सन १८९८ ई०) की दफ़ ३४५ [ऐक्ट हाये आम-जिल्द ६]—दर खुसूस उस नौबत दौराने मुक़द्दम के कि जब अदालतकी इजाजतके बिदून राजीनाम जायज नहीं है मुलाहज तलब मजमूअ इ मज़कूर की दफ़ इ मजबूर की दफ इ तहती (५)।

दरबार इ सजाये ताज़ियान (अपर ब्रह्मा में) बाबादाशे जुर्म मुसर्रह इ दफ़ ५०६ के मुलाहज तलब अपर ब्रह्मा के आईनोंके ऐक्ट सन १८६८ ई० (नम्बर १३ मुसदर सन १८६८ ई०) की दफ ४ (३) (बे) और जमीम इ दवम [मजमूअ इ क़वानीने ब्रह्मा मतबूअ इ सन १८६६ ई०] साबिक़ दफ मजमूअ इ क़वानीने ताजीराते हिन्दके तर्मीमकरनेवालेऐक्ट सन १८६८ ई०(नम्बर ४ मुसदर इ सन १८६८ ई०)की दफ़ ६ के जरिये से मन्सूख़हुई [ऐक्ट हाये आम-जिल्द ६] और दफ इ मतबूअ इ मतन बएवजउसके शामिलकीगई—मुलाहज तलब [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(बाबे २२—तख़वीफ़े मुजरिमान- ओ तौहीने मुजरिमान ओ रंजदिहीये मुजरिमान. के बयान में—दफ़आत ५०४—५०५ ।)

ऑमन मे खलल अन्दाजी की नीयत से तौहीन बिल क़स्द ।

दफ़ः ५०४—जो कोई शख़्स क़स्दन् किसी शख़्सको तौहीन करके उसके ज़रिये से उस शख़्सको बाइसे इश्तिआलेतबअ दे यह नीयत करके या इस अमर का इहतिमाल जानकर कि उस बाइसे इश्तिआले तबअ के सबब से वह शख़्स अमने खलाइक़ में खलल डाले या किसी और जुर्म का मुर्तकिब हो तो शख़्से मज़कूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैदकी सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद दो बरसतक होसक्तीहै या जुर्मानेकी सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

बयानात जो मुनजर ब नुक़सान रसानीये आम हों ।

दफ़ः[1] ५०५—जो शख़्स कोई बयान या अफ़वाह या ख़बरकरे या मुश्तहर करे या फैलाये ।

(अलिफ़) इस नीयत से कि मलिकःइ मुअज़्ज़मःकी फौजबरीं या बहरी या सेगःइ राइल इन्डियन मरीन या इम्पीरीयल सर्विस ट्रूप्स के किसी अफ़सर या सिपाही या खलासीये जहाज़ी से ग़दर कराये या और तौर पर वैसी हैसीयत से उसकी नौकरी में बेएतिनाई या क़ुसूर कराये—या जिससे किसी अफ़सर वग़ैरहःइ मज़कूर के ग़दर कराने या और तौरपर वैसी हैसीयत से उसकी नौकरी में बेएतिनाई या क़ुसूर कराने का इहतिमाल हो—या

(बे) इस नीयत से कि आम्मःइ खलाइक़ को या किसी जुज़्वे आम्मःइ खलाइक़ को ऐसी वहशत या खौफ में डाले या जिससे आम्मःइ खलाइक़ को या किसी जुज़्वे आम्मःइ खलाइक़ को ऐसी वहशत या खौफ में डालने का इहतिमाल हो कि उसके जरीये से किसी शख़्स को किसी जुर्म खिलाफ़ दर्जा या सर्कार या जुर्म मुखालिफ़े आसूदिगीये आम्मःइ खलाइक़ के मुर्तकिब होने की तहरीक हो—या

(जीम) इस नीयत से कि किसी तबक़ः या जमाअ़तःइ अशख़ास को किसी और तबक़ः या जमाअ़त के मुखालिफ़ किसी जुर्म

[1] दफ़ः ५०५ [illegible]

के मुर्तकिब होनेकी तर्गीब दे या जिससे किसी तबकः या जमाअःइ अशखास को किसी और तबकः या जमाअत के मुखालिफ किसी जुर्म के इर्तिकाब की तर्गीबदिही का इहतिमाल हो—

उसको क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी हद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी ।

मुस्तसना—हस्बे मनशाये दफः इाजा यह बमनज़िलःइ जुर्म नहीं है जब कि वह शख्स जो कोई वैसा बयान या अफवाह या खबर करता या मुश्तहर करता या फैलाताहै इस बात के बावर करने की वजूहे माकूल रखताहो कि वैसा बयान या अफवाह या खबर रास्तहै और बिदून किसी ऐसी नीयत के जो ऊपर मजकूर हुई बयान या अफवाह या खबरे मज़कूर करता या मुश्तहर करता या फैलाताहो ।

दफ़ः ५०६—जो कोई शख़्स जुर्मे तखवीफे मुजरिमानः का मुर्तकिब हो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैद की सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी—

तख़वीफे मुजरिमान की सज़ा ।

और अगर हलाकत या ज़रर शदीद पहुंचाने की या आग से किसी माल के तलफ करने की या किसी ऐसे जुर्म का इर्तिकाब वकू में लाने की जिसकी पादाश में सज़ाये मौत या हब्स बउबूरे दर्याये शोर या क़ैद मुकर्रर है जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है—या किसी औरत की निस्बत बेइस्मती का इत्तिहाम लगाने की धमकी हो तो दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दीजायगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

अगर धमकी हलाकत या ज़रर शदीद वगैर पहुचाने के लिये हो ।

दफ़ः ५०७—जो कोई शख़्स किसी बेनाम मकातिबे के ज़रीये से या धमकी देनेवाले शख़्स के नाम या मसकन छिपाने को पेश्तर से तदबीर करके तखवीफे मुज़रिमानः के जुर्मका मुर्तकिब हो उस

किसी बे नाम मकातिबे के तखवीफे मुजरिमान ।

पादाश में हब्स बउबूरे दर्याय शोर या कैद मुकर्रर है।

जो जुर्मे मज़कूर के इर्तिकाब की तरफ मनज़र हो तो उस सूरत में कि इस मजमूये में ऐसे इक्दाम की कोई खास ताईने सज़ा पाई न जाय उस शख़्स को हब्स बउबूरे दर्यायशोर की सज़ा या किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जो जुर्मे मज़कूर के लिये मुअय्यन हो और उस हब्स बउबूरे दर्यायशोर या क़ैद की मीआद उस मीआद के निस्फ तक होसक्ती है जो जुर्मे मज़कूर के लिये बड़ी से बड़ी मुअय्यन है या उस जुर्माने की सज़ा जो जुर्मे मज़कूर की पादाश में मुअय्यन है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

तमसीलें।

(अलिफ़) जैद एक सन्दूक तोड़कर कुछ जेवर चुराने का इक्दाम करे और इस तरह उस सन्दूक़ के खोलने पर उसको मालूम हो कि उसमें कुछ जेवर नहीं है तो उसने एक फ़ेल किया जो सर्के के इर्तिकाब की तरफ़ मुन्ज़र है और इस लिये जैद इस दफ़. की रूसे मुजरिम है।

(बे) जैद बक्र की जेब में हाथ डाल कर उसकी जेब में से कुछ निकालने का इक्दाम करे और बक्र की जेब में कुछ न होने की वजह से जैद इस इक्दाम से कामयाब नहो तो जैद इस दफ़. की रूसे मुजरिम है।

फ़िहरिस्त हुरूफ़े तहज्जी की तर्तीब से।

मजमून ।	दफ़ा ।
आक़ा—ततिम्म ।	
के उस नौकर के नक़्ज़े मुआहद की जो आजिज़ की खिदमत करने और उसकी ज़रूरियात के बहम पहुचाने का इक़रार किया हो ...	४९१
से उस कारीगर वगैर के नक़्ज़े मुआहद करनेकी सज़ा जिस पर मुआहद इतहरीरी के मुवाफ़िक़ ब्रटिशइन्डिया के अन्दर किसी दूर व्यो दराज़ जग में-जहा वह आक़ाके खर्च से पहुचायागयाहो खिदमतकरना वाजिबहै	४९२
इक़दाम—	
मलिक इ मुअज़्ज़म के मुक़ाबल मे या ऐसे वालियि मुल्क के मुक़ाबल मे जो मलिक ममदूह से राबित इ इत्तिहाद रखे जग करने का ...	१२१ और १२५
गवर्नेर जनरल या गवर्नेर या लेफ्टिनन्ट गवर्नेर या कौन्सिल के मिम्बरके इख्तियारे जायज़ के निफाज़ में मुज़ाहमते बेजा करने या डराने का	१२४
असीरे सुल्तानी या असीरे जग के छुडाने का	१३०
क़तले अमद के इर्तिकाब का	३०७
क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा के इर्तिकाब का	३०८
खुदकुशी के इतिकाब का	३०९
सर्क़ इ बिलजब्र के इर्तिकाब का	३९३
सर्क़ इ बिलजब्र के या डकैती के इतिकाब का—हर्ब इ मुहलिक़ से मुसल्लह होने की हालत में	३९८
ऐसे जुर्म के इर्तिकाब का—जिसकी निस्बत और तरहपर सरीहन् कोई हुक्म नहो	५११
जन्म कैदी की तरफ़ से	३०७
इक़रार—	
का इस्तिहसाले बिलजब्र करने के लिये बिलइरादा जरर या जरेर शदीद पहुचाना	३३० और ३३१
का इस्तिहसाले बिलजब्र करने के लिये हब्से बेजा करना ..	३४८
जब किसी सर्कारी मुलाजिम के रूबरू "हल्फन" कियाजाय .	५१
शालिह "हलफ़" के लफ्ज़ मे दाखिल है	५१
मुलाहज़ तलब हलफ़ या इक़रारे सालिह ।	
इक़रारे सालिह—	
जो बएवज हलफ़ के क़ानूनन क़ाइम किया गया है लफ्ज़े हलफ़ में दाखिल कर लिया गया है	

मजमून ।	दफ़ा ।

मज़मून ।	दफ़ा ।

उमर—

औद—

औरत—

मुलाहज़ा तलब भगा लेजाना—ज़िना—ज़िना बजब्र ।

मज़मून।	दफ़ा।
फ़ातिरुल अक़्ल—ततिम्म।	
मलाहज़ा तलब शरहसे फ़ातिरुल अक़्ल।	
फ़ाइद:—	
के मानें के लिये	६२ नसीह
फ़ुहुश बात—	
बकना और उसकी सजा	२६८
फ़ुहुश शेर—	
पढ़ना और उसकी सजा	ऐज़न।
फ़ुहुश फ़ेल—	
करना और उसकी सजा	ऐज़न।
फ़ुहुश किताब वग़ैर:—	

मज़मून ।	सफ़ा ।

क़ैद—तितिम्म ।

मुलाहज़ा तलब क़ैदे तनहाई हब्से बेजा मुदाख़लते बेजाये मुजरिमानः—जुर्मानः ।

क़ैदे तनहाई—

क़ैदी—

काटने—

मज़मून।	दफ़ः।

मज़मून ।	दफ़ा ।
गज़न्द—	
पहुचाने का इहतिमाल जिस फ़ेल से हो	८१
खफ़ीफ़ पहुचाने वाला फ़ेल जुर्म नहीं है	९५
गलाव माद्दः—	
के जरीये से बिलइराद जरर या जरेर शदीद पहुचाना	३२४ओ३२६
गवाह—	
का इन्कार करना हलफ़ या इक़रारे सालिह करने से	१७८
का जवाब देने से इन्कार करना इज़हार के वक्त	१७९
का बयान पर दस्तख़त करने से इन्कार करना	१८०
गुदाम के मालिक—	
की तरफ़ से ख़ियानते मुजरिमान॰ माल की निस्बत	१०७
गवर्नरे प्रेज़ीडन्सी—	
पर हम्ल करना इख्तियारे जायज़ के निफ़ाज़ पर मजबूर करने या उससे बाज़ रखने की नीयत से	१२४
गवर्नर जनरल बहादुर—	
पर हम्ल करना इख्तियारे जायज़ के निफ़ाज़पर मजबूर करने या उससे बाज़ रखने की नीयत से	१२४
गवर्नमेन्ट—	

मजमून ।	दफ़ ।

मज़मून।	दफ़ा।
मुदाख़लते बेजा मुजरिमानः—ततिम्म.।	

मजमून ।

मजमून ।	दफ़ा ।

मज़मून।	दफ़ा

नेकनामी—

नेकनीयती—

वाहिद ओ जमा—

वालियाने मुल्के गैर या रियासत हाये गैर—

वसीक़ा—

वजहे तहरीक या इस्तफ़ुस्सई किसी फ़ेल के लिये—